

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2024

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला जांजगीर चांपा में हैण्डपंप का खनन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

1. (*क्र. 1673) श्री बालेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक कितने ग्रामों में हैण्डपंप खनन किया गया है? वर्तमान में कितने प्रारंभ एवं कितने अप्रारंभ हैं? विकासखंडवार ग्रामवार जानकारी देवें? (ख) उक्त अवधि में कितने ग्रामों से हैण्डपंप खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई है? कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक 408 ग्रामों में नलकूप (हैण्डपंप) का खनन किया गया है। खनित नलकूपों में से 501 नलकूपों पर स्थापित समस्त हैण्डपंप चालू (प्रारंभ), बंद (अप्रारंभ) निरंक तथा 158 नलकूपों पर स्थापित समस्त पावर पंप चालू (प्रारंभ), बंद (अप्रारंभ) निरंक है। विकासखंडवार, ग्रामवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) उक्त अवधि में 76 ग्रामों में हैण्डपंप खराब होने की 94 शिकायत प्राप्त हुई है। सभी 94 शिकायतों का निराकरण किया गया है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

जिला बस्तर में विभाग के अधीन लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

2. (*क्र. 2557) श्री बघेल लखेश्वर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बस्तर में वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में प्रश्नावधि तक राजस्व विभाग के अधीन नामांकन, सीमांकन, भू-बंटवारा एवं नवीनीकरण से संबंधित कितने प्रकरण पंजीबद्ध हुये तथा इनमें से कितनों का निराकरण हुआ है? कृपया वर्षवार बतावें ? (ख) क्या इन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु अथवा समय-सीमा में निराकरण करने, विभाग कोई कार्यक्रम चला रही है अथवा कार्ययोजना प्रस्तावित है? तो कृपया स्पष्ट करें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला बस्तर में वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में राजस्व विभाग के अधीन नामांकन, सीमांकन, भू-बंटवारा एवं नवीनीकरण से संबंधित जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	नामांतरण		सीमांकन		भू-बंटवारा		नवीनीकरण	
		दर्ज	निराकृत	दर्ज	निराकृत	दर्ज	निराकृत	दर्ज	निराकृत
1	2021-22	4902	4902	1425	1385	481	481	48	41
2	2022-23	6598	6573	888	888	365	365	84	64
3	2023-24	1522	1169	442	168	135	78	28	24

(ख) जी हां, सभी प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जा रहा है।

रायपुर स्थित जंगल सफारी में वन्यजीवों की बड़ी संख्या में आकस्मिक मृत्यु

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

3. (*क्र. 2535) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या नंदनवन तथा जंगल सफारी, नवा रायपुर अटल नगर में वर्ष 2023 से जनवरी, 2024 तक वन्य जीवों की आकस्मिक मृत्यु की घटना हुई है? यदि हां, तो किस-किस प्रजाति के, कितने-कितने वन्यजीवों की, किन-किन कारणों से मृत्यु हुई और उनकी आयु क्या-क्या थी? (ख) वन्यजीवों के अस्वस्थ होने की पहली जानकारी कब और किसको हुई और उसके पश्चात् क्या कार्यवाही की गई? वन्यजीवों को क्यों नहीं बचाया जा सका? उनकी चिकित्सा में किन औषधियों का उपयोग किया गया? प्रथम दृष्टि में कौन-कौन उत्तरदायी हैं? जंगल सफारी में कौन-कौन वन्यजीव तथा रोग विशेषज्ञ पदस्थ हैं? (ग) क्या इस घटना की जांच विशेषज्ञों से कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2023 से जनवरी 2024 के मध्य जंगल सफारी में मृत हुए वन्यप्राणियों की कुल संख्या-74 है। विस्तृत जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है। (ख) उपरोक्त प्रश्नांश की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है। (ग) जी हां। (घ) ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु वन्यप्राणियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु फीड सप्लीमेंट, विटामीन सी, मिनरल मिक्चर इत्यादि प्रदाय किया जा रहा है। नियमित अंतराल पर वन्यप्राणियों को कृमि नाशक दवा पान कराया जा रहा है एवं पशुधन विकास विभाग के सहयोग से नंदनवन जू एवं सफारी क्षेत्र के आस-पास के ग्रामों में टीकाकरण का प्रयास किया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रदत्त मुआवजा

[लोक निर्माण]

4. (*क्र. 1179) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2021 से 2023 तक बिलासपुर, मुंगेली एवं मरवाही जिला में एन.एच., एडीबी, पीडब्लूडी विभाग द्वारा कौन-कौन से सड़कों का निर्माण किया गया है एवं किया जा रहा है? उक्त विभाग द्वारा सड़क के निर्माण हेतु कितने भू-स्वामियों की भूमि अधिग्रहित की गई है? कितने भू-स्वामियों को कितनी राशि का मुआवजा प्रदान किया गया है, कितने भू-स्वामियों को अभी तक मुआवजा किन कारणों से प्रदान नहीं किया गया है? मुआवजा प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? उक्त मुआवजा राशि प्रदान करने में विलंब हेतु दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्रवाई की जावेगी?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास निर्माण की अद्यतन स्थिति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

5. (*क्र. 2519) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु वर्ष 2022-23 का लक्ष्य कितना था ? लक्ष्य के विरुद्ध कितनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया गया? कितना पूर्ण हो गया तथा कितना शेष है, कितने में कार्य जारी है? (ख) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के आवेदन निरस्त होने के क्या-क्या कारण विभाग के पास आये हैं तथा विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) ऐसे गरीब परिवार, जिनके पास जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है, पर वह 30 या उससे अधिक वर्षों से

अपने स्थान पर निवास कर रहे हों, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हेतु शासन द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है या क्या नये नियम बनाये गये हैं?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं है, अपितु वर्ष 2022-23 में 38437 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रशांकित अवधि में स्वीकृत 38437 आवासों में से 5061 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण, 22229 आवासों का निर्माण कार्य प्रगतिरत एवं शेष 11147 आवासों का निर्माण कार्य अद्यतन अप्रारंभ है। (ख) संबंधित नगरीय निकायों द्वारा योजना अन्तर्गत भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है। दिशा-निर्देशों में उल्लेखित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने वाले आवेदनों को नगरीय निकायो द्वारा अपात्र करते हुए निरस्त किया जाता है। (ग) प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में आबादी (प्रचलित/ सुरक्षित) भूमि पर काबिज पात्र हितग्राहियों को शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप "पात्र हितग्राही प्रमाण-पत्र" का वितरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए योजना का लाभ दिया जा रहा है।

सहकारी समितियों को धान खरीदी हेतु प्रदत्त कमीशन

[सहकारिता]

6. (*क्र. 2498) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या प्रति क्विंटल धान खरीदी किये जाने पर सहकारी समितियों को 32 रूपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जाता है? यदि नहीं तो कितना रूपये दिया जाता है? (ख) यदि हां, तो क्या यह कमीशन की राशि पिछले वर्ष से अभी तक सहकारी समितियों को नहीं दी गयी है? (ग) यदि नहीं, तो अभी तक क्यों नहीं दी गयी है और पूरे प्रदेश में कितनी सहकारी समितियों को कितनी राशि दिया जाना शेष है, जिलेवार, ब्लॉकवार जानकारी दें तथा कब तक उक्त राशि को सहकारी समितियों को दिया जाना है और अभी तक नहीं दिए जाने का क्या कारण है? (घ) 32 रूपया या प्रति क्विंटल की दर से प्राप्त होने वाली राशियों से सहकारी समितियां किन-किन कार्यों में इन राशियों को व्यय करती हैं? ये राशि समितियों को प्राप्त हो इस हेतु सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रति क्विंटल धान खरीदी किये जाने पर सहकारी समितियों को मोटा धान हेतु 31.25 रूपये एवं पतला धान हेतु 32 रू. प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जाता है। (ख) वर्ष 2022-23 तक सहकारी समितियों को कमीशन की राशि का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में धान के निराकरण पश्चात् विपणन संघ के साथ सहकारी समितियों का अंतिम लेखा मिलान पूर्ण होने पर कमीशन का भुगतान किया जावेगा। (ग) वर्ष 2023-24 में धान के निराकरण पश्चात् विपणन संघ के साथ सहकारी समितियों का अंतिम लेखा मिलान पूर्ण होने पर ही कमीशन राशि ज्ञात हो पाएगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) प्राप्त कमीशन राशि का व्यय सहकारी समितियां प्रबंधकीय व्यय एवं देनदारियों के भुगतान हेतु करती है। कमीशन की राशि अंतिम लेखा मिलान पश्चात् समितियों को प्राप्तहोजातीहै।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन व शासकीय सेवा में नियुक्ति

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

7. (*क्र. 2562) सुश्री लता उसेंडी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कितने उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन किन-किन खेल अंतर्गत किया गया. उक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन हेतु क्या-क्या मापदंड एवं अहर्ताएं हैं? (ख) राज्य में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कितने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी प्रदान की गई है, वर्ष वार जानकारी दें। (ग) विभाग अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में

उत्कृष्ट खिलाड़ियों चुने जाने हेतु जिला-कोण्डागांव अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने आवेदनों का निराकरण किया गया तथा कितने निराकरण हेतु शेष हैं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रश्नाधीन वर्षों में उत्कृष्ट खिलाड़ी चयन नहीं किए गए हैं। प्रश्न का शेष भाग संदर्भित एवं प्रासंगिक नहीं है। (ख) राज्य में प्रश्नाधीन वर्षों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी प्रदान नहीं की गई है। (ग) प्रश्नाधीन वर्षों में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चुने जाने हेतु आवेदन आमंत्रित नहीं किया गया है। प्रश्न का शेष भाग संदर्भित एवं प्रासंगिक नहीं है।

कबीरधाम जिले में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

8. (*क्र. 2543) श्रीमती भावना बोहरा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कबीरधाम जिले में वर्ष दिसंबर, 2019 से वर्ष मार्च, 2023 तक की स्थिति में कहाँ-कहाँ पर खेल मैदान, मिनी स्टेडियम एवं राजीव गांधी खेल स्टेडियम के अंतर्गत स्टेडियम निर्माण के संबंध में स्थानीय स्तर से शासन को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? विकासखंडवार जानकारी दें। (ख) खेल मैदान मिनी स्टेडियम के संबंध में विगत दो वर्षों में कहाँ-कहाँ के लिए, कितनी राशि की स्वीकृती प्रदान की गई है? विकासखंडवार जानकारी दें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) कबीरधाम जिले में प्रश्नाधीन अवधि में खेल मैदान एवं राजीव गांधी खेल स्टेडियम के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, मिनी स्टेडियम अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव की जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) खेल मैदान, मिनी स्टेडियम के संबंध में विगत दो वर्षों में कोई राशि स्वीकृत नहीं हुआ है। प्रश्न का शेष भाग संदर्भित एवं प्रासंगिक नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत साडा के समय आबंटित भूखंड पर भवन स्वीकृति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

9. (*क्र. 1359) श्री रिकेश सेन : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नगर पालिक निगम भिलाई जिला-दुर्ग के अंतर्गत साडा के कार्यकाल में हुई 293 भूखंडों की व्यक्तिगत रजिस्ट्री युक्त भूखंडों की भवन स्वीकृति क्यों नहीं दी जा रही है ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार भवन स्वीकृति न मिलने से नगर निगम भिलाई को हो रही राजस्व की क्षति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही हुई है ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) मध्य प्रदेश शासन के पृष्ठांकन पत्र क्रमांक 2362/2354/18-2/2000, दिनांक 18.09.2000 के द्वारा आगामी आदेश तक प्रशासनिक दृष्टि से अचल संपत्ति अंतरण नियमों के अंतर्गत भूमि लीज पर दिये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। महापौर परिषद की बैठक दिनांक 30.11.2000 एवं दिनांक 02.02.2001 में जिन प्रकरणों में लीज का निष्पादन नहीं हुआ है, शासन के आदेश आने तक लंबित रखे जाने एवं 293 प्रकरणों में किसी भी प्रकार की भवन अनुज्ञा/नामांतरण/अंतरण एवं भू-भाटक नहीं लेने इत्यादि पर शासन के निर्देश आने तक रोक लगाई गई। मध्यप्रदेश शासन द्वारा लगाई गई प्रतिबंध को विभाग के पत्र दिनांक 29 अगस्त 2020 द्वारा समाप्त किया गया है। (ख) नगर पालिक निगम भिलाई के गठन पश्चात् वर्ष 1998-1999 एवं 1999-2000 में आबंटित दुकान/भू-खण्ड में प्रब्याजी राशि कम प्राप्त करने के कारण 292 प्रकरणों में हुई हानि के संबंध में जांच समिति का गठन किया गया था। वर्तमान में विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-3/2022/18 दिनांक 25 मई 2022 द्वारा छ.ग. नगर पालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 1994 के अंतर्गत निहित शक्तियां अचल

संपत्ति के अंतरण हेतु जिले के कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गई है। जिसके अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई को विभाग के पत्र दिनांक 08.08.2023 एवं 02.02.2024 द्वारा कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

निजी भूमि के सागौन वृक्षों की कटाई, परिवहन, भुगतान आदि में गंभीर अनियमितता के प्रकरण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

10. (*क्र. 2531) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वनवृत्त दुर्ग के वन मंडलों में निजी भूमि के सागौन वृक्षों (मालिक मकबूजा) की कटाई, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं भुगतान में अनियमितता के क्या-क्या प्रकरण वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में प्रकाश में आए हैं? अनियमितताओं के विवरण सहित बताएं? अधिक भुगतान करने के कारण शासन को कितनी-कितनी आर्थिक क्षति हुई है? प्रकरणवार बताएं ? (ख) प्रश्न के भाग (क) की अनियमितताओं के लिए जांच में किन-किन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उत्तरदायी पाया गया है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाहियां की गई हैं? क्या आर्थिक क्षति की ब्याज सहित वसूली की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? (ग) उपरोक्त प्रकरणों में कार्यवाही करने में विलंब के लिए कौन उत्तरदायी है? कब तक आरोप पत्र जारी किये जाएंगे?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) दुर्ग वृत्त के अंतर्गत वनमंडल-कवर्धा, दुर्ग बालोद, राजनांदगांव, मोहला एवं खैरागढ़ में निजी भूमि के सागौन वृक्षों (मालिक मकबूजा) के वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में हुई कटाई, परिवहन, क्रय-विक्रय में अनियमितता से संबंधित कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं। वर्ष 2014-15, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में अधिक भुगतान से संबंधित प्रकरण वर्ष 2022-23 में प्रकाश में आये हैं। प्रकरणवार **विवरण संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है।** संबंधित कलेक्टर के कटाई के लिये जारी अनुमति में यह उल्लेखित है कि काटे गये वृक्ष के काष्ठ को विक्रय पश्चात् प्रतिफल की राशि का भुगतान हितग्राही को किया जावे अतः कलेक्टर के आदेशानुसार हितग्राहियों को भुगतान किया गया। मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वन वृत्त द्वारा प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुये अधिक भुगतान की राशि जमा किये जाने बाबत निर्देशित किया गया। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2014-15, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में 76 हितग्राहियों को किये गये अधिक भुगतान की राशि रूपये 29,26,939/- की वसूली की गई। अधिक भुगतान की राशि तथा वसूली की तिथि का प्रकरणवार **विस्तृत विवरण संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है।** (ख) वर्ष 2014-15, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में अधिक भुगतान के संबंध में वर्ष 2022-23 में अनियमितता की जांच में श्री एम.एल. लहरे, मुख्य लिपिक एवं श्री दिलीप कुमार राजपूत, सहायक ग्रेड-02 तत्कालीन राजस्व शाखा प्रभारी, कार्यालय खैरागढ़ वनमंडल को उत्तरदायी पाया गया। उपरोक्त कर्मचारियों को अनियमितता के लिये उत्तरदायी पायी जाने के कारण उनके विरुद्ध जांच करायी जाकर कथित तौर पर अनियमितता पाये जाने फलस्वरूप 01-01 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरोधित की गई है एवं आरोप पत्र जारी कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई। वर्तमान में विभागीय जांच जारी है। संज्ञान में आये 76 प्रकरणों में अधिक भुगतान की राशि 29,26,939/- को हितग्राहियों द्वारा चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा किये जाने के फलस्वरूप शासन को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है। अतः ब्याज की वसूली का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) खैरागढ़ वनमंडल में अंतर की राशि अधिक भुगतान होने संबंधी उपरोक्त प्रकरण संज्ञान में आते ही अविलंब कार्यवाही की गई है। विलंब के लिये कोई उत्तरदायी नहीं है। अतः आरोप पत्र जारी किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

भू अभिलेख विभाग में रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती की पूर्ति

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

11. (*क्र. 2555) श्री इंद्र साव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) भू-अभिलेख विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं? शासन द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2019 से 2023 तक किन-किन पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं एवं इनके विरुद्ध कितने पदों पर नियुक्ति की गई है? पदवार जानकारी दें। (ख) "क" में से क्या पारगामी पद के लिए भी विज्ञापन जारी किया

गया है ? यदि हां तो क्या उनकी नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं तो क्यों? (ग) पारगामी पद के लिए आवश्यक अर्हताएं क्या हैं? अभी भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में कितने-कितने पारगामी कहां-कहां कार्यरत हैं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ अंतर्गत वर्तमान में तृतीय श्रेणी के 1535 एवं चतुर्थ श्रेणी के 379 पद रिक्त हैं। पदवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है।** रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2019 से 2023 तक सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (लोक सेवा आयोग द्वारा) एवं पटवारी के पदों के लिए विज्ञापन जारी किये गये हैं एवं इनके विरूद्ध **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।** (ख) पारगामी पद के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। वित्त विभाग द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन के संबंध में जारी वित्त निर्देश 12/2020 क्रमांक 88/एफ-2015-04-02007/ब-4/चार दिनांक 27-05-2020 के अनुसार कार्यवाही करते हुए तत्कालिक महत्व के पदों को भरने हेतु ही विज्ञापन जारी किए गए हैं। (ग) छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2014 के अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (5) अनुसार पारगामी पद के लिए आवश्यक अर्हता निम्नानुसार हैं - 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2. (10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा सिविल इंजीनियरिंग (सर्वे) में डिप्लोमा। भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में कोई पारगामी कार्यरत नहीं हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

पुरानी एवं जर्जर सड़कों के किये गये मरम्मत कार्य

[लोक निर्माण]

12. (*क्र. 2366) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पुरानी एवं जर्जर सड़कों की मरम्मत किए जाने के क्या नियम/प्रावधान हैं तथा कितने वर्षों के अंतराल में संधारण/मरम्मत किये जाने के प्रावधान है? जानकारी दें। (ख) कण्डिका 'क' के नियम/प्रावधानानुसार संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में विगत 03 वर्षों में कौन-कौन सी पुरानी एवं जर्जर सड़कों में कितनी-कितनी लागत के मरम्मत/संधारण कार्य किन-किन एजेंसियों के माध्यम से कराया गया है? वर्षवार, सड़कों के नाम व लागत सहित जानकारी दें।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) पुरानी सड़कों के मरम्मत/संधारण का कार्य विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आबंटन की उपलब्धता एवं मार्ग के आवश्यकतानुसार कराया जाता है। साधारण मरम्मत-उपलब्ध आबंटन एवं मार्ग की स्थिति अनुसार प्रतिवर्ष कराया जाता है, इसमें साधारण रखरखाव पैचवर्क आता है। (ख) (मरम्मत/संधारण कार्य की जानकारी) पैच रिपेयर मार्गों की संख्या - 53, लागत राशि - रु. 343.54 लाख, नवीनीकरण कार्य की संख्या-14, लागत राशि-रु. 384.27 लाख, वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

नारायणपुर जिलान्तर्गत ब्रेहबेडा (नारायणपुर) से कंडाडी-कीहकाड-मुन्नार-बेचा तक सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

13. (*क्र. 2539) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या प्रश्नावधि तक नारायणपुर जिले के नारायणपुर डिविजन द्वारा ब्रेहबेडा (नारायणपुर) से कंडाडी-कीहकाड-मुन्नार-बेचा तक रोड निर्माण एवं मेन्टेनेंस हेतु कार्यआदेश जारी किया गया है? यदि हां तो उक्त सड़क के निर्माण हेतु किस एजेंसी/ठेकेदार को, कितने किलोमीटर लंबाई के निर्माण एवं मेन्टेनेंस हेतु कार्यआदेश जारी किया गया है एवं अनुबंध अनुसार पूर्णता अवधि क्या है? (ख) क्या उपरोक्त कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं तो अनुबंध की कंडिकाओं अनुसार ठेकेदार पर क्या-क्या कार्यवाही कर कितनी राशि की पेनाल्टी ली गयी है? क्या मुख्य ठेकेदार द्वारा उप-ठेके पर कार्य हेतु कोई अनुबंध किया गया है? यदि हां, तो उप-ठेकेदार को कितनी राशि का भुगतान, किन किन कार्यों हेतु किया गया है? ठेकेदार द्वारा जिन

सामग्रियों का क्रय कर बिल प्रस्तुत करते हुए भुगतान प्राप्त किया है, उन बिल एजेंसियों का जीएसटी नम्बर, भुगतान राशि, सामग्री मात्रा सहित, ठेकेदार को किये गये भुगतान एवं जीएसटी, मूल्यांकन सत्यापन दिनांक कार्यवार, राशिवार जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी हां, ठेकेदार का नाम-मेसर्स गणपति कस्ट्रक्शन "अ" वर्ग ठेकेदार, शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.) मार्ग की लंबाई-31.80 कि.मी. अनुबंधानुसार पूर्णता की तिथि-12 माह अर्थात् दिनांक 06.01.2022 (ख) जी नहीं। कार्य स्थल अत्यंत संवेदनशील एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण कार्यपूर्ण करने हेतु अनुबंध के सेक्शन-04 की कंडिका-27.1 (बिना पेनाल्टी) के तहत दिनांक 30.06.2024 तक समयावृद्धि स्वीकृत की गई है। जी हां, मुख्य ठेकेदार द्वारा मेसर्स शिवरूद्रष्टक एण्ड एसोसिएट "ब" वर्ग ठेकेदार कचना रायपुर को अनुबंधित राशि 1980.93 लाख का 25 प्रतिशत तक (राशि 495.23 लाख मात्र) का कार्य को उप-ठेके हेतु अनुबंध किया गया है। विभाग द्वारा उप-ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया गया है। ठेकेदार द्वारा विभाग में सामग्री क्रय का बिल प्रस्तुत कर कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उदन्ती सीतानदी टाइगर रिजर्व अंतर्गत आने वाले ग्रामों में वनोपज संग्रहण पर रोक

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

14. (*क्र. 1861) श्री जनक ध्रुव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि उदन्ती सीतानदी टाइगर रिजर्व अंतर्गत आने वाले 42 से अधिक गाँवों में वन विभाग द्वारा टाइगर रिजर्व के नाम से वनोपज के संग्रहण पर रोक लगा दी गई है ? यदि हाँ, तो इन ग्रामों में निवासरत आदिवासियों के रोजगार हेतु क्या उपाय किये गए हैं ? बतावें ? क्या उनके द्वारा ग्रामों से पलायन किये जाने की बात विभाग के संज्ञान में आई है ? (ख) वर्तमान में उदन्ती सीतानदी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है ? यदि संख्या शून्य है तो किस वर्ष से बाघों की संख्या शून्य है स्पष्ट करें? वर्ष 2021 से प्रश्न अवधि तक उदन्ती सीतानदी टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में, कितनी राशि, किन-किन कार्यों पर व्यय की गई है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद संरक्षित क्षेत्र होने के कारण तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 29 के प्रावधान अनुसार प्रतिबंधित है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों टायगर रिजर्व/अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान के कोर क्षेत्रों में किसी तरह की वनोपज संग्रहण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है (आदेश प्रति संलग्न)। अपितु बफर क्षेत्रों में वनोपज संग्रहण पर कोई रोक नहीं है। बफर क्षेत्रों में तेंदुपत्ता संग्रहण की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है। कोर क्षेत्र में निवासरत आदिवासियों के रोजगार हेतु विभागीय रूप से तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, लेन्टाना, यूपेटोरियम उन्मूलन, चारागाह विकास, अग्नि सुरक्षा श्रमिक, नरवा विकास कार्य, भवन निर्माण, वनमार्ग उन्नयन/मरम्मत, अग्नि लाईन जलाई कटाई, सफाई वृक्षारोपण कार्य, झिरिया/अस्थाई वाटरहोल निर्माण, संयुक्त प्रबंध सुदृढीकरण, ईको पर्यटन क्रियाकलापों के अंतर्गत रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। कोर परिक्षेत्रों के ग्रामीणों के पलायन संबंधी बात इस विभाग के संज्ञान में नहीं है। (ख) उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद अंतर्गत वर्ष 2022 के अनुसार 1 बाघ है। वर्ष 2021 से प्रश्न अवधि तक वन क्षेत्र में कराये गये कार्यों पर व्यय की गई जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

जिला सक्ती में स्थापित संयंत्रों द्वारा कृषकों/शासकीय भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

15. (*क्र. 2337) श्री रामकुमार यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2020 से 2023 तक जिला सक्ती में स्थापित संयंत्रों हेतु कितने अनुसूचित जाति, जनजाति के कृषकों की भूमि तथा कितनी शासकीय भूमि अधिग्रहित की गई है ? विवरण देवें? (ख) उक्त भूमि के विक्रय की अनुमति या शासकीय भूमि का अधिग्रहण किन शर्तों के साथ कलेक्टर द्वारा प्रदान किया गया है ? क्या शर्तों

के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की है ? विवरण देवें? (ग) उक्त भूमि के मुआवजा के कितने प्रकरण शेष हैं और उन्हें कब तक प्रदान कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) , (ख) एवं (ग) की जानकारी निरंक है।

जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अवैध आवासीय कालोनी एवं अवैध प्लार्टिंग पर कृत कार्यवाही

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

16. (*क्र. 2261) श्री ब्यास कश्यप : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन नगरीय निकायों एवं सटे क्षेत्रों में विगत 03 वर्षों में कहां-कहां, किन-किन कंपनियों /ग्रुप/कालोनाईजरों द्वारा, कितने-कितने क्षेत्रफल में आवासीय कालोनी विकसित करने हेतु मकान निर्मित कर अथवा प्लाट विकसित कर बेचा गया है? कंपनी/कालोनाईजरों के नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश 'क' की कालोनियों हेतु कितने एवं किन-किन कंपनी/कालोनाईजरों द्वारा नियमानुसार अनुमति ली गई है? किन-किन के द्वारा बिना अनुमति के मकान एवं प्लाट अवैध तरीके से कितने लोगों को बेचे गये? कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या प्रश्नांश 'ख' की अनुमति प्राप्त विकसित कालोनियों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं करने अथवा ठगी/धोखाधड़ी करने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां तो किन-किन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई एवं प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका जांजगीर-नैला व चांपा में विगत 03 वर्षों में कंपनियों/ग्रुप/कालोनाईजरों द्वारा, आवासीय कालोनी विकसित करने की जानकारी निम्नानुसार है:-

1. नगर पालिका परिषद - जांजगीर-नैला

कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा का आदेश क्र. 10598 दिनांक 17.08.2022 के तहत जिला जांजगीर-चांपा के नगरपालिका परिषद जांजगीर-नैला में अवैध प्लार्टिंग एवं अवैध कालोनी को रोकने एवं कार्यवाही किये जाने हेतु जांच दल का गठन किया गया था, नगरपालिका परिषद जांजगीर-नैला में राजस्व विभाग एवं नगरीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें कुल 31 स्थलों पर अवैध प्लार्टिंग का चिन्हांकन किया गया, 31 स्थलों में से 05 स्थलों का राजस्व विभाग के द्वारा भू-स्वामी रिकार्ड निकाय को उपलब्ध कराया गया। जो कि निम्नानुसार है:-

क्र	निकाय का नाम	खसरा न-	रकबा	स्थल का नाम	भू-स्वामी का नाम
1	न-पा-प-जांजगीर-नैला	87/27, 87/30,	0.807 0.263	रेल्वे फाटक नैला के पास	श्री पुष्पेन्द्र कुमार/गीता राम
2		87/28, 87/29	0.248		श्री राकेश कुमार/गौरीशंकर
3		5016/2	0.214	पालिटेक्निक रोड़ के उत्तर दिशा	श्री नकुल राकेश/रामनाथ राकेश
4		5061/3 5061/6 5061/8	0.083 0.162 0.066	पालिटेक्निक रोड़ के दक्षिण दिशा	श्री अनवर खान/मो.निजामुद्दीन खान
5		4422/2	0.466	दीप्ति विहार कालोनी के नहर के दूसरी ओर एवं	श्री अर्जुन/घनश्याम वगैरह
6		4423/60	0.142	पश्चिम दिशा की ओर	श्री संतोष/हरिश्चन्द्र यादव

शेष 26 स्थलों का राजस्व विभाग के द्वारा भू-स्वामी रिकार्ड निकाय को नहीं दिये जाने के कारण कंपनी/कालोनाईजर का नाम उपलब्ध नहीं है तथा उपरोक्त 06 भू-स्वामियों का बिना सक्षम स्वीकृति के आवासीय कालोनी विकसित करने के उद्देश्य से अवैध प्लार्टिंग किये जाने पर इन 06 लोगों के ऊपर निकाय द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया।

2. नगर पालिका परिषद् - चांपा

जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नगरपालिका परिषद् चांपा मे विगत 03 वर्षों मे एक कालोनाईजर श्रीमती उमा देवी गोयल, सदर बाजार, चांपा को कार्यालयीन पत्र क्र. 2922 दिनांक 09.11.2023 द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश, जांजगीर-चांपा से अनुमोदित क्षेत्रफल 9.020 हेक्टेयर भूमि आवासीय कालोनी विकास अनुज्ञा जारी किया गया है।

3. नगर पंचायत - नवागढ़

जानकारी निरंक है।

(ख) नगर पालिका परिषद् जांजगीर-नैला में कालोनी हेतु नियमानुसार किसी भी कालोनाईजर द्वारा अनुमति नहीं ली गई है तथा 06 अवैध प्लॉटिंगकर्ता के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है। नगर पालिका परिषद् चांपा में एक कालोनाईजर श्रीमति उमा देवी गोयल पति स्व. श्री प्रदीप गोयल, चांपा द्वारा नियमानुसार अनुमति ली गई है तथा अवैध तरीके से प्लॉट विक्रेता 07 व्यक्ति श्रीमति चित्रलेखा मानिकपुरी पति संपत, श्री रामकुमार सोनी पिता जगदीश, श्री राजेश कुमार पिता सम्मप लाल, श्री पुरूषोत्तम लाल पिता शिव प्रसाद, श्री रेशमलाल पिता नथूराम, श्री संजीव कुमार पिता शंकर लाल एवं श्री अनिल कुमार पिता श्याम सुंदर के विरुद्ध राजस्व विभाग के प्रतिवेदन अनुसार उपरोक्त सभी 07 व्यक्तियों के नाम पर दिनांक 03.09.2022 को थाना चांपा मे एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है। नगर पंचायत नवागढ़ में कोई भी अवैध प्लॉटिंग नहीं है। (ग) अनुमति प्राप्त विकसित कालोनियों मे आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं करने अथवा ठगी/ धोखाधड़ी करने की किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रदेश के सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित अंतर्गत किसान राईस मिल की अद्यतन स्थिति

[सहकारिता]

17. (*क्र. 1551) श्री अजय चंद्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में 25 जनवरी, 2024 की स्थिति में कितनी सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित (किसान राईस मिल) हैं? उनमें से कितनी चालू एवं कितनी बंद हैं? उसमें से कितने हानि में हैं और कितने लाभ में हैं? यदि बंद हैं तो कब से बंद हैं और उसके कारण क्या हैं? इन संस्थाओं के पास कितनी परिसंपत्तियां हैं? (ख) वर्तमान में ये संस्थाएं, कौन-कौन से कार्य संचालित कर रही हैं? इन संस्थाओं में कौन-कौन से स्तर के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? (ग) यदि ये संस्थाएं घाटे में हैं तो इनकी कितनी देनदारी शासकीय/अशासकीय/सहकारी संस्थाओं के ऊपर हैं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रदेश में 25 जनवरी, 2024 की स्थिति में 39 सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्थाएं मर्यादित (किसान राईस मिले) है, जिसमें से 10 किसान राईस मिले चालू है एवं 29 राईस मिले बंद हैं। 21 संस्थाएं हानि में तथा 18 लाभ में हैं। किसान राईस मिलों के बंद होने का कारण तथा संस्थाओं के परिसंपत्तियों की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) वर्तमान में सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्थाएं मर्यादित (किसान राईस मिले) द्वारा मुख्यतः मिल संचालन, गोदाम/भवन/दुकान किराया, पी.डी.एस. दुकान संचालन इत्यादि कार्य संचालित कर रही है, एवं कुछ संस्थाएं किसी भी प्रकार का कार्य संचालित नहीं कर रही है। उक्त संस्थाओं में मुख्यतः प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अतिरिक्त सहायक प्रबंधक, लीड प्रबंधक, लिपिक, सहायक लिपिक, विक्रेता, सहायक विक्रेता, लेखापाल, मिल हेल्पर, भृत्य, चौकीदार, इत्यादि स्तर के कुल 218 कर्मचारी कार्यरत है। (ग) घाटे वाली सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्थाएं मर्यादित (किसान राईस मिल) के देनदारी की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के पाली, रामपुर, धौराभाठा से उतरदा रोड निर्माण

[लोक निर्माण]

18. (*क्र. 2575) श्री प्रेमचंद पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के पाली, रामपुर, धौराभाठा से उतरदा रोड वर्ष 2016-17 में लोक

निर्माण विभाग व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत हुआ था? क्या लोक निर्माण द्वारा अधूरा कार्य कर सन् 2016-17 में ही छोड़ दिया गया है? क्या उसको पूरा नहीं किया गया है? यदि हां, तो यह रोड निर्माण का कार्य कब तक पूरा होगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : जी हां, पाली से उतरदा मार्ग (वास्तविक लंबाई 1.80 कि.मी.) की स्वीकृति दिनांक 26.03.2018 को लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई थी, तथा उतरदा से घौराभाठा मार्ग (लंबाई 2.03) कि.मी. की स्वीकृति दिनांक 26.03.2018 को, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गयी थी। जी हां, कार्य सी.एम.जी.एस.वाई. में स्वीकृत एवं अनुबंधित होने के कारण वर्ष 2019-20 (20.09.2019) को अधूरे कार्य का अनुबंध समाप्त किया गया। कार्य की पूर्णता: की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

सहकारी समितियों को धान खरीदी हेतु प्रदान किये जाने वाले कमीशन के सम्बन्ध में

[सहकारिता]

19. (*क्र. 2504) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या शासन द्वारा धान खरीदी किये जाने पर सहकारी समितियों को 32 रू प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या प्रश्नांकित दिनांक तक की कमीशन राशि सहकारी समितियों को प्रदान की जा चुकी है? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के पूरे प्रदेश में कितनी सहकारी समितियों को कमीशन की कितनी राशि दिया जाना शेष है? सहकारी समितिवार विकासखंडवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' की प्राप्त कमीशन राशि का सहकारी समितियां किन-किन कार्यों हेतु व्यय करती है? बिना राशि के समितियां उक्त कार्यों का संचालन कैसे कर रही हैं? क्या वे उधारी अथवा ऋण लेकर अपने कार्यों को संचालित कर रही हैं? यदि हां, तो इन परिस्थितियों के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** शासन द्वारा धान खरीदी किये जाने पर सहकारी समितियों को मोटा धान हेतु 31.25 रूपये एवं पतला धान हेतु 32.00 रूपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन देने का प्रावधान है। विपणन संघ द्वारा धान के अंतिम लेखा मिलान पश्चात् वर्ष 2022-23 तक सहकारी समितियों को कमीशन का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में धान के निराकरण पश्चात् विपणन संघ के साथ सहकारी समितियों का अंतिम लेखा मिलान पूर्ण होने पर सहकारी समितियों को कमीशन का भुगतान किया जावेगा। **(ख)** वर्ष 2022-23 तक सहकारी समितियों को कमीशन भुगतान शेष नहीं है। वर्ष 2023-24 में धान के निराकरण पश्चात् विपणन संघ के साथ सहकारी समितियों का अंतिम लेखा मिलान पूर्ण होने पर ही कमीशन राशि ज्ञात हो पाएगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्राप्त कमीशन राशि का व्यय सहकारी समितियां प्रबंधकीय व्यय एवं देनदारियों के भुगतान हेतु करती है। सहकारी समितियों द्वारा कार्यों का संचालन प्रथमतः स्वयं के संसाधन से की जाती है, जिसकी प्रतिपूर्ति कमीशन मिलने पर की जाती है।

केशकाल घाट में यातायात अवरूद्ध होने से बचाव हेतु कृत कार्यवाही

[लोक निर्माण]

20. (*क्र. 1665) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 01 दिसम्बर, 2023 से जनवरी, 2024 के मध्य राष्ट्रीय राज्य मार्ग 30 केशकाल घाट कितनी बार 5 घंटे से अधिक भारी माल वाहक वाहनों के कारण अवरूद्ध रहा? **(ख)** उक्त घाट के संकीर्ण मार्ग में 20 से अधिक पहियों वाले वाहनों के आवागमन के दौरान उक्त घाट में यातायात अवरूद्ध न हो इस हेतु क्या-क्या व्यवस्था शासन द्वारा की गई है? **(ग)** केशकाल घाट हेतु वैकल्पिक मार्ग एवं केशकाल में बाईपास निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा विगत 02 वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या परिवहन विभाग द्वारा उक्त मार्ग में भारी वाहनों के आवागमन का आंकलन किया गया है? यदि हां, तो कब तथा उसके निराकरण हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) थाना प्रभारी, केशकाल से प्राप्त जानकारी अनुसार 5 बार अवरूद्ध रहा। (ख) थाना प्रभारी, केशकाल से प्राप्त जानकारी अनुसार केशकाल घाट में यातायात अवरूद्ध न हो इस हेतु हाईवे पेट्रोलिंग 24 घंटे तैनात किया गया है। (ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत काडा नाली निर्माण

[जल संसाधन]

21. (*क्र. 865) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन किन स्थानों पर, कितनी-कितनी राशि के काडा नाली निर्माण कार्य को जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 के मध्य स्वीकृति प्रदान की गयी है? (ख) स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? (ग) पूर्ण किये जा चुके कितने काडा नाली वर्तमान में प्रयोग किये जाने योग्य हैं तथा कितने नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नावधि में किसी भी स्थान पर काडा नाली निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई है। (ख) प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आपदा प्रबंधन मद के तहत स्वीकृत राशि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

22. (*क्र. 1618) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1 अप्रैल, 2021 से अक्टूबर, 2023 तक आपदा प्रबंधन मद से कितनी राशि स्वीकृत की गयी है? विकासखंडवार जानकारी दें? (ख) स्वीकृत राशि में कितने कार्य, कितनी राशि से कराये गये?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) बसना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में प्राकृतिक आपदा के विरूद्ध आर्थिक अनुदान सहायता हेतु विकासखंड पिथौरा को रू. 4,36,05,000/- तथा विकासखंड बसना को रू. 3,62,05,000/- स्वीकृत की गई है। (ख) स्वीकृत राशि से कोई निर्माण कार्य नहीं कराये गये हैं।

रायपुर के साईंस कॉलेज के पास चौपाटी निर्माण

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

23. (*क्र. 2569) श्री राजेश मूणत : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि रायपुर के साईंस कॉलेज के पास रायपुर स्मार्ट सिटी लि. द्वारा 7700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यूथ हब ग्रीन कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत कार्य कराया जा रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त भूमि का लैण्डयूज पैटर्न मास्टर प्लान में सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक) एवं मार्ग मद में दर्ज है? (ख) यदि प्रश्नांक (क) में उल्लेखित तथ्य सही हैं, तो वहां पर चौपाटी का निर्माण कैसे कराया गया है ? क्या यह नियमों के विपरीत नहीं है ? नहीं है, तो किस आधार पर ? (ग) प्रश्नांक (ख) में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर नियम विरूद्ध बनी चौपाटी तोड़ी जायेगी या नहीं ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी हाँ, यह कथन सत्य है कि रायपुर के साईंस कॉलेज के पास रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 7700 वर्गमीटर क्षेत्रफल में यूथ-हब ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के एक घटक का कार्य कराया गया है। यह भी कथन सत्य है कि उक्त भूमि का लैण्डयूज रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 अनुसार सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक) एवं मार्ग मद में

दर्ज है। **(ख)** इस परियोजना अंतर्गत चौपाटी जैसा कोई निर्धारण नहीं है। उक्त स्थल पर यूथ-हब ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के एक घटक के रूप में वैंडिंग जोन का निर्माण किया गया है। इस परियोजना अंतर्गत सार्वजनिक एवं मार्ग भू-उपयोग के तहत ड्राइव-वे, पार्किंग, फुटपाथ, सार्वजनिक प्रसाधन, टेंसाईल फेब्रिक स्ट्रक्चर, स्टीट लाईटिंग लगाई गई है एवं अस्थाई कियोस्क रखे गए हैं। परियोजना की सक्षम स्वीकृति रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मण्डल की 9वीं बैठक में दिनांक 04/09/2018 को प्रदान की गई है। **(ग)** यूथ हब परियोजना अंतर्गत चौपाटी जैसा कोई निर्धारण नहीं है। उक्त स्थल पर परियोजना के एक घटक के रूप में वैंडिंग जोन का निर्माण किया गया है। वैंडिंग जोन में जो कियोस्क रखे गए हैं, वे अस्थायी प्रकृति के हैं। इन्हें किसी अन्य वैंडिंग जोन या किसी अन्य स्थल पर स्थानांतरित किया जा सकता है। कियोस्क के अतिरिक्त जो निर्माण है उसमें ड्राइव-वे, पार्किंग, फुटपाथ, सार्वजनिक प्रसाधन, टेंसाईल फेब्रिक स्ट्रक्चर, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था है, जो जन-उपयोगी है। परियोजना स्थल के समीप कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान एवं वाचनालय (लाइब्रेरी) अवस्थित है। यूथ हब अंतर्गत निर्मित वर्तमान वैंडिंग जोन के स्थल का उपयोग कई अन्य प्रयोजनों जैसे विद्यार्थियों के लिए ओपन रीडिंग स्पेस, समूह चर्चा आदि के लिए किया जा सकता है।

विभाग में सेवानिवृत्ति पश्चात संविदा नियुक्ति

[जल संसाधन]

24. (*क्र. 2082) श्री फूलसिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जल संसाधन विभाग में दिनांक 22 जनवरी, 2024 के स्थिति में किन-किन पदों पर, कितनी-कितनी संख्या में सेवानिवृत्ति पश्चात अधिकारी एवं कर्मचारी को संविदा नियुक्ति पर नियुक्त हैं ? **(ख)** क्या संविदा नियुक्ति द्वारा किसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्तीय या प्रशासनिक अधिकार भी दिया गया है ? यदि हां तो किस-किस को ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जल संसाधन विभाग में दिनांक 22 जनवरी, 2024 के स्थिति में 06 अधीक्षण अभियंता, 01 कार्यपालन अभियंता, 04 सहायक अभियंता, 02 उपअभियंता, 01 वरिष्ठ अधीक्षक, 01 वरिष्ठ निज सहायक, 02 सहायक वर्ग-3 एवं 01 वाहन चालक संविदा नियुक्ति पर कार्यरत है। **(ख)** जी नहीं।

राजनांदगांव जिला अंतर्गत राजस्व प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

25. (*क्र. 2547) श्री भोलाराम साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव जिला अंतर्गत जनवरी, 2023 से जनवरी, 2024 तक कितने सीमांकन, नामांतरण, बटांकन, प्रमाणीकरण, रजिस्ट्री एवं ऑनलाइन रिकॉर्ड हेतु प्रकरण/आवेदन प्राप्त हुए हैं? विकासखण्डवार, तहसीलवार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका "क" के कितने प्रकरण पर कार्यवाही कर निराकृत कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों, तहसीलवार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** राजनांदगांव जिला अंतर्गत जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक सीमांकन, नामांतरण, बटांकन, प्रमाणीकरण, रजिस्ट्री एवं ऑनलाइन रिकार्ड हेतु कुल 17324 प्रकरण/आवेदन प्राप्त हुए, विकासखण्ड व तहसीलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** कंडिका "क" के अनुसार प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए कुल 14497 प्रकरण निराकृत किया गया। शेष प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तहसीलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा, दावा-आपत्ति के लंबित प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

1. (क्र. 331) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा, दावा-आपत्ति के कुल कितने आवेदन वर्ष 2019-2020 से 31 दिसम्बर, 2023 तक प्राप्त हुए हैं ? कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया ? कितने लंबित है? लंबित होने का कारण एवं लंबित होने की अवधि, जानकारी तहसील वार देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा, दावा-आपत्ति के कुल 7092 आवेदन वर्ष 2019-2020 से 31 दिसंबर 2023 तक प्राप्त हुए हैं। 6950 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 142 प्रकरण लंबित है। लंबित होने का कारण एवं लंबित होने की अवधि तहसीलवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

जिला-मोहला-मानपुर अं. चौकी क्षेत्र में आपदा से हुई मौतों पर लंबित मुआवजा भुगतान

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

2. (क्र. 334) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-2022 एवं 2022 -2023 में कितने लोगों की मौतें नदी, तालाब, कुंआ में डूबने एवं आगजनी तथा प्राकृतिक आपदा में हुई है ? वर्षवार, प्रकरणवार जानकारी प्रदाय करें ? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार वर्णित कितने लोगों को शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है ? कितने लोगों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है ? मुआवजा राशि भुगतान नहीं करने का क्या कारण है एवं कब तक भुगतान कर दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी में प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कारणों से कुल 99 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वर्षवार तथा प्रकरणवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) मृत व्यक्तियों के 81 परिजनों को अनुदान सहायता का भुगतान कर दिया गया है। 18 परिजनों को भुगतान किया जाना शेष है। राशि स्वीकृत कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

जशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

3. (क्र. 445) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शुद्ध पेय जल की अनुपलब्धता वाले मजरा, टोला, पारा, ग्रामों का ब्यौरा क्या है ? (ख) क्या उक्त मजरा, टोला, पारा, ग्रामों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिये विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार की गई है ? (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? (घ) उपरोक्त मजरा, टोला, पारा, ग्रामों में शुद्ध पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता वाले मजरा, टोला, पारा का ग्रामवार ब्यौरा संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) शुद्ध

पेयजल की उपलब्धता के लिए विभाग द्वारा मजरा, टोला, पारा, ग्रामों की कार्ययोजना तैयार की गई है। ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (घ) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बारह" \]](#)

जंगल सफारी रायपुर में वन्य पशुओं की मौतें

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

4. (क्र. 476) श्री कवासी लखमा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सितंबर, 2023 से 15 फरवरी 2024 के मध्य जंगल-सफारी रायपुर में कितने वन्य पशुओं की मौतें हुई है? वन्य प्रजातियों के नाम अलग-अलग संख्या सहित जानकारी देवें? मौतें होने के क्या कारण हैं? (ख) जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) सितंबर 2023 से 15 फरवरी 2024 के मध्य जंगल सफारी में 39 वन्य पशुओं की मौतें हुई है। वन्य प्रजातियों के नाम अलग-अलग संख्या एवं मौतें होने के कारण सहित **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है**। (ख) वन्यप्राणियों की मृत्यु की घटना की जांच हेतु 03 सदस्यीय वन अधिकारी की समिति गठित कर, जांच करायी गयी। समिति के जांच प्रतिवेदन अनुसार दोषी पाये गये डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी जंगल सफारी रायपुर तथा श्री वाय.के. डहरिया, सहायक संचालक जंगल सफारी रायपुर के विरुद्ध कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने की अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। एक अन्य पशु चिकित्सक (संविदा) के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक सह वनमण्डलाधिकारी जंगल सफारी द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह" \]](#)

कांकेर जिले में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की शिकायतें

[लोक निर्माण]

5. (क्र. 577) श्री आशा राम नेताम : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या कांकेर जिले में लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत 01 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर 2024 तक विभाग द्वारा सड़क, पुल-पुलिया एवं अन्य मरम्मत कार्य कराये गये हैं? अगर हां, तो किन-किन कार्यों को कराया गया है? लागत, स्थान और पूर्ण-अपूर्ण कार्यों की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार प्रश्नांकित अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की गुणवत्ता संबंधी या अन्य शिकायत मिली हो तो उस पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करेंगे?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी हां, लोक निर्माण विभाग एवं अधीक्षण अभियंता छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का पत्र क्र. 137/ वीएसक्यू-577/ छगग्रासविअ/ 24, कांकेर, दिनांक 13.02.2024 से प्राप्त जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।

कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण प्रदाता को अधिक दर पर भुगतान की शिकायतें

[कौशल विकास]

6. (क्र. 579) श्री आशा राम नेताम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कांकेर जिले में जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक क्या खनिज न्यास निधि से कौशल विकास में प्रशिक्षण दिया गया है? अगर हां, तो कितने को और कौन-कौन से ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया गया? प्रशिक्षण प्रदाता के चयन के क्या मापदंड थे? क्या सीएसएसडीए और एनएसडीए की गाइडलाईन का पालन किया गया है? अगर नहीं, तो क्या कारण है? क्या सीएसएसडीए और एनएसडीए के द्वारा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित दर से अधिक राशि का निर्धारण कर भुगतान किया गया है? यदि हां तो इसका निर्धारण किस आधार पर किस अधिकारी के माध्यम

से किया गया ? क्या प्रशिक्षण प्रदाता को आधिक्य राशि के भुगतान करने वाले अधिकारी इस हेतु उत्तरदायी नहीं हैं? **(ख)** क्या प्रश्नांक समय अवधि में कौशल विकास में प्रशिक्षण में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है? अगर हां तो जांच में क्या पाया गया? दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई नहीं हुई तो क्या कारण हैं? **(ग)** प्रश्नांक अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों का अभी तक कितनी संख्या में नियोजन हुआ है। नियोजन वाले हितग्राहियों की सूची के साथ बताएं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुक्रम में जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' के अनुक्रम में जानकारी निरंक है।

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत एनीकट/स्टॉप डैम

[जल संसाधन]

7. (क्र. 866) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन किन स्थानों पर, कितनी-कितनी राशि के एनीकट/स्टॉप डैम निर्माण कार्य को जनवरी 2020 से दिसंबर, 2023 के मध्य स्वीकृति प्रदान की गयी है? **(ख)** स्वीकृत कार्यों में कितने पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? **(ग)** पूर्ण किये जा चुके कितने एनीकट/स्टॉप डैम में से कितने वर्तमान में प्रयोग किये जाने योग्य हैं तथा कितने नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** प्रश्नांश की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार स्वीकृत सभी कार्य अपूर्ण है। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' अनुसार कोई भी एनीकट/स्टॉप डैम पूर्ण नहीं हुए हैं, अतः प्रश्नांश की शेष जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह" \]](#)

जशपुर जिला अंतर्गत पालिका एवं नगर पंचायतों को विभिन्न कार्यों हेतु प्रदायित राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

8. (क्र. 1241) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जशपुर जिला अन्तर्गत आने वाले नगर पालिका, नगर पंचायतों को दिनांक 01.04.2020 से 01.04.2023 तक राज्य शासन द्वारा कितने कार्यों के लिये कितनी-कितनी राशि दी गई ? **(ख)** क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा जिन कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, उस कार्य में राशि व्यय न कर अन्य कार्यों में राशि व्यय कर दी गई ? **(ग)** यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जशपुर जिला अंतर्गत आने वाले नगर पालिका, नगर पंचायतों को दिनांक 01.04.2020 से 01.04.2023 तक राज्य शासन द्वारा कुल 4351 कार्यों के लिए राशि रू. 5461.61 लाख प्रदत्त की गई है। निकायवार **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** शासन द्वारा जिन कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, उस कार्य में ही राशि व्यय की गई। **(ग)** प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

15 वे वित्त आयोग की राशि का उपयोग

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

9. (क्र. 1361) श्री रिकेश सेन : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 15 वे वित्त आयोग से सत्र 2022-23 में नगर पालिका निगम, भिलाई को कितनी राशि प्राप्त हुई है ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार क्या इस राशि का उपयोग भिलाई इस्पात संयंत्र (सेक्टर क्षेत्र) में भी किया गया है ? यदि हां तो, क्या कार्य प्रारंभ के पूर्व भिलाई इस्पात संयंत्र से अनुमति ली गई है ? यदि नहीं तो इसके लिए दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) 15वें वित्त आयोग से सत्र 2022-23 में नगर पालिक निगम, भिलाई को कुल राशि रू. 4613.86 लाख प्राप्त हुई। (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार 15वें वित्त आयोग से वायु गुणवत्ता सुधार अंतर्गत स्वीकृत राशि रू. 399.24 लाख में से आंशिक रूप से राशि रू. 79.19 लाख मात्र का कार्य भिलाई संयंत्र (सेक्टर क्षेत्र) में किया गया है। कार्य प्रारंभ के पूर्व भिलाई इस्पात संयंत्र से अनुमति नहीं ली गई है। कार्य वायु गुणवत्ता, जन स्वास्थ्य से संबंधित होने के कारण सड़क के किनारे पेविंग का कार्य कराया गया है, जिस पर भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956, छ.ग. महापौर परिषद् कामकाज संचालन नियम एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरीय) के तहत आवास निर्माण का निर्धारित लक्ष्य

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

10. (क्र. 1556) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरीय) के कितने घटक हैं और वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 व 2023-24 (30 नवंबर, 2023 की स्थिति) में इन घटकों के माध्यम से कितने आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? उनमें से कितने आवास हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी? (ख) उक्त वर्षों में आवास निर्माण हेतु केन्द्रांश व राज्यांश राशि कितनी-कितनी लगनी थी? कितनी-कितनी राशि दी गयी एवं कितनी शेष है? प्राप्त राशि में से हितग्राहियों को कितने किस्त में राशि देना था और कितने किस्तों की राशि भुगतान कर दी गयी है व कितनी राशि, देना शेष है ? घटकवार, वर्षवार बतायें? (ग) उक्त वर्षों में कितने आवास पूर्ण/अपूर्ण हैं व कब तक पूर्ण कर लिए जायेंगे? तय लक्ष्य के विरुद्ध कितना पीछे/आगे (प्रतिशत में) चल रही हैं? यदि पीछे है तो उसका कारण क्या है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत निम्नानुसार 04 घटक हैं:-

- (1) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी)
- (2) भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी)
- (3) स्व-स्थाने झुग्गी बस्ती पुनर्विकास (आईएसएसआर)
- (4) क्रेडिक लिंकड सस्बिडी स्कीम (सीएलएसएस)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं है, अपितु प्रश्नांकित अवधि में 164116 आवास स्वीकृत हैं। स्वीकृत आवासों का विस्तृत विवरण **संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है।**

(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त राशि से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

घटक	अंशदान	स्वीकृत	प्राप्त	शेष
लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी)	केन्द्रांश	1969.68	1373.49	596.19
	राज्यांश	1079.29	752.17	327.12
	योग	3048.97	2125.66	923.31
भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी)	केन्द्रांश	28.04	11.21	16.83
	राज्यांश	0.00	0.00	0.00
	योग	28.04	11.21	16.83
महायोग	3077.01	2136.87	940.14	

स्वीकृत केन्द्रांश एवं राज्यांश के विरुद्ध प्राप्त एवं शेष राशि का घटकवार/वर्षवार विस्तृत विवरण **संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है।** प्राप्त राशि में से हितग्राहियों को कुल 525244 किस्तों की राशि दी जानी थी, जिसमें 299737 किस्तों की राशि के भुगतान हेतु राशि जारी की गई है एवं 225507 किस्तों हेतु राशि रू. 1277.50 करोड़ देना शेष है। वर्षवार विस्तृत विवरण **संलग्न प्रपत्र-'स' अनुसार है।** (ग) उक्त वर्षों में स्वीकृत कुल 133180 आवासों में से अद्यतन 52667 आवास पूर्ण हैं एवं 80513 आवास अपूर्ण हैं। अपूर्ण आवासों को योजना अन्तर्गत निर्धारित मिशन अवधि दिसंबर-24 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना

(शहरी) अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं है। अपितु उक्त वर्षों में स्वीकृत आवासों में अपूर्ण आवासों को मिशन अवधि दिसंबर-24 तक पूर्ण किया जाना है। स्वीकृत आवासों में अद्यतन 83% आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है एवं 40% आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह"]

प्रदेश में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

11. (क्र. 1575) श्री अजय चंद्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में दिनांक 30 नवंबर, 2023 की स्थिति में कितने लघु/सीमांत/दीर्घ/भूमिहीन किसान हैं? **(ख)** प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना कब से लागू है? इस योजनांतर्गत क्या भूमिहीन किसानों का सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो किस संस्था/विभाग द्वारा, कब कराया गया? इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल कितने भूमिहीन कृषक हैं तथा किन-किन वर्ग के भूमिहीन कृषकों को इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया? सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कितने लोगों को लाभ दिया गया? 30 नवंबर, 2023 की स्थिति में, कितने भूमिहीन कृषकों को, कितनी सहायता राशि दी गयी है? इसके लिये क्या नियम-प्रक्रिया है? इस योजना की वित्तीय पोषण व्यवस्था क्या तय की गयी है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** दसवीं कृषि संगणना वर्ष 2015-16 के जारी आंकड़ों के अनुसार जोतधारकों की जानकारी निम्नानुसार है :- लघु जोतधारक - 8 लाख 79 हजार 477, सीमांत जोतधारक - 34 लाख 34 हजार 321, दीर्घ जोतधारक - 6 लाख 96 हजार 974 है । विभाग द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों की जानकारी संकलित नहीं की जाती है । **(ख)** 1. प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना दिनांक 16-08-2021 से लागू है । 2. योजनांतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों का सर्वे नहीं कराया गया है । 3. योजनांतर्गत ग्राम पंचायत/नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत निम्नांकित श्रेणी के लोगों को पात्र माना गया है :- (1) भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार (2) ग्रामीण भूमिहीन चरवाहा/बढ़ई /लोहार/मोची/नाई/धोबी/पुरोहित जैसे - पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़ परिवार /वनोपज संग्राहक (3) अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी /बैगा/गुनिया /मांझी एवं आदिवासियों के देवस्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया को कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजनांतर्गत पात्र माना गया है । 4. 30 नवंबर की स्थिति में निम्नानुसार भूमिहीन कृषकों को सहायता राशि दी गई है :-

वर्ष	पात्र हितग्राहियों की संख्या	सहायताराशि (रूपये में)
2021-22	प्रथम किशत हेतु पात्र - 3,55,402	71 करोड़ 08 लाख 04 हजार (रूपये 2000 प्रति हितग्राही)
2021-22	द्वितीय किशत हेतु पात्र - 3,55,402	71 करोड़ 08 लाख 04 हजार (रूपये 2000 प्रति हितग्राही)
	योग	142 करोड़ 16 लाख 08 हजार मात्र
2022-23	प्रथम किशत हेतु पात्र - 3,55,402	71 करोड़ 08 लाख 04 हजार (रूपये 2000 प्रति हितग्राही)
2022-23	द्वितीय किशत हेतु पात्र - 4,67,217	115 करोड़ 80 लाख 32 हजार (354744 पात्र हितग्राहियों को रूपये 2000 प्रति हितग्राही एवं 112136 नवीन पात्र हितग्राहियों को प्रथम एवं द्वितीय किशत की राशि रूपये 4000/- प्रति हितग्राही के मान से)
2022-23	तृतीय किशत हेतु पात्र - 4,99,756	149 करोड़ 92 लाख 68 हजार(रूपये 3000 प्रति हितग्राही)
	योग	336 करोड़ 81 लाख 04 हजार
2023-24	प्रथम किशत हेतु पात्र - 5,63,576	112 करोड़ 71 लाख 52 हजार (रूपये 2000 प्रति हितग्राही)
2023-24	द्वितीय किशत हेतु पात्र - 5,62,112	168 करोड़ 63 लाख 38 हजार (रूपये 3000 प्रति हितग्राही)
	योग	281 करोड़ 34 लाख 88 हजार
	महायोग	760 करोड़ 32 लाख

5. वर्तमान में प्रचलित नियम/निर्देश की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है** । 6. योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राशि रूपये 201.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राशि रूपये 337.92 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राशि 350.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है ।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हैण्डपम्पों की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

12. (क्र. 1666) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र सिहावा के अन्तर्गत 2021-22 से 23 दिसम्बर, 2023 तक कितने हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं ? **(ख)** स्थापित हैण्डपम्प में से कितने वर्तमान में क्रियाशील स्थिति में हैं एवं कितने हैण्डपम्प अनुपयोगी हैं ? **(ग)** क्या अनुपयोगी हो चुके हैण्डपम्पों की प्रतिस्थापना की गयी है ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र सिहावा के अंतर्गत 2021-22 से 23 दिसम्बर 2023 तक 203 हैण्डपम्प स्थापित किये गये है। **(ख)** स्थापित समस्त 203 हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील स्थिति में है। अनुपयोगी हैण्डपंप की संख्या निरंक है। **(ग)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में पेयजल कार्यों हेतु आबंटित राशि

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

13. (क्र. 1674) श्री बालेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल कार्यों हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है? **(ख)** कितनी राशि, कहां-कहां, किस-किस मद में व्यय हुई है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** विधानसभा क्षेत्रवार राशि आबंटित नहीं की जाती है। **(ख)** वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि में ग्रामवार, राशिवार एवं मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, ब, स, द एवं ई अनुसार है।

पेण्ड्रा बाईपास सड़क निर्माण की लागत एवं अवधि

[लोक निर्माण]

14. (क्र. 1794) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पेण्ड्रा बाईपास सड़क का निर्माण किस मद से किया जा रहा है? लागत एवं निर्माण की समय अवधि क्या निर्धारित की गई है? वर्तमान में सड़क निर्माण की स्थिति क्या है? अगर सड़क का निर्माण लंबित है, तो किन किन कारणों से ? उक्त बाईपास का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ कर कब तक पूर्ण होगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

उदन्ती अभ्यारण्य में वन भैसों के संरक्षण में व्यय राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

15. (क्र. 1863) श्री जनक ध्रुव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- उदन्ती अभ्यारण्य में वन भैसों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाये प्रारंभ की गई हैं ? वित्तीय वर्ष 2020-21 से जनवरी, 2021 तक वन भैसों के संरक्षण के लिए कितनी राशि खर्च की गई है ? वर्षवार एवं मदवार केंद्र और राज्य

सरकार से प्राप्त अनुदानों के आय-व्यय की पृथक पृथक जानकारी दें ? वर्तमान में उदन्ती अभ्यारण्य में कितने शुद्ध नस्ल एवं ब्रीडिंग नस्ल के वन भैसे मौजूद हैं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : वनभैसा संरक्षण-संवर्धन के लिए बारनवापारा में ब्रीडिंग प्लॉन की स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से प्राप्त की गयी है और सेंटर फॉर सेलुलर एण्ड मालेकुलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) हैदराबाद की सहायता से इस पर कार्य किया जा रहा है। वनभैसा प्रजनन योजना तथा संरक्षण/प्रजनन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने हेतु विस्तृत प्लॉन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। राजकीय पशु वनभैसा के संवर्धन हेतु असम से लाये गये 6 वनभैसों की अगली पीढ़ी (F1, F2) को उदन्ती- सीतानदी टायगर रिजर्व में छोड़ा जाना प्रस्तावित है। उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद अंतर्गत वनभैसों के संरक्षण के लिये वित्तीय वर्ष 2020-21 से जनवरी 2021 तक मदवार आबंटन एवं व्यय राशि की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।** उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद अंतर्गत शुद्ध नस्ल के 01 वनभैसा एवं क्रास ब्रीडिंग नस्ल के 24 वनभैसे मौजूद है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह"]

बालोद जिला अंतर्गत वन ग्राम को राजस्व ग्राम में शामिल करने हेतु प्राप्त आवेदन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

16. (क्र. 1876) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बालोद जिले के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक वन ग्राम को राजस्व ग्राम में शामिल करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? विकासखण्डवार बतावें ? (ख) प्राप्त आवेदन अनुसार कितने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में शामिल किया गया है तथा कितने आवेदनों पर कार्यवाही लंबित है ? लंबित आवेदनों पर कब तक कार्यवाही कर शेष वन ग्राम को राजस्व ग्राम में शामिल किया जावेगा? जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) बालोद जिला अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक वन ग्राम को राजस्व ग्राम में शामिल करने हेतु आवेदन की संख्या- विकासखंड बालोद में निरंक, गुरूर निरंक, गुण्डरदेही निरंक, डौण्डीलोहारा 01 एवं डौण्डी में निरंक । (ख) बालोद जिला अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक प्राप्त आवेदन अनुसार विकासखंड डौण्डीलोहारा के अंतर्गत एक ग्राम सुन्दर नगर (असर्वेक्षित ग्राम) वन ग्राम को राजस्व ग्राम में शामिल किया गया है। राजस्व सर्वेक्षण पश्चात् अभिलेख तैयार किया जाकर राजस्व ग्राम बनाये जाने के संबंध में अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है।

लैलूंगा विधानसभा अंतर्गत उद्योगों हेतु भूमि अधिग्रहण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

17. (क्र. 1909) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) लैलूंगा विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2020 से 2023 तक किस-किस स्थान की, कितनी-कितनी भूमि को नवीन उद्योगों के लिये शासन द्वारा अधिग्रहित किया गया है तथा कितनी भूमि को प्लाटों द्वारा खरीदा गया है? शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण के क्या प्रावधान हैं ? (ख) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र का कितना क्षेत्र, कौन-कौन से सीमेंट प्लांट के 3 किलोमीटर के दायरे में आता है और उक्त ग्रामों/ शहरों की कितने किसानों की जमीन को किस-किस नियम / शर्तों के आधार पर अधिग्रहित/ खरीदी की गयी है ? (ग) सीमेंट प्लाटों द्वारा किसानों की भूमि खरीदी का प्रकरण किस राजस्व कार्यालय में लंबित है तथा लंबित होने के क्या कारण हैं ? क्या किसानों को अपनी जमीन विक्रय के बदले सीमेंट प्लांटों में रोजगार देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो किस-किस प्लांट में कितने स्थानीय किसानों को रोजगार प्रदान किया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) किसी प्रकार का कोई भूमि नवीन उद्योगों के लिए शासन द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया है। रायगढ़ अनुभाग अंतर्गत 09 प्लांटों द्वारा कुल रकबा 253.614 हेक्टेयर भूमि खरीदा गया है। शासन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण किये जाने का प्रावधान है। (ख) 67.078 हेक्टेयर क्षेत्र मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड के ग्राम बरमुड़ा एवं ग्राम सराईपाली सीमेंट प्लांट के 3 किलोमीटर के दायरे में आता है। ग्राम बरमुड़ा के 45 किसानों एवं ग्राम सराईपाली के 26 किसानों, कुल 71 किसानों की भूमि, भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के नियम/शर्तों के अधीन अधिग्रहित की गई है तथा बरमुड़ा के 60 किसानों की 19.00 हेक्टेयर भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय की गई है। (ग) कोई प्रकरण लंबित नहीं है। जी नहीं।

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न खेल आयोजन हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

18. (क्र. 1957) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-2023 से 2023-2024 में दिसम्बर, 2023 तक खेल तथा युवाओं को प्रोत्साहन देने हेतु संचालित योजनाओं में वर्षवार आयोजनवार, विकासखंडवार स्वीकृत एवं व्यय राशि की जानकारी बताएं ? (ख) उक्तावधि में खेल आयोजन में व्यय राशि संबंधी प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी दें? (ग) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पुरस्कार व खेल सामग्री क्रय हेतु नियम / प्रावधान क्या हैं ? उक्तावधि में क्या नियमानुसार क्रय किया गया ? यदि नहीं तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) उक्तावधि में खेल आयोजन में व्यय राशि संबंधी शिकायतें प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई। (ग) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों/निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 (यथा संशोधित 2017) में पुरस्कार प्रदाय करने के प्रावधान हैं। खेल सामग्री क्रय हेतु छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) प्रावधानित है। उक्तावधि में प्रावधानित नियमों का पालन करते हुए क्रय किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]

जिला महासमुंद के नगरीय क्षेत्रों में गौरव पथ हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

19. (क्र. 1958) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला महासमुंद के नगरीय निकाय क्षेत्रों में वर्ष 2021 से जनवरी, 2024 तक गौरव पथ हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि वर्षवार, निकायवार, विकासखंडवार बतायें ? (ख) जनवरी, 2024 की स्थिति में प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यों की पूर्ण, अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों की जानकारी निकायवार, विकासखंडवार बतायें ? (ग) नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत किन्तु अप्रारंभ तथा अपूर्ण कार्यों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जिला महासमुंद के नगरीय क्षेत्रों में वर्ष 2021 से जनवरी, 2024 तक गौरव पथ हेतु राशि रू. 9369.97 लाख स्वीकृत की गई है जिसमें से राशि रू. 369.98 लाख व्यय की गई है। वर्षवार, निकायवार, विकासखंडवार विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जनवरी, 2024 की स्थिति में प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यों में 03 कार्य अपूर्ण है। पूर्ण, अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य की निकायवार, विकासखंडवार विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत किन्तु अप्रारंभ कार्य को निकायों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत पुनः अनुमति/स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा तथा अपूर्ण कार्य जो प्रगतिरत हैं उनको समय-सीमा में यथाशीघ्र पूर्ण कराया जावेगा।

[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

कानन पेण्डारी जूलाजिकल गार्डन के आसपास प्लाटिंग की प्रदत्त अनुमति

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

20. (क्र. 1962) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम -पेण्डारी, तहसील-सकरी में कानन पेण्डारी जूलाजिकल गार्डन स्थित है, जिसके आसपास शासकीय भूमि एवं निजी भूमि उपलब्ध है? कानन पेण्डारी जूलाजिकल गार्डन के आसपास कौन-कौन से निजी भूस्वामी एवं फर्म को शासन के नियमानुसार प्लाटिंग हेतु किन-किन बिंदुओं के आधार पर अनुमति प्रदान की गयी है ? विवरण देवें? **(ख)** क्या यह भी सत्य है कि कंडिका "क" की शासकीय जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर प्लाटिंग कर प्लाट की खरीदी-बिक्री की जा रही है, जिसके संबंध में शिकायत की गयी है? यदि हां, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण देवें ? **(ग)** क्या कानन पेण्डारी जूलाजिकल गार्डन के आसपास रहने वाले पशु-पक्षियों के जीवनानुकूल एवं पर्यावरण की दृष्टि से निजी भूस्वामियों को प्लाटिंग की अनुमति शासन द्वारा दी गई है? यदि हां, तो विवरण देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जी हां, तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-पेण्डारी, तहसील सकरी में कानन पेण्डारी जूलाजिकल गार्डन स्थित है, जिसके आसपास शासकीय भूमि एवं निजी भूमि उपलब्ध है। कानन पेण्डारी के आसपास शासकीय भूमि खसरा नंबर 1221 रकबा 6.661 हे. (रेल्वे लाईन की शासकीय भूमि), खसरा क्र. 1215 रकबा 24.405 हे. एवं निजी भूमि खसरा क्र. 15000 रकबा 18.7490 हे. भूमि मेसर्स पाल्म ग्रीन इन्फ्राबिन्ड भागीदारी एस.आर. साहू के नाम से एवं खसरा नंबर 731/1, 785, 790/1, 793/4, 805/4, 811/1, 814/6 रकबा 0.082, 0.040, 0.050, 0.061, 0.059, 0.030, 0.016 हे. भूमि कुल रकबा 0.338 हे. मुतुर्जा हुसैन पिता हाजी गययुर हुसैन बिलासपुर के नाम पर निजी भूमि के रूप में उपलब्ध है। कानन पेण्डारी जूलाजिकल गार्डन के आसपास वर्तमान तक किसी भी निजी भू-स्वामी एवं फर्म को जिला प्रशासन के द्वारा प्लाटिंग की अनुमति प्रदान नहीं किया गया है। **(ख)** कंडिका "क" की शासकीय जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर प्लाटिंग कर प्लाट की खरीदी बिक्री किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है परन्तु प्रश्नांश "क" में उल्लेखित शासकीय भूमि की खरीदी बिक्री नहीं हुआ है। कानन पेण्डारी जूलाजिकल गार्डन के आसपास शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की शिकायत एवं उस पर राजस्व एवं उस पर राजस्व विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** कानन पेण्डारी जूलाजिकल गार्डन के आसपास रहने वाले पशु-पक्षियों के जीवनानुकूल एवं पर्यावरण की दृष्टि से निजी भूस्वामियों को वर्तमान तक प्लाटिंग की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गयी है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस" \]](#)

तिफरा सेंट फ्रांसिस स्कूल से बिलासपुर गौरव पथ को जोड़ने वाले गुरु-अमेरी मार्ग की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

21. (क्र. 1963) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि बिलासपुर जिला के तिफरा रायपुर रोड पर सेंट फ्रांसिस स्कूल से बिलासपुर गौरव पथ को जोड़ने वाली गुरु-अमेरी मार्ग स्वीकृति हेतु शासन के समक्ष कोई प्रस्ताव लंबित है? **(ख)** कंडिका "क" के कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है, विस्तृत विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "क" के कार्य को कब तक स्वीकृत प्रदान कर दी जाएगी? विस्तृत विवरण देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जी हां। **(ख)** वर्ष 2023-24 के बजट में सम्मिलित। प्रशासकीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रचलन में। **(ग)** समयावधि बताया जाना संभव नहीं।

अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित गोठान

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

22. (क्र. 2064) श्री राजेश अग्रवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक कितने गोठान वनभूमि में बनाये

गए तथा क्या -क्या निर्माण कार्य कितने राशि का कराये गए हैं ? **(ख)** क्या वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में गोठान तथा निर्माण कार्य कराने का प्रावधान है ? यदि हाँ, तो किस धारा अथवा अधिनियम में है ? **(ग)** क्या यह भी सही है कि वनमंडल की स्वीकृत कार्य आयोजना में भी गोठान निर्माण का प्रावधान नहीं है ? **(घ)** शासन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करेगी ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर में वर्ष 2020-21 से 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक कोई भी गोठान निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। अतः निर्माण कार्य की राशि का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सरगुजा जिला में बाढ़ राहत आपदा प्रबंधन अंतर्गत वितरित राशि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

23. (क्र. 2247) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सरगुजा जिला में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 10-01-2024 तक बाढ़ राहत आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किस-किस विधानसभा क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? **(ख)** उक्त राशि में से कितनी-कितनी लागत के, कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में सरगुजा जिले को बाढ़ राहत आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कोई भी राशि निर्माण कार्य हेतु प्रदान नहीं की गई है। **(ख)** कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है।

सरगुजा जिला को कैम्पा मद के तहत स्वीकृत राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

24. (क्र. 2252) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सरगुजा जिले में वन विभाग के द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि में कैम्पा निधि से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? परिक्षेत्रवार जानकारी दें? **(ख)** प्राप्त राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई? वर्षवार व्यय राशि की जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है।

राजनांदगांव व खैरागढ़ जिलान्तर्गत स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

25. (क्र. 2284) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** उक्त जिले में कितने इंजीनियर, एसडीओ, ईई पदस्थ है ? क्या जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्मित पानी टंकियों की ढलाई किसी इंजीनियर/एसडीओ के उपस्थिति में होना चाहिए? यदि हां तो खैरागढ़ जिले में कहां-कहां के पानी टंकियों की ढलाई के समय कौन-कौन से इंजीनियर/एसडीओ उपस्थित रहें ? विकासखंडवार, वर्षवार जानकारी देवे। **(ख)** उपरोक्त कार्यों में उपयोग हो रहे मटेरियल की टेस्टिंग किनके द्वारा व की आधार पर किया जाती है ? टेस्टिंग दिनांक, मटेरियल का नाम व प्रकार सहित जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** राजनांदगांव जिले में 05 उप अभियंता, 04 सहायक अभियंता, 01 कार्यपालन अभियंता पदस्थ है। खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में 02 उप अभियंता,

02 सहायक अभियंता, 01 कार्यपालन अभियंता पदस्थ है। जी हां। खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में निर्मित पानी टंकियों की ढलाई के समय उपस्थित उप अभियंता/सहायक अभियंता की विकासखंडवार, वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** उपरोक्त कार्यों में उपयोग हो रहे मटेरियल की टेस्टिंग तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी एवं विभिन्न प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुबंध में दिये गये प्रावधान अनुसार करायी जाती है। राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले से संबंधित टेस्टिंग दिनांक, मटेरियल का नाम व प्रकार सहित जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।

एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अंतर्गत स्वीकृत-कार्यों की अद्यतन स्थिति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

26. (क्र. 2285) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में एचपी वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसंबर, 2023 तक (एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट) से कितने कार्य, कितनी राशि के स्वीकृत किये गये हैं? क्या स्वीकृत कार्यों के लिये निविदा आमंत्रित की गई ? निविदा में कितने फर्म/एजेंसी सम्मिलित हुये, चयनित फर्म/एजेंसी का किस आधार पर चयन किया गया? चयनित फर्म/एजेंसी का नाम, भुगतान की तिथी, भुगतान का प्रकार, जीएसटी/कर भुगतान का , वर्षवार, विकासखंडवार, प्रोजेक्टवार, सहित जानकारी देवें। **(ख)** प्रोजेक्ट पूर्ण करने का समय अंतराल कितना था? क्या स्वीकृत किये गये सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ? यदि नहीं तो अपूर्ण होने का क्या कारण है ? क्या अपूर्ण होने की स्थिति में फर्म/एजेंसी को एक्सटेंशन दिया गया ? यदि हां, तो क्या अपूर्ण होने की स्थिति में विभाग द्वारा फर्म/एजेंसी/ठेकेदार पर किसी तरह की कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)**जी नहीं, वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशीप - एचपी) घटक अन्तर्गत राजनांदगांव एवं खैरागढ़ जिले के नगरीय निकायों में कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं किये गए हैं। **(ख)**वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशीप - एचपी) घटक अन्तर्गत राजनांदगांव एवं खैरागढ़ जिले के नगरीय निकायों में कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं किये गए हैं।

वन वृत्त कांकेर अंतर्गत अंतागढ़ वनपरिक्षेत्र में अधिकारियों द्वारा की गई कूप कटाई

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

27. (क्र. 2306) श्री गुरू खुशवंत साहेब : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वन वृत्त कांकेर अंतर्गत वन परिक्षेत्र अंतागढ़ में वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि में कूप कटाई कार्य कब से कब तक किया गया है? **(ख)** कूप का डेब मार्किंग कार्य कब से कब तक किया गया तथा कितने वृक्षों का कितने क्षेत्रफल में डेब मार्किंग कार्य कराया गया है? **(ग)** मार्किंग हेतु हेमर की मांग कब की गई, हेमर कब प्राप्त हुआ तथा कितने वृक्षों पर मार्किंग हमर लगाया गया है? **(घ)** मार्किंग उपरांत कितने मार्कशुदा, मार्किंग हेमर लगे हुए वृक्षों की कटाई हुई है? कितने बिना मार्किंग हेमर लगे वृक्षों की कटाई हुई है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** वन वृत्त कांकेर अंतर्गत पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के वनपरिक्षेत्र अंतागढ़ में प्रश्नावधि में वर्ष 2021-22 से दिनांक 12/02/2024 तक कूप कटाई कार्य का वर्षवार विवरण की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है। **(ख)** वन वृत्त कांकेर अंतर्गत पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के वनपरिक्षेत्र अंतागढ़ में प्रश्नावधि वर्ष 2021-22 से दिनांक 12.02.2024 तक कुल 08 कूप में 10,126 नग वृक्षों का डेब मार्किंग का कार्य कुल 1036.583 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया गया है, जिसका वर्षवार **विवरण संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है।** **(ग)** वनवृत्त कांकेर अंतर्गत पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के वनपरिक्षेत्र अंतागढ़ में प्रश्नावधि वर्ष 2021-22 से दिनांक 12.02.2024 तक कुल 08 कूपों में विदोहन हेतु 3,076 वृक्षों पर मार्किंग

हेमर लगाया गया है। हेमर की मांग, हेमर की प्राप्ति तथा वृक्षों की मार्किंग का वर्षवार **विवरण संलग्न "प्रपत्र-स" में दर्शित है।** (घ) पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के वनपरिक्षेत्र अंतागढ़ में प्रश्नावधि वर्ष 2021-22 से दिनांक 12.02.2024 तक मार्किंग उपरांत हेमर लगे हुये 2,601 नग वृक्षों की कटाई की गई है एवं कूप प्रभारी द्वारा किसी भी बिना हेमर लगे हुये वृक्ष की कटाई नहीं की गई है। विभिन्न कूपों में हेमर मार्कशुदा विदोहित वृक्ष एवं बिना हेमर लगे वृक्ष की कटाई का वर्षवार **विवरण संलग्न "प्रपत्र-द" में दर्शित है।**
[\[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"\]](#)

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत स्वीकृत कार्य

[लोक निर्माण]

28. (क्र. 2342) श्री रामकुमार यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत जनवरी 2021-22 से 2023-24 में प्रश्न अवधि तक मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत कितनी और कहां-कहां के लिए सड़क बनाए जाने की स्वीकृति दी गई है? लागत सहित बतावें ? (ख कंडिका (क) के तहत कितने कार्य पूर्ण किए गए हैं ? कितने शेष हैं तथा क्यों? प्रगति का विवरण देवें ? (ग) कंडिका (क) के निर्माण में क्या गुणवत्ताविहीन कार्य कराये जाने, मिट्टी-मुरूम की मात्रा कम करते हुए अधिक बताया जाकर आर्थिक अनियमितता की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है ? स्वीकृत कार्यों की शेष राशि को शासन कब तक दे देगा ? विवरण देवें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) (ख) एवं (ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"\]](#)

जिला बालोद अंतर्गत जारी की गई निविदा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

29. (क्र. 2380) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला बालोद के द्वारा किन-किन कार्यों के लिए निविदा जारी की गई है एवं निविदा उपरांत किस-किस फर्म/एजेंसी को उक्त कार्य आबंटित किया गया है? वर्षवार जानकारी देवें. (ख) कण्डिका 'क' में आबंटित कितने कार्य प्रारंभ/अप्रारंभ व पूर्ण/अपूर्ण हैं, अद्यतन स्थिति से अवगत करावें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला बालोद के द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये जारी की गयी निविदा, निविदा उपरांत फर्म/एजेंसी को आबंटित कार्य की वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। (ख) कंडिका 'क' में आबंटित कार्यों के तहत 318 कार्य प्रारंभ एवं अप्रारंभ कार्यों की संख्या निरंक है। 13 कार्य पूर्ण तथा 305 कार्य अपूर्ण है।

अकलतरा नगर पालिका में जल आवर्धन योजन के कार्यों की अद्यतन स्थिति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

30. (क्र. 2387) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अकलतरा नगर पालिका द्वारा जल आवर्धन योजना के लिए आमंत्रित निविदा में किन-किन फर्मों ने भाग लिया? किस फर्म को कार्य आदेश जारी किया गया? निविदा की राशि कितनी थी? अनुबंध की राशि कितनी थी? कार्य पूर्णता की अवधि तिथि कब थी? सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें? (ख) वर्तमान में कार्य की क्या स्थिति है? क्या ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्य किये गए हैं व कौन-कौन से कार्य शेष हैं? अभी तक ठेकेदार को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? मद में

कितनी राशि शेष है? अधूरा होने पर ठेकेदार एवं अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी? पूर्ण जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) अकलतरा नगर पालिका में जल आवर्धन योजना के लिए आमंत्रित निविदा में मेसर्स मल्टीअर्बन इन्फ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नागपुर एवं पी.जी. कंस्ट्रक्शन देवास, कुल 02 फर्मों ने भाग लिया। मेसर्स मल्टीअर्बन इन्फ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नागपुर को कायदेशि जारी किया गया। निविदा की राशि रू. 2226.53 लाख है। अनुबंध की राशि रू. 2759.00 लाख है। (ख) वर्तमान में जल आवर्धन का कार्य बंद है। ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य एवं शेष कार्य का विवरण निम्नानुसार है:-

स-क्र-	कार्य का विवरण	पी-ए-सी-	कार्य पूर्ण	शेष कार्य	रिमार्क
1	रॉ वाटर सम्पवेल	0.63%	0.00%	0.63%	शेष
2	पम्प हाऊस	0.34%	0.00%	0.34%	शेष
3	रॉ वाटर पम्पस	1.01%	0.00%	1.01%	शेष
4	रॉ वाटर राईजिंग मेन	23.54%	16.33%	7.21%	शेष
5	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	7.97%	5.19%	2.78%	शेष
6	क्लीयर वाटर पम्पस	1.68%	0.00%	1.68%	शेष
7	कम्पाउण्ड वाटर एट डब्ल्यू.टी.पी.	0.77%	0.00%	0.77%	शेष
8	क्लीयर वॉटर राईजिंग मेन	12.19%	4.02%	8.17%	शेष
9	एलीवेटेड सर्विस रिजरवायर	4.86%	0.00%	4.86%	शेष
10	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	47.01%	22.57%	17.44%	शेष
	कुल कार्य	100.00%	55.11%	44.89%	

अभी तक ठेकेदार के द्वारा किये गये कार्य के अनुसार कुल राशि रू. 1053.66 लाख का भुगतान किया गया है, निकाय के पास राशि रू. 395.53 लाख शेष है। कार्य पूर्ण करने के लिए ठेकेदार को समय-समय पर 24 नोटिस जारी किया गया है।

बलरामपुर जल संसाधन विभाग में आमंत्रित निविदा

[जल संसाधन]

31. (क्र. 2388) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जल संसाधन विभाग, बलरामपुर द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में कितनी निविदाएं आमंत्रित की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में से कितनी निविदाएं 50 करोड़ या इससे अधिक की राशि की हैं? निविदाकार की आमंत्रित शर्तों सहित जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जल संसाधन संभाग, बलरामपुर द्वारा वर्ष 2023-24 में कुल 13 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में जानकारी निरंक है।

पुनर्वास नीति के तहत ग्राम लात में स्वीकृत रोजगार

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

32. (क्र. 2458) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) ग्राम लात में कितने किसानों की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है? पुनर्वास नीति के तहत क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है ? कितना रोजगार स्वीकृत किया गया है ? (ख) कितने लोग रोजगार से वंचित हैं? कब तक रोजगार प्रदान किए जाएंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) ग्राम लात में 305 किसानों की 299.322 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पुनर्वास नीति के तहत आंगनबाड़ी, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान, पानी

टंकी, सामुदायिक भवन, सीसी रोड आदि सर्व सुविधायुक्त पुनर्वास स्थल का निर्माण किया गया है। कुल 291 रोजगार स्वीकृत किया गया है। **(ख)** 45 व्यक्तियों को रोजगार देना शेष है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वन प्रबंधन समितियों में जमा एवं व्यय राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

33. (क्र. 2461) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धरमजयगढ़ वन मंडल में वन प्रबंध समितियों में कितनी-कितनी राशि जमा है? जमा राशि से विगत 03 वर्षों में कितने निर्माण कार्य कराए गये हैं ? समितिवार वर्षवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के निर्माण कार्यों हेतु किन-किन एजेंसियों को कितनी-कितनी राशि भुगतान की गयी है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** धरमजयगढ़, वनमण्डल अंतर्गत 254 वन प्रबंधन समितियों में वर्षवार जमा राशि निम्नानुसार है:- (राशि रूपये में)

वर्ष	जमा राशि	कराये गये निर्माण कार्य	निर्माण कार्य हेतु भुगतान की गई राशि	एजेंसी का नाम
2020-21	2,74,02,566	निरंक	-	-
2021-22	2,45,34,553	निरंक	-	-
2022-23	2,48,28,475	निरंक	-	-

(ख) वन प्रबंधन समितियों में विगत 03 वर्षों में निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

नगर पालिका नैला जांजगीर अंतर्गत नल जल योजना के स्वीकृत कार्य

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

34. (क्र. 2483) श्री ब्यास कश्यप : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला अंतर्गत नल जल योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक कुल कितने कार्य, कितनी-कितनी राशि के, स्वीकृत किए गए ? कार्य करने हेतु समय सीमा क्या निर्धारित थी ? कार्य किस एजेंसी को दिया गया था ? वर्षवार बताएं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के स्वीकृत कार्यों में से कितने एवं कौन-कौन से कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं? कार्यों की अद्यतन स्थिति सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं एवं प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के स्वीकृत कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है एवं इस पर क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जी नहीं, नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कोई भी योजना, नल जल योजना अंतर्गत स्वीकृत नहीं हुई है। **(ख)** प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(ग)** प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(घ)** प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

जांजगीर एवं चांपा नगर में सिटी बस का संचालन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

35. (क्र. 2484) श्री ब्यास कश्यप : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जांजगीर एवं चांपा नगर में सिटी बस का संचालन किया जा रहा था ? यदि हाँ, तो कब से कब तक कितनी-कितनी संख्या में बसों का संचालन किया गया ? वर्तमान में सिटी बस का संचालन किन कारणों से बंद है? **(ख)** क्या पुनः सिटी बस का संचालन उक्त दोनों शहरों में प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव लंबित है? यदि हाँ, तो कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी हाँ, जांजगीर चांपा क्लस्टर में वर्ष 2015-16 से फरवरी 2020 तक सिटी बसों का संचालन किया जा रहा था। वर्षवार संचालित बसों की संख्या की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	वित्तीय वर्ष	संचालित बसों की संख्या
1	2015-16	10
2	2016-17	10
3	2017-18	10
4	2018-19	10
5	2019-20	10

वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सिटी बसों का परिचालन बंद किया गया था। वर्ष 2021 में रायगढ़ अरबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी को विघटित कर नवीन रायगढ़ अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी तथा जांजगीर चांपा अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी का गठन किया गया। रायगढ़ तथा जांजगीर चांपा सोसायटियों के मध्य संपत्तियों के आस्ति, दायित्व, देनदारियों के निर्धारण की प्रक्रिया प्रचलित है।(ख) सिटी बस संचालन हेतु शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

कैम्पा योजना अंतर्गत कराये गए कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

36. (क्र. 2499) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर व रायपुर जिला में कैम्पा योजना अंतर्गत अप्रैल, 2021 से नवम्बर, 2023 तक कितने कार्यों के लिए, कितनी राशि कब प्राप्त हुई? इसमें कितनी राशि व्यय की गई व कितनी शेष है? वनमण्डलवार जानकारी देवें? (ख) कंडिका "क" अनुसार कार्यों में कितने कार्य निर्धारित समयावधि में अपूर्ण/अप्रारंभ हैं? कार्य समयावधि में पूर्ण न करने पर कितने कार्यों के लिये समयावधि बढ़ाई गई तथा विलंब हेतु कितनी शास्ति अधिरोपित/कार्यवाही की गई है? (ग) कंडिका "क" अनुसार कार्यों के संबंध में क्या शिकायत की गई है? इस पर क्या कार्यवाही गई? जिलावार व शिकायतवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है ।(ख)अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है। अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों को पूर्ण करने हेतु 31 मार्च 2024 तक की समयावधि निर्धारित की गई है। अतः विलंब हेतु शास्ति अधिरोपित करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।(ग) कंडिका "क" अनुसार कार्यों के संबंध में जिलावार एवं शिकायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब" अनुसार है ।

जल जीवन मिशन/नल जल योजना की अद्यतन स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

37. (क्र. 2521) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2018 से 2023 तक जिला- मुंगेली एवं बिलासपुर अंतर्गत जल जीवन मिशन /नल जल योजना अंतर्गत कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था तथा कितनी राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गयी थी? उक्त राशि में से कितनी राशि खर्च की गयी तथा कितनी राशि वर्षवार शेष रह गयी ? राशि खर्च नहीं होने के क्या कारण हैं तथा जल जीवन मिशन प्रोग्राम में वर्षवार प्रगति का प्रतिशत क्या था? (ख) प्रश्नांक "क" अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कितने कार्यदेशों में कार्य जारी है, कितने कार्य कार्यदेश के बाद भी प्रारंभ नहीं हुए तथा कितने कार्यों को पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति प्रारंभ कर दी गया है? (ग) आगामी वर्षों में जल जीवन मिशन /नल जल योजना हेतु वर्ष वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा पिछले 03 वर्षों में क्या लक्ष्य की प्राप्ति हो पायी है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जिलेवार बजट राशि का प्रावधान नहीं किया जाता है। वर्ष 2018 से 2023 तक जिला-मुंगेली एवं बिलासपुर अंतर्गत जल जीवन मिशन/नल जल योजना

अंतर्गत राशि रू. 70907.84 लाख आहरण सीमा/बजट आबंटन प्राप्त हुई है। प्राप्त आहरण सीमा/आबंटन के अंतर्गत राशि रू. 36001.80 लाख केन्द्रांश प्रदान की गयी थी। आहरण सीमा राशि रू. 70907.84 लाख में से राशि रू. 64737.01 लाख खर्च की गयी तथा राशि रू. 6170.80 लाख शेष रह गयी। वर्षवार शेष राशि, राशि खर्च नहीं होने का कारण तथा जल जीवन मिशन कार्यक्रम में प्रगति का प्रतिशत की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक "क" अंतर्गत प्रश्न दिनांक 12.02.2024 तक 1103 कार्यदिशों में कार्य जारी है, 30 कार्य कार्यदिश के बाद भी प्रारंभ नहीं हुए तथा 469 कार्यों को पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति प्रारंभ कर दी गयी है। **(ग)** जी नहीं, जी नहीं, कोविड-19 महामारी के कारण लक्ष्य के विरुद्ध समानुपातिक प्रगति लक्ष्य से कम है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"\]](#)

जिला सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में रिक्त पदों की संख्या

[सहकारिता]

38. (क्र. 2532) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में दिनांक 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की संख्या तथा इन संस्थाओं में संवर्ग अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों की संख्याएं क्या-क्या हैं? **(ख)** रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के लिए कौन-कौन सक्षम है? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाएगी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** प्रदेश में दिनांक 31 जनवरी 2024 की स्थिति में 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियां संचालित है । इन संस्थाओं में संवर्ग अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत, तथा रिक्त पदों की संख्या की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में संवर्ग अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में संवर्ग अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर एवं संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सक्षम है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में संवर्ग अधिकारी के 13 पदों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग) के 477 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"\]](#)

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को आबंटित एवं व्यय राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

39. (क्र. 2536) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला - जांजगीर-चांपा अंतर्गत कितनी-कितनी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को 2020-21 से 2022-23 तक प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई? इसमें से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई तथा 31 मार्च, 2023 की स्थिति में कितनी-कितनी धनराशि उनके पास शेष थी? वनवृत्तवार बताएं? इन समितियों के गठन के उद्देश्य क्या हैं? **(ख)** संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के द्वारा व्यय की गई धनराशि में क्या ऐसे कार्यों पर व्यय भी सम्मिलित है, जिसे नियमानुसार नहीं किया जा सकता? यदि हां, तो उन प्रकरणों का विवरण बताइए? ऐसे प्रकरणों के संबंध में अनियमित कृत्यों के लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं? **(ग)** क्या **(ख)** के अनुसार निजी क्षेत्र की नर्सरियों से पौधों के क्रय पर भी व्यय किया गया है? यदि हां, तो समितिवार क्रय के विवरण बताएं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जांजगीर-चांपा वनमंडल अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों को 2020-21 से 2022-23 तक प्रतिवर्ष प्रदाय धनराशि एवं व्यय राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

वर्ष	01 अप्रैल की स्थिति में शेष राशि	वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय धनराशि	व्यय की गई राशि	31 मार्च की स्थिति में शेष धनराशि
2020-21	90.09	56.69	78.32	68.46
2021-22	68.46	42.40	67.33	43.53
2022-23	43.53	89.41	56.30	76.64
योग:-	202.08	188.50	201.95	188.63

जांजगीर-चांपा जिले में वन परिवृत्तवार प्रदाय राशि, व्यय राशि एवं शेष राशि की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।** समितियों के गठन के उद्देश्य-वन प्रबंधन समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य वन विभाग एवं ग्रामीणों के बीच सामंजस्य स्थापित कर वनों एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा करना है। **(ख)** जांजगीर-चांपा वनमंडल के वन प्रबंधन समितियों द्वारा धनराशि नियमानुसार व्यय की गयी है। किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी है। **(ग)** जांजगीर-चांपा वनमंडल अंतर्गत जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस" \]](#)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 के निर्माण हेतु तहसील राजनांदगांव के ग्रामों की अर्जित-भूमि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

40. (क्र. 2540) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 के 0.0 किमी. से 3.0 किमी. तक दुर्ग-रायपुर खंड के निर्माण हेतु तहसील राजनांदगांव के ग्रामों की भू-अर्जन के तहत भूमि अर्जित की गयी है? यदि हां, तो उक्त राजमार्ग निर्माण हेतु अधिनियम की धारा 3क उपधारा (3) के तहत राजपत्र में प्रथम प्रकाशन कब और किन-किन माध्यमों से किया गया? तहसील राजनांदगांव के किन-किन ग्रामों के कितने व्यक्तियों या किसानों की कौन-कौन से खसरा नम्बर एवं प्रकृति की निजी एवं शासकीय भूमि के कितने रकबा को भू-अर्जित कर, कितने व्यक्तियों या किसानों को मुआवजा प्रदान किया गया है? जिन व्यक्तियों या किसानों की निजी भूमि अर्जित की गयी है, उनका अंतिम क्रय-विक्रय का पंजीयक द्वारा पंजीयन कब-कब किया गया है? **(ख)** क्या मुआवजा निर्धारण में अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? जिन व्यक्तियों की भूमि को अर्जित किया गया है, उन भूस्वामियों के भूमि का बटांकन कब और किस नियम को आधार मानकर हुआ है, क्या उन्हें भी मुआवजा प्रदान किया गया है? सर्वेक्षण संख्या, भू-स्वामी एवं हितबद्ध व्यक्तियों का नाम सहित मुआवजावार, राशिवार जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जी हां, **जानकारी प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **जानकारी प्रपत्र "ब"** अनुसार है। **जानकारी प्रपत्र "स"** अनुसार है। **(ख)** **जानकारी प्रपत्र "द"** अनुसार है। भूमि का बटांकन दिनांक 25.02.2019 के उपरांत छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109 व 110 के अधीन किया गया है। मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। **जानकारी प्रपत्र "इ"** अनुसार है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" "ब" "स" "द" एवं "इ" अनुसार है।**

जिल - कबीरधाम राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

41. (क्र. 2544) श्रीमती भावना बोहरा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- जिला - कबीरधाम में माह जनवरी, 2019 से मार्च, 2023 तक राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद अंतर्गत कितने कार्यों की स्वीकृति की गई? कुल कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किए गए? स्वीकृत किए गए कार्यों में कौन-कौन से कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं एवं कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं? एवं कौन से कार्यों का निर्माण आज तक शुरू नहीं हो पाया है? विकासखंडवार जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रश्नाधीन अवधि में कबीरधाम जिले को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। अतः विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है।

राजनांदगांव जिले के अंतर्गत पौधा रोपण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

42. (क्र. 2550) श्री भोलाराम साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2024 तक किन-किन मद से कहां-कहां पर पौधारोपण किया गया एवं कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" के रोपित पौधों में से 31 जनवरी, 2024 तक कितने पौधे जीवित हैं एवं पौधों के देख-भाल में कितनी राशि व्यय की गई है? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी 2024 तक किए गए रोपण का मदवार, स्थलवार व्यय राशि का वर्षवार, विकासखण्डवार **विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।** **(ख)** कंडिका 'क' के रोपित पौधों में से 31 जनवरी 2024 तक जीवित पौधे तथा उनकी देखभाल पर किए गए व्यय का विकासखण्डवार **विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

खरसिया से धरमजयगढ़ पथलगाँव सड़क निर्माण की अद्यतन स्थिति

[लोक निर्माण]

43. (क्र. 2551) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरसिया से धरमजयगढ़ पथलगाँव सड़क निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी है, कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? **(ख)** क्या घटिया सड़क निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी है? **(ग)** निर्माण कार्य में विलंब होने के क्या कारण है, कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** स्वीकृत राशि ₹. 15915.27 लाख, व्यय राशि ₹. 4361.99 लाख **(ख)** जी नहीं। **(ग)** नया राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग क्र. 153 के किमी. 30/8 में स्थित महानदी चन्द्रपुर सेतु का वियरिंग गेप स्लेब एवं एक्सपान्सन ज्वाईंट इत्यादि कार्यों का सुधार हेतु पुल पर भारी वाहनों का आवागमन कलेक्टर जांजगीर द्वारा दिनांक 15.12.2021 से प्रतिबंधित किया गया था। दिनांक 04.07.2022 से उक्त सेतु पर भारी वाहनों का आवागमन प्रारंभ हुआ। रायगढ़ जिले में अधिकांश गिट्टी की सप्लाई चंद्रपुर में स्थित क्रेशर से होता है। गिट्टी के अभाव में भी कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण कार्य में विलंब हुआ। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

जिला-बस्तर विभाग के द्वारा की गई कूप कटाई

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

44. (क्र. 2559) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2024 तक विभाग के प्रावधानित/स्वीकृत कार्ययोजना से किन-किन परिक्षेत्रों में कूप कटाई का कार्य किया गया? **(ख)** क्या वन विभाग के द्वारा की जा रही कूप कटाई का विरोध अथवा आपत्ति क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा की गई? यदि हाँ तो स्पष्ट करें ? **(ग)** क्या कूप कटाई की पूर्ण लाभांश राशि संबंधित वन प्रबंधन समितियों को जारी कर दी गयी है? इन लाभांश राशि को किन कार्यों में तथा किन नीति-निर्देशों का पालन करते हुये व्यय करना है, कृपया जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2024 तक विभाग के बस्तर वनमंडल की प्रावधानित/स्वीकृत कार्ययोजना में जगदलपुर (उत्पादन) परिक्षेत्र, भानपुरी (उत्पादन) परिक्षेत्र एवं माचकोट (सामान्य) परिक्षेत्र अंतर्गत कूप कटाई का कार्य किया गया है। काष्ठ कूप कटाई की जानकारी परिक्षेत्रवार/कूपवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है** एवं बांस कूप कटाई की जानकारी परिक्षेत्रवार/कूपवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब" अनुसार है।** (ख) प्रश्नांकित अवधि में विदोहन वर्ष 2021-22 में ग्रामीणों द्वारा विदोहन कार्य में किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया था। वर्ष 2022-23 में 01 कूप एवं 2023-24 जनवरी 2024 तक 02 कूप में ग्रामीणों द्वारा कटाई का विरोध किया गया है। **विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-स" अनुसार है।** (ग) प्रश्नांकित अवधि में वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2024 तक के लाभांश की राशि का आबंटन प्राप्त न होने के कारण वन प्रबंधन समिति को जारी नहीं किया गया है। लाभांश राशि का उपयोग प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक/स.व.प्र./बजट/29/757, दिनांक 07/08/2019 एवं छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग एवं संस्कृति विभाग मंत्रालय रायपुर के संकल्प क्रमांक/एफ/7-36/2001/व.सं/10, दिनांक 22/10/2001, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग एवं संस्कृति विभाग मंत्रालय रायपुर के संकल्प क्रमांक/एफ 7-36/2001/व.सं/10, दिनांक 22/10/2002, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय रायपुर के संकल्प दिनांक 05/08/2013 एवं छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग एवं संस्कृति विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/324/व.सं./2003 दिनांक 19/05/2003 में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये व्यय किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-द" अनुसार है।**

कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जल जीवन मिशन में स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

45. (क्र. 2563) सुश्री लता उसेंडी : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन में मल्टी विलेज स्कीम के तहत वर्ष 2020-21 से प्रश्नावधि तक कितने टेंडर किए गए हैं, कितने कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं तथा कितने शेष हैं, टेंडरवार, फर्मवार, कार्य की स्थितिवार जानकारी दें ? (ख) क्या कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोसाटेड़ा जलाशय के माध्यम से जल जीवन मिशन अंतर्गत मल्टीविलेज स्कीम द्वारा जल प्रदाय योजना बनाई गई थी ? क्या उक्त योजना वर्तमान में क्रियाशील है, यदि हां तो इसके तहत कितने ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं, जानकारी दें ? (ग) क्या कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोसारटेड़ा जलाशय के माध्यम से जल जीवन मिशन अंतर्गत किसी मल्टीविलेज स्कीम के द्वारा जल प्रदाय योजना में परिवर्तन कर अन्य किसी माध्यम से जल प्रदाय की योजना बनाई गई है ? यदि हां तो योजना में परिवर्तन करने हेतु प्राप्त अनुमति का विवरण दें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन में मल्टी विलेज स्कीम के तहत वर्ष 2020-21 से दिनांक 12.02.2024 तक टेण्डर किए गए की जानकारी निरंक है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हां, जिला कोण्डागांव अंतर्गत कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र के 21 ग्रामों एवं नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के 02 ग्राम कुल 23 ग्रामों के लिए कोसारटेड़ा जलाशय के माध्यम से समूह जल प्रदाय योजना बनाई गई थी। जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हां, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21.07.2023 से प्राप्त सुझाव अनुसार सोलर पंप आधारित जल प्रदाय योजना बनाई गई है। योजना की नियमानुसार स्वीकृति जिला जल एवं स्वच्छता मिशन कोण्डागांव द्वारा दिया गया है।

बिलासपुर लो.नि.वि. संभाग क्रमांक 01 के अंतर्गत कार्यों की अद्यतन स्थिति

[लोक निर्माण]

46. (क्र. 2566) श्री सुशांत शुक्ला : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) PWD बिलासपुर संभाग क्रमांक 01 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कितने कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की गई ? वर्षवार, मदवार, आनलाइन/ मैनुअल, कार्य का नाम, कार्य की लागत

, निविदा दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश "क" के निविदा कार्यों को किस-किस दर पर, किस-किस फ़र्म / ठेकेदारों को आबंटित कर कार्यदिश जारी किया गया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश "ख" के कार्यों की प्रश्नांकित दिनांक तक भौतिक प्रगति की स्थिति क्या है? अपूर्ण कार्य कब-पूर्ण होंगे? कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) वर्ष 2021-22 में कुल 155 निविदाएं एवं वर्ष 2022-23 में कुल 232 निविदाएं आमंत्रित, शेष विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

रायपुर में स्काई वॉक निर्माण कार्य प्रारंभ

[लोक निर्माण]

47. (क्र. 2570) श्री राजेश मूणत : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि स्काई वॉक निर्माण जारी रखने अथवा न रखने हेतु दिनांक 17/07/2019 को गठित सामान्य सुझाव समिति की तृतीय बैठक दिनांक 20/08/2020 को आयोजित की गई? क्या इसमें शास्त्री चौक पर निर्माणाधीन स्काईवॉक फुट ओव्हर ब्रिज के शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु माननीय सदस्यों का सुझाव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो स्काई वॉक निर्माण कब प्रारंभ किया जायेगा? (ख) दि. 20/08/2020 से अब तक सामान्य सुझाव समिति के सुझाव पश्चात् भी बचे कार्य प्रारंभ न करने हेतु राज्य शासन की उच्च स्तरीय बैठक में शामिल सभी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जायेगी?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी हां, जी हां, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) शासन द्वारा प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोरबा के नगर निगम क्षेत्र के आठ वार्डों को मिलाकर नगर पालिका परिषद का गठन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

48. (क्र. 2576) श्री प्रेमचंद पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोरबा नगर निगम क्षेत्र के आठ वार्डों को मिलाकर बांकीमोंगरा नगर पालिका परिषद बनाया गया है? क्या यह सच है कि वर्तमान में विकास कार्य न तो नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है न तो शासन से राशि आबंटित की जा रही है? नगर पालिका परिषद के लिए राशि कब तक आबंटित की जाएगी एवं कर्मचारियों का सेटअप कब तक स्वीकृत किया जाएगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : जी हाँ, छत्तीसगढ़ राजपत्र, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिसूचना क्र. एफ/1-219/2019/18, दिनांक 06.10.2023 द्वारा कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोरबा नगर निगम क्षेत्र के आठ वार्डों को मिलाकर बांकीमोंगरा नगर पालिका परिषद् बनाया गया है। वर्तमान में विकास कार्य हेतु प्रस्ताव निकाय स्तर पर तैयार की जा रही है। प्रस्ताव शासन को प्राप्त होने के उपरान्त ही राशि स्वीकृति/आबंटन की कार्यवाही की जावेगी। कर्मचारियों का सेटअप स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

1. (क्र. 381) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर अंतर्गत कितने ग्राम हैं, जो राजस्व ग्राम नहीं हैं ? राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में शासन को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? कृपया संख्या बतावें? (ख) मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही की गयी है, एवं कब तक राजस्व ग्राम घोषित किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) विधानसभा मोहला-मानपुर अंतर्गत सभी ग्राम राजस्व ग्राम है। वर्तमान ग्रामों का विभाजन कर 47 राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। (ख) विधानसभा मोहला-मानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है। समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर में खेल सामग्री क्रय हेतु आबंटित राशि

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

2. (क्र. 434) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर क्षेत्र अंतर्गत विगत 02 वर्षों में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खिलाड़ियों को खेल सामग्री प्रदाय करने के लिए कितनी राशि आबंटित की गई थी ? किन-किन खेलों के लिए क्या-क्या सामग्री, कितनी-कितनी राशि दी गई ? (ख) खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई ? किस-किस खेल प्रतियोगिता में, कितनी-कितनी राशि, किसकी अनुशंसा से खर्च की गई ? विकास खण्डवार जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र- "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र -"ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस"]

जशपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत-जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

3. (क्र. 444) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जल-जीवन मिशन के अंतर्गत जशपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का कार्यवार, स्वीकृत राशिवार, भुगतानवार, एजेन्सी वार, ठेकेदारवार, ब्यौरा क्या है ? (ख) क्या दिनांक 14.01.2024 की स्थिति में उपरोक्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? (ग) अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत जशपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का कार्यवार, स्वीकृत राशिवार, भुगतानवार, एजेन्सीवार/ठेकेदारवार ब्यौरा पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी नहीं, प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। कार्य अपूर्णता का

कारण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ग) अपूर्ण कार्यों को दिसंबर 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

कांकेर नगरपालिका अंतर्गत अधोसंरचना मद से पाइप लाइन विस्तार कार्य

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

4. (क्र. 589) श्री आशा राम नेताम : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 31.12.2024 तक कांकेर नगरपालिका के अंतर्गत अधोसंरचना मद से पाइप लाइन विस्तार के कितने कार्य कराये गये है? किस एजेंसी द्वारा कार्य कराये गये है एवं वर्तमान में कार्य की प्रगति क्या है? ठेकेदार को कितना भुगतान कराया गया है? 'क' इस कार्यों में क्या गुणवत्ता की जांच कराई गई है? अगर नहीं तो क्यों? क्या इन कार्यों में सप्लाई का परीक्षण किया गया है? अगर नहीं तो किस आधार पर भुगतान कराया गया है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : वित्तीय वर्ष 2022-23 में अधोसंरचना मद से एवं 2023-24 में दिनांक 31.12.2024 तक कांकेर नगर पालिका के अंतर्गत अधोसंरचना मद से पाइप लाइन विस्तार के कार्य के संबंध में **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

कांकेर नगरपालिका में महालेखाकार द्वारा की गई आपत्ति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

5. (क्र. 590) श्री आशा राम नेताम : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में कांकेर नगरपालिका में महालेखाकार द्वारा क्या-क्या आपत्ति लगाई गई है ? इन आपत्तियों के जवाब में विभाग द्वारा क्या जवाब दिया गया है ? क्या वर्तमान सभी आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : महालेखाकार द्वारा माह नवम्बर 2019 से माह सितम्बर 2022 तक की अवधि का लेखा परीक्षण किया गया। जिसके निरीक्षण प्रतिवेदन क्र. पी.आर.29031 में भागवार निम्नानुसार कंडिकावार आपत्तियां दर्ज की गई-

आपत्ति कंडिका क्र. - 01(ओबीएस-484324) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में।

आपत्ति कंडिका क्र. - 02(ओबीएस-484312) नगरीय निकायों के आवासीय व व्यवसायिक परिसरों से उपभोक्ता प्रभार शुल्क की वसूली की कमी के संबंध में।

आपत्ति कंडिका क्र. - 03(ओबीएस-486428) अलबेलापारा वार्ड में स्थित माहुरबंद तालाब सौंदर्यीकरण की जांच के संबंध में।

आपत्ति कंडिका क्र. - 04(ओबीएस-453747) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण।

आपत्ति कंडिका क्र. - 05(ओबीएस-485471) वर्ष 2015 से सम्पत्ति कर की दर पुनरीक्षित नहीं होने से राशि 43.82 लाख रूपए के राजस्व हानि के संबंध में।

आपत्ति कंडिका क्र. - 06(ओबीएस-505077) अपशिष्टों से सामग्री पुनर्प्राप्ति के संबंध में योजना की कमी।

भाग-तीन:-

आडिट रिपोर्ट (निरीक्षण रिपोर्ट पी.आर.-29031) भाग-3 वित्तीय वर्ष 2014-15 से माह अक्टूबर 2019 तक लंबित कुल 14 कंडिकाओं का विवरण निम्नानुसार है -

कंडिका क्र.-01 रामनगर तालाब एवं शीतलापारा तालाब गहरीकरण के संबंध में आपत्ति।

कंडिका क्र.-02 नगरीय क्षेत्र में 18 दुकानों की निविदा संबंधी आपत्ति।

कंडिका क्र.-03 मे.सतगुरू इंफ्राप्रोजेक्ट (गोकुलधाम कालोनाइजर) को 3.54 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया जाना।

कंडिका क्र.-04- 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत स्वीकृत एस.एल.आर.एम.सेंटर निर्माण में ठेकेदार को 8.89 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया जाना।

कंडिका क्र.-05 प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत 128 नग आवास निर्माण में ठेकेदार पर कार्यवाही न कर 40.77 लाख अनुचित लाभ पहुंचाया जाना।

कंडिका क्र.-06- 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत आर.सी.सी.नाला निर्माण कार्य में ठेकेदार को 34.34 लाख अनुचित लाभ पहुंचाया जाना।

कंडिका क्र.-07(अ) 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत स्वीकृत एस.एल.आर.एम.सेंटर निर्माण में ठेकेदार को 6.97 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया जाना।

कंडिका क्र.-07(ब) 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत स्वीकृत एस.एल.आर.एम.केन्द्रों की निविदा दरों में बिना निगोशिएशन के लागत राशि में 3.19 लाख का अतिरिक्त लाभ प्रदान किये जाने बाबत।

कंडिका क्र.-08 नगरपालिका द्वारा वाणिज्यिक भवन अनुज्ञा संबंधी आवेदक को निकाय मद से राशि 3.11 लाख का भुगतान कर अनुचित लाभ पहुंचाया जाना।

कंडिका क्र.-09 शासन द्वारा नियुक्त नियमित लेखापाल को नियमित प्रभार न सौंपते हुए गलत तरीके से सहा.रा.नि.को लेखापाल का प्रभार सौंपा जाना।

कंडिका क्र.-10 मोबाईल टावर परमिशन हेतु राजस्व की सही गणना न कर राजस्व वसूली में राशि 8.56 लाख की कम वसूली।

कंडिका क्र.-11 विभिन्न कर वसूल नहीं करने से चालू वर्ष के राशि 148.39 लाख की राजस्व हानि।

कंडिका क्र.-12 आबंटित दुकानों के मासिक किराया राशि 12.25 लाख की वसूली न किया जाना।

कंडिका क्र.-13 अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना।

उपरोक्तानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन क्रमांक पी.आर. 29031 के भाग-2 की कंडिका क्रं. 01 से 06 एवं भाग-3 की कंडिका क्रं. 01 से 13 का जवाब/उत्तर नहीं दिया गया है। निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियारत है।

कार्यालय महालेखाकार रायपुर के पत्र दिनांक 09.03.2022 के माध्यम से महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019-21 के प्रतिवेदन में निम्न प्रारूप कंडिका सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

प्रारूप कंडिका क्र.-01 कालोनाईजर को राशि रू. 1.45 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदाय किया जाना। उक्त प्रारूप कंडिका 01 को निराकृत किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र क्र. 1255/लो.नि.शा./न.पा.प./2023 दिनांक 03.10.2023 द्वारा अधीक्षण अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर को प्रेषित किया गया है। आपत्ति निराकृत नहीं हुई है।

प्रश्नाधीन आपत्तियों के निराकरण हेतु कार्यवाही प्रचलित है। संबंधितों को नोटिस दिया जाकर जवाब मांगा गया है व तत्काल निराकरण करने निर्देशित किया गया है। आगामी दिवस में आपत्तियों का निराकरण कर जानकारी महालेखाकार कार्यालय को अविलंब प्रेषित की जायेगी।

प्राकृतिक आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत प्रभावित परिवारों को सहयोग राशि का विवरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

6. (क्र. 708) श्रीमती गोमती साय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला जशपुर में वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक प्राकृतिक आपदा से कितनी-कितनी संख्या में आकस्मिक मृत्यु हुई? **(ख)** आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली सहायता राशि का कितने लोगों को वितरण किया गया? जानकारी प्रदान करें? **(ग)** कितने प्रकरण लंबित हैं? तथा क्यों? लंबित होने के लिए कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायी है? **(घ)** लंबित प्रकरणों में सहायता राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जिला जशपुर में प्राकृतिक आपदा से आकस्मिक मृत्यु की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	जनहानि	पशुहानि
2021-22	212	171
2022-23	218	154
2023-24	102	108
योग	532	433

(ख) पशुहानि के सभी 433 तथा जनहानि के 527 प्रकरणों में सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है।(ग) जनहानि के 5 प्रकरण लंबित है। थाना प्रभारियों से अंतिम समीक्षा प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण लंबित है।(घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पांच सालों में स्वीकृत कार्यों

[जल संसाधन]

7. (क्र. 1113) श्री दिलीप लहरिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसम्बर, 2023 तक स्वीकृत कार्यों एवं उन कार्यों पर व्यय एवं निविदा प्राप्त ठेकेदार, एजेंसी, फर्म की जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नावधि में स्वीकृत कार्य, व्ययराशि एवं निविदा प्राप्त ठेकेदार, एजेंसी, फर्म की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

ऑनलाईन नामांतरण के प्राप्त एवं निराकृत प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

8. (क्र. 1170) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-प्रदेश में वर्ष 2021-22, 2022-2023 एवं 2023-2024 में दिसम्बर, 2023 तक समस्त राजस्व न्यायालयों में ऑनलाईन नामांतरण के कितने प्रकरण प्राप्त हुये हैं? प्राप्त नामांतरण प्रकरणों में कितने प्रकरण का ऑनलाईन नामांतरण किया गया है ? कितने प्रकरणों खारिज किया गया है? वर्षवार जानकारी प्रदान करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"]

जशपुर जिले में नामान्तरण के लम्बित प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

9. (क्र. 1242) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जशपुर जिले में वर्ष 1 अप्रैल, 2021 से मई, 2023 तक तहसील कार्यालय में नामान्तरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया ? कितने प्रकरणों का निराकरण आज पर्यन्त तक शेष हैं ? यदि शेष है तो इनका निराकरण कब तक कर लिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : जशपुर जिले में वर्ष 01 अप्रैल 2021 से मई 2023 तक नामांतरण हेतु 9578 प्रकरण प्राप्त हुए, 9547 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 31 प्रकरणों का निराकरण शेष है। लंबित प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा निर्धारित है।

जिला बिलासपुर के बजट में सम्मिलित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति

[लोक निर्माण]

10. (क्र. 1293) श्री दिलीप लहरिया : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिलासपुर जिले के कौन-कौन से कार्य बजट में सम्मिलित थे? क्या सभी कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है? यदि नहीं तो उसका कारण क्या है और प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी की जावेगी ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

भैरवबाबा मंदिर से रतनपुर नगर के अंदर निर्माणधीन पक्की सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

11. (क्र. 1345) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला बिलासपुर के रतनपुर में भैरवबाबा मंदिर से रतनपुर नगर के अंदर बन रही पक्की सड़क का निर्माण कौन से मद से किया जा रहा है एवं लागत राशि क्या है? उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि कब से कब तक निर्धारित है? सड़क निर्माण हेतु कार्य एंजेसी एवं ठेकेदार कौन है? क्या निर्धारित अवधि में ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? अगर नहीं तो पर क्या कार्यवाही की गई है? उक्त सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण होगा ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तैंतीस"]

खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आदिवासियों से गैर आदिवासी को भूमि विक्रय की प्रदत्त अनुमति

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

12. (क्र. 1364) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल कितने आदिवासी कृषकों की भूमि गैर आदिवासी विक्रय हेतु अनुमति प्रदान की गई है ? **(ख)** आवासीय, व्यावसायिक एवं कृषि प्रयोजन हेतु दी गई अनुमति की वर्षवार, विकासखण्डवार, ग्राम पंचायतवार खसरा नंबर एवं रकबा सहित जानकारी प्रदान करें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जिला राजनांदगांव से पृथक होकर नवगठित जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई का सृजन दिनांक 03.09.2022 को होने के फलस्वरूप आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छुईखदान द्वारा 02 आदिवासियों की भूमि नहर निर्माण में अर्जित किये जाने पर 02 आदिवासी आवेदकों को उनकी भूमि संबंधित विभाग को विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है। **(ख)** आवासीय, व्यावसायिक एवं कृषि प्रयोजन हेतु भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दिया गया है।

पाली-तानाखार विधान सभा क्षेत्र पानी टंकी निर्माण, पाइप लाइन विस्तार, नल कनेक्शन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

13. (क्र. 1498) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखारअंतर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कुल कितनी पानी टंकी निर्माण, पाइप लाइन विस्तार एवं घरों में नल कनेक्शन हेतु कितने ग्रामों में कितनी राशि की स्वीकृति मिली है ? उक्त कार्य निविदा राशि से कितने प्रतिशत कम या अधिक में अनुबंध कर

कार्यदिश जारी किया गया, कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारम्भ एवम व्यय राशि कितनी है, ग्रामवार जानकारी देवें ? **(ख)** उक्त स्वीकृत कार्यों में क्या कार्यदिश पश्चात स्वीकृत कार्य राशि का योजना में समायोजन किया गया है? यदि हां तो किस योजना में, कितने कार्यों एवम कितनी राशि की किसके आदेश के पश्चात परिवर्तन किया गया है? जानकारी उपलब्ध करावें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत कुल 509 पानी टंकी निर्माण, 310 पाईप लाईन विस्तार एवम् 83499 घरों में नल कनेक्शन हेतु 310 ग्रामों में राशि रु. 32777.97 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। उक्त कार्य निविदा राशि से कितने प्रतिशत कम या अधिक में अनुबंध कर कार्यदिश जारी किया गया, कार्य पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारम्भ एवं व्यय राशि की ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

अहिरन-खारंग लिंक परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य एवं सिंचाई हेतु जल प्रदाय

[जल संसाधन]

14. (क्र. 1524) श्री दिलीप लहरिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अहिरन-खारंग लिंक परियोजना की वर्तमान में क्या स्थिति है? **(ख)** अहिरन खारंग लिंक परियोजना की पूर्णता की तिथि तथा क्या पूर्णता पश्चात् मस्तूरी, बेलतरा के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाएगा? **(ग)** प्रश्नांक "क" उत्तर में हां, तब क्या नगर-निगम बिलासपुर को तथा किसानों को कितनी-कितनी पानी की उपलब्धता होगी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** अहिरन-खारंग लिंक परियोजना को छत्तीसगढ़ शासन की परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति (PFIC) की 39वीं बैठक दिनांक 26.11.2020 में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है एवं वर्तमान में शासन स्तर पर परीक्षणधीन है। **(ख)** अहिरन-खारंग लिंक परियोजना की पूर्णता तिथि बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्नांश की शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार अहिरन-खारंग लिंक परियोजना से नगर निगम, बिलासपुर (छ.ग.) को 31.00 मि.घ.मी. तथा नगर पालिका रतनपुर को 1.10 मि.घ.मी. वार्षिक पेयजल हेतु दिया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नांश की शेष जानकारी निरंक है।

सीतानदी उदंती अभ्यारण्य में पेड़ों की कटाई

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

15. (क्र. 1557) श्री अजय चंद्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या सीतानदी उदंती अभ्यारण्य अंतर्गत पेड़ों की कटाई के संबंध में वर्ष 2021-2022 से 2023-2024 में जनवरी, 2024 तक कोई शिकायत प्राप्त हुयी है क्या? यदि हां तो कब प्राप्त हुई और उसके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही, किनके-किनके खिलाफ, कब-कब की गयी? **(ख)** प्रश्नांश "क" कितने पेड़ों की कटाई, किस जौन में, कितने क्षेत्रफल में, किसके द्वारा की गयी है तथा इससे कितने वन्यजीव प्रभावित हुये एवं इसकी भरपाई के लिये सरकार या विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना बनायी जा रही है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जी हां, सीतानदी उदंती अभ्यारण्य अंतर्गत पेड़ों की कटाई के संबंध में वर्ष 2021-22 से 2023-24 (जनवरी, 2024 तक) प्राप्त शिकायतों की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है।** **(ख)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"]

सिहावा विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायतों को आबंटित राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

16. (क्र. 1667) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर पंचायत नगरी एवं मगरलोड हेतु वर्ष 2021-22 से 31 दिसम्बर, 2023 तक नगर विकास हेतु विभिन्न मदों में, कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ? कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु व्यय की गई ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक नगर विकास हेतु विभिन्न मदों में नगर पंचायत नगरी को राशि रू.1090.12 लाख तथा नगर पंचायत मगरलोड को राशि रू.1223.72 लाख उपलब्ध कराई गयी। कार्यवार व्यय राशि की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटाई एवं परिवहन के दर्ज प्रकरण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

17. (क्र. 1668) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र सिहावा के अन्तर्गत विकासखण्ड नगरी एवं मगरलोड में अवैध लकड़ी एवं परिवहन के कितने प्रकरण वर्ष 2022-23 में 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में दर्ज किये गये हैं ? (ख) कितनी मात्रा में अवैध लकड़ी वर्ष 2022-23 में जब्त की गई है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) विधानसभा क्षेत्र सिहावा के अन्तर्गत विकासखण्ड नगरी एवं मगरलोड में वर्ष 2022-23 में 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में अवैध कटाई के 2162 एवं अवैध परिवहन के 03 प्रकरण दर्ज किये गये हैं।(ख) वर्ष 2022-23 में काष्ठ 32.935 घन मीटर, जलाऊ 36.26 चट्टा एवं बल्ली 16 नग जब्त की गई है।

जांजगीर एवं चांपा नगर पालिका के विकास हेतु आबंटित राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

18. (क्र. 1675) श्री बालेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जांजगीर एवं चांपा नगर पालिका के विकास हेतु वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक नगर विकास हेतु विभिन्न मदों में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ? कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य हेतु व्यय की गई?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : जांजगीर एवं चांपा नगर पालिका के विकास हेतु वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक नगर विकास हेतु विभिन्न मदों में नगर पालिका जांजगीर-नैला को राशि रू. 2528.00 लाख तथा नगर पालिका चांपा को राशि रू. 1685.91 लाख उपलब्ध कराई गई । कार्यवार व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क मरम्मत कार्य में व्यय राशि

[लोक निर्माण]

19. (क्र. 1676) श्री बालेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये सड़क मरम्मत कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? गुणवत्ताहीन कार्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में बांध/जलाशय निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

[जल संसाधन]

20. (क्र. 1700) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से 2023 तक कौन-कौन से बांध जलाशय निर्माण में कितने कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? जानकारी देवें ? (ख) उक्त कृषकों के भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि कितने कृषकों को दी जा चुकी है तथा कितने कृषकों को मुआवजा देना शेष है ? कब तक मुआवजा दिया जावेगा ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) डौण्डी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से 2023 तक मोहड़ जलाशय निर्माण में 635 कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। (ख) अवार्ड पारित 572 कृषकों में से 535 कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा 37 कृषकों द्वारा भुगतान नहीं लिया गया है एवं 63 कृषकों का राजस्व विभाग में अवार्ड प्रक्रियाधीन है। मुआवजा भुगतान अर्द्धन्यायाधिक प्रक्रिया होने से समय सीमा बताना संभव नहीं है।

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के नगरीय निकायों को विकास हेतु प्रदत्त राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

21. (क्र. 1701) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिसम्बर, 2023 तक नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को राज्य शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य के लिए, किन-किन मदों में प्रदान की गई है? जानकारी देवें ? (ख) स्वीकृत कार्य में कितने कार्य पूर्ण/कितने कार्य अपूर्ण हैं तथा कितने कार्य अप्रारंभ हैं? कितनी प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया है? कार्यों की जानकारी नाम सहित देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिसम्बर, 2023 तक नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को राज्य शासन द्वारा प्रदत्त राशि, की जानकारी कार्यवार/मदवार पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) स्वीकृत कार्य में पूर्ण/कितने तथा अप्रारंभ कार्य एवं व्यय राशि के उपयोग का प्रतिशत संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

कोरबा जिला के अंतर्गत संचालित निजी कंपनियों द्वारा वन भूमि में अतिक्रमण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

22. (क्र. 1846) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) कोरबा जिला अंतर्गत निजी कंपनियों कहाँ-कहाँ संचालित हैं ? क्या संचालित कंपनियों द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां तो कहाँ-कहाँ, किस वनमंडल में, कौन-कौन वनपरिक्षेत्र में, किस कंपनी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है ? जानकारी देवें ? (ख) क्या अवैध रूप से कब्जा करने वाली अतिक्रमणकारी कंपनियों पर किसी प्रकार की कोई विभागीय कार्यवाही की गई है? विभागीय कार्यवाही में किस-किस स्तर के अधिकारियों द्वारा जांच की गयी ? क्या कोई दोषी पाया गया ? दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कोरबा जिला अंतर्गत कोरबा तहसील में 04, तहसील बरपाली में

01, तहसील हरदीबाजार में 07 एवं तहसील दीपका में 79 निजी कंपनियां संचालित हैं। संचालित कंपनियों द्वारा वन विभाग के अधीन वन भूमि (आरक्षित/ संरक्षित/ आरंज एरिया) पर कोरबा तथा कटघोरा वनमंडल में अवैध कब्जा कर अतिक्रमण नहीं किया गया है। कलेक्टर कोरबा से प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील हरदीबाजार ग्राम रतिजा स्थित कंपनी एस.सी.बी. पावर प्लाट के विरुद्ध राजस्व वन भूमि खसरा नंबर-594/1क रकबा- 0.119 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर-48/1 रकबा-0.526 हेक्टेयर पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। (ख) अवैध रूप से कब्जा करने वाली कंपनी एस.सी.बी. पावर प्लाट के विरुद्ध भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्लेसमेंट के तहत कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

23. (क्र. 1964) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नगरीय प्रशासन विभाग में प्लेसमेंट के माध्यम से कौन-कौन से पद सृजित हैं ? कौन-कौन से पद के विरुद्ध, कितना-कितना पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है? विवरण देवे? (ख) क्या कंडिका "क" के कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा समय-समय पर पारिश्रमिक बढ़ोत्तरी हेतु नियम है, हां तो विवरण देवे ? (ग) क्या कंडिका "क" के कर्मचारियों का पारिश्रमिक नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, हां तो विवरण देवे? नहीं तो कारण सहित उल्लेख करें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) संचालनालय/ क्षेत्रीय कार्यालयों के शासकीय पद संरचना में प्लेसमेंट के कोई भी पद सृजित नहीं है। 2. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से श्रमिक, क्लीनर, ब्रशमैन, कम्प्यूटर आपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, फिटर, वेल्डर, लाईनमेन, लिपिक, प्लम्बर, माली, वाहन चालक, भृत्य, स्वच्छता कमाण्डों, चौकीदार, सफाई कर्मचारी आदि पदों की स्वीकृति दी गयी है। निकायों द्वारा उनके पद अनुरूप कार्य लिया जाता है। प्लेसमेंट कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा भुगतान किया जाता है। इसी के साथ ईपीएफ एवं ईएसआईसी का भुगतान निकायों द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को किया जाता है, जिसकी प्रतिपूर्ति निकाय द्वारा की जाती है। (ख) कलेक्टर दर के अनुसार पारिश्रमिक बढ़ोत्तरी होने पर भुगतान किया जाता है। (ग) जी हां। निकायों के द्वारा आर्थिक स्थिति के आधार पर प्लेसमेंट कर्मचारियों को उचित माध्यम से भुगतान किया जाता है। अन्यथा शासन से अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर किये गये वेतन भुगतान की प्रतिपूर्ति की जाती है।

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्टेडियम निर्माण

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

24. (क्र. 1965) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र तखतपुर अंतर्गत विगत 03 वर्षों में युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा कहां-कहां खेल स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है, वर्षवार विवरण देवे? (ख) कंडिका "क" के स्वीकृत स्टेडियम निर्माण कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हैं, अपूर्ण हैं एवं अप्रारंभ हैं, विस्तृत विवरण देवे?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) विधानसभा क्षेत्र तखतपुर अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में खेल स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। (ख) प्रश्न संदर्भित एवं प्रासंगिक नहीं है।

जल जीवन मिशन अंतर्गत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

25. (क्र. 2047) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक जलजीवन मिशन से कितने

कार्य स्वीकृत किये गए? उक्त कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? उक्त कार्यों में कितनी राशि खर्च की गई है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अन्तर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक जल जीवन मिशन से 980 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। अद्यतन स्थिति में 150 कार्य पूर्ण एवं 830 कार्य अपूर्ण है। उक्त कार्यों में राशि रु. 13026.29 लाख खर्च की गई है। विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

अविभाजित राजनांदगांव जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

26. (क्र. 2095) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) अविभाजित जिला राजनांदगाँव (खैरागढ़-छुईखदान-गंडई व मोहला-मानपुर-चौकी सहित) वर्ष 2022-23 से दिनांक 30 जनवरी, 2024 तक मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत हितग्राहियों , निजी ट्रस्टी, गैर शासकीय संस्था, शिक्षण संस्थाएं, अर्ध शासकीय संस्था से अनुदान हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने आवेदित आवेदकों का चयन मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा में किया गया है? विकासखंडवार, जानकारी प्रदान करें? (ख) मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में चयनित कितने हितग्राहियों , निजी ट्रस्टी, गैर शासकीय संस्था, शिक्षण संस्थाएं, अर्ध शासकीय संस्थाओं को कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रदान की गयी है? यदि नहीं तो कब तक अनुदान की राशि दी जाएगी और कितनी राशि ? (ग) प्रश्नांक "ख" में संदर्भित अनुसार कितने आवेदकों ने रोपण कार्य पूर्ण किये है? रोपित पौधों का जीवित प्रतिशत अनुपात क्या है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है । (ख)जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है ।(ग)जानकारी संलग्न "प्रपत्र-स" में दर्शित है ।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

वन मंडलों में प्रतीकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण मद से कराए गए कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

27. (क्र. 2096) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या अविभाजित जिला राजनांदगाँव (खैरागढ़-छुईखदान-गंडई व मोहला-मानपुर-चौकी सहित) वन मंडलों में प्रतीकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण मद अंतर्गत 2021-22 से दिसम्बर, 2023 की स्थिति में कितने हेक्टेयर भूमि में लैंटाना उन्मूलन के कार्य के लिए राशि का आवंटन कब प्राप्त हुआ? लैंटाना उन्मूलन का कार्य कौन-कौन से परिक्षेत्रों में, कितने हेक्टेयर में, किस अवधि में, कितनी लागत से कार्य कराए गए, वनमंडल अनुसार पृथक पृथक विवरण प्रदान करेंगे? (ख) प्रश्नांकित "क" अनुसार प्रश्नांकित अवधि में कराए गए लैंटाना उन्मूलन कार्य में क्या कोई अनियमितता पाई गई? इस संबंध में महालेखाकार से कराए गए अंकेक्षण में कोई आपत्ति दर्ज की गई ? यदि हाँ, की गई कार्रवाई की वन मंडल अनुसार पृथक पृथक जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है।(ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

अविभाजित जिला राजनांदगाँव में लंबित राजस्व मामले एवं उनका निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

28. (क्र. 2098) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अप्रैल 2022 से आज दिनांक तक की स्थिति में अविभाजित जिला राजनांदगाँव (खैरागढ़-छुईखदान-गंडई व मोहला-मानपुर-चौकी सहित) नामांतरण, डायवर्सन, सीमांकन, बटांकन, फौत, नवीन किसान पुस्तिका निर्माण, खाता बटवारा आदि राजस्व के कितने मामले लंबित हैं? उक्त लंबित मामलों की जानकारी तहसीलवार, अनुविभागीय कार्यालय वार देवे? **(ख)** इन लंबित मामलों में से कितने मामले पटवारी या राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने के कारण लंबित हैं? **(ग)** उपरोक्त सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? दोषी के ऊपर क्या कार्यवाही की जाएगी?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** अप्रैल 2022 से आज दिनांक तक की स्थिति में अविभाजित जिला राजनांदगाँव (खैरागढ़-छुईखदान-गंडई व मोहला-मानपुर-अं0चौकी सहित) नामांतरण-2292, डायवर्सन-85, सीमांकन-802, बटांकन-49, फौत-296, नवीन किसान पुस्तिका निर्माण- 167, खाता बटवारा-467 मामले लंबित है। लंबित मामलो की जानकारी तहसीलवार, अनुविभागीय कार्यालय वार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** लंबित मामलो में 778 प्रकरण पटवारी प्रतिवेदन हेतु एवं 920 प्रकरण राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु लंबित है। **(ग)** लंबित प्रकरणो का समय-सीमा में निराकरण कर लिया जावेगा। सभी प्रकरण समय-सीमा में है, इसलिये कोई दोषी नही होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस" \]](#)

प्रदेश का सिंचित/ असिंचित रकबा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

29. (क्र. 2110) श्री बालेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में खरीफ वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कुल कितने एकड़ भूमि में कृषि कार्य हुआ और इसमें कितना सिंचित और कितना असिंचित रकबा है? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवे? **(ख)** उक्त अवधि में धान के उत्पादन की मात्रा की जिलेवार जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** प्रदेश में खरीफ वर्ष 2021-22 में कुल 11624696 एकड़ भूमि में कृषि कार्य हुआ जिसमें 3893054 एकड़ सिंचित भूमि और 7731642 एकड़ असिंचित भूमि है तथा 2022-23 में कुल 11646699 एकड़ भूमि में कृषि कार्य हुआ जिसमें 3723650 एकड़ सिंचित भूमि और 7923049 एकड़ असिंचित रकबा है। वर्षवार, जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है। (ख)** उक्त अवधि में धान के उत्पादन की मात्रा की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस" \]](#)

बसना विधानसभा क्षेत्र में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

30. (क्र. 2158) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान है? यदि हाँ तो विगत 03 वर्षों में बसना विधानसभा क्षेत्र में कितने अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण प्राप्त हुए हैं ? उक्त प्रकरणों में कितने लोगो को किन किन पदों पर नियुक्ति दी गयी है और कितने प्रकरण किस कारण से लंबित हैं ? वर्तमान में कितने पद अनुकम्पा हेतु आरक्षित या रिक्त हैं ? लंबित प्रकरणों की पदवार एवं वर्षवार जानकारी देवे ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : जी हां, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में

अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू किये गये हैं। विगत 03 वर्षों में बसना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नगर पंचायत बसना एवं पिथौरा में कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति का प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अनुकम्पा नियुक्ति का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पद आरक्षित करने का प्रावधान नहीं है। नगर पंचायत पिथौरा में सफाई दरोगा (चतुर्थ श्रेणी) का 01 पद रिक्त है। कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

राज्य कैम्पा मद से संचालित नरवा परियोजना के तहत निर्माण कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

31. (क्र. 2174) श्री संदीप साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कसडोल विधान सभा क्षेत्र में राज्य कैम्पा मद से संचालित नरवा परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 25.01.2024 तक किन-किन वनमंडलों में कौन-कौन से कितनी-कितनी राशि के निर्माण कराये गये? **(ख)** प्रश्नांक "क" अंतर्गत संचालित नरवा परियोजना के तहत निर्माण कार्यों में कितने स्थानीय निवासियों को रोजगार प्राप्त हुआ? वन मंडल एवं निर्माण कार्यों के अनुसार जानकारी देवें। **(ग)** उक्त संचालित नरवा परियोजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तथा कितने अपूर्ण स्थिति में हैं? क्या अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु समय सीमा निश्चित की गई है? जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** कसडोल विधान सभा क्षेत्र में राज्य कैम्पा मद से संचालित भू-जल संरक्षण कार्य (नरवा विकास) के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 25.01.2024 तक बलौदाबाजार वनमण्डल में कराये गये निर्माण कार्यों की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है। (ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है। (ग)** उक्त भू-जल संरक्षण कार्य (नरवा विकास) के स्वीकृत निर्माण कार्यों में से पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की स्थिति एवं पूर्ण करने हेतु समय सीमा की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस" \]](#)

वन विभाग में ग्रीन इंडिया मिशन का संचालन

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

32. (क्र. 2175) श्री संदीप साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या वन विभाग के अंतर्गत ग्रीन इंडिया मिशन का संचालन हो रहा है? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त मिशन का उद्देश्य, वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसंबर, 2023 तक योजना में आबंटित राशि, फंडिंग एजेंसी, निर्माण एजेंसी, परियोजना की अवधि तथा किये गये कार्यों का विवरण एवं भुगतान राशि के विवरण की जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांक "ख" के संदर्भ में अपूर्ण कार्यों को कब तक पूरा कर लिया जायेगा एवं इस योजना से राज्य को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुआ है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जी हां, वन विभाग के अंतर्गत ग्रीन इंडिया मिशन का संचालन हो रहा है। **(ख)** अनुकूलन और सुधारात्मक उपायों के संयोजन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थायी रूप से सुधार करना, पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन संचय को बढ़ाने और संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र में अनुकूलन विकसित कर वन आधारित समुदायों को सतत् संवहनीय वन विकसित करना, वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार और वन/गैर वन भूमि पर वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि, जैव विविधता, जल विज्ञान सेवाओं सहित बेहतर पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं और कार्बन संचय, वनों में और उसके आस-पास रहने वाले वनों पर निर्भर समुदाय की वन आधारित आजीविका और घरेलू आय में वृद्धि, 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन के बराबर के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण, ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 में दिसंबर, 2023 तक योजना में आबंटित राशि, फंडिंग एजेंसी, निर्माण एजेंसी, परियोजना की अवधि तथा किये गये कार्यों का विवरण एवं भुगतान राशि के विवरण की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है। (ग)** प्रश्नांक "ख" के अनुसार अपूर्ण कार्यों को मार्च 2024 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। इस योजना के अंतर्गत किये गये कार्यों से निम्नानुसार लाभ हुआ है:- ग्रीन

इंडिया मिशन अंतर्गत कराये गये कार्यों से पर्यावरण में सुधार एवं वनों के घनत्व में वृद्धि हुई है, कराये गये कार्य से वन क्षेत्रों के पुनरुत्पादन में वृद्धि हुई है, वन्यजीवों के लिए बेहतर रहवास क्षेत्र उपलब्ध हो सकता है, वन क्षेत्रों में कराये गये कार्यों से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हुआ है, अवैध कटाई, अवैध चराई इत्यादि में रोकथाम हुआ है, आस्थामूलक कार्य अंतर्गत मुरमीकरण सी.सी.रोड, बाउन्डीवाल एवं देवालय निर्माण इत्यादि कार्य कराये गये जिससे ग्रामीणों के आवागमन में सुगमता होगी जिसके कारण उनके दैनिक जीवन के रहन सहन में प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस" \]](#)

जिला-जशपुर अंतर्गत मुनारा की जानकारी

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

33. (क्र. 2258) श्रीमती गोमती साय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-जशपुर अन्तर्गत राजस्व विभाग का आज पर्यन्त कितना मुनारा अपने मूर्त रूप में है? **(ख)** उक्त मुनारा की संख्या कितनी है? तहसीलवार जानकारी दें। **(ग)** क्या राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा उक्त मुनारा के माध्यम से जमीन का सीमांकन अथवा नपाई की जाती है? **(घ)** क्या इस संबंध में शासन को वर्ष 2021-22 से दिसम्बर, 2023 तक किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही हुई? वर्षवार जानकारी दें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** 5462 **(ख)** तहसील जशपुर में 683, मनोरा 197, दुलदुला 200, कुनकुरी 1271, कांसाबेल 316, फरसाबहार 853, पत्यलगांव एवं बागबहार 545, बगीचा 1172 तथा सत्रा में 225। **(ग)** जहां उक्त मुनारा मूर्त रूप में होते है वहां सीमांकन मुनारा से किया जाता है। जहां मुनारा स्थित नहीं है वहां तिमेड़ा/चौमेड़ा से सीमांकन कार्य किया जाता है। **(घ)** जी नहीं।

नगर पंचायत घरघोड़ा को राज्य परिवर्तित योजना से प्राप्त राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

34. (क्र. 2259) श्रीमती गोमती साय : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला रायगढ़ अंतर्गत नगर पंचायत घरघोड़ा को 1 अप्रैल 2021 से 1जनवरी 2024 तक राज्य परिवर्तित योजना के अंतर्गत किन-किन कार्यों के लिये, कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गयी? क्या कराये गये कार्य का भुगतान शेष है? यदि हाँ तो कब तक राशि का भुगतान किया जायेगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : जिला रायगढ़ अंतर्गत नगर पंचायत घरघोड़ा को 1 अप्रैल, 2021 से 1 जनवरी, 2024 तक राज्य परिवर्तित योजनांतर्गत 01 कार्य हेतु राशि रू. 13.281 लाख प्रदाय की गई है। शेष जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस" \]](#)

कलेक्टर रायगढ़ को सरपंच व बी.डी.सी द्वारा शिकायत पत्र सौंपने एवं कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

35. (क्र. 2263) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)**क्या कलेक्टर, रायगढ़ को ग्राम पंचायत लमडांड, विकासखंड लैलूंगा के सरपंच व बी.डी.सी द्वारा 9/10/2023 को तीन शिकायत पत्र दिए गए थे ? **(ख)** यदि हां, तो प्रश्नांक 'क' के तीनों शिकायत पर क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां तो क्या? नहीं तो क्यों कारण बतावें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जी हां, कलेक्टर रायगढ़ को ग्राम पंचायत लमडांड, विकासखण्ड लैलूंगा के सरपंच व बी.डी.सी. द्वारा 09.10.2023 को तीन शिकायत पत्र प्राप्त हुए। **(ख)** प्रश्नांक 'क' के तीनों

शिकायत पर कार्यवाही की गई जो निम्नानुसार है:- 1. प्रथम शिकायत अनावेदक गिरधारी प्रधान के विरुद्ध गोठान राशि का दुरुूपयोग एवं अवैध धंधा कर ग्राम में अशांति फैलाने बाबत शिकायत किया गया था। उक्त शिकायत को कलेक्टर जनचौपाल के टोकन नं. 2040323004519 के द्वारा पंजीकृत किया गया। शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा किया गया जिसमें अनावेदक एवं उसकी पत्नी पूर्व में कई बार ग्राम सरपंच के प्रत्याशी रहने एवं हमेशा पराजित होने की वजह से ग्राम सरपंच के विरोध में कार्य करने व विवाद की स्थिति बने रहने तथा शांतिभंग की अंदेशा पर अनावेदक के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धारा 107,116(3) जा.फौ. के तहत इष्टगासा क्रमांक 514/2023 दिनांक 18.12.2023 को तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाना प्रतिवेदन कर, शिकायत का निराकरण किया गया है। 2. द्वितीय शिकायत अनावेदक कंसराम प्रज्ञा के विरुद्ध महिला सरपंच के ऊपर सामाजिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में शिकायत किया गया था। उक्त शिकायत को कलेक्टर जनचौपाल के टोकन नं. 2040323004534 के द्वारा पंजीकृत किया गया। शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा किया गया । जिसमें अनावेदक एवं उसकी पत्नी पूर्व में कई बार ग्राम सरपंच के प्रत्याशी रहने एवं हमेशा पराजित होने की वजह से ग्राम सरपंच के विरोध में कार्य करने व विवाद की स्थिति बने रहने तथा शांतिभंग की अंदेशा पर अनावेदक के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धारा 107, 116(3) जा.फौ. के तहत इष्टगासा क्रमांक 514/2023 दिनांक 18.12.2023 को तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाना प्रतिवेदित कर, शिकायत का निराकरण किया गया है। 3. तृतीय शिकायत अनावेदक श्री गिरधारी प्रधान के विरुद्ध दबंगपूर्वक किये गये सार्वजनिक हित के लिए सुरक्षित शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने एवं बेजा कब्जा को नाप करते हुए तत्काल रोक लगाते हुए कब्जा हटाने बाबत शिकायत किया गया है। उक्त शिकायत को कलेक्टर जनचौपाल के टोकन नं. 2040323004539 के द्वारा पंजीकृत किया गया। शिकायत की जांच तहसीलदार लैलूंगा, जिला-रायगढ़ द्वारा की गयी, जिसमें तहसीलदार लैलूंगा द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत निराकरण कर नस्तीबद्ध किया गया है।

कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायत

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

36. (क्र. 2270) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या सचिव, नगरीय प्रशासन व आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ को रायगढ़ के विजयपुर बोर्डरदादर स्थित कृष्णावेली कॉलोनी के अधूरे कार्य को पूर्ण बताकर, नगर निगम से कार्य पूर्ण प्रमाण—पत्र कॉलोनाइजर द्वारा प्राप्त करने संबंधी शिकायत 13 सितंबर 2022 को प्राप्त हुई है? **(ख)** क्या प्रश्नांक 'क' अनुसार शिकायत पर जांच अथवा कार्यवाही हुई है? यदि हां, तो विस्तृत जानकारी प्रदान करें। यदि नहीं, तो किन कारणों से जांच नहीं की गई?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** जी हां, सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग व आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ को शिकायत प्राप्त हुई थी।**(ख)** जी हां, शिकायत पर जांच कार्यवाही की गई है। अभिलेखों के अनुसार दिनांक 02.01.2020 को नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा बंधक मुक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्राप्त शिकायत संज्ञान में आने पर संबंधित कालोनाइजर को सूचना जारी की गयी। इसी तरह के शिकायत पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक आयोग (रेरा) में प्रकरण क्रमांक M-PRO-.2023-01975दर्ज कराया गया है। जिसमें रैरा द्वारा दिनांक 24.11.2023 को कालोनाइजर को अनावेदक के प्रोजेक्ट कृष्णा वेली कालोनी का सीवर लाईन पूर्ण करते हुए, टूट-फूट सीवर लाईन की मरम्मत करने, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कर फंशनिंग करने, झुला-घर बनवाने वर्षा जल संरक्षण का उपाय करवाने, मंदिर का निर्माण करवाने एवं अप्रोच रोड का निर्माण कार्य करने हेतु 03 माह की समय सीमा में पूर्ण करने का आदेश जारी किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अमृत मिशन से संबंधित जानकारी

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

37. (क्र. 2286) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अमृत मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 के प्रश्नावधि तक कितने-कितने कार्यों का टेंडर किया गया? टेंडर उपरांत स्वीकृत किये गये कार्यों को पूर्ण करने हेतु कितना समय दिया गया? क्या एग्रीमेंट अनुरूप कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं तो क्या कार्य पूर्ण करने हेतु एक्सटेंशन दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों के आधार पर एक्सटेंशन दिया गया ? क्या एक्सटेंशन देने से पूर्व फर्म/एजेंसी पर किसी प्रकार की कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या ? बिल भुगतान राशि, जीएसटी, कार्यवार, विकासखंडवार, वर्षवार जानकारी दें ? **(ख)** क्या उक्त मिशन योजना अंतर्गत कुल कितने जल कनेक्शन मीटर के साथ प्रदाय किये गये हैं? क्या वर्तमान में हितग्राहियों ? द्वारा मीटर अनुरूप बिल भुगतान किया जा रहा है ? फर्म/एजेंसी हेतु मीटर एवं कनेक्शन मेंटनेंस के लिये क्या-क्या शर्तें निर्धारित थी ? क्या वर्तमान में उक्त एजेंसी द्वारा मेंटनेंस का कार्य किया जा रहा है ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अमृत मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 के प्रश्नावधि तक कोई भी टेंडर स्वीकृत नहीं किया गया है। **(ख)** प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

सारंगढ़ विकासखंड के अंतर्गत सहकारी समितियों में धान खरीदी उपरांत प्राप्त कमीशन राशि

[सहकारिता]

38. (क्र. 2330) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विकासखंड सारंगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2022-23 की धान खरीदी के उपरांत सेवा सहकारी समितियों को कितनी-कितनी कमीशन की राशि प्राप्त हुई है? समितिवार आय-व्यय की जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस" \]](#)

बालोद जिले के खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग को आबंटित राशि

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

39. (क्र. 2367) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 में दिनांक 04 फरवरी, 2024 तक बालोद जिले के खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग को कब-कब, कितनी राशि आबंटित की गई है? वर्षवार, मदवार जानकारी दें। **(ख)** कण्डिका 'क' में आबंटित राशि का उपयोग/व्यय, किन-किन कार्यों में कितना-कितना किया गया? वर्षवार, कार्यवार जानकारी दें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

वनमण्डल कार्यालय जिला बालोद द्वारा जारी की गयी निविदा

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

40. (क्र. 2381) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 30 जनवरी, 2024 तक वनमण्डल कार्यालय जिला बालोद के द्वारा किन-किन कार्यों के लिए निविदा जारी की गई है एवं निविदा उपरांत किस-किस फर्म/एजेंसी

को उक्त कार्य आबंटित किया गया है? वर्षवार जानकारी दें। (ख) कण्डिका 'क' में आबंटित कितने कार्य प्रारंभ/अप्रारंभ व पूर्ण/अपूर्ण हैं, अद्यतन स्थिति से अवगत करावें।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 30 जनवरी, 2024 तक वनमंडल कार्यालय जिला बालोद के द्वारा कोई भी कार्य हेतु निविदा जारी नहीं की गई है। अपितु समस्त स्वीकृति वानिकी योजनाओं/कार्यों में उपयोग हेतु विभिन्न आवश्यक सामग्रियों के क्रय बाबत निविदा जारी किया गया है, जिसकी वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है। (ख) प्रश्रांकित अवधि में कार्यों के लिये निविदा जारी नहीं की गई है। अतः कार्य प्रारंभ/अप्रारंभ व पूर्ण/अपूर्ण का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

जिला जांजगीर एवं सक्ती में वन विभाग की सड़कों की मरम्मत पर व्यय राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

41. (क्र. 2385) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर एवं सक्ती जिले में कुल कितने किलोमीटर की फारेस्ट रोड है? समस्त सड़कों की विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें? (ख) इन सड़कों की विगत तीन वर्षों 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गयी? सड़कवार जानकारी उपलब्ध करावें? क्या इन सड़कों की मरम्मत विभाग द्वारा करायी गयी या निविदा आमंत्रित कर एजेंसी तय की गयी? जानकारी प्रदान करें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जांजगीर-चांपा वनमण्डल के कार्य आयोजना (अवधि- 2011-12 से 2020-21) में प्रावधान अनुसार जिला जांजगीर एवं सक्ती में स्थित फारेस्ट रोड की जानकारी विकासखण्डवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	फारेस्ट रोड की लंबाई (कि.मी. में)
1	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	28.50
2	सक्ती	सक्ती	4.00
योग:-			32.50

(ख) जांजगीर-चांपा वनमण्डल द्वारा प्रश्रांश अवधि में दर्शित सड़कों में विभाग द्वारा विभागीय रूप से विगत तीन वर्षों 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में मरम्मत पर किये गये व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	मरम्मत पर किया गया व्यय (राशि लाख में)
1	2021-22	2.41
2	2022-23	6.00
3	2023-24	4.99
योग:-		13.40

वर्षवार, सड़कवार व्यय की विस्तृत जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है ।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कटरा से बिलासपुर-अंबिकापुर हेतु वैकल्पिक मार्ग निर्माण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

42. (क्र. 2386) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कटरा से निरतु-अदराली-कनई खोंद्रा होते हुए मार्ग बिलासपुर-अंबिकापुर मार्ग को जोड़ता था? क्या ये सड़क वर्तमान में आम मार्ग के रूप में संचालित है या सड़क को बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से सड़क मार्ग को बंद किया गया? गांव वालों के लिए क्या कोई

वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है? जानकारी देवें? **(ख)** यदि हां, तो वन विभाग को मुआवजे के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है? उक्त राशि का उपयोग कहां किया गया है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटरा से निरतु वन मार्ग है, जो बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग को जोड़ता है। ये सड़क वर्तमान में आम मार्ग के रूप में संचालित है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा पैदल एवं दुपहिया वाहनों से आवागमन करते हैं तथा सड़क को बंद नहीं किया गया है। **(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

पुनर्वास परियोजना प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन हेतु आवास निर्माण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

43. (क्र. 2425) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या पुनर्वास परियोजना प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन हेतु आवास निर्माण किया जाता है? यदि हां, तो जिला राजनांदगांव अंतर्गत उक्त योजना में 2022-23 से प्रश्नावधि तक में कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है? उक्त अवधि में योजना के तहत कितने ग्रामों एवं कितने प्रभावित व्यक्तियों को आवास, आवासीय भूखण्ड, निर्माण राशि प्रदान कर पुनर्वासित किया गया है? वर्षवार, जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : जी हां, जानकारी निरंक है।

जिला-महासमुंद अंतर्गत उपार्जन केन्द्रों में व्यय हेतु स्वीकृत राशि

[सहकारिता]

44. (क्र. 2464) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-महासमुंद में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के वर्ष लिए 2023-24 में दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक धान उपार्जन केन्द्रों में तारपोलिन, ड्रेनेज, चौकीदार आदि विभिन्न मदों में व्यय हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विकासखण्डवार बताएं? **(ख)** महासमुंद जिले में प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत व्यय राशि का विवरण विकासखण्डवार बताएं? **(ग)** उपरोक्त खरीदी वर्षों में उक्त मद में व्यय में अनियमितता की शिकायत महासमुंद जिले में कहां – कहां प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** महासमुंद जिले के सहकारी समितियों द्वारा प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित वर्ष के लिए उक्त मद में व्यय में अनियमितता की शिकायत संज्ञान में नहीं आयी है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

जिला-बिलासपुर अंतर्गत आपदा राहत अंतर्गत निर्माण कार्य

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

45. (क्र. 2500) श्री धरमलाल कौशिक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला- बिलासपुर में जनवरी, 2021 से दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक आपदा राहत मद में कुल कितनी राशि, कितने निर्माण कार्यों के लिये किस-किस एजेंसियों को स्वीकृत की गयी है? इसमें कितने पूर्ण, अपूर्ण व अप्रारंभ हैं? कितने कार्य अनुबंध अनुसार निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हुए हैं ? एजेंसीवार, राशिवार जानकारी देवें? **(ख)** कडिका "क" के कार्यों के संबंध में क्या शिकायत की गई? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? क्या जांच अधिकारी की समिति बनाई गई तो उनके निष्कर्ष क्या थे ? वर्षवार, शिकायतवार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में जिला बिलासपुर को आपदा राहत मद से निर्माण

कार्यो हेतु कोई आबंटन जारी नहीं किया गया है। अतः विस्तृत जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है।
(ख) जानकारी निरंक है।

वन विभाग के प्रथम श्रेणी पदों की जानकारी

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

46. (क्र. 2501) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रश्न दिनांक की स्थिति में प्रदेश में वन विभाग में प्रथम श्रेणी के कौन-कौन से पद स्वीकृत, रिक्त व भरे हुए हैं? राज्य/जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** वर्ष 2021 से उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध किसको एवं क्या शिकायत की गई तथा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? क्या जांच अधिकारी/समिति बनाई गई तो उनके निष्कर्ष क्या थे? वर्षवार, शिकायतवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** प्रश्न दिनांक की स्थिति में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में प्रथम श्रेणी के स्वीकृत, रिक्त व भरे पदों की राज्य/जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है।** **(ख)** वर्ष 2021 से उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायत एवं इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही की वर्षवार, शिकायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब" अनुसार है ।**

कानन पेंडारी जू बिलासपुर का दर्जा एवं आय व्यय की जानकारी

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

47. (क्र. 2502) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिलासपुर के कानन पेंडारी जू को कौन सा दर्जा प्राप्त है ? क्या यह दर्जा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त है ? इस जू के प्रशासकीय अमले की निर्धारित पद संरचना क्या है ? पदवार स्वीकृत संख्या बताएं ? भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्नांकित दिनांक तक कानन पेंडारी जू हेतु शासन द्वारा एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय-व्यय की वर्षवार, मदवार जानकारी उपलब्ध करावें । क्या जू के अधिकारी को आहरण-संवितरण अधिकार प्राप्त हैं ? यदि नहीं तो जू के वित्तीय आहरण संवितरण की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** बिलासपुर के कानन पेंडारी जू को मिडियम जू का दर्जा प्राप्त है। यह दर्जा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा प्रदत्त है। इस जू के प्रशासकीय अमले की निर्धारित पद संरचना, पदवार स्वीकृत संख्या तथा भरे एवं रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है।** **(ख)** वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्नांकित दिनांक तक कानन पेंडारी जू हेतु शासन द्वारा एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय-व्यय की वर्षवार, मदवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है।** जी हों। कानन पेंडारी जू के प्रशासकीय नियंत्रण एवं आहरण/संवितरण का अधिकार संचालक अचानकमार-अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व, बिलासपुर को प्राप्त है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

फदहाखार वनभूमि बिलासपुर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

48. (क्र. 2503) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या बिलासपुर के फदहाखार में वन भूमि, "संरक्षित वन क्षेत्र" के रूप में स्थापित है? यदि हां, तो कितने रकबा में? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" की भूमि पर अवैध कब्जा है? यदि हां, तो कितने रकबा में? अवैध कब्जे के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? अवैध कब्जा हटाने की जिम्मेदारी किस-किस अधिकारी की है? **(ग)** क्या प्रश्नांश "क" के क्षेत्र को संरक्षित करने एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कोई कार्ययोजना संचालित है? यदि हां, तो इस हेतु वर्ष 2020-21 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन से कार्य किये जा चुके

हैं तथा क्या-क्या कार्य किये जाने हैं ? किये गए एवं किये जाने वाले कार्य की जानकारी, कार्य के नाम तथा लागत राशि सहित बतावें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बिलासपुर के फदहाखार में वन भूमि, "संरक्षित वन क्षेत्र" के रूप में स्थापित नहीं है। अतः रकबा के संबंध में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम परियोजना मंडल अंतर्गत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

49. (क्र. 2505) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या छ.ग.राज्य व.वि.निगम परियोजना मंडलों को वन विभाग द्वारा आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्रों का आबंटन किया गया था? यदि हां, तो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 से प्रश्नांकित अवधि तक कितने वन अधिकार के तहत पट्टा प्रदाय किये गए एवं कितने खड़े जंगल/रोपण क्षेत्रों का नुकसान हुआ है? वर्तमान में परिक्षेत्रवार हस्तांतरण किये गए वन क्षेत्रों में जो शेष उपलब्ध हैं, उनमें क्या कार्यवाही की गई? दर्ज प्रकरण का विवरण/पट्टा प्रदाय का क्षेत्रफल एवं पट्टा प्रदाय करने के पश्चात् बचत वन क्षेत्रों का व्योरा दें? (ख) कंडिका 'क' के प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के सरगुजा मंडल के सीतापुर क्षेत्र को अतिक्रमण से हानि हुई? अतिक्रमण हटवाने हेतु कुल दर्ज प्रकरणों में, कितने प्रकरणों में बेदखली कराकर मुआवजा/महसूल लिया गया एवं पट्टा प्रदाय किया गया? पट्टा प्रदाय करने हेतु क्या वन विभाग से अनुमति ली गई, व्योरा दें ? (ग) कंडिका 'क' के कितने प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई? यदि नहीं तो क्यों? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) हां, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम परियोजना मण्डलों को वन विभाग द्वारा आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्रों का आबंटन किया गया है। आबंटित आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आने के कारण वर्ष 2020-21 से प्रश्नांकित अवधि तक वन अधिकार के तहत पट्टा प्रदाय करने तथा खड़े जंगल/रोपण क्षेत्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सरगुजा परियोजना मण्डल का क्षेत्र सीतापुर विधानसभा अंतर्गत नहीं होने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र उपलब्ध है। अतः शेष प्रश्नांश "क" की वांछित जानकारी निरंक है। (ख) कंडिका "क" के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के सरगुजा परियोजना मण्डल के अंतर्गत सीतापुर क्षेत्र नहीं होने के कारण जानकारी निरंक। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

गौरैला-पेंडा-मरवाही में खेल सुविधाओं का विकास

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

50. (क्र. 2517) श्री प्रणव कुमार मरपची : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-गौरैला-पेंडा-मरवाही में वर्ष 2020 से 2023 के बीच खेलों हेतु क्या-क्या सुविधायें और क्या-क्या उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं? (ख) क्या जिला-गौरैला-पेंडा-मरवाही के जिमनास्ट के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और जिला का गौरव बढ़ाने के दृष्टिगत क्या उनके लिए राष्ट्रीय स्तर की खेल सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला-गौरैला-पेंडा-मरवाही में वर्ष 2020 से 2023 के बीच खेलों हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, महिला खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास केन्द्र, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर, खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला प्रतियोगिता आयोजन हेतु राशि प्रदाय की गई। ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड के तीन-तीन केन्द्रों को वॉलीबॉल पोल, नेट, जेवलिन, हाई जम्प बार, मेजरिंग टेप, खो-खो पोल, कबड्डी मैट,

हॉकी स्टिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। (ख) जिम्नास्टिक खिलाड़ियों की मांग पर, नियमानुसार खेल सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

नोटरी नियुक्ति के मापदण्ड एवं रिक्त पद

[विधि एवं विधायी कार्य]

51. (क्र. 2522) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश के किन-किन जिलों में नोटरी के कितने कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने रिक्त हैं, जिलेवार रिक्त तथा भरे हुए पदों की जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** नोटरी नियुक्त करने का अधिकार किनको है तथा नोटरी नियुक्त करने/बनाने हेतु क्या-क्या शासन के मापदंड हैं? तथा इसके नियुक्ति में कितना समय लगता है ? **(ग)** ऐसे कितने जिले हैं, जिनमें रिक्त पदों के विरूद्ध 50 प्रतिशत से कम नोटरी की नियुक्ति हुई है ? रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जावेगी, समयावधि बतावें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** प्रदेश के जिलों में नोटरी के स्वीकृत, रिक्त एवं भरे पदों की जानकारी, जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** नोटरी नियुक्त करने का अधिकार समुचित सरकार को है तथा नोटरी नियुक्ति करने/बनाने हेतु नियम "नोटरी नियम 1956 के नियम 4,6,7 एवं 7 क" में उल्लेखित है, नियम की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है। नोटरी नियुक्ति में कितना समय लगता है इसकी समय-सीमा नोटरी अधिनियम एवं नियम में निर्धारित नहीं है। परन्तु संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने में लगभग 2-3 माह का समय लगता है। **(ग)** नोटरी के रिक्त पदों के विरूद्ध 50 प्रतिशत से कम नोटरी नियुक्ति वाले जिलों की जानकारी तीन है (सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर) । जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति यथाशीघ्र कर ली जावेगी।

जलकर से उद्योगों से प्राप्त राजस्व, बकाया एवं वसूली की कार्यवाही

[जल संसाधन]

52. (क्र. 2533) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** उद्योगों को जलप्रदाय करके जलकर से प्राप्त योग्य राजस्व 2019-20 से 2022-23 तक प्रतिवर्ष कितना-कितना रहा है, इसमें से प्राप्त राशि तथा शेष राशि भी बताएं? **(ख)** जलकर के बकायादार उद्योगों के नाम, प्राप्ति योग्य मूल राशि तथा अन्य राशि, और कब से अप्राप्त है, बताइए? **(ग)** जलकर के बकायादारों से वसूली के लिए क्या-क्या कार्यवाहियां की गईं और की जा रही है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** प्रदेश में उद्योगों के वसूली योग्य जलकर, प्राप्त जलकर की राशि तथा शेष राशि की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख)** उद्योगों से बकाया राशि की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ग)** बकाया राशि की वसूली हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।**

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में प्रबंधकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

[सहकारिता]

53. (क्र. 2534) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की संख्या जिलावार बताएं? **(ख) (क)** की संस्थाओं में प्रबंधकों की नियुक्ति कौन करता है? इनमें कितने पद स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त हैं? **(ग)** रिक्त पदों को भरे जाने हेतु क्या विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही की जाएगी? यदि हां, तो कब तक?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है । (ख)** प्रश्नांश (क) की संस्थाओं में प्रबंधकों की नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में

कैडर के पद स्वीकृत किये गये हैं, जिन पर नियुक्ति की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा की जाती है। स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पद की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार, समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग) के 477 रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा दी गई है। नोडल एजेन्सी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर द्वारा भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

54. (क्र. 2538) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष, 2021 से दिसम्बर, 2023 तक नल-जल योजना के तहत कहां-कहां पर कितनी-कितनी लागत के, कितनी-कितनी क्षमता के पानी टंकी का निर्माण कराया गया है? विकासखण्डवार ग्राम के नाम सहित जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के निर्मित पानी टंकी की वर्तमान में बंद/चालू स्थिति एवं लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या की जानकारी बतावें? **(ग)** क्या निर्मित पानी टंकियों के निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री उपयोग अथवा अन्य किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष, 2021 से दिसम्बर, 2023 तक नल-जल योजना के तहत पानी टंकी निर्माण कार्य की लागत, पानी टंकी की क्षमता की विकासखण्डवार ग्राम के नाम सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार निर्मित पानी टंकी की वर्तमान में बंद/चालू स्थिति एवं लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ग)** जी हां, प्राप्त शिकायत पर की गयी कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

दुर्ग वन वृत्त के राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत किया गया व्यय

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

55. (क्र. 2542) श्री दलेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-दुर्ग वन वृत्त के राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत अप्रैल 2021 से 31 जनवरी, 2024 तक किन-किन मदों के तहत निर्माण एवं अन्य कार्यों में लगने वाली सामग्री की खरीदी हेतु कब-कब निविदा जारी की गई? किन-किन एजेंसियों ने निविदा में भाग लिया और किस एजेंसी की किस-किस सामग्री हेतु न्यूनतम दर क्या थी? वर्षवार, मदवार, कार्यवार, एजेंसीवार, राशिवार, निविदावार और एजेंसी को किये गये भुगतान की दिनांकवार जीएसटी सहित जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : दुर्ग वन वृत्त के राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत अप्रैल 2021 से 31 जनवरी, 2024 तक निर्माण एवं अन्य कार्यों में लगने वाली सामग्री की खरीदी हेतु आमंत्रित निविदा, भाग लेने वाले एजेंसियों के नाम, चयनित एजेंसी एवं प्राप्त न्यूनतम दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है** । तथा वर्षवार, मदवार, कार्यवार, एजेंसीवार, राशिवार, निविदावार और एजेंसी को किये गये भुगतान की दिनांकवार जीएसटी सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब" अनुसार है** ।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र को केंद्र, राज्य प्रवर्तित योजना एवं अधोसंरचना मद से स्वीकृत राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

56. (क्र. 2545) श्रीमती भावना बोहरा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगरी निकायों हेतु वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाएं एवं अधोसंरचना मद में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नगरीय निकायों को वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजना एवं अधोसंरचना मद अंतर्गत नगर पालिका परिषद पंडरिया को राशि रू. 675.02 लाख एवं नगर पंचायत पाण्डातराई को राशि रू. 461.29 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

कबीरधाम जिला में कैम्पा मद से किये गये कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

57. (क्र. 2546) श्रीमती भावना बोहरा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला कबीरधाम में वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2024 तक वन विभाग द्वारा कैम्पा मद से कुल कितनी राशि, किन-किन कार्यों में व्यय की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** कैम्पा मद से प्राप्त राशि को खर्च करने हेतु निर्धारित मापदंड क्या हैं? किन-किन कार्यों में राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है? **(ग)** प्रश्नांश 'क' की प्राप्त राशि में से, कितनी-कितनी राशि खरपतवार "लैन्टाना" उन्मूलन हेतु खर्च की गई? क्या नियम विरूद्ध कैम्पा मद से खरीदी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में, कितनी-कितनी राशि से खरीदी की गई? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)**जिला कबीरधाम के अंतर्गत कवर्धा वनमंडल में वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2024 तक वन विभाग द्वारा कैम्पा मद से व्यय की गई राशि की कार्यवार एवं वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है।** **(ख)** कैम्पा मद से प्राप्त राशि को व्यय करने हेतु प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 2018 में दिशानिर्देश एवं मापदंड निर्धारित है। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 की धारा 6 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 2018 के नियम 5(2), नियम 5(3), नियम 6 (क) एवं नियम 6 **(ख)** में उल्लेखित कार्यों में व्यय किये जाने का प्रावधान है। कैम्पा मद से किये जाने वाले कार्यों में व्यय के प्रावधानों के संबंध में सुसंगत अधिनियम एवं नियमों की प्रति **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब" अनुसार है।** **(ग)**प्रश्नांश 'क'की प्राप्त राशि में से निम्नानुसार राशि खरपतवार 'लैन्टाना' उन्मूलन हेतु खर्च की गई है:-

क्र.	वर्ष	व्यय राशि (लाख रू. में)
1	2021.22	864.077
2	2022.23	246.919
3	2023.24 (जनवरी 2024 तक)	55.187
योग		1166.183

नियम विरूद्ध कैम्पा मद से खरीदी के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है, अतः शिकायतों पर की गई कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

खुज्जी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सड़कों की मरम्मत

[लोक निर्माण]

58. (क्र. 2548) श्री भोलाराम साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-2022 से 31 जनवरी, 2024 तक वार्षिक संधारण मद से किन-किन सड़कों के मरम्मत हेतु, कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" के अवधि में किन-किन सड़कों की मरम्मत की गई? कितना-कितना भुगतान किया गया? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

खुज्जी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वन समिति में निर्माण कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

59. (क्र. 2549) श्री भोलाराम साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी वन सुरक्षा समिति हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** इन सुरक्षा समिति में वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2024 तक ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की अनुशंसा से क्या-क्या निर्माण कार्य, कहाँ-कहाँ पर, कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत किए गए हैं? वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन सुरक्षा समिति कार्यरत नहीं है बल्कि वन प्रबंधन समिति है जिसकी जानकारी निम्नानुसार है:- परिक्षेत्र एवं विकासखण्ड समिति की संख्या

क्र	परिक्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	समिति संख्या
1	बाघनदी	छुरिया	54
2	खुज्जी	छुरिया	44
3	चौकी	चैकी	45
		कुल योग	143

(ख) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन प्रबंधन समिति में वर्ष 2021-22 एवं 2023-24 में निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं होने के कारण जानकारी निरंक है, एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 04 वन प्रबंधन समिति की अनुमोदित प्रस्ताव एवं अनुशंसा अनुसार 07 निर्माण कार्य स्वीकृत है, जिसमें से 01 निर्माण कार्य पूर्ण है तथा 06 निर्माण कार्य दिनांक- 31 जनवरी 2024 की स्थिति में प्रगति पर है। निर्माण कार्य कि **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" \]](#)

सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवज़ा वितरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

60. (क्र. 2552) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक सड़क निर्माण हेतु कहां-कहां, कितने किसानों की कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहण किया गया है? कितने किसानों को मुआवज़ा प्रदान कर दिया गया है, मार्गवार नाम सहित जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश "क" अंतर्गत कितने प्रकरण लंबित हैं, कब तक पूर्ण कर लिए जाएँगे? **(ग)** क्या मुआवज़ा वितरण में अनिमित्तता की शिकायत प्राप्त हुई हैं यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी है, जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** 25 ग्रामों के 870 किसानों की 109.738 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण

किया गया है। 557 किसानों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** 04 प्रकरण लंबित है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

जिला रायगढ़ में पट्टा वितरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

61. (क्र. 2553) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला रायगढ़ में वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2024 तक राजस्व विभाग द्वारा शासकीय भूमि, नजूल भूमि घास भूमि , आबादी भूमि से कितने हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आबादी एवं राजीवगांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण किया गया है? कितने लोगों का पट्टा वितरण लंबित है ? लंबित होने के क्या कारण हैं, कब तक वितरण किया जायेगा? तहसीलवार जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : जिला रायगढ़ नजूल क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2024 तक कोई पट्टा वितरण नहीं किया गया है। शेष हेतु प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बस्तर संभागान्तर्गत केम्पा मद से देवगुड़ियों के लिए स्वीकृत राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

62. (क्र. 2558) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वन विभाग के द्वारा 2021-22 से 2023-24 तक केम्पा मद से कुल कितने देवगुड़ियों के मरम्मत व सुदृढीकरण के कार्य स्वीकृत हुये ? जिलावार बतावें ? **(ख)** इन स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन सा पूर्ण, अपूर्ण व अप्रारंभ स्थिति में है ? कृपया देवगुड़ियों के नाम के साथ सूची उपलब्ध करावें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वन विभाग के द्वारा 2021-22 से 2023-24 तक केम्पा मद से कुल 240 नग देवगुड़ियों के मरम्मत व सुदृढीकरण के कार्य स्वीकृत हुए, जिसकी जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है ।(ख)** स्वीकृत देवगुड़ियों के मरम्मत व सुदृढीकरण कार्यों में पूर्ण, अपूर्ण व अप्रारंभ कार्यों की देवगुड़ियों के नाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है ।**

नगर पंचायत घरघोड़ा अंतर्गत मरम्मत संधारण मद एवं राज्य परिवर्तित योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

63. (क्र. 2560) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** नगर पंचायत घरघोड़ा अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023 से 2024 में प्रश्नावधि तक मरम्मत संधारण मद एवं राज्य परिवर्तित योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि, वर्षवार बताएं ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के स्वीकृत राशि का व्यय, किन किन कार्यों हेतु किया गया, वर्षवार, मदवार बताएं? **(ग)** प्रश्नांश "ख" का राशि व्यय क्या निर्धारित बिन्दुओं (मापदंडों) के आधार पर किया गया? यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की गई ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** नगर पंचायत घरघोड़ा अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023 से 2024 में प्रश्नावधि तक मरम्मत संधारण मद एवं राज्य परिवर्तित योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि, वर्षवार निम्नानुसार है:-

		(राशि रू. लाख में)	
क्र	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि
1	2021-22	मरम्मत संधारण मद	14.18
		राज्य प्रवर्तित योजना	0.00
2	2022-23	मरम्मत संधारण मद	14.18
		राज्य प्रवर्तित योजना	94.44
3	2023-24 (प्रश्नावधि तक)	मरम्मत संधारण मद	10.64
		राज्य प्रवर्तित योजना	0.00

(ख) प्रश्नांश "क" के स्वीकृत राशि का व्यय कार्यवार, वर्षवार, मदवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

(ग) जी हाँ। राशि व्यय निर्धारित बिन्दुओं (मापदंडों) के आधार पर किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड से जलकर की बकाया वसूली

[जल संसाधन]

64. (क्र. 2571) श्री राजेश मूणत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि मेसर्स के.एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड, हैदराबाद का प्रकरण दि. 03/10/2019 से NCLT में पंजीबद्ध है एवं विभाग द्वारा जलकर बकाया राशि की वसूली हेतु NCLT के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया है ? (ख) प्रश्नांक(क) में उल्लेखित तथ्य सही है तो क्या NCLT ने विभाग को बकाया राशि वसूल करने हेतु कोई स्थगन दिया है या रोका है? यदि नहीं, तो राशि वसूल करने में क्या कठिनाई है ? स्थगन आदेश है, तो कब का है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हां, यह सत्य है कि मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड हैदराबाद दिनांक 03.10.2019 से NCLT में पंजीबद्ध है, विभाग द्वारा जलकर की बकाया राशि की वसूली हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। (ख) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित तथ्य सही है। NCLT द्वारा विभाग को बकाया राशि वसूल करने के विरुद्ध कोई स्थगन नहीं दिया गया है और न ही वसूली करने से रोका गया है। संस्थान द्वारा उपयोग किए जा रहे जल की मात्रा का भुगतान भी किया जा रहा है, परन्तु दाण्डिक राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसकी वसूली हेतु संस्थान के साथ पत्राचार के साथ-साथ नोटिस इत्यादि भी जारी किया गया है।

नगर निगम रायपुर में श्रमिकों/कार्यालय कर्मियों को रखने प्लेसमेंट एजेंसी/ठेकेदारों से अनुबंध

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

65. (क्र. 2572) श्री राजेश मूणत : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर नगर निगम में जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2023 के मध्य किस-किस प्लेसमेंट एजेंसी/ठेकेदारों के माध्यम से कितने श्रमिकों/अन्य लोगों को रखा गया था ? इस हेतु क्या अनुबंध किया गया? वर्षवार अनुबंधवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार किए गए अनुबंध अनुसार श्रमिकों द्वारा कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्लेसमेंट एजेंसी ठेकेदारों द्वारा श्रम विभाग से लायसेंस/स्वीकृति ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों तथा यदि हाँ, तो कितने श्रमिकों की वर्षवार जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) रायपुर नगर निगम में जनवरी 2019 से दिसंबर, 2023 के मध्य प्लेसमेंट एजेंसी/ठेकेदारों के माध्यम से रखे गये श्रमिक/अन्य लोगों एवं किये गये अनुबंध की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र - वर्ष	प्लेसमेंट एजेंसी/ ठेकेदारों की संख्या	श्रमिकों की संख्या	किया गया अनुबंध
1	2019 77	3607	हां
2	2020 85	4159	हां
3	2021 86	4875	हां
4	2022 86	5034	हां
5	2023 89	5265	हां

प्लेसमेंट एजेंसी/ठेकेदारों की वर्षवार सूची **संलग्न प्रपत्र में दी गयी है। (ख)** अनुबंध अनुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्लेसमेंट एजेंसी/ठेकेदारों द्वारा श्रम विभाग से लायसेंस/स्वीकृति ली गई है। प्रश्नांश (क) के उत्तर में श्रमिकों की वर्षवार संख्या दी गयी है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

जिला सहकारी बैंक शाखा जांजगीर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

[सहकारिता]

66. (क्र. 2573) श्री ब्यास कश्यप : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** जिला सहकारी बैंक शाखा जांजगीर के बैंक भवन निर्माण के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई थी ? निर्माण करने का डेडलाइन कब तक था? कितना निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा कितना शेष है? **(ख)** प्रश्नांश(क) में से कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया है ? बैंक भवन वर्तमान में किसके कब्जे में है? **(ग)** प्रश्नांश(क) में से कब तक बैंक शाखा उक्त नवीन भवन में संचालित हो जाएगी ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर शाखा जांजगीर के बैंक भवन निर्माण हेतु बैंक द्वारा रूपये 70.00 लाख की जारी निविदा को 17.99 प्रतिशत आधिक्य दर पर स्वीकार किया गया। निर्माण की डेडलाइन 06 माह थी। भवन वर्तमान में अपूर्ण है तथा विद्युत, पुताई, फ्लोरिंग, दरवाजा, खिडकी आदि का कार्य करना शेष है। **(ख)** बैंक द्वारा राशि रूपये 72.34 लाख का भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में बैंक भवन ठेकेदार के कब्जे में है। **(ग)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर में सन् 2010 से 2015 के बीच हुए भवन निर्माण कार्य में अनियमितता के संबंध में विशेष अंकेक्षण के उपरान्त छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58-ख के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण के निराकरण उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

समयसीमा में धान खरीदी न हो पाने पर कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

67. (क्र. 2574) श्री ब्यास कश्यप : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** दिसंबर, 2023 की स्थिति में जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने किसान हैं, जिनका फौती, नामांतरण नहीं हुआ है, जिनकी लिखित या मौखिक जानकारी प्राप्त है ? **(ख)** प्रश्नांश (क) में से ऐसे कितने किसान हैं, जो धान नहीं बेच पाए हैं? पटवारी हल्कावार, तहसीलवार जानकारी बताएं? **(ग)** प्रश्नांश (क) समय-सीमा के भीतर खरीदी नहीं हो पाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** प्रश्नांश (ख) के अनुसार इन किसानों के धान विक्रय के लिए क्या व्यवस्था की गयी है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** दिसंबर 2023 की स्थिति में जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील जांजगीर चांपा एवं नवागढ़ आता है। तहसील जांजगीर में 13, तहसील चांपा में 05, तहसील नवागढ़ में 0, कुल 18 किसानों का फौती नामांतरण नहीं हुआ है। फौती नामांतरण शेष संबंधी किसी प्रकार की लिखित या मौखिक जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संबंध में तहसील जांजगीर में 13, तहसील चांपा में 05, तहसील नवागढ़ में 0, कुल 18 किसानों के द्वारा वारिसान पंजीयन कराकर धान का विक्रय किया गया है। **जानकारी पटवारी हल्कावार, तहसीलवार संलग्न प्रपत्र अनुसार**

है। (ग) प्रश्नांक (क) के संबंध में समय सीमा के भीतर धान खरीदी होने के कारण जानकारी निरंक है। (घ) किसानों के धान विक्रय वारिसान पंजीयन कराकर किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत उद्योगों की जलकर की बकाया राशि

[जल संसाधन]

68. (क्र. 2596) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में ऐसे कितने उद्योग हैं, जिनकी वर्तमान में जलकर की राशि पटाया जाना शेष है? उद्योगवार जलकर की शेष राशि की जानकारी प्रदान करें? (ख) संबंधित उद्योगों से जलकर वसूली के लिए विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की, जानकारी उपलब्ध करावें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला जांजगीर-चाम्पा के संदर्भ में प्रश्नांश की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) उद्योगों से जलकर राशि की वसूली हेतु संस्थानों को पत्राचार के साथ-साथ समय-समय पर नोटिस इत्यादि जारी किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

कबीरधाम जिले अंतर्गत नगर पंचायत के विकास हेतु स्वीकृत राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

69. (क्र. 2621) श्रीमती भावना बोहरा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कबीरधाम अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में नगर पंचायत के विकास हेतु किस मद से कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है? विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश 'क' में से उल्लेखित विकास कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हैं तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं? नगर पंचायतवार/विकासखण्डवार जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जिला कबीरधाम अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में नगर पंचायत के विकास हेतु मदवार प्रदान की गई राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "ख" के संबंध में विकास कार्यों में से पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की जानकारी नगर पंचायतवार पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
पंरोशेष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 1673) की जानकारी

प्रपत्र

जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसम्बर 2023 तक नलकूप (हैण्डपंप) खनन तथा वर्तमान में प्रारंभ एवं अप्रारंभ की विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी

क्रं	विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	स्थापित हैण्डपंप		स्थापित पावर पंप	
						चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)	चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बम्हनीडीह	कड़ारी	2	2	0	2	0	0	0
2	बम्हनीडीह	करनौद	1	0	1	0	0	0	0
3	बम्हनीडीह	कुम्हारीकला	1	1	0	1	0	0	0
4	बम्हनीडीह	कुम्हारीखुर्द	1	1	0	1	0	0	0
5	बम्हनीडीह	कुरदा	1	1	0	1	0	0	0
6	बम्हनीडीह	खम्हिया	2	2	0	0	0	2	0
7	बम्हनीडीह	गिधोरी	2	2	0	2	0	0	0
8	बम्हनीडीह	चोरहादेवरी	1	1	0	1	0	0	0
9	बम्हनीडीह	झर्रा	1	1	0	1	0	0	0
10	बम्हनीडीह	झीका	1	1	0	0	0	1	0
11	बम्हनीडीह	तालदेवरी	1	1	0	1	0	0	0
12	बम्हनीडीह	दारंग	2	2	0	2	0	0	0
13	बम्हनीडीह	दुरपा	1	1	0	1	0	0	0
14	बम्हनीडीह	देवरानी	1	1	0	1	0	0	0
15	बम्हनीडीह	देवरी	7	6	1	6	0	0	0
16	बम्हनीडीह	नकटीडीह	1	1	0	0	0	1	0
17	बम्हनीडीह	नवागांव	4	4	0	4	0	0	0
18	बम्हनीडीह	पेटफोरवा	1	1	0	0	0	1	0
19	बम्हनीडीह	बम्हनीडीह	2	2	0	2	0	0	0
20	बम्हनीडीह	बिर्रा	1	1	0	1	0	0	0
21	बम्हनीडीह	बोरसी	1	1	0	0	0	1	0
22	बम्हनीडीह	भंवरमाल	2	2	0	1	0	1	0
23	बम्हनीडीह	भंवेरली	1	0	1	0	0	0	0
24	बम्हनीडीह	भागोडीह	1	1	0	1	0	0	0
25	बम्हनीडीह	भुरकाडीह	2	2	0	2	0	0	0
26	बम्हनीडीह	मुडपार	2	2	0	2	0	0	0
27	बम्हनीडीह	मौहाडीह	4	4	0	3	0	1	0
28	बम्हनीडीह	संजयग्राम	2	2	0	2	0	0	0
29	बम्हनीडीह	सरवानी	4	4	0	4	0	0	0
30	बम्हनीडीह	सरहर	3	3	0	2	0	1	0
31	बम्हनीडीह	सारागांव	9	7	2	6	0	1	0
32	बम्हनीडीह	सीलादेही	2	2	0	2	0	0	0
33	बम्हनीडीह	सेमरिया	2	2	0	2	0	0	0
34	बम्हनीडीह	सोंठी	1	1	0	1	0	0	0
35	बम्हनीडीह	सोनईडीह	1	1	0	1	0	0	0
36	बम्हनीडीह	सोनादाह	1	1	0	1	0	0	0
37	बम्हनीडीह	सोनियापाट	1	1	0	1	0	0	0
38	बम्हनीडीह	हथनेवरा	3	3	0	2	0	1	0

Handwritten signature

क्रं	विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	स्थापित हैण्डपंप		स्थापित पावर पंप	
						चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)	चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	नवागढ़	जर्वे	1	1	0	1	0	0	0
40	नवागढ़	अमोदा	2	2	0	2	0	0	0
41	नवागढ़	अमोरा	5	4	1	1	0	3	0
42	नवागढ़	अवरीद	1	1	0	1	0	0	0
43	नवागढ़	उदयभांठा	4	3	1	1	0	2	0
44	नवागढ़	कचंदा	1	1	0	1	0	0	0
45	नवागढ़	कनई	1	1	0	1	0	0	0
46	नवागढ़	कनस्ता	2	2	0	2	0	0	0
47	नवागढ़	कन्हाईबंद	1	1	0	1	0	0	0
48	नवागढ़	करमंदी	1	1	0	1	0	0	0
49	नवागढ़	कामता	2	2	0	2	0	0	0
50	नवागढ़	कुकदा	1	1	0	1	0	0	0
51	नवागढ़	कुटरा	1	1	0	1	0	0	0
52	नवागढ़	कुटराबोड	1	1	0	1	0	0	0
53	नवागढ़	खपराडीह	1	0	1	0	0	0	0
54	नवागढ़	खिसोरा	1	1	0	1	0	0	0
55	नवागढ़	खोखरा	2	2	0	1	0	1	0
56	नवागढ़	गिद्धा	2	2	0	2	0	0	0
57	नवागढ़	गोधना	2	2	0	2	0	0	0
58	नवागढ़	घुटिया	2	1	1	1	0	0	0
59	नवागढ़	चोरभटटी	3	3	0	2	0	1	0
60	नवागढ़	चौराभांट	2	2	0	1	0	1	0
61	नवागढ़	जांजगीर	10	10	0	3	0	7	0
62	नवागढ़	जोबी	1	1	0	1	0	0	0
63	नवागढ़	ठाकुरदिया	1	1	0	1	0	0	0
64	नवागढ़	तुलसी	2	2	0	1	0	1	0
65	नवागढ़	तुस्मा	1	1	0	1	0	0	0
66	नवागढ़	तेंदुभाठा	1	1	0	0	0	1	0
67	नवागढ़	दहिदा	3	3	0	2	0	1	0
68	नवागढ़	दुरपा	1	1	0	1	0	0	0
69	नवागढ़	धनेली	2	2	0	0	0	2	0
70	नवागढ़	धाराशिव	3	3	0	3	0	0	0
71	नवागढ़	धुरकोट	2	2	0	2	0	0	0
72	नवागढ़	नवागढ़	4	4	0	4	0	0	0
73	नवागढ़	नवागांव	1	1	0	1	0	0	0
74	नवागढ़	नवापारा	1	1	0	1	0	0	0
75	नवागढ़	नेगुरडीह	1	0	1	0	0	0	0
76	नवागढ़	नैला	1	1	0	0	0	1	0
77	नवागढ़	पिपरा	2	2	0	2	0	0	0
78	नवागढ़	पुतपुरा	1	1	0	1	0	0	0
79	नवागढ़	पेण्डी	5	4	1	3	0	1	0
80	नवागढ़	पोड़ी	1	1	0	0	0	1	0

क्रं	विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	स्थापित हैण्डपंप		स्थापित पावर पंप	
						चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)	चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	नवागढ़	बनारी	5	5	0	3	0	2	0
82	नवागढ़	बरगाव	1	1	0	0	0	1	0
83	नवागढ़	बरबसपुर	1	1	0	1	0	0	0
84	नवागढ़	बरभाठा	2	2	0	1	0	1	0
85	नवागढ़	बुडेना	1	0	1	0	0	0	0
86	नवागढ़	बोरदा	1	1	0	1	0	0	0
87	नवागढ़	भडेसर	3	3	0	2	0	1	0
88	नवागढ़	भैंसदा	1	1	0	1	0	0	0
89	नवागढ़	भैसमुड़ी	1	1	0	1	0	0	0
90	नवागढ़	मरकाडीह	1	1	0	1	0	0	0
91	नवागढ़	महंत	3	3	0	3	0	0	0
92	नवागढ़	मुड़पार	2	2	0	2	0	0	0
93	नवागढ़	मुनुंद	2	2	0	1	0	1	0
94	नवागढ़	मोहतरा	1	1	0	0	0	1	0
95	नवागढ़	मौहाडीह	1	1	0	1	0	0	0
96	नवागढ़	राछाभाटा	1	1	0	1	0	0	0
97	नवागढ़	रिंगनी	2	2	0	2	0	0	0
98	नवागढ़	शिवरीनारायण	1	0	1	0	0	0	0
99	नवागढ़	सरखों	1	1	0	1	0	0	0
100	नवागढ़	सिवनी	4	4	0	1	0	3	0
101	नवागढ़	सुकली	2	2	0	2	0	0	0
102	नवागढ़	सेद्री	2	2	0	1	0	1	0
103	नवागढ़	सेमरा	1	1	0	1	0	0	0
104	नवागढ़	सेवई	1	1	0	1	0	0	0
105	अकलतरा	अकलतरा	4	3	1	1	0	2	0
106	अकलतरा	अकलतरी	2	2	0	1	0	1	0
107	अकलतरा	अमलीपाली	1	1	0	1	0	0	0
108	अकलतरा	अमोरा	1	1	0	1	0	0	0
109	अकलतरा	अरसमेटा	1	1	0	1	0	0	0
110	अकलतरा	अर्जुनी	1	1	0	1	0	0	0
111	अकलतरा	कटघरी	1	1	0	1	0	0	0
112	अकलतरा	कल्याणपुर	2	1	1	1	0	0	0
113	अकलतरा	कापन	1	1	0	1	0	0	0
114	अकलतरा	कोटगढ़	1	1	0	0	0	1	0
115	अकलतरा	चोरभट्टी	1	1	0	1	0	0	0
116	अकलतरा	झलमला	1	1	0	1	0	0	0
117	अकलतरा	झिरीया	1	1	0	1	0	0	0
118	अकलतरा	तरौद	1	1	0	1	0	0	0
119	अकलतरा	तागा	1	1	0	0	0	1	0
120	अकलतरा	तिलई	3	2	1	1	0	1	0
121	अकलतरा	नरियरा	2	2	0	2	0	0	0
122	अकलतरा	पकरिया	1	1	0	0	0	1	0

क्रं	विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	स्थापित हैंडपंप		स्थापित पावर पंप	
						चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)	चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	अकलतरा	पोड़ीदल्हा	2	1	1	1	0	0	0
124	अकलतरा	पौना	3	1	2	1	0	0	0
125	अकलतरा	फरहदा	1	1	0	1	0	0	0
126	अकलतरा	बनाहिल	2	2	0	2	0	0	0
127	अकलतरा	बरपाली	2	2	0	2	0	0	0
128	अकलतरा	मुड़ुपार	2	2	0	2	0	0	0
129	अकलतरा	सरईगुहान	1	1	0	1	0	0	0
130	अकलतरा	सांकर	1	0	1	0	0	0	0
131	अकलतरा	सोनईडीह	1	1	0	1	0	0	0
132	अकलतरा	हरदी	1	1	0	0	0	1	0
133	बलौदा	अंगारखार	1	1	0	1	0	0	0
134	बलौदा	अचानकपुर	1	1	0	0	0	1	0
135	बलौदा	उदयबंद	2	2	0	1	0	1	0
136	बलौदा	औरईकला	1	1	0	1	0	0	0
137	बलौदा	करमंदा	1	0	1	0	0	0	0
138	बलौदा	करमा	1	1	0	0	0	1	0
139	बलौदा	कुरदा	6	6	0	3	0	3	0
140	बलौदा	कुलीपोटा	3	3	0	3	0	0	0
141	बलौदा	केराकछार	1	1	0	0	0	1	0
142	बलौदा	कोसमंदा	1	1	0	1	0	0	0
143	बलौदा	कोहा	1	1	0	1	0	0	0
144	बलौदा	खिसोरा	1	1	0	0	0	1	0
145	बलौदा	जर्व ब	6	6	0	4	0	2	0
146	बलौदा	जाटा	3	3	0	2	0	1	0
147	बलौदा	जावलपुर	1	1	0	0	0	1	0
148	बलौदा	झपेली	1	1	0	1	0	0	0
149	बलौदा	झींतापाली	1	1	0	1	0	0	0
150	बलौदा	डोंगरी	5	4	1	2	0	2	0
151	बलौदा	तेन्दुभाठा	1	1	0	1	0	0	0
152	बलौदा	नवगंवा	1	1	0	0	0	1	0
153	बलौदा	नवागांव	1	1	0	1	0	0	0
154	बलौदा	पंतोरा	2	2	0	1	0	1	0
155	बलौदा	पनोरा	1	1	0	1	0	0	0
156	बलौदा	पुरेना	3	3	0	2	0	1	0
157	बलौदा	पौछ	2	2	0	2	0	0	0
158	बलौदा	बक्सरा	1	1	0	1	0	0	0
159	बलौदा	बगडबरी	3	3	0	3	0	0	0
160	बलौदा	बरभाठा	1	1	0	0	0	1	0
161	बलौदा	बहेराडीह	2	2	0	1	0	1	0
162	बलौदा	बालपुर	2	2	0	0	0	2	0
163	बलौदा	बिरगहनी	1	1	0	1	0	0	0
164	बलौदा	भिलाई	1	1	0	1	0	0	0

क्रं	विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	स्थापित हैण्डपंप		स्थापित पावर पंप	
						चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)	चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	बलौदा	मडवा	4	4	0	1	0	3	0
166	बलौदा	महुदा च	3	3	0	2	0	1	0
167	बलौदा	महुदा-ब0	1	1	0	1	0	0	0
168	बलौदा	रसौटा	1	1	0	1	0	0	0
169	बलौदा	लच्छनपुर	2	2	0	1	0	1	0
170	बलौदा	सोनबरसा	2	2	0	2	0	0	0
171	बलौदा	हरदी	1	1	0	1	0	0	0
172	पामगढ़	केसला	1	1	0	0	0	1	0
173	पामगढ़	कोड़ाभांठ	2	1	1	1	0	0	0
174	पामगढ़	कोसीर	1	1	0	0	0	1	0
175	पामगढ़	कोहका	3	3	0	1	0	2	0
176	पामगढ़	खपरीटांड	1	1	0	1	0	0	0
177	पामगढ़	खरौद	4	4	0	3	0	1	0
178	पामगढ़	चंडीपारा	2	2	0	2	0	0	0
179	पामगढ़	झूलन	1	1	0	1	0	0	0
180	पामगढ़	डूडगा	1	1	0	0	0	1	0
181	पामगढ़	डोंगाकोहरौद	1	1	0	1	0	0	0
182	पामगढ़	तनौद	1	1	0	1	0	0	0
183	पामगढ़	धनगांव	1	1	0	1	0	0	0
184	पामगढ़	नंदेली	2	2	0	2	0	0	0
185	पामगढ़	पकरिया	1	1	0	1	0	0	0
186	पामगढ़	पनगांव	1	1	0	1	0	0	0
187	पामगढ़	पामगढ़	4	4	0	3	0	1	0
188	पामगढ़	बारगांव	1	1	0	0	0	1	0
189	पामगढ़	बोरसी	1	1	0	1	0	0	0
190	पामगढ़	भदरा	1	1	0	0	0	1	0
191	पामगढ़	भिलौनी	2	2	0	2	0	0	0
192	पामगढ़	भुईगांव	2	2	0	1	0	1	0
193	पामगढ़	भैंसो	3	3	0	2	0	1	0
194	पामगढ़	मुडपार च	1	1	0	1	0	0	0
195	पामगढ़	मुलमुला	2	2	0	1	0	1	0
196	पामगढ़	मेऊभांठा	1	1	0	1	0	0	0
197	पामगढ़	मेकरी	1	1	0	1	0	0	0
198	पामगढ़	मेहंदी	3	3	0	3	0	0	0
199	पामगढ़	रसौटा	4	4	0	1	0	3	0
200	पामगढ़	रोजनडीह	1	1	0	1	0	0	0
201	पामगढ़	लगरा	2	2	0	2	0	0	0
202	पामगढ़	लोहसी	2	2	0	2	0	0	0
203	पामगढ़	व्यासनगर	1	1	0	1	0	0	0
204	पामगढ़	ससहा	4	4	0	3	0	1	0
205	पामगढ़	सेमरिया	1	0	1	0	0	0	0
206	पामगढ़	हिरी	7	7	0	7	0	0	0


क्रं	विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	स्थापित हैण्डपंप		स्थापित पावर पंप	
						चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)	चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207	सक्ती	हरदा	1	1	0	0	0	1	0
208	सक्ती	अमलडीहा	1	1	0	1	0	0	0
209	सक्ती	आमादरहा	1	1	0	0	0	1	0
210	सक्ती	उपकाचुआं	2	2	0	2	0	0	0
211	सक्ती	ऋषभतीर्थ	1	1	0	1	0	0	0
212	सक्ती	किरारी	1	1	0	0	0	1	0
213	सक्ती	केसला	1	1	0	1	0	0	0
214	सक्ती	गुडवा	3	3	0	3	0	0	0
215	सक्ती	घुडचुवा	2	2	0	2	0	0	0
216	सक्ती	चमरवाह	1	1	0	1	0	0	0
217	सक्ती	चारपारा	1	1	0	1	0	0	0
218	सक्ती	चिस्टा	1	1	0	1	0	0	0
219	सक्ती	जिल्लाडीह	1	1	0	1	0	0	0
220	सक्ती	जुडगा	1	1	0	0	0	1	0
221	सक्ती	जोबा	1	1	0	0	0	1	0
222	सक्ती	टेमर	1	1	0	1	0	0	0
223	सक्ती	डुमरपारा	3	3	0	2	0	1	0
224	सक्ती	डोगिया	1	1	0	0	0	1	0
225	सक्ती	डोइकी	1	1	0	1	0	0	0
226	सक्ती	तेन्दुटोहा	1	1	0	0	0	1	0
227	सक्ती	नंदेलीभाठा	2	2	0	0	0	2	0
228	सक्ती	नंदौरकला	1	1	0	1	0	0	0
229	सक्ती	नन्दौरखुर्द	1	1	0	0	0	1	0
230	सक्ती	नवागांव	1	1	0	0	0	1	0
231	सक्ती	नवाडीह	1	1	0	1	0	0	0
232	सक्ती	परसदा कला	2	2	0	2	0	0	0
233	सक्ती	परसदाखुर्द	1	0	1	0	0	0	0
234	सक्ती	पलाडी	1	1	0	1	0	0	0
235	सक्ती	पलाडीकला	1	1	0	1	0	0	0
236	सक्ती	पलाडीखुर्द	2	2	0	1	0	1	0
237	सक्ती	पोरथा	1	1	0	1	0	0	0
238	सक्ती	बरपालीकला	2	2	0	1	0	1	0
239	सक्ती	बाराद्वार	7	7	0	5	0	2	0
240	सक्ती	बैलाचुवा	1	1	0	1	0	0	0
241	सक्ती	बोरदा	2	2	0	2	0	0	0
242	सक्ती	मल्दी	1	1	0	1	0	0	0
243	सक्ती	मसनियाकला	1	1	0	0	0	1	0
244	सक्ती	रेडा	2	2	0	1	0	1	0
245	सक्ती	रेनखोल	6	6	0	5	0	1	0
246	सक्ती	लंहगा	1	1	0	1	0	0	0
247	सक्ती	सकरेली खुर्द	1	1	0	1	0	0	0
248	सक्ती	सकरेली-ब	3	3	0	2	0	1	0

क्रं	विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	स्थापित हैण्डपंप		स्थापित पावर पंप	
						चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)	चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249	सक्ती	सक्ती	5	5	0	3	0	2	0
250	सक्ती	सरवानी ब	1	1	0	0	0	1	0
251	सक्ती	सरवानी स	1	1	0	1	0	0	0
252	सक्ती	सौंठी	1	1	0	1	0	0	0
253	सक्ती	सोनगुड़ा	1	1	0	1	0	0	0
254	सक्ती	हरदा	1	1	0	1	0	0	0
255	जैजैपुर	अरसिया	1	1	0	1	0	0	0
256	जैजैपुर	आमगांव	3	3	0	2	0	1	0
257	जैजैपुर	कंचदा	1	1	0	1	0	0	0
258	जैजैपुर	करमनडीह	2	2	0	1	0	1	0
259	जैजैपुर	करीवाडीह	1	1	0	1	0	0	0
260	जैजैपुर	कांशीगढ़	2	2	0	2	0	0	0
261	जैजैपुर	किकिरदा	1	1	0	1	0	0	0
262	जैजैपुर	कुटराबोड़	3	3	0	2	0	1	0
263	जैजैपुर	केकराभाठ	1	1	0	1	0	0	0
264	जैजैपुर	कैथा	1	1	0	1	0	0	0
265	जैजैपुर	कोसमपाली	2	2	0	2	0	0	0
266	जैजैपुर	खम्हरिया	1	1	0	1	0	0	0
267	जैजैपुर	खैरझिटी	2	2	0	2	0	0	0
268	जैजैपुर	गाड़ामोड़	2	1	1	1	0	0	0
269	जैजैपुर	गुचकुलिया	2	2	0	2	0	0	0
270	जैजैपुर	गुड़ियाबोड़	2	2	0	2	0	0	0
271	जैजैपुर	गुडरूकला	2	2	0	2	0	0	0
272	जैजैपुर	चिखलरौदा	1	1	0	1	0	0	0
273	जैजैपुर	चिस्ता	2	2	0	2	0	0	0
274	जैजैपुर	चोरभट्टी	2	2	0	2	0	0	0
275	जैजैपुर	जमडी	2	1	1	1	0	0	0
276	जैजैपुर	जर्व	1	1	0	1	0	0	0
277	जैजैपुर	जैजैपुर	2	1	1	1	0	0	0
278	जैजैपुर	झालरौंघा	2	2	0	2	0	0	0
279	जैजैपुर	झिराडीह	1	1	0	0	0	1	0
280	जैजैपुर	ठठारी	2	2	0	2	0	0	0
281	जैजैपुर	ठुठी	1	1	0	1	0	0	0
282	जैजैपुर	तांदुलडीह	1	0	1	0	0	0	0
283	जैजैपुर	तुषार	3	3	0	2	0	1	0
284	जैजैपुर	देवरघटा	2	2	0	2	0	0	0
285	जैजैपुर	देवरीमठ	2	2	0	2	0	0	0
286	जैजैपुर	नंदेली	1	1	0	1	0	0	0
287	जैजैपुर	परसदा	4	4	0	1	0	3	0
288	जैजैपुर	पिसौद	2	2	0	2	0	0	0
289	जैजैपुर	पेण्डी	1	1	0	1	0	0	0
290	जैजैपुर	बरदुली	2	2	0	2	0	0	0

क्रं	विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	स्थापित हैण्डपंप		स्थापित पावर पंप	
						चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)	चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
291	जैजैपुर	बरेकेलखुर्द	1	1	0	1	0	0	0
292	जैजैपुर	बावनबुडी	1	1	0	0	0	1	0
293	जैजैपुर	बेलकर्की	1	1	0	1	0	0	0
294	जैजैपुर	बेलादुला	1	1	0	1	0	0	0
295	जैजैपुर	बैहागुडरू	1	1	0	1	0	0	0
296	जैजैपुर	बोडसरा	1	1	0	1	0	0	0
297	जैजैपुर	भनेतरा	1	1	0	1	0	0	0
298	जैजैपुर	भातमाहुल	1	1	0	1	0	0	0
299	जैजैपुर	भोथिया	1	1	0	1	0	0	0
300	जैजैपुर	मुक्ता	1	1	0	1	0	0	0
301	जैजैपुर	रायपुरा	1	1	0	1	0	0	0
302	जैजैपुर	रिवाडीह	1	1	0	1	0	0	0
303	जैजैपुर	लालमाटी	1	1	0	1	0	0	0
304	जैजैपुर	सलनी	2	2	0	2	0	0	0
305	जैजैपुर	सेन्दुरस	4	4	0	4	0	0	0
306	जैजैपुर	हरदी	1	1	0	1	0	0	0
307	जैजैपुर	हसैद	6	5	1	5	0	0	0
308	डभरा	अकोलजमोरा	1	1	0	0	0	1	0
309	डभरा	अडभार	2	2	0	2	0	0	0
310	डभरा	ओडेकेरा	1	1	0	0	0	1	0
311	डभरा	कटेकोनी	1	1	0	1	0	0	0
312	डभरा	कटेकोनी बड़े	1	1	0	0	0	1	0
313	डभरा	कबारीपाली	1	0	1	0	0	0	0
314	डभरा	कवली	1	1	0	1	0	0	0
315	डभरा	कांसा	1	1	0	1	0	0	0
316	डभरा	कुसमुल	1	1	0	1	0	0	0
317	डभरा	कुसुमझर	2	2	0	2	0	0	0
318	डभरा	कोमो	2	2	0	2	0	0	0
319	डभरा	कौड़िया	1	1	0	1	0	0	0
320	डभरा	खुरघटी	1	1	0	1	0	0	0
321	डभरा	खैरमुडा	1	1	0	0	0	1	0
322	डभरा	खोंधर	2	2	0	1	0	1	0
323	डभरा	गिरगिरा	1	1	0	1	0	0	0
324	डभरा	गोपालपुर	1	1	0	1	0	0	0
325	डभरा	गोविंदपुर	1	1	0	1	0	0	0
326	डभरा	चुरतेली	1	1	0	0	0	1	0
327	डभरा	चुराघटा	1	1	0	1	0	0	0
328	डभरा	छवारीपाली	1	1	0	1	0	0	0
329	डभरा	इनकपुर	1	1	0	1	0	0	0
330	डभरा	दुंडी	1	1	0	0	0	1	0
331	डभरा	ठनगन	1	1	0	1	0	0	0
332	डभरा	ठाकुरपाली	1	1	0	1	0	0	0

क्रं	विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	स्थापित हैण्डपंप		स्थापित पावर पंप	
						चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)	चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
333	डभरा	डुमरपाली	1	1	0	1	0	0	0
334	डभरा	डोमनपुर	2	2	0	2	0	0	0
335	डभरा	तेन्दुमुडी	2	2	0	2	0	0	0
336	डभरा	दर्री	1	1	0	1	0	0	0
337	डभरा	देवरघटा	1	1	0	1	0	0	0
338	डभरा	नवापारा (ड)	1	1	0	1	0	0	0
339	डभरा	निमोही	2	2	0	2	0	0	0
340	डभरा	पुजेरीपाली	2	2	0	1	0	1	0
341	डभरा	पुटीडीह	2	2	0	2	0	0	0
342	डभरा	बरभाठा	1	1	0	1	0	0	0
343	डभरा	बारापीपर	1	1	0	1	0	0	0
344	डभरा	बिलाईगढ़	1	1	0	1	0	0	0
345	डभरा	बोरसी	2	2	0	2	0	0	0
346	डभरा	भजपुर	1	1	0	1	0	0	0
347	डभरा	मड़वा	2	0	2	0	0	0	0
348	डभरा	मुक्ता	1	1	0	1	0	0	0
349	डभरा	राधापुर	1	1	0	0	0	1	0
350	डभरा	सपोस	4	3	1	3	0	0	0
351	डभरा	साराडीह	1	1	0	0	0	1	0
352	डभरा	सिरियागढ़	1	1	0	0	0	1	0
353	डभरा	सुखदा	2	2	0	2	0	0	0
354	डभरा	सेमराडीह	2	1	1	1	0	0	0
355	डभरा	हरदीडीह	1	1	0	1	0	0	0
356	मालखरौदा	अंडा	1	1	0	1	0	0	0
357	मालखरौदा	अचरितपाली	1	1	0	1	0	0	0
358	मालखरौदा	अमलीडीह	1	1	0	1	0	0	0
359	मालखरौदा	आडिल	1	1	0	1	0	0	0
360	मालखरौदा	आमनदुला	2	2	0	1	0	1	0
361	मालखरौदा	औरदा	1	1	0	1	0	0	0
362	मालखरौदा	कटारी	8	6	2	0	0	6	0
363	मालखरौदा	करीगांव	3	3	0	2	0	1	0
364	मालखरौदा	कलमी	1	1	0	0	0	1	0
365	मालखरौदा	किरारी	1	1	0	1	0	0	0
366	मालखरौदा	कुधरी	1	1	0	0	0	1	0
367	मालखरौदा	कुरदा	1	1	0	0	0	1	0
368	मालखरौदा	कुलबा	1	1	0	1	0	0	0
369	मालखरौदा	खरताल	1	1	0	1	0	0	0
370	मालखरौदा	घोघरी	2	2	0	1	0	1	0
371	मालखरौदा	चरौदी	3	3	0	3	0	0	0
372	मालखरौदा	चारपारा	1	1	0	1	0	0	0
373	मालखरौदा	चिखली	1	1	0	1	0	0	0
374	मालखरौदा	छतौना	1	1	0	1	0	0	0

क्रं	विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	स्थापित हैण्डपंप		स्थापित पावर पंप	
						चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)	चालू (प्रारंभ)	बंद (अप्रारंभ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
375	मालखरौदा	छपोरा	3	2	1	2	0	0	0
376	मालखरौदा	छोटेकोट	1	1	0	0	0	1	0
377	मालखरौदा	छोटेसीपत	1	1	0	1	0	0	0
378	मालखरौदा	जमगहन	5	5	0	4	0	1	0
379	मालखरौदा	जोबीडीपा	1	1	0	1	0	0	0
380	मालखरौदा	टाटा	1	1	0	1	0	0	0
381	मालखरौदा	डोंगरीडीह	1	1	0	1	0	0	0
382	मालखरौदा	दर्राभांठा	1	0	1	0	0	0	0
383	मालखरौदा	नगझर	2	2	0	2	0	0	0
384	मालखरौदा	नवागांव	1	1	0	1	0	0	0
385	मालखरौदा	नौरंगपुर	1	1	0	1	0	0	0
386	मालखरौदा	परसा	1	1	0	1	0	0	0
387	मालखरौदा	पिहरीद	4	4	0	1	0	3	0
388	मालखरौदा	पोता	1	1	0	0	0	1	0
389	मालखरौदा	फगुरम	3	3	0	3	0	0	0
390	मालखरौदा	बंजारी	1	1	0	1	0	0	0
391	मालखरौदा	बंदोरा	2	2	0	2	0	0	0
392	मालखरौदा	बंसतपुर	1	1	0	1	0	0	0
393	मालखरौदा	बडे सीपत	3	3	0	3	0	0	0
394	मालखरौदा	बडेकोट	2	2	0	2	0	0	0
395	मालखरौदा	बडेमुडपार	1	1	0	1	0	0	0
396	मालखरौदा	बुंदेली	1	1	0	1	0	0	0
397	मालखरौदा	बोडासागर	1	1	0	1	0	0	0
398	मालखरौदा	भांटा	2	2	0	2	0	0	0
399	मालखरौदा	मालखरौदा	2	2	0	1	0	1	0
400	मालखरौदा	माहुलदीप	2	2	0	2	0	0	0
401	मालखरौदा	मुक्ता	2	2	0	2	0	0	0
402	मालखरौदा	मौहदीकला	1	1	0	1	0	0	0
403	मालखरौदा	मोहतरा	1	1	0	0	0	1	0
404	मालखरौदा	लालमाटी	1	1	0	1	0	0	0
405	मालखरौदा	सकरा	1	1	0	1	0	0	0
406	मालखरौदा	सपिया	1	1	0	1	0	0	0
407	मालखरौदा	सारसडोल	2	2	0	2	0	0	0
408	मालखरौदा	सिंघरा	2	0	2	0	0	0	0
		योग:-	700	659	41	501	0	158	0


अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 2535) की जानकारी


प्रपत्र-अ

क्र.	वन्यप्राणी का नाम	मृत्यु दिनांक	लिंग	आयु	संख्या	आकस्मिक मृत्यु का कारण
1	2	3	4	5	6	7
सफारी क्षेत्र						
1	काला हिरण	31.01.2023	नर	11 yr	1	सभी अंगों का काम करना बंद
2	काला हिरण	17.02.2023	मादा	05 yr	1	निमोनिया
3	काला हिरण	28.02.2023	नर	03 yr	1	पेट फूलना
4	काला हिरण	09.03.2023	नर	12 yr	1	वृद्धावस्था
5	काला हिरण	10.03.2023	मादा	04 yr	1	निमोनिया
6	शाही	13.03.2023	नर	07 yr	1	आपसी लड़ाई
7	मगरमच्छ	13.03.2023	मादा	15 yr	1	आपसी लड़ाई, संक्रमण
8	काला हिरण	16.03.2023	नर	05 yr	1	आपसी लड़ाई
9	सियार शावक	15.03.2023	नर	2.5 month	1	संक्रमण
10	काला हिरण	26.03.2023	मादा	08 yr	1	सभी अंगों का काम करना बंद
11	काला हिरण	10.05.2023	नर	08 yr	1	वृद्धावस्था
12	काला हिरण	20.07.2023	मादा	09 yr	1	वृद्धावस्था
13	तेन्दुआ शावक	11.07.2023	मादा	-	1	सभी अंगों का काम करना बंद
14	काला हिरण	23.07.2023	नर	07 yr	1	फैक्चर व शॉक
15	सांभर	28.07.2023	मादा	02 yr	1	पेट आंत का संक्रमण
16	नीलगाय	30.07.2023	मादा	1.5 yr	1	श्वसन में कठिनाई
17	नीलगाय	31.07.2023	मादा	1.5 yr	1	पेट आंत का संक्रमण
18	नीलगाय	01.08.2023	मादा	06 yr	1	कमजोरी, सभी अंग काम करना बंद
19	नीलगाय	02.08.2023	नर	06 yr	1	आपसी लड़ाई
20	नीलगाय	02.08.2023	नर	2.5 yr	1	निमोनिया
21	नीलगाय	02.08.2023	नर	2.5 yr	1	निमोनिया
22	नीलगाय	02.08.2023	मादा	2 yr	1	कमजोरी, सभी अंग काम करना बंद
23	नीलगाय	03.08.2023	मादा	2 yr	1	निमोनिया
24	नीलगाय	04.08.2023	मादा	5 yr	1	सभी अंगों का काम करना बंद
25	नीलगाय	11.08.2023	नर	8 yr	1	आपसी लड़ाई
26	नीलगाय	24.08.2023	मादा	11 yr	1	वृद्धावस्था
27	सिंह	02.09.2023	नर	11.4 yr	1	वृद्धावस्था
28	उदबिलाव (ओटर)	08.11.2023	नर	7 yr	1	संक्रमण, सभी अंगों का काम करना बंद
29	काला हिरण	17.11.2023	मादा	8 yr	1	सभी अंगों का काम करना बंद
30	काला हिरण	20.11.2023	मादा	7 yr	1	वृद्धावस्था
31	नीलगाय	13.12.2023	मादा	1 month	1	डॉग बाइट संक्रमण
32	काला हिरण	17.12.2023	नर	10 yr	1	वृद्धावस्था
33	लकड़बग्घा	25.12.2023	नर	3 yr	1	संक्रमण
34	चौसिंगा	30.12.2023	नर	1.1/2 yr	1	निमोनिया

क्र.	वन्यप्राणी का नाम	मृत्यु दिनांक	लिंग	आयु	संख्या	आकस्मिक मृत्यु का कारण
1	2	3	4	5	6	7
35	काला हिरण	02.01.2024	नर	9 yr	1	वृद्धावस्था
36	लकड़ बघ्घा	09.01.2024	मादा	2 yr	1	सभी अंगों का काम करना बंद
37	चीतल	11.01.2024	नर	5 yr	1	सभी अंगों का काम करना बंद
38	चीतल	17.01.2024	मादा	8 yr	1	निमोनिया, संक्रमण
39	मीरकेट (ई.03)	17.01.2024	नर	1.5 yr	1	शौक
40	मीरकेट (ई.03)	17.01.2024	मादा	2 yr	1	शौक
41	चीतल	20.01.2024	नर	7 month	1	संक्रमण
42	लंगूर	24.01.2024	मादा	2.5 yr	1	संक्रमण, फैंक्चर
43	काला हिरण	27.01.2024	नर	10 yr	1	निमोनिया
44	काला हिरण	27.01.2024	नर	12 yr	1	वृद्धावस्था
सफारी क्षेत्र योग					44	
जू क्षेत्र						
1	चिकारा	02.02.2023	नर	1 yr	1	फ्रेक्चर
2	दरियाई घोड़ा	10.02.2023	मादा	2.5 yr	1	आपसी संघर्ष
3	मगरमच्छ	13.03.2023	मादा	15 yr	1	आपसी संघर्ष
4	मगरमच्छ	27.03.2023	मादा	17 yr	1	आपसी संघर्ष
5	चिकारा	02.04.2023	मादा	1.5 yr	1	हृदयघात एवं श्वसन में कठिनाई
6	सांभर	30.04.2023	नर	5 yr	1	सभी अंगों का काम करना बंद, संक्रमण
7	लकड़बघा	05.08.2023	मादा	13 yr	1	वृद्धावस्था (सामान्य मृत्यु)
8	चौंसिघा	25.11.2023	मादा	6 m	1	अतितीव्र संक्रमण
9	चौंसिघा	25.11.2023	मादा	2 yr	1	अतितीव्र संक्रमण
10	चौंसिघा	25.11.2023	मादा	2 yr	1	अतितीव्र संक्रमण
11	चौंसिघा	25.11.2023	मादा	2.5 yr	1	अतितीव्र संक्रमण
12	चौंसिघा	25.11.2023	नर	3.5 yr	1	अतितीव्र संक्रमण
13	चौंसिघा	26.11.2023	मादा	1 yr	1	अतितीव्र संक्रमण
14	चौंसिघा	26.11.2023	मादा	2 yr	1	अतितीव्र संक्रमण
15	चौंसिघा	26.11.2023	मादा	6 m	1	अतितीव्र संक्रमण
16	चौंसिघा	27.11.2023	मादा	1.5 yr	1	अतितीव्र संक्रमण
17	चौंसिघा	27.11.2023	नर	2 m	1	अतितीव्र संक्रमण
18	चौंसिघा	27.11.2023	नर	3 m	1	अतितीव्र संक्रमण
19	चौंसिघा	27.11.2023	मादा	8 m	1	अतितीव्र संक्रमण
20	चौंसिघा	27.11.2023	मादा	4 m	1	अतितीव्र संक्रमण
21	चौंसिघा	28.11.2023	नर	1.5 yr	1	अतितीव्र संक्रमण
22	चौंसिघा	28.11.2023	मादा	3 yr	1	अतितीव्र संक्रमण
23	नीलगाय	28.11.2023	नर	4 yr	1	अतितीव्र संक्रमण
24	नीलगाय	28.11.2023	नर	3 yr	1	अतितीव्र संक्रमण
25	चौंसिघा	29.11.2023	मादा	2.5 yr	1	अतितीव्र संक्रमण
26	चौंसिघा	29.11.2023	नर	3 yr	1	अतितीव्र संक्रमण
27	नीलगाय	01.12.2023	मादा	3 yr	1	प्रसव में कठिनाई

क्र.	वन्यप्राणी का नाम	मृत्यु दिनांक	लिंग	आयु	संख्या	आकस्मिक मृत्यु का कारण
1	2	3	4	5	6	7
28	कोटरी	06.12.2023	मादा	6 m	1	शीतज्वर के कारण
29	नीलगाय	20.12.2023	मादा	1.5 yr	1	संक्रमण
30	नीलगाय	19.01.2024	नर	6 yr	1	अफरा
जू क्षेत्र योग					30	
सफारी एवं जू क्षेत्र योग					74	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
छ.ग., अटल नगर, नवा रायपुर


अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
क्षेत्रीय, नवा रायपुर, अटल नगर


प्रपत्र-ब

क्र.	अस्वस्थ वन्यप्राणी का नाम	अस्वस्थ दिनांक	अवस्थ होने की प्रथम जानकारी कब और किसको हुई	वन्यजीवों को क्यों नहीं बचाया जा सका	चिकित्सा से किन-किन औषधियों का उपयोग हुआ	प्रथम दृष्टि में कौन-कौन उत्तरदायी है	कौन कौन वन्यजीव चिकित्सक पदस्थ है।
1	2	3	4	5	6	7	8
सफारी क्षेत्र							
1	सियार शावक	13-03-2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	संक्रमण	दर्द निवारक, भूखवर्धक दवाई, गैस निवारक	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
2	तेन्दुआ शावक	29-06-2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	सभी अंगों का काम करना बंद	घाव में आईटमेंश अल्कोलेशन एंटीबायोटिक, दर्द निवारक, मल्टी विटामिन	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
3	नीलगाय	01-06-2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	आपसी लड़ाई	एंटीबायोटिक, एनालजेटिक, एंटी एलजिक, जीवन रक्षक औषधी, आई.बी. फ्लूट थैरेपी, त्वचा में कट का सिलाई करना	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
4	सिंह	21-08-2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	वृद्धावस्था	एंटीबायोटिक, एनालजेटिक, एंटी एलजिक, जीवन रक्षक औषधी, आई.बी. फ्लूट, आई.आर. लाइट से सेकाई	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
5	उदबिलाव (ओटर)	07-11-2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	संक्रमण, सभी अंगों का काम करना बंद	एंटीबायोटिक, एनालजेटिक, एंटी एलजिक, मल्टी विटामिन, जीवन रक्षक औषधी,	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
6	नीलगाय	11-12-2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	डोंग बाईट संक्रमण	घाव का ड्रेसिंग, एंटी रेबीज, इजेक्सन, एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक

क्र.	अस्वस्थ वन्यप्राणी का नाम	अस्वस्थ्य दिनांक	अवस्थ होने की प्रथम जानकारी कब और किसको हुई	वन्यजीवों को क्यों नहीं बचाया जा सका	चिकित्सा में किन-किन औषधियों का उपयोग हुआ	प्रथम दृष्टि में कौन-कौन उत्तरदायी है	कौन कौन वन्यजीव चिकित्सक पदस्थ है।
1	2	3	4	5	6	7	8
7	लकडबध्दा	17-12-2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	संक्रमण	दर्द निवारक, मल्टी विटामिन, नवाइन औषधि	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
8	लकड बध्दा	04-01-2024	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	सभी अंगों का काम करना बंद	एंटी बायोटिक, एंटी एलर्जिक, बर्नहिल क्रीम, आई.वी. पलूड, जीवन रक्षक औषधि	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
9	चौतल	19-01-2024	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	संक्रमण	घाव का उपचार दर्द निवारक औषधि	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
10	लगूर	18-01-2024	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	संक्रमण, फेंक्वर	दर्द निवारक औषधि, एंटी बायोटिक, एंटी एलर्जिक	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
जू क्षेत्र							
1	चिकारा	29.01.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	फ्रेंक्वर	एक्स-रे फेंक्वर पाया गया, दर्द निवारक, आई आर, लाईट से सेफाई जीवन रक्षक औषधि	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
2	सांभर	23.04.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	सभी अंगों का काम करना बंद, संक्रमण	एन्टीबायोटिक, दर्द निवारक मल्टीविटामिन	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
3	लकडबध्दा	31.07.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	वृद्धावस्था (सामान्य मृत्यु)	एन्टीबायोटिक, दर्द निवारक मल्टीविटामिन जीवन रक्षक	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक

क्र.	अस्वस्थ वन्यप्राणी का नाम	अस्वस्थ दिनांक	अवस्थ होने की प्रथम जानकारी कब और किसको हुई	वन्यजीवों को क्यों नहीं बताया जा सका	चिकित्सा में किन-किन औषधियों का उपयोग हुआ	प्रथम दृष्टि में कौन-कौन उत्तरदायी है	कौन कौन वन्यजीव चिकित्सक पदस्थ है।
1	2	3	4	5	6	7	8
11	चौंसिघा	25.11.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	अतितीव्र संक्रमण	एन्टीबायोटिक, दर्द निवारक मल्टीविटामिन जीवन रक्षक	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
12	चौंसिघा	25.11.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	अतितीव्र संक्रमण	एन्टीबायोटिक, विटामिन सी. फ़ीड स्लीमेंट	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
13	चौंसिघा	25.11.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	अतितीव्र संक्रमण	एन्टीबायोटिक, विटामिन सी. फ़ीड स्लीमेंट	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
14	चौंसिघा	25.11.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	अतितीव्र संक्रमण	एन्टीबायोटिक, विटामिन सी. फ़ीड स्लीमेंट	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
15	चौंसिघा	25.11.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	अतितीव्र संक्रमण	एन्टीबायोटिक, विटामिन सी. फ़ीड स्लीमेंट	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
16	चौंसिघा	25.11.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	अतितीव्र संक्रमण	एन्टीबायोटिक, विटामिन सी. फ़ीड स्लीमेंट	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
17	चौंसिघा	25.11.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	अतितीव्र संक्रमण	एन्टीबायोटिक, विटामिन सी. फ़ीड स्लीमेंट	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक


क्र.	अस्वस्थ वन्यप्राणी का नाम	अस्वस्थ दिनांक	अवस्थ होने की प्रथम जानकारी कब और किसको हुई	वन्यजीवों को क्यों नहीं बचाया जा सका	चिकित्सा में किन-किन औषधियों का उपयोग हुआ	प्रथम दृष्टि में कौन-कौन उत्तरदायी है	कौन कौन वन्यजीव चिकित्सक पदस्थ है।
1	2	3	4	5	6	7	8
18	चौंसिघा	25.11.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	अतितीव्र संक्रमण	एन्टीबायोटिक जीवन रक्षक एंटीप्लाज्मॉक पलूड थ्रैपो	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
19	नीलगाय	16.11.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	अतितीव्र संक्रमण	दर्द निवारक औषधि घाव का उपचार	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
20	नीलगाय	25.11.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	अतितीव्र संक्रमण	एन्टीबायोटिक जीवन दर्द निवारक	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
21	चौंसिघा	25.11.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	अतितीव्र संक्रमण	एन्टीबायोटिक जीवन रक्षक एंटीप्लाज्मॉक पलूड थ्रैपो	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
22	चौंसिघा	25.11.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	अतितीव्र संक्रमण	एन्टीबायोटिक, फीड स्लीमेंट विटामिन सी.	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक
23	नीलगाय	19.12.2023	क्राल कीपर्स-सहा. प्रमारी, सहा. प्रमारी-स्थल प्रमारी, स्थलप्रमारी-परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी-पशु चिकित्सा अधिकारी	संक्रमण	एन्टीबायोटिक, एंटीप्लाज्मॉक, दर्द निवारक, गैस निवारक, मल्टी विटामिन	-	1. डॉ. राकेश वर्मा, वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी 2. डॉ. सोनम मिश्रा, (संविदा) पशु चिकित्सक


अनुपम अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बनारस, नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेठ - तीन
तारांकैत प्रश्न संख्या 8 (क्र. 2543) की जानकारी

“प्रपत्र”

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	प्रस्तावित मिनी स्टेडियम के ग्राम का नाम
1	पंडरिया	1. परसवारा
		2. पेण्डीखुर्द
		3. पाण्डातराई
2	सहसपुर लोहारा	1. रणजीतपुर
		2. गौर माटी


अनुभाग अधिकारी
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर. (छ.ग.)

पारिशद - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 2531) की जानकारी

प्रपत्र - अ

(निजी भूमि के सागौन वृक्षों की कटाई, परिवहन, भुगतान आदि में अनियमितता के प्रकरण)
(वर्ष 2022-23 से दिनांक 12/02/2024 तक)

वित्तीय वर्ष	वनमंडल	कटाई से संबंधित अनियमितता के प्रकरणों का विवरण	परिवहन से संबंधित अनियमितता के प्रकरणों का विवरण	क्रय/विक्रय से संबंधित अनियमितता के प्रकरणों का विवरण	भुगतान से संबंधित अनियमितता के प्रकरणों का विवरण	प्राप्त शिकायत जांच पश्चात् उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	दोषी अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2014-15	खैरागढ़	निरक	निरक	निरक	मालिक मकबूजा के 01 प्रकरण में लिपिकीय त्रुटिवश भूमि स्वामी को राशि रु. 88825.00 का अधिक भुगतान हुआ था, प्रकरण संज्ञान में आते ही उक्त राशि शासकीय कोष में जमा करने बाबत सूचना पत्र जारी किये गये, संबंधित भूमि स्वामी द्वारा चालान के माध्यम से शासकीय कोष में खजाना दाखिली कराई गई है।	1. श्री दिलीप कुमार राजपूत, सहा. ग्रेड-2, तत्का. राजस्व शाखा प्रभारी, वनमंडल कार्यालय खैरागढ़ 2. श्री एम.एल. लहरे, मुख्य लिपिक, वनमंडल, कार्यालय खैरागढ़	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा प्रकरण में संलग्नाधिकारी, वृत्त कार्यालय दुर्ग से जॉच कराई जाकर कथित तौर पर अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप कर्मचारी हय की 01-01 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरोधिक की गई है एव आरोप पत्र जारी किये जाने के उपरांत उनके विरुद्ध विभागीय जॉच संस्थित की जाकर वनमंडल अधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
2015-16					निरक		
2016-17					मालिक मकबूजा के 07 प्रकरणों में लिपिकीय त्रुटिवश भूमि स्वामियों को राशि रु. 136759.00 का अधिक भुगतान हुआ था, प्रकरण संज्ञान में आते ही उक्त राशि शासकीय कोष में जमा करने बाबत सूचना पत्र जारी किये गये, संबंधित भूमि स्वामियों द्वारा चालान के माध्यम से शासकीय कोष में खजाना दाखिली कराई गई है।		

वित्तीय वर्ष	वनमंडल	कटाई से संबंधित अनियमितता के प्रकरणों का विवरण	परिवहन से संबंधित अनियमितता के प्रकरणों का विवरण	क्रय/विक्रय से संबंधित अनियमितता के प्रकरणों का विवरण	भुगतान से संबंधित अनियमितता के प्रकरणों का विवरण	प्राप्त शिकायत जांच पश्चात् उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम	दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2017-18	--	--	--	--	मालिक मकबूजा के 23 प्रकरणों में लिपिकीय त्रुटिवश भूमि स्वामियों को राशि रु. 707385.00 का अधिक भुगतान हुआ था, प्रकरण संज्ञान में आते ही उक्त राशि शासकीय कोष में जमा करने बाबत सूचना पत्र जारी किये गये, संबंधित भूमि स्वामियों द्वारा चालान के माध्यम से शासकीय कोष में खजाना दाखिली कराई गई है।	--	--
2018-19					मालिक मकबूजा के 41 प्रकरणों में लिपिकीय त्रुटिवश भूमि स्वामियों को राशि रु. 1807677.00 का अधिक भुगतान हुआ था, प्रकरण संज्ञान में आते ही उक्त राशि शासकीय कोष में जमा करने बाबत सूचना पत्र जारी किये गये, संबंधित भूमि स्वामियों द्वारा चालान के माध्यम से शासकीय कोष में खजाना दाखिली कराई गई है।		
2019-20					मालिक मकबूजा के 04 प्रकरणों में लिपिकीय त्रुटिवश भूमि स्वामियों को राशि रु. 186293.00 का अधिक भुगतान हुआ था, प्रकरण संज्ञान में आते ही उक्त राशि शासकीय कोष में जमा करने बाबत सूचना पत्र जारी किये गये, संबंधित भूमि स्वामियों द्वारा चालान के माध्यम से शासकीय कोष में खजाना दाखिली कराई गई है।		
2020-21	--				निरंक		
2021-22					निरंक		

वित्तीय वर्ष	वनमंडल	कटाई से संबंधित अनियमितता के प्रकरणों का विवरण	परिवहन से संबंधित अनियमितता के प्रकरणों का विवरण	क्रय/विक्रय से संबंधित अनियमितता के प्रकरणों का विवरण	भुगतान से संबंधित अनियमितता के प्रकरणों का विवरण	प्राप्त शिकायत जांच पश्चात् उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम	दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2022-23	कवर्धा				निरंक		
	दुर्ग				निरंक		
	बालोद				निरंक		
	राजनांदगाँव				निरंक		
	मोहला				निरंक		
	खैरागढ़				निरंक		
	कवर्धा				निरंक		
	दुर्ग				निरंक		
	बालोद				निरंक		
	राजनांदगाँव				निरंक		
2023-24 (दिनांक 12.02.2024 की स्थिति में)	मोहला				निरंक		
	खैरागढ़				निरंक		


 उपस्थित अधिकारी
 वन एवं जलसंसाधन परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, नया दिल्ली, अटल नगर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
 छत्तीसगढ़

(निजी भूमि के सागौन वृक्षों की कटाई, परिवहन, भुगतान आदि में अनियमितता के प्रकरण)
(वर्ष 2022-23 से दिनांक 12/02/2024 तक)

वित्तीय वर्ष	वनमंडल	अधिक भुगतान से संबंधित प्रकरण	अधिक भुगतान से शसन को आर्थिक क्षति की राशि (रु. में)	क्या आर्थिक क्षति की वसूली ब्याज सहित की जावनी (हां/ना)	आर्थिक क्षति की वसूली राशि (रु. में)	वसूली की तिथि	विलंब के लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम	आरोप पत्र जारी करने की तिथि	यदि आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है तो कब तक जारी किया जावेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014-15	खैरागढ़	श्री हरजिन्दर आ. मालकसिंह खोलारघाट	88825	ना	88825	17/08/2023	अंतर की राशि अधिक भुगतान होने संबंधी उपरोक्त प्रकरण	-	-
2015-16	खैरागढ़	श्रीमती बैसाखिन बाई पि. सुखराम गातापार	Nil	Nil	Nil	Nil	संज्ञान में आते ही अतिलंब कार्यवाही की गई है। विलंब के लिये कोई उत्तरदायी नहीं है।	-	-
2016-17	खैरागढ़	श्री मुकेश आ. मोहनलाल कलार बरनालाकला	14372	ना	14372	09/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री विरेन्द्र आ. चुन्नीलाल सोनी बरनालाकला	15943	ना	15943	14/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री शिवलाल आ. सोनऊ गोंड सहसपुर	19388	ना	19388	14/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री अंकालू आ. विशाल कतिया मगरकुंड	9838	ना	9838	10/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री नागेश आ. मंशाराम जाति महार धौराभाटा	62879	ना	62879	10/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री अंकालू आ. विशाल कतिया मगरकुंड	3178	ना	3178	10/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री जसपाल आ. भाग सिंह सिख राउरकसा	11161	ना	11161	10/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्रीमती सरनजीत कौर/लखवीर मुरारपानी	10114	ना	10114	11/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्रीमती सरनजीत कौर/लखवीर बोरतलाब	19240	ना	19240	14/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री प्रेमलाल आ. सुखराम सिन्हा बरनालाकला	54472	ना	54472	14/08/2023		-	-
2017-18	खैरागढ़	श्री शिवलाल आ. सोनऊ गोंड गातापार	13967	ना	13967	14/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री गोतम आ. फेरू गोंड गाजाघाट	20655	ना	20655	10/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री राजेन्द्र आ. डेलू गोंड चंगुर्दा	20891	ना	20891	14/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री राजेन्द्र आ. डेलू गोंड चंगुर्दा	7903	ना	7903	14/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री हरजिन्दर आ. मालकसिंह खोलारघाट	41832	ना	41832	17/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्रीमती शांतिबाई आ. बंशीलाल कंवर शैलपार	34744	ना	34744	11/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्रीमती करीमन बी बेवा उमर खान राउरकसा	5631	ना	5631	11/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्रीमती कमलाप्रीत आ. अनीतपाल मुरारपानी	49230	ना	49230	14/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री रवनीत आ. गुरमीत सिंह मुरारपानी	2243	ना	2243	17/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री लक्ष्मीनाथ आ. तुलसीराम गोंड कोहकट्टोला	4249	ना	4249	11/08/2023		-	-

वित्तीय वर्ष	वर्ग	अधिक मुग्तान से संबंधित प्रकरण	अधिक मुग्तान से शान को आर्थिक क्षति की राशि (रु. में)	क्या आर्थिक क्षति की वसूली ब्याज सहित की जावेगी (हां/ना)	आर्थिक क्षति की वसूली राशि (रु. में)	वसूली की तिथि	विलंब के लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम	आरोप पत्र जारी करने की तिथि	यदि आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है तो कब तक जारी किया जावेगा
2017-18	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	खैरागढ़	धरमीनबाई जी. तुलसीराम गौड़ कोहकट्टोला	41245	ना	41245	11/08/2023	अंतर की राशि अधिक भुगतान होने संबंधी उपरोक्त प्रकरण संज्ञान में आते ही अविनाश कार्यवाही की गई है। विलंब के लिये कोई उत्तरदायी नहीं है।	9	10
	खैरागढ़	श्री खोरबाहरा आ. अंकलहू गौड़ बरनाराखुर्द	61575	ना	61575	18/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री जीत सिंह आ. बिसम्बर गौड़ मुरमुदा	126969	ना	126969	11/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री बुधरू आ. तिजऊ कौहापानी	51881	ना	51881	11/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री कुंअरसिंह आ. तुलसी गौड़ कोहकट्टोला	54458	ना	54458	18/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री हरजिन्दर आ. मालकसिंह खोलारघाट	28367	ना	28367	17/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री मानिक आ. झलू टेठवार लिमउटोला	11431	ना	11431	14/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री असीमराय आ. पी.राय बांस पहाड़	30490	ना	30490	14/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री टीकम आ. चिन्ताराम वर्मा पदमावतीपुर	13182	ना	13182	10/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री शंकर आ. डोमारसिंह राजपूत गातापारकला	2616	ना	2616	10/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्रीमती धरमीनबाई कोहकट्टोला	68698	ना	68698	11/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री रामबिलास गौड़ खोलारघाट	73248	ना	73248	14/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री विष्णु लोधी गाड़ाडीह	66962	ना	66962	18/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री चंदन सिंह राजपूत गातापार	56084	ना	56084	18/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री भागवती लोधी गातापार	37217	ना	37217	10/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री प्रीतपाल लोधी गाड़ाडीह	39901	ना	39901	09/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्रीमती रामबाई गातापारनाका	10594	ना	10594	10/08/2023		-	-
खैरागढ़	श्री शत्रुहन लोधी गातापार	815	ना	815	09/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्री होलासिंग कोहलाकसा	17488	ना	17488	10/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्री रवनीत सिंह मुरारपानी	75306	ना	75306	17/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्रीमती कमलप्रीत कौर मुरारपानी	14592	ना	14592	14/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्रीमती सरनजीत कौर बोरतलाव	23139	ना	23139	14/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्रीमती सरनजीत कौर मुरारपानी	92632	ना	92632	18/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्री इसनू महार घोटिया	92411	ना	92411	11/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्री सूरज गौड़ करेलागढ़	12130	ना	12130	09/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्री परऊ गौड़ करेलागढ़	17148	ना	17148	21/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्री तिस्थि गौड़ करेलागढ़	12727	ना	12727	09/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्री डूमरलाल, प्यारेलाल कवर बासपहाड़	52394	ना	52394	14/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्री दुलारसिंग गौड़ उदरीछापर	26259	ना	26259	11/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्रीमती कलाबाई गौड़ उदरीछापर	4040	ना	4040	11/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्री पुसु गौड़ उदरीछापर	30924	ना	30924	11/08/2023		-	-	
खैरागढ़	श्री दिलीप गौड़ उदरीछापर	22058	ना	22058	11/08/2023		-	-	
2018-19									

वित्तीय वर्ष	वनमंडल	अधिक भुगतान से संबंधित प्रकरण	अधिक भुगतान से शसन को अधिक क्षति की राशि (रु. में)	क्या आर्थिक क्षति की वसूली ब्याज सहित की जावेगी (हां/ना)	आर्थिक क्षति की वसूली राशि (रु. में)	वसूली की तिथि	विलंब के लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम	आरोप पत्र जारी करने की तिथि	यदि आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है तो कब तक जारी किया जावेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018-19	खैरागढ़	श्री तुलुसाम गौड़ मागीखुटा	24032	ना	24032	11/08/2023	अंतर की राशि अधिक भुगतान होने संबंधी उपरोक्त प्रकरण संज्ञान में आते ही अविनाश कार्याही की गई है। विलंब के लिये कोई उत्तरदायी नहीं है।	-	-
	खैरागढ़	श्री सदीप सिंह खोलारघाट	18130	ना	18130	14/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री कंवरसिंग गौड़ कोहकट्टाटोला	55008	ना	55008	18/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री लक्ष्मीनाथ गौड़ कोहकट्टाटोला	30420	ना	30420	11/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्रीमती धरणीनबाई कोहकट्टाटोला	38000	ना	38000	11/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री विनय गिरपुजे मगरकुंड	60370	ना	30000	16/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री ओमप्रकाश गडरिया कुटलीकला	71248	ना	30370	17/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री समयलाल लोधी ढारा	12067	ना	49000	16/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री कुमार गौड़ करेलागढ़	63748	ना	22248	17/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री बैसाखु गौड़ करेलागढ़	5430	ना	12067	14/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री भगतसाम उइके बरनाराकला	74945	ना	30000	17/08/2023		-	-
	खैरागढ़	श्री गणपत गौड़ बरनारा खुर्द	7640	ना	33748	18/08/2023		-	-
2019-20	खैरागढ़	श्री सूरजलाल लोधी सलोनी	3829	ना	5430	14/08/2023	-	-	-
	खैरागढ़	श्री अशोक गौड़ करेलागढ़	168505	ना	74945	14/08/2023	-	-	-
	खैरागढ़	श्री टीकम वर्मा, पदमावतीपुर	13182	ना	7640	17/08/2023	-	-	-
	खैरागढ़	श्री देवेन्द्र वर्मा, पीटपानी	16290	ना	3829	11/08/2023	-	-	-
	खैरागढ़	श्री कमलप्रतीत कौर मुरारपानी	117582	ना	49000	11/08/2023	-	-	-
	खैरागढ़	श्री दविन्दर सिंग, खोलारघाट	6968	ना	49000	16/08/2023	-	-	-
	खैरागढ़	श्री रवनीत सिंग, मुरारपानी	173516	ना	21505	17/08/2023	-	-	-
	खैरागढ़	श्रीमती गंगाबाई कौहापानी	8539	ना	13182	21/08/2023	-	-	-
	खैरागढ़	श्रीमती रजोला ठाकुर कन्हारगाव	19402	ना	16290	11/08/2023	-	-	-
	खैरागढ़	श्रीमती रजोला ठाकुर कन्हारगाव	25821	ना	117582	14/08/2023	-	-	-
	खैरागढ़	श्रीमती सरनजीत कौर मुरारपानी	132531	ना	6968	17/08/2023	-	-	-
	योग			2926939		2926939			

नित्तीय वर्ष	वनमंडल	अधिक भुगतान से संबंधित प्रकरण	अधिक भुगतान से शासन को आर्थिक क्षति की राशि (रु. में)	क्या आर्थिक क्षति की वसूली ब्याज सहित की जावेगी (हां/ना)	आर्थिक क्षति की वसूली राशि (रु. में)	वसूली की तिथि	विलंब के लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम	आरोप पत्र जारी करने की तिथि	यदि आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है तो कब तक जारी किया जावेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020-21	खैरागढ़				निरंक				
2021-22	खैरागढ़				निरंक				
	कवर्धा				निरंक				
	दुर्ग				निरंक				
	बालोद				निरंक				
	राजनांदगाँव				निरंक				
	मोहला				निरंक				
	खैरागढ़				निरंक				
	कवर्धा				निरंक				
	दुर्ग				निरंक				
	बालोद				निरंक				
	राजनांदगाँव				निरंक				
	मोहला				निरंक				
	खैरागढ़				निरंक				
2023-24 (दिनांक 12.02.2024 की स्थिति में)									



अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नया शयपुर, अटल नगर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

पॉरिशेट - पाँच

तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2555) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क्र	पदनाम	श्रेणी	रिक्त पद
1	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	तृतीय	20
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय	3
3	राजस्व निरीक्षक	तृतीय	176
4	मानचित्रकार	तृतीय	35
5	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	1
6	संगणक (सांख्यिकी)	तृतीय	7
7	पटवारी	तृतीय	1064
8	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	तृतीय	53
9	अनुरेखक	तृतीय	84
10	सहायक ग्रेड-3	तृतीय	85
11	स्टेनो टायपिस्ट	तृतीय	5
12	वाहन चालक	तृतीय	2
योग			1535

चतुर्थ श्रेणी

क्र	पदनाम	श्रेणी	रिक्त पद
1	भृत्य	चतुर्थ	85
2	चैनमेन	चतुर्थ	294
योग			379

प्रपत्र "ब"

क्र	पदनाम	वर्ष	पदों की संख्या
1	सहायक अधीक्षक	2019	19
		2021	10
2	पटवारी	2019	250
		2022	301

परीशेष - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 2366) की जानकारी


प्रपत्र

विषय :- संजारी बालोद विधानसभा अंतर्गत पुरानी एवं जर्जर सड़को के किये गये मरम्मत कार्य।

स. क्र	वर्ष	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	एजेंसी का नाम
1		2	3	4
पंच वर्क सुधार				
1	2020-21	कंवर-गगोरीपार- बासीन-भोथली मार्ग लं. 7.20 कि.मी. में बी.टी. पंच रिपेयर का कार्य।	2.15	मे. सेवासिंह ओबरोय एण्ड कंपनी "अ" वर्ग टेकदार दुर्ग
2	2020-21	गुरुर रेस्ट हाऊस पहुँच मार्ग लं. 0.15 कि.मी. में बी.टी. पंच रिपेयर का कार्य।	1.78	
3	2020-21	पेंवरो बोड़रा मार्ग कि.मी. $1/6$ से $3/8 = 2.40$ कि.मी. में बी.टी. पंच रिपेयर का कार्य।	10.09	
4	2020-21	चंदनबिरही पहुँच मार्ग $1/4$ से $2/8 = 1.60$ कि.मी. में बी.टी. पंच रिपेयर का कार्य।	1.81	
5	2020-21	पेंण्डरवानी पहुँच मार्ग $1/8, 1/10 = 0.40$ कि.मी. में बी.टी. पंच रिपेयर का कार्य।	1.34	
6	2020-21	अकलवारा पहुँच मार्ग लं. $1/2, 1/6, 1/8 = 0.60$ कि.मी. में बी.टी. पंच का कार्य।	0.86	

अनुमान अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर


स. क्र	वर्ष	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	एजेंसी का नाम
1		2	3	4
7	2020-21	दुर्ग-गुण्डरदेही- बालोद मार्ग लं. 52 से 54 = 3.00 कि.मी. में बी.टी. पेंच स्पियर का कार्य।	16.62	मे. सेवासिंह ओबरोय एण्ड कंपनी "अ" वर्ग टेकेदार दुर्ग
8	2020-21	उमरादाह-निपानी मार्ग लं. 1 से 11 = 11.00 कि.मी. में बी.टी. पेंच स्पियर का कार्य।	0.59	
9	2020-21	हल्दी निपानी मार्ग कि.मी. 4/8 से 4/10 = 0.40 कि.मी. में बी.टी. का कार्य।	0.80	
10	2020-21	सोमनी-अर्जुन्दा-बालोद मार्ग लं. 4.20 कि.मी. में बी.टी. पेंच स्पियर का कार्य।	3.00	मे. सेवासिंह ओबरोय एण्ड कंपनी "अ" वर्ग टेकेदार दुर्ग
11	2020-21	जगन्नाथपुर दरबारी नवागांव डेंगरापर मार्ग लं. 5.80 कि.मी. में बी.टी. पेंच स्पियर का कार्य।	4.50	
12	2020-21	जगन्नाथपुर परसदा दरबारी नवागांव मार्ग लं. 5.85 कि.मी. में बी.टी. पेंच स्पियर का कार्य।	4.50	
13	2020-21	आदमाबाद घोटिया डौण्डी मार्ग कि.मी. 1 से 12 = 12.00 कि.मी. में बी.टी. पेंच स्पियर का कार्य।	17.84	मे. सेवासिंह ओबरोय एण्ड कंपनी "अ" वर्ग टेकेदार दुर्ग


अनुभाग अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

स. क्र	वर्ष	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	एजेंसी का नाम
1		2	3	4
14	2020-21	सेम्हरकोना से साल्हेटोला मार्ग लं. $1/2$ से $2/8 = 1.80$ कि.मी.	7.91	मे. सेवासिंह ओबरोय एण्ड कंपनी
15	2020-21	देवारभाट से सेम्हरकोना मार्ग लं. 3.80 कि.मी.	9.93	"अ" वर्ग ठेकेदार दुर्ग
16	2020-21	कंवर-देवकोट मार्ग कि.मी. 1.00 कि.मी. में बी.टी. पेंच रिपेयर का कार्य।	1.57	मे. बच्ची देवी मिश्रा
17	2020-21	पेंवरो बोड़ा मार्ग कि.मी. 3.00 कि.मी. में बी.टी. पेंच रिपेयर का कार्य।	5.39	"ब" वर्ग ठेकेदार दल्लीराजहरा
18	2020-21	खुंदनी-डबारी मार्ग कि.मी. 2.40 कि.मी. में बी.टी. पेंच रिपेयर का कार्य।	3.11	
19	2020-21	चिरचारी पहुंच मार्ग कि.मी. $1/2$ से $2/2 = 1.20$ कि.मी. में बी.टी. पेंच रिपेयर का कार्य।	1.10	
20	2020-21	सुरा-भानपुरी मार्ग कि.मी. 1.60 कि.मी. में बी.टी. पेंच रिपेयर का कार्य।	1.60	
21	2020-21	आदमाबाद घोटिया जौंडी कि.मी. 11 से 12 = 2.00 कि.मी. में बी.टी. पेंच रिपेयर का कार्य	3.12	
22	2020-21	लोहारा-बालोद मार्ग लं. 12 से 19/10 = 7.90 कि.मी. में बी.टी. पेंच रिपेयर का कार्य।	8.00	मे. सेवासिंह ओबरोय एण्ड कंपनी
		योग :- 22 कार्य	107.61	"अ" वर्ग ठेकेदार दुर्ग

अनुभाग अधिकारी
मार्ग विभाग
भारत, रायपुर, रायपुर


स. क्र	वर्ष	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	एजेंसी का नाम
1		2	3	4
नवीनीकरण कार्य				
1	2020-21	निपानी से तमोरा मार्ग के कि.मी. 1 से 3 = 3.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य।	78.63	मे. सीमा बिल्डकॉन "बी" वर्ग टेकेदार भिलाई (दुर्ग)
		योग :- 01 कार्य	78.63	
		योग वर्ष (2020-21) :- 23 कार्य	186.24	
पंच वर्क सुधार				
1	2021-22	दुर्ग गुण्डरदेही बालोद मार्ग कि.मी. 46 = 1.00 कि.मी.	1.00	मे. सीमा बिल्डकॉन
2	2021-22	देवारभाट से सेम्हरकोना मार्ग लं. 3.80 कि.मी.	2.99	"बी" वर्ग टेकेदार
3	2021-22	आदमाबाद घोटिया झोण्डी मार्ग कि.मी. 1 से 17/4 = 16.40 कि.मी.	8.00	भिलाई
4	2021-22	जमरुवा से साल्हेटोला मार्ग लं. 2.10 कि.मी.	2.00	
5	2021-22	हरठेमा मालगाँव मड़वापथरा मार्ग लं. 6.20 कि.मी.	6.98	
6	2021-22	खुदनी से डढारी मार्ग लं. 1 से 3/2-4 = 2.40 कि.मी.	1.00	
7	2021-22	कवर से देवकोट मार्ग लं. 1.00 कि.मी.	1.00	
8	2021-22	ठेकवाडीह से दुपचेरा मार्ग लं. 1.00 कि.मी.	1.00	


 जयश्याम अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 पंचालय, जल नगर, रायपुर

स. क्र	वर्ष	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	एजेंसी का नाम
1		2	3	4
9	2021-22	दुर्ग गुण्डरदेही बालोद मार्ग कि.मी. 46 से 49 = 4.00 कि.मी.	46.40	मे. सीमा बिल्डकॉन "बी" वर्ग टेकेदार भिलाई
10	2021-22	लोहारा-बालोद मुख्य जिला मार्ग कि.मी. 12/2 से 20/4 = 8.40 कि.मी.	15.15	मे. नाकोडा कंस्ट्रक्शन "अ" वर्ग टेकेदार दल्लीराजहरा
11	2021-22	बालोद-पड़कीभाट बायपास मार्ग लं. 6.00 कि.मी.	17.34	मे. सेवासिंह ओबेराय एण्ड कम्पनी "अ" वर्ग टेकेदार दुर्ग
12	2021-22	जमरुवा से सेम्हकोना साल्हेटोला मार्ग कि.मी. 1 से 4/8 = 3.80 कि.मी.	5.57	
13	2021-22	उमरावाह से निपानी मार्ग कि.मी. 1 से 12 = 12.00 कि.मी.	5.89	
		योग :- 13 कार्य	114.32	-
नवीनीकरण कार्य				
1	2021-22	कोंहगाटोला मनौद मार्ग लं. 1.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	13.32	मे. सेवासिंह ओबेराय एंड कम्पनी 'अ' वर्ग टेकेदार दुर्ग
2	2021-22	खैरा से दरबारी नवांगांव मार्ग लं. 1.60 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	23.23	



 वायुगाव अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 जयपुर, जयपुर नगर, जयपुर

स. क्र	वर्ष	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	एजेंसी का नाम
1		2	3	4
3	2021-22	नेवारीकला-देवीनवागांव अरौद मार्ग कि.मी. $1/6$ से $3/2 = 1.70$ कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	14.86	जय कंस्ट्रक्शन 'ब' वर्ग ठेकेदार
4	2021-22	हल्दी निपानी मार्ग कि.मी. 4 से $6/2 = 2.20$ कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	28.02	कुरुद (जामुल) दुर्ग
5	2021-22	लोण्डी-पोण्डी-बोड़की मार्ग कि.मी. $1/6$ से $2/8 = 1.40$ कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	12.99	जय कंस्ट्रक्शन 'ब' वर्ग ठेकेदार
6	2021-22	खपरी-लोण्डी-बिरेतरा मार्ग लं. 4.60 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	39.69	कुरुद (जामुल) दुर्ग
		योग :- 06 कार्य	132.11	-
		योग वर्ष (2021-22) :- 19 कार्य	246.43	
पंच वर्क सुधार				
1	2022-23	कलेक्टोरेट पहुँच मार्ग लं. 1 से $2/6 = 1.60$ कि.मी.	2.27	म. सेवासिंह
2	2022-23	सेम्हरकोना से साल्हे मार्ग लं. 1 से $2/6 = 1.60$ कि.मी.	1.13	ओबेराय एंड कंपनी 'अ' वर्ग ठेकेदार दुर्ग
3	2022-23	भानपुरी से सुरा मार्ग लं. $2/2$ से $2/4 = 0.40$ कि.मी.	0.25	
4	2022-23	अमोरा से अर्जुनी मार्ग लं. $1/2 = 0.20$ कि.मी.	0.18	
5	2022-23	लाण्डी पोण्डी बोड़की कि.मी. मार्ग लं. $1/2$ से $1/4$ $2/10$ से $3/4 = 1.00$ कि.मी.	2.50	
6	2022-23	नेवारीकला देवीनवागाँव अरौद मार्ग लं. $1/4 = 0.20$ कि.मी.	0.66	
7	2022-23	बोरी पसौद मार्ग लं. $1/2$ से $2/2$ कि.मी. = 1.20 कि.मी.	8.62	


 अनुभाग अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, अजमेर नगर, रायपुर

स. क्र	वर्ष	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	एजेंसी का नाम
1		2	3	4
8	2022-23	पोण्डी मटिया मार्ग लं. $1/2 = 0.20$ कि.मी.	0.62	मे. सेवासिंह ओबेराय एंड कंपनी 'अ' वर्ग ठेकेदार दुर्ग
9	2022-23	पड़कीभाट पोण्डी मार्ग लं. $1/2$ से $5/4 = 4.40$ कि.मी.	19.84	मे. नाकोड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी "अ" वर्ग ठेकेदार दल्लीराजहरा
10	2022-23	लोहारा बालोद मार्ग के कि.मी. 1 से $19/10 = 18.90$ कि.मी.	24.16	मे. शंकर लाल गुप्ता "अ" वर्ग ठेकेदार जगदलपुर
11	2022-23	बालोद पड़कीभाट बायपास मार्ग लं. 6.00 कि.मी.	18.64	मे. सेवासिंह ओबेराय एंड कंपनी 'अ' वर्ग ठेकेदार दुर्ग
12	2022-23	सोमनी अर्जुन्दा बालोद मार्ग के कि.मी. 46 से $50/2 = 4.20$ कि.मी.	5.03	मे. सेवासिंह ओबेराय एंड कंपनी 'अ' वर्ग ठेकेदार दुर्ग
13	2022-23	अमोरा से अर्जुनी मार्ग लं. 1.00 कि.मी.	3.45	मे. सेवासिंह ओबेराय एंड कंपनी 'अ' वर्ग ठेकेदार दुर्ग
14	2022-23	लोण्डी पोण्डी बोड़की मार्ग लं. 1.00 कि.मी.	8.42	मे. सेवासिंह ओबेराय एंड कंपनी 'अ' वर्ग ठेकेदार दुर्ग
15	2022-23	हरठेमा-मालगांव-मड़वापथरा मार्ग लं. $1/2$ से $5/10 = 5.00$ कि.मी.	0.25	मे. सेवासिंह ओबेराय एंड कंपनी 'अ' वर्ग ठेकेदार दुर्ग
16	2022-23	कलेक्टोरेट पहुँच मार्ग लं. 1.00 कि.मी.	0.03	मे. सेवासिंह ओबेराय एंड कंपनी 'अ' वर्ग ठेकेदार दुर्ग
17	2022-23	रमतारा भानपुरी मार्ग का निर्माण लं. 1.00 कि.मी.	5.56	मे. सेवासिंह ओबेराय एंड कंपनी 'अ' वर्ग ठेकेदार दुर्ग

स. क्र	वर्ष	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	एजेंसी का नाम
1		2	3	4
18	2022-23	पड़कीभाट बायपास मार्ग लं. 6.00 कि.मी.	20.00	में सेवासिंह ओबेराय एण्ड कम्पनी "अ" वर्ग ठेकेदार दुर्ग
		योग :- 18 कार्य	121.61	-
नवीनीकरण कार्य				
1	2022-23	अकलवारा पहुँच मार्ग लं. 1.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य।	12.69	में सेवासिंह ओबेराय एण्ड कम्पनी "अ" वर्ग ठेकेदार दुर्ग
2	2022-23	तमोरा से सतमरा मार्ग लं. 0.80 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य।	10.15	
3	2022-23	लोण्डी-पोण्डी-बोड़की मार्ग लं. कि.मी. $1/2$ से $1/4$ एवं $2/4$ से $3/4$ = 1.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य।	12.69	विकास कंस्ट्रक्शन "सी" वर्ग ठेकेदार राजनांदगांव
4	2022-23	नेवारीकला देवीनवागाँव अरौद मार्ग कि.मी. $1/2$ से $1/6$ = 0.50 कि.मी. में मजबुतीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	6.35	


अनुष्ठा अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

स. क्र	वर्ष	मार्ग का नाम	लागत राशि (लाख में)	एजेंसी का नाम
1		2	3	4
5	2022-23	बालोद बायपास मार्ग (पारसास से पड़कीभाट मार्ग) कि.मी. 3 से 4 = 2.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य	59.20	में सेवासिंह ओबेराय एण्ड कम्पनी "अ" वर्ग ठेकेदार दुर्ग
6	2022-23	बालोद बायपास मार्ग (पारसास से पड़कीभाट मार्ग) कि.मी. 5 से 6 = 2.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य	42.45	
7	2022-23	डेंगरापार-धुमका मार्ग लं. 1.80 कि.मी. एवं डेंगरापार बनगौव मार्ग लं. 0.80 कि.मी कुल लंबाई 2.60 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य	30.00	
		योग :- 07 कार्य	173.53	-
		योग वर्ष (2022-23) :- 25 कार्य	295.14	

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

मुख्य अभियंता (यो.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)


परोक्ष - सात
तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1551) की जानकारी
प्रपत्र -अ

प्रदेश के सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था (किसान राईस मिल) की बंद होने का वर्ष, कारण तथा परिसंपत्तियों की दिनांक 25 जनवरी 2024 की स्थिति में जानकारी

क्र	जिला	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था (किसान राईस मिल) का नाम	चालू/बंद की स्थिति			परिसम्पत्तियां
			चालू/बंद	बंद होने का वर्ष एवं कारण		
				वर्ष	कारण	
1	बस्तर	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था जगदलपुर	बंद	2018-19	विगत वर्षों से मिल प्लांट की मशीन खराब होने के कारण	21.38 लाख रु.
2	कोण्डागांव	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था कोण्डागांव	बंद	2006	मशीन खराब होने तथा निविदा बुलाये जाने पर निजी व्यक्तियों द्वारा किराये पर नहीं लिया गया।	417.76 लाख रु.
3	सरगुजा	विपणन सहकारी समिति मर्या. अंबिकापुर	बंद	1993	संस्था के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होने के कारण	2500.00 लाख रु.
4	जांजगीर-चांपा	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था जांजगीर	चालू	-	-	123.91 लाख रु.
5	रायगढ़	प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्या. खरसिया	बंद	2000-01	मशीनरी कलपुर्ज जर्जर	195 लाख रु. (अनुमानित)
6	सारंगढ़ बिलाईगढ़	किसान सहकारी राईस मिल एवं सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्या. भटगांव	बंद	2007	पुराना होने से पार्ट्स नहीं मिल रहा	मिल का एरिया 7.5 करोड़, बैंक भवन प्लॉट 3 करोड़
7	जी.पी. एम	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्या. (किसान राईस मिल) पेण्ड्रा रोड़	बंद	1991-92	जर्जर	164.72 लाख रु
8	मुंगेली	दि मुंगेली सहकारी विपण संस्था मर्या. (किसान राईस मिल) मुंगेली	बंद	1986	पुराने मॉडल होने के कारण	कार्यालय भवन एवं गोदाम की परिसम्पत्ति 15.71 लाख रु. एवं किसान राईस मिल एवं गोदाम की सम्पत्ति 36.99 लाख रु.
9	मुंगेली	सहकारी विपणन संस्था मर्या. किसान राईस मिल लोरमी	बंद	2016	जर्जर एवं कंडम स्थिति में	भवन एवं गोदाम व दुकान की परिसंपत्ति 50 लाख रु.
10	मुंगेली	सहकारी विपणन संस्था मर्या. (किसान राईस मिल) सरगांव	चालू	-	-	गोदाम भवन 82.22 लाख रु., दुकान (10)- 9.14 लाख रु., राईस मिल-1.18 लाख रु, भूमि (6 एकड़)-75.50 लाख रु.
11	बिलासपुर	विपणन सहकारी समिति बिलासपुर	बंद	1986-87	जर्जर	610.24 लाख रु.
12		विपणन सहकारी समिति कोटा	बंद	1986-87	जर्जर	69.03 लाख रु.
13		विपणन सहकारी समिति जयरामनगर	बंद	1986-87	जर्जर	56.51 लाख रु.
14		विपणन सहकारी समिति तखतपुर	बंद	1986-87	जर्जर	12.18 लाख रु.
15	रायपुर	विपणन संस्था अभनपुर	बंद	2008	मिल का जर्जर होना।	28.91 लाख रु.
16		विपणन संस्था तिल्दा	बंद	2015	मिल का जर्जर होना।	20.4 लाख रु.
17		विपणन संस्था आरंग	बंद	1988	मिल का जर्जर होना।	46.18 लाख रु.

क्र	जिला	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था (किसान राईस मिल) का नाम	चालू/बंद की स्थिति			परिसम्पत्तियां
			चालू/ बंद	बंद होने का वर्ष एवं कारण		
				वर्ष	कारण	
18	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार विकासखंड सहकारी विपणन (मार्के.) संस्था मर्या. बलौदाबाजार	बंद	2017-18	विपणन सहकारी समितियों से प्राप्त जानकारी अनुसार किसान राईस मिल का निर्माण लगभग 1961-62 में किया गया। उक्त मिलों में उपयोग किये जाने वाले मशीनें अत्यंत पुराने एवं जिर्ण-शीर्ण होने के कारण मरम्मत अधिक होने अथवा मशीनों का समान नहीं मिलने के कारण बंद है।	243.09 लाख रु.
19		उत्तम विपणन सहकारी संस्था समिति किसान राईस मिल भाटापारा	बंद	2017-18		33.87 लाख रु.
20		सुभाष विपणन सहकारी संस्था मर्या. पलारी	बंद	2016-17		102.16 लाख रु.
21		सिमगा विकासखंड सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्या. सिमगा	बंद	1990-90		14.39 लाख रु.
22		उत्तम विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. कसडोल	बंद	2017-18		88.51 लाख रु.
23	महासमुन्द	किसान को-ऑपरेटिव्ह राईस मिल एण्ड मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड महासमुन्द	बंद	1990-91	स्वयं के पूंजी के अभाव में	549.5 लाख रु.
24		अरूणोदाय सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्या० बागबाहरा	बंद	2010-11	राईस मिल है जो कि वर्ष 1965-66 में स्थापित की गई है। अत्यधिक पुरानी मशीनें जो कि अनुपयोगी व जर्जर स्थिति में आ चुकी हैं एवं समिति की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण भी मिल बन्द पड़ी है	314.5 लाख रु.
25		कोड़िया विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या० पिथौरा	चालू	-	-	4966.00 लाख रु.
26		बसना सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्या० बसना	बंद	1997-98	आर्थिक रूप से असक्षम।	67.96 लाख रु.
27		फुलझर विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या० सरायपाली	बंद	1997-98	आर्थिक रूप से असक्षम।	2050.3 लाख रु.
28	धमतरी	विपणन सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी	बंद	1989-90	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्थाओं द्वारा संचालित किसान राईस मिलों में कस्टम मिलिंग का काम बंद होने के बाद मशीन-उपकरण एवं कल-पुर्जे लम्बे समय से सतत् अप्रयुक्त रहने की वजह से खराब हो गए।	254.64 लाख रु.
29		विपणन सहकारी समिति मर्यादित, कुरुद	बंद	2008-09		69.29 लाख रु.
30		विपणन सहकारी समिति मर्यादित, नगरी	बंद	2006-07		29.64 लाख रु.
31	गरियाबंद	दि बिन्दानवागढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित गरियाबंद, 03	चालू	-	-	56.78 लाख रु.
32		छुरा सहकारी विपणन संस्था मर्यादित छुरा, 14	चालू	-	-	62.92 लाख रु.


क्र	जिला	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था (किसान राईस मिल) का नाम	चालू/बंद की स्थिति			परिसम्पत्तियां
			चालू/ बंद	बंद होने का वर्ष एवं कारण		
				वर्ष	कारण	
33		राजिम विकासखण्ड विपणन सहकारी समिति मर्यादित फिगेश्वर 05	बंद	वर्ष 2005	हानि होने के कारण	13.75 लाख रु.
34	दुर्ग	दुर्ग सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या. दुर्ग पं.क्रं. 0529	चालू	-	-	224.18 लाख रु.
35	बालोद	बालोद सहकारी विपणन समिति मर्या. बालोद	चालू	-	-	135.47 लाख रु.
36	बेमेतरा	विपणन सहकारी समिति मर्या. बेमेतरा प.क्रं. 577	चालू	-	-	11.4 लाख रु.
37		सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या. डोंगरगढ़	चालू	-	-	0.17 लाख रु.
38	राजनांदगांव	डोंगरगांव सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या. डोंगरगांव	बंद	2005	लगातार हानि में होने के कारण	3.69 लाख रु.
39		अशोक सहकारी चावल मिल एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव	चालू	-	-	6.29 लाख रु.


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
महल, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

प्रदेश के घाटे वाली सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित (किसान राईस मिल) के देनदारी की दिनांक 25 जनवरी 2024 की स्थिति में जानकारी

क्र	जिला	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था (किसान राईस मिल) का नाम	देनदारियां (राशि लाखों में)			
			शासकीय	अशासकीय	सहकारी संस्था	योग
1	सरगुजा	विपणन सहकारी समिति मर्या. अंबिकापुर	4.59	-	11.05	15.64
2	जांजगीर-चांपा	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित, जांजगीर	16.16	-	-	16.16
3	मुंगेली	दि मुंगेली सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, (किसान राईस मिल) मुंगेली	25	-	-	25
4		सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, किसान राईस मिल, लोरमी	18	-	-	18
5	बिलासपुर	विपणन सहकारी समिति जयरामनगर	5.41	5.72	1.63	12.76
6		विपणन सहकारी समिति तखतपुर	9.44	2.90	0.07	12.41
7	रायपुर	विपणन संस्था तिल्दा	-	1.63	3.80	5.43
8		विपणन संस्था आरंग	3.14	-	18.81	21.95
9	बलौदाबाजार	उत्तम विपणन सहकारी संस्था समिति किसान राईस मिल भाटापारा	1.00	24.60	0.63	26.23
10		सिमगा विकासखंड सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्या. सिमगा	5.99	43.25	1.10	50.34
11	महासमुन्द	किसान को-ऑपरेटिव्ह राईस मिल एण्ड मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड महासमुन्द	4.75	21.88	34.50	61.13
12		अरुणोदाय सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्या0 बागबाहरा	9.75	7.70	49.20	66.65
13		बसना सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्या0 बसना	11.02	0.48	2.00	13.50
14		फुलझार विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या0 सरायपाली	4.57	0.37	1.17	6.11
15	धमतरी	विपणन सहकारी समिति मर्या. कुरुद	7.76	0.59	51.48	59.83
16	गरियाबंद	राजिम विकासखण्ड विपणन सहकारी समिति मर्यादित फिंगेश्वर 05	3.40	-	35.00	38.40
17	दुर्ग	दुर्ग सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या. दुर्ग पं.क्र. 0529	9.50	212.67	2.009	224.18
18	बेमेतरा	विपणन सहकारी समिति मर्या. बेमेतरा प.क्र. 577	4.34	0.00	0.00	4.34
19	राजनांदगांव	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या. डोंगरगढ़	-	-	-	-
20		डोंगरगांव सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या. डोंगरगांव	-	-	-	-
21		अशोक सहकारी चावल मिल एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव	-	-	-	-


 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 सहकारिता विभाग
 कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- केशकाल घाट में यातायात अवरुद्ध होने से बचाव हेतु कृत कार्यवाही।

स. क्र.	केशकाल घाट हेतु वैकल्पिक मार्ग एवं बाईपास निर्माण हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही।	परिवहन विभाग द्वारा भारी वाहनों के आवागमन का आंकलन हेतु की गई कार्यवाही
1	2	3
1	<p>केशकाल घाट एवं केशकाल नगर हेतु वैकल्पिक मार्ग के लिये बाईपास निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा विगत 2 वर्ष में की गई कार्यवाही :-</p> <p>वर्ष 2022 में कार्य प्रगति लाने के लिये की गई कार्यवाही:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) दिनांक 21.03.2022 को ठेकेदार को निर्धारित अवधि में प्रगति लाने हेतु क्योर पिरियड नोटिस जारी किया गया। 2) दिनांक 06.04.2022 को ठेकेदार को कार्य में प्रगति लाने की चेतावनी सहित अनुबंध निरस्ती पूर्व नोटिस जारी किया गया। 3) दिनांक 20.09.2022 को समयवृद्धि दिनांक 31.03.2023 तक दी गई। 4) दिनांक 23.09.2022 को सचिव, छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा बैठक ली गई। <p>वर्ष 2023 में कार्य प्रगति लाने के लिये की गई कार्यवाही:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) दिनांक 24.02.2023 को मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर द्वारा बैठक ली गई। 2) दिनांक 05.04.2023 को मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर द्वारा बैठक ली गई। 3) दिनांक 10.05.2023 को प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर द्वारा बैठक ली गई। 4) दिनांक 24.11.2023 को ठेकेदार को कार्य में प्रगति लाने की चेतावनी सहित अनुबंध निरस्ती पूर्व नोटिस जारी किया गया। 5) दिनांक 08.12.2023 को कार्य का अनुबंध निरस्ती प्रस्ताव मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रायपुर को भेजा गया है। जिसका अनुमोदन अपेक्षित है। 	<p>जिला परिवहन अधिकारी, कोण्डागांव से प्राप्त जानकारी अनुसार भारी वाहनों के आवागमन का आंकलन नहीं किया गया है।</p>

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

मुख्य अभियंता
कार्या. प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग,
नवा रायपुर, (छ.ग.)

पारिशेष - नो

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2547) की जानकारी

प्रयत्न

कार्यालय भू-अभिलेख शाखा जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव जिला अन्तर्गत राजस्व प्रकरणों का निराकरण

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	तहसील का नाम	जनवरी, 2023 से जनवरी 2024 तक															
			सीमांकन				नामांतरण प्रमाणीकरण रजिस्ट्री				बटाकन				ऑनलाईन रिकार्ड हेतु प्रकरण/ आवेदन			
			प्राप्त आवेदन	निराकृत	लंबित	प्रप्त आवेदन	निराकृत	लंबित	प्राप्त आवेदन	निराकृत	लंबित	प्राप्त आवेदन	निराकृत	लंबित	प्राप्त आवेदन	निराकृत	लंबित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1050	1014	36	4539	3409	1130	370	349	21	234	81	153	6193	4853	1340	
1		धुमका	206	206	0	1465	1274	191	36	34	2	75	20	55	1782	1534	248	
		नजूल	9	6	3	225	88	137	0	0	0	0	0	0	234	94	140	
			1265	1226	39	6229	4771	1458	406	383	23	309	101	208	8209	6481	1728	
2	डोंगरगांव	डोंगरगांव	89	9	80	123	62	61	4	2	2	145	75	70	361	148	213	
	छुरिया	छुरिया	418	333	85	1972	1933	39	3	2	1	113	34	79	2506	2302	204	
3		कुमरवा	164	134	30	1360	1339	21	0	0	0	95	43	52	1619	1516	103	
			582	467	115	3332	3272	60	3	2	1	208	77	131	4125	3818	307	
	डोंगरगांव	डोंगरगांव	430	363	67	1488	1465	23	4	3	1	212	80	132	2134	1911	223	
		लाल नगर	226	197	29	1984	1805	179	0	0	0	102	3	99	2312	2005	307	
		बहादुर	10	9	1	173	125	48	0	0	0	0	0	0	183	134	49	
		नजूल	666	569	97	3645	3395	250	4	3	1	314	83	231	4629	4050	579	
	महाभाग :-		2602	2271	331	13329	11500	1829	417	390	27	976	336	640	17324	14497	2827	

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं भू-अभिलेख प्रकरण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - दस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 331) की जानकारी

ii =

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 331 जिला - मोहला - मानपुर-अं.चौकी													
विधानसभा क्षेत्र मोहला -मानपुर अंतर्गत नामांतरण बटवारा दावा-आपत्ति के संबंधित प्रकरण													
क्र	वर्ष	तारकीला का नाम	नामांतरण			बटवारा			दावा-आपत्ति			संबंधित होने का कारण	परिवर्तित होने की अवधि
			प्राप्त आवंटन	निराकृत आवंटन	लेबित आवंटन	प्राप्त आवंटन	निराकृत आवंटन	लेबित आवंटन	प्राप्त आवंटन	निराकृत आवंटन	लेबित आवंटन		
1		मोहला	1625	1526	99	761	745	16	0	0	0	नामांतरण के 99 में से 2 प्रकरण समय सीमा से बाहर) एवं बटवारा के 16 प्रकरण पटवारी प्रतिवेदन, आदेश एवं साक्ष्य हेतु लेबित है	2 प्रकरण विवादित प्रकृति के होने के कारण समय सीमा के बाद 5 दिन से बाहर है। शेष प्रकरण समयसीमा में है.
2		अं. चौकी	2153	2153	0	595	589	6	0	0	0	बटवारा अंतर्गत 6 प्रकरण विवादित होने के कारण न्यायालय में लेबित है	06 प्रकरण 04 माह (समयसीमा के भीतर है)
3	2019-20 से 31 दिसम्बर 2023 तक	मानपुर	1443	1426	17	390	390	0	0	0	0	नामांतरण के लेबित 17 प्रकरण 31 दिसम्बर 2023 तक की स्थिति का है जिसमें से 16 प्रकरणों का वर्तमान में निराकरण किया जा चुका है 1 प्रकरण अनावेदक के साक्ष्य हेतु लेबित है	01 प्रकरण 04 माह से न्यायालय में प्रक्रियाधीन है
4		औंधी	33	29	4	11	11	0	0	0	0	नामांतरण के लेबित 4 प्रकरण 31 दिसम्बर 2023 तक की स्थिति का है जिसमें से सभी प्रकरणों का वर्तमान में निराकरण किया जा चुका है.	
5		खडगाव	58	58	0	23	23	0	0	0	0		
		योग	5312	5192	120	1780	1758	22	0	0	0		

Sirva
 अनुभाग अधिकारी
 राजरघु एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नया दिल्ली

पारोशिएट - ग्यारह
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 334) की जानकारी

प्रपत्र

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी क्षेत्र में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपदा से हुई मृत्यु की जानकारी

क.	वर्ष	प्रकरणों की संख्या			
		नदी,तालाब, कुंआ में डूबने से मृत्यु	आगजनी से मृत्यु	प्राकृतिक आपदा से मृत्यु	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	2021-22	24	2	23	49
2.	2022-23	23	2	25	50
योग		47	4	48	99

पारिशेष - बारह

पारिवाहक अतारोकेत प्रश्न संख्या 3 (क्र. 445) की जानकारी

प्रपत्र

जशपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता वाले मजरा, टोला, पारा, ग्रामों का ब्यौरा की जानकारी


क्र.	विकास खंड	शुद्ध पेयजल अनुपलब्धता वाले		शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने हेतु कार्ययोजना	योजना की अद्यतन स्थिति		
		ग्राम का नाम	मजरा/टोला/पारा का नाम		लागत (रु. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1		भाड़िया	सेमरकोना	एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	41.97	-	अपूर्ण
2		चलनी	बांसटोली	एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	48.44	-	अपूर्ण
3		बुरजुडीह	कोरवापारा	एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	30.21	-	अपूर्ण
4		दनगरी	सेमरपाठ	एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	36.07	-	अपूर्ण
5		गुम्हारकोना	कदमबथान, कोरवाबस्ती	एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	49.97	-	अपूर्ण
6		चेपाकोना	कोरवाबस्ती	एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	45.38	-	अपूर्ण
7	बगीचा	इचोली	इचोलीपाठ	सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना	18.37	-	अपूर्ण
8		महनई	बोईरपोखर	एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	47.98	-	अपूर्ण
9			कसाईपानी	एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	38.53	-	अपूर्ण
10		महुवा	कपटुरा	एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	46.81	-	अपूर्ण
11		नटकेला	जलगरीपाठ	एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	49.23	-	अपूर्ण
12		सरडीह	छिंदपानी	एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	27.11	-	अपूर्ण
13		कुरौंग	भरीलाकोना	नलकूप खनन/हैण्डपम्प स्थापना	2.82	-	अपूर्ण
14			धवईपाठ (तंदुआकोना)	नलकूप खनन/हैण्डपम्प स्थापना	2.82	-	अपूर्ण
15		कुर्याडोर	गोदेकोना	नलकूप खनन/हैण्डपम्प स्थापना	2.82	-	अपूर्ण
16	मनोरा		रोमजेडीपा	नलकूप खनन/हैण्डपम्प स्थापना	2.82	-	अपूर्ण
17		इराई	इराईपाठ	सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना	38.79	-	अपूर्ण
18		लुधी	अम्बकोना	एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	49.82	-	अपूर्ण
19		मनोरा	तिलकनगर	सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना	45.05	-	अपूर्ण
योग					625.01	-	-

अनुभागी अधिकारी,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

परीशेष - तेरह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 476) की जानकारी
प्रपत्र-

क्र.	वन्यप्राणी का नाम	लिंग	मृत्यु दिनांक	संख्या	मृत्यु का कारण
1	2	3	4	5	6
सफारी क्षेत्र					
1	सिंह	नर	02.09.2023	1	वृद्धावस्था
2	उदबिलाव (ओटर)	नर	08.11.2023	1	संक्रमण, सभी अंगों का काम करना बंद
3	काला हिरण	मादा	17.11.2023	1	सभी अंगों का काम करना बंद
4	काला हिरण	मादा	20.11.2023	1	संक्रमण, सभी अंगों का काम करना बंद
5	नीलगाय	मादा	13.12.2023	1	डॉग बाईट संक्रमण
6	काला हिरण	नर	17.12.2023	1	वृद्धावस्था
7	लकड़बघा	नर	25.12.2023	1	संक्रमण
8	चौसिंगा	नर	30.12.2023	1	निमोनिया
9	काला हिरण	नर	02.01.2024	1	वृद्धावस्था
10	लकड़ बघा	मादा	09.01.2024	1	सभी अंगों का काम करना बंद
11	चीतल	नर	11.01.2024	1	सभी अंगों का काम करना बंद
12	चीतल	मादा	17.01.2024	1	निमोनिया, संक्रमण
13	चीतल	नर	20.01.2024	1	संक्रमण
14	लंगूर	मादा	24.01.2024	1	फैक्वर, संक्रमण
15	काला हिरण	नर	27.01.2024	1	निमोनिया
16	काला हिरण	नर	27.01.2024	1	वृद्धावस्था
सफारी क्षेत्र योग				16	
जू क्षेत्र					
1	चौंसिघा	मादा	25.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
2	चौंसिघा	मादा	25.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
3	चौंसिघा	मादा	25.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
4	चौंसिघा	मादा	25.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
5	चौंसिघा	नर	25.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
6	चौंसिघा	मादा	26.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
7	चौंसिघा	मादा	26.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
8	चौंसिघा	मादा	26.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
9	चौंसिघा	मादा	27.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
10	चौंसिघा	नर	27.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
11	चौंसिघा	नर	27.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
12	चौंसिघा	मादा	27.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
13	चौंसिघा	मादा	27.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
14	चौंसिघा	नर	28.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
15	चौंसिघा	मादा	28.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
16	नीलगाय	नर	28.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण

क्र.	वन्यप्राणी का नाम	लिंग	मृत्यु दिनांक	संख्या	मृत्यु का कारण
1	2	3	4	5	6
17	नीलगाय	नर	28.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
18	चौंसिघा	मादा	29.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
19	चौंसिघा	नर	29.11.2023	1	अतितीव्र संक्रमण
20	नीलगाय	मादा	01.12.2023	1	प्रसव में कठिनाई
21	कोटरी	मादा	06.12.2023	1	शीतज्वर के कारण
22	नीलगाय	मादा	20.12.2023	1	संक्रमण
23	नीलगाय	नर	19.01.2024	1	अफरा
जू क्षेत्र योग				23	
सफारी एवं जू क्षेत्र योग				39	


 अनुभाग अधिकारी
 वन एवं जैववैज्ञानिक परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)

छ.ग., अटल नगर, नवा रायपुर

पारोशिए - चोदह
पारोशिएत अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 866) की जानकारी

प्रपत्र

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत एनीकट/स्टॉप डैम

राशि रु. लाख में

स.क्र.	कार्य का नाम	स्थान का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	कार्य की स्थिति		पूर्ण किये गए एनीकट/स्टॉपडैम वर्तमान में प्रयोग किया जाने योग्य		अभियुक्ति
				पूर्ण	अपूर्ण	नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 2019-20 (जनवरी 2020 से)								
निरंक								
वर्ष 2020-21								
निरंक								
वर्ष 2021-22								
निरंक								
वर्ष 2022-23								
1	कोलर नाला में कोलर स्टापडैम का निर्माण कार्य	कोलर	178.92	-	अपूर्ण	-	-	कार्य प्रगति पर है
2	तरा स्टापडैम का निर्माण कार्य	तरा	372.41	-	अपूर्ण	-	-	कार्य प्रगति पर है
3	चंपारण नाला में नवागांव स्टापडैम का निर्माण कार्य	नवागांव	259.79	-	अपूर्ण	-	-	कार्य प्रगति पर है
4	रायपुर जिले के विकासखण्ड अभनपुर की कोल्हान नाला पर पौता स्टापडैम का निर्माण कार्य।	पौता	328.98	-	अपूर्ण	-	-	कार्य प्रगतिरत एवं समयवृद्धि हेतु प्रेषित
5	रायपुर जिले के विकासखण्ड अभनपुर की ग्राम राखी के लोकल नाले में स्टापडैम निर्माण कार्य।	राखी	290.12	-	अपूर्ण	-	-	कार्य प्रगतिरत
6	ढोढरा एनीकट का निर्माण कार्य	ढोढरा	908.30	-	अपूर्ण	-	-	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
योग-06 कार्य								
वर्ष 2023-24 (दिसंबर 2023 तक)								
1	भुरका स्टापडैम भाग -1 का निर्माण कार्य	भुरका	213.25	-	अपूर्ण	-	-	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
2	तोरला स्टापडैम निर्माण कार्य	तोरला	226.95	-	अपूर्ण	-	-	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

स.क्र.	कार्य का नाम	स्थान का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	कार्य की स्थिति		पूर्ण किये गए एन्रीकट/स्टापडेम वर्तमान में प्रयोग किया जाने योग्य	नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त	अभियुक्ति
				पूर्ण	अपूर्ण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	डोमा स्टापडेम निर्माण कार्य	डोमा	214.73	-	अपूर्ण	-	-	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
4	रायपुर जिले के विकासखंड- अभनपुर की सुन्दरकेरा में लोकल नाले में स्टाप डेम निर्माण कार्य	सुन्दरकेरा	206.55	-	अप्रारंभ	-	-	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
योग- 05 कार्य			3929.38					
महायोग- 10 कार्य			6088.98					



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
नरालय, महागढ़ी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)



प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - पन्द्रह
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1556) की जानकारी

प्रपत्र- 'अ'

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत घटकवार स्वीकृत आवासों का विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	घटकवार स्वीकृत आवास				योग
		लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक	भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी) घटक	स्व-स्थाने झुग्गी बस्ती पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटक	क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक	
1	2019-20	25189	0	0	4885	30074
2	2020-21	21131	0	0	7444	28575
3	2021-22	41836	1869	0	9209	52914
4	2022-23	38437	0	0	9262	47699
5	2023-24 (30.11.2023 तक)	4718	0	0	136	4854
	योग	131311	1869	0	30936	164116

टीप :- क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक अन्तर्गत ऋण अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव संबंधित प्राथमिक ऋण संस्थानों (बैंक इत्यादि) द्वारा केन्द्रीय नोडल एजेंसियों (हडको, एनएचबी एवं एसबीआई) को प्रेषित किया जाता है। केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा स्वीकृति उपरान्त अनुदान की राशि ऋण संस्थानों के माध्यम से संबंधित हितग्राहियों के खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया भूतलाय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-ब'

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत स्वीकृत, प्राप्त एवं शेष राशि का विवरण

क्र.	घटक का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत आवास	स्वीकृत राशि			प्राप्त राशि			शेष राशि		
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी)	2019-20	25189	377.84	206.71	584.55	323.09	176.63	499.72	54.75	30.08	84.83
2		2020-21	21131	316.97	173.43	490.40	284.98	155.82	440.80	31.99	17.61	49.60
3		2021-22	41836	627.54	344.10	971.64	522.31	286.42	808.73	105.23	57.68	162.91
4		2022-23	38437	576.56	316.45	893.01	216.64	118.88	335.52	359.92	197.57	557.49
5		2023-24 (30.11.2023 तक)	4718	70.77	38.60	109.37	26.47	14.42	40.89	44.30	24.18	68.48
योग (बीएलसी)			131311	1969.68	1079.29	3048.97	1373.49	752.17	2125.66	596.19	327.12	923.31
1	भागीदारी में किरायेती आवास निर्माण (एएचपी)	2019-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		2020-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		2021-22	1869	28.04	-	28.04	11.21	-	11.21	16.82	-	16.82
4		2022-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		2023-24 (30.11.2023 तक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (एएचपी)			1869	28.04	-	28.04	11.21	-	11.21	16.82	-	16.82
स्व-स्थाने झुग्गी बस्ती पुनर्विकास (आईएसएसआर)			0	निरंक								
क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)			30936	निरंक								
महायोग			164116	1997.72	1079.29	3077.01	1384.70	752.17	2136.87	613.01	327.12	940.13

टीप :- 1. स्व-स्थाने झुग्गी बस्ती पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटक अन्तर्गत अद्यतन कोई परियोजना स्वीकृत नहीं।
2. क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक अन्तर्गत ऋण अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव संबंधित प्राथमिक ऋण संस्थानों (बैंक इत्यादि) द्वारा केन्द्रीय नोडल एजेंसियों (हडको, एनएचबी एवं एसबीआई) को प्रेषित किया जाता है। केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा स्वीकृति उपरान्त अनुदान की राशि ऋण संस्थानों के माध्यम से संबंधित हितग्राहियों के खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत हितग्राहियों को भुगतान किये गए किशतों का विवरण

अ) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) :-

क्र.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत आवास	हितग्राहियों को देय किशतों का विवरण		हितग्राहियों को भुगतान किये गए किशतों का विवरण		भुगतान हेतु शेष किशतों का विवरण	
			किशतों की संख्या	राशि	किशतों की संख्या	राशि	किशतों की संख्या	राशि
1	2019-20	25189	100756	569.51	92135	520.15	8621	49.36
2	2020-21	21131	84524	477.67	68459	386.49	16065	91.18
3	2021-22	41836	167344	946.39	101131	570.94	66213	375.45
4	2022-23	38437	153748	869.61	36914	208.40	116834	661.21
5	2023-24 (30.11.2023 तक)	4718	18872	106.50	1098	6.20	17774	100.30
	योग	131311	525244	2969.68	299737	1692.18	225507	1277.50

(राशि रु. करोड़ में)

ब) भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी) :- इस घटक अन्तर्गत हितग्राहियों को किशत की राशि प्रदाय नहीं की जाती है। अतएव जानकारी निरंक है।

स) स्व-स्थाने झुग्गी बस्ती पुनर्विकास (आईएसएसआर) :- इस घटक अन्तर्गत अद्यतन कोई आवास स्वीकृत नहीं है। अतएव जानकारी निरंक है।

द) क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) :- इस घटक अन्तर्गत हितग्राहियों को किशत की राशि प्रदाय नहीं की जाती है। अतएव जानकारी निरंक है।

अनुभाग अधिकारी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नया मन्त्रालय, महानदी भवन

रायपुर (छ.ग.)

पारोशिष्ट - सोलह
पारोवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1575) को जानकारी

पपत्र

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क एफ 3-6/2021/सात-3

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक31-MAR-2023

प्रति,

सर्व कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- "राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

—0—

छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण/नगरीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक हैं। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम एवं नगर पंचायत स्तर पर उपलब्ध होते हैं। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से "राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" प्रारंभ किया गया है।

1. योजना का उद्देश्य:-

- 1.1 ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना।
- 1.2 आर्थिक अनुदान के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि करना।

2. योजना का कार्यक्षेत्र:-

योजना प्रदेश के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 से नगर पंचायत क्षेत्रों में भी प्रभावशील होगा।

3. क्रियान्वयन एजेन्सी:-

राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू-अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की देख-रेख में योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

4. हितग्राही परिवार की पात्रता:-

- 4.1 योजनातर्गत कट ऑफ डेट (पात्रता दिनांक) 01 अप्रैल 2023 होगा अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में हितग्राही के पास योजनातर्गत निर्धारित पात्रता होनी चाहिए।
- 4.2 योजना अंतर्गत पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी।

- 4.3 ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे, जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा।
- 4.4 कंडिका 4.3 के उल्लेखित बातों के बावजूद ग्राम पंचायत/ नगर पंचायत क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे-पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।
- 4.5 कंडिका 4.3 एवं 5.1 में उल्लेखित बातों के बावजूद अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी/बैगा/ गुनिया/मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजनांतर्गत पात्र होंगे। परंतु इस वर्ग के वे परिवार जो शासन से सामायिक भत्ता/आर्थिक सहायता अन्य योजना में प्राप्त कर रहे हों, पात्र नहीं होंगे।
- 4.6 "भूमिहीन कृषि मजदूर" से अभिप्रेत है- "ऐसा व्यक्ति जो कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है और उसके परिवार का जिसका की वह सदस्य है, कोई सदस्य किसी कृषि भूमि को धारण नहीं करता है।"
- 4.7 "परिवार" से अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति का कुटुम्ब अर्थात् उसकी पत्नी या पति, संतान तथा उन पर आश्रित माता-पिता।
- 4.8 "कृषि भूमि धारण नहीं करना" से अभिप्रेत है कि उस परिवार के पास अंश मात्र भी कृषि भूमि नहीं होना।
- 4.9 कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से यदि कृषि भूमि धारित है अर्थात् उस परिवार को उत्तराधिकार हक में भूमि प्राप्त करने की स्थिति होगी, तब वह परिवार भूमिहीन परिवार की सूची से पृथक् हो जाएगा।
- 4.10 आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी।
- 4.11 अपंजीकृत परिवारों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
- 4.12 पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उक्त परिवार के द्वारा पात्रता अनुसार नवीन आवेदन योजनांतर्गत प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 4.13 यदि पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया के द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर अनुदान सहायता राशि प्राप्त की गई हो, तब विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त राशि उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।



5. निरर्हता:—

इस योजनांतर्गत निम्नांकित श्रेणियों के परिवार/व्यक्ति अपात्र होंगे—

- 5.1 नगर निगम एवं नगर पालिका के रहवासी परिवार/व्यक्ति।
- 5.2 वे व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद को धारण करते हैं/पूर्व में संवैधानिक पद धारित करते थे/वे व्यक्ति जो केन्द्र शासन, राज्य शासन के किसी भी विभाग या कार्यालय और उसकी क्षेत्रीय इकाई में अधिकारी/कर्मचारी के रूप में सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हुए हैं ऐसे अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित माने जाएंगे।
- 5.3 वे व्यक्ति जो केन्द्र शासन/राज्य शासन के अधीनस्थ निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण आदि में संविदा अस्थाई/स्थाई रूप से काम करने वाले सम्मिलित माने जाएंगे।
- 5.4 आउटसोर्सिंग के आधार पर अथवा दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारी भी निरर्हता की श्रेणी में आयेंगे।
- 5.5 वे व्यक्ति जिन्होंने सरकार के अधीन किसी केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) और स्वायत्त निकायों में एक अधिकारी या कर्मचारी के रूप में कार्य किया हो।
- 5.6 स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारी।
- 5.7 केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री।
- 5.8 लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य।
- 5.9 राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषदों के वर्तमान और पूर्व सदस्य, जिला पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
- 5.10 जनपद पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष। ग्राम पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व सरपंच/पंच।
- 5.11 किसी भी नगरीय ईकाई के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष। (मेयर, अध्यक्ष, पार्षद आदि)
- 5.12 कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले आंकलन वर्ष (AY) या उसके परिवार में आयकर दाखिल किया है।
- 5.13 डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, ऑर्किटेक्ट तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य कोई पेशेवर वर्ग।

6. हितग्राही परिवारों का पंजीयन:—

- 6.1 योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज यथा—आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सचिव ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नगर पालिका में स्थित आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया के आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत के समक्ष आवेदन करेंगे। आवेदन में मोबाईल नंबर का भी उल्लेख

- किया जाना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती यथा स्थिति ग्राम पंचायत सचिव / मुख्य नगर पालिका अधिकारी से प्राप्त कर सकेगा।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्रामवार, ग्राम पंचायतवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत एवं अनुसूचित क्षेत्रों के नगर पालिकाओं में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा करना होगा, जहाँ पोर्टल में इसकी प्रविष्टि की जाएगी। पोर्टल में की गई प्रविष्टियों का कृषि भूमिधारिता के संबंध में पुनः परीक्षण राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा भुईयां रिकॉर्ड को आधार मानते हुए किया जाएगा।
- 6.3 योजना अंतर्गत हितग्राही परिवारों के पंजीयन का कार्य शासन द्वारा नियत तिथि तक संबंधित जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत के कार्यालयों में "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" के पोर्टल rggbkmny.cg.nic.in में पंजीयन कराने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत की होगी।
- 6.4 योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही परिवार के मुखिया को आवेदन के साथ आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। हितग्राही परिवारों से आधार नंबर उनकी सहमति से प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी हितग्राही परिवार के पास आधार नंबर नहीं है तब मैदानी अमलों के द्वारा ऐसे हितग्राही परिवारों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) में पंजीयन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 6.5 हितग्राही परिवारों के बैंक विवरण में त्रुटि होने पर विभाग के मैदानी अमले के द्वारा संबंधित हितग्राही परिवार से 15 दिवस के भीतर सही बैंक विवरण प्राप्त करते हुए अनुदान राशि अंतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

7. हितग्राही परिवारों का सत्यापन:-

- 7.1 पोर्टल में पंजीकृत हितग्राही परिवारों की ग्राम/ ग्राम पंचायतवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी तथा राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा भूमिधारिता के संबंध में भुईयां रिकॉर्ड से परीक्षण किया जाएगा। इस तथ्य का विशेष परीक्षण किया जाएगा कि कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से पृथक से कृषि भूमि धारित तो नहीं है ? क्योंकि ऐसी स्थिति में उस परिवार को उत्तराधिकार में कृषि भूमि प्राप्त होगी। राजस्व अधिकारियों से सत्यापन पश्चात् उत्तराधिकार में कृषि भूमि प्राप्त करने वाले संभावित परिवारों को सूची से पृथक किया जाएगा।

इस प्रकार तैयार की गई अद्यतन सूची जिसमें परिवार के मुखिया का आधार कार्ड, मोबाईल नंबर एवं बैंक खाता क्रमांक भी अंकित होगा। सूची में अ.जा, अ.ज.जा., अ.पि.व. एवं अन्य वर्ग का भी उल्लेख किया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सूची ग्राम सभा एवं नगर पंचायत द्वारा सामान्य सभा के समक्ष दावा आपत्ति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तथा दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात् पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा तथा अपात्र परिवारों को पृथक किया जाएगा। इस प्रकार यथा संशोधित सूची "राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" के लिए अंतिम रूप से तैयार तथा पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतिम रूप से चिन्हांकित सूची में कृषि भूमि धारित करने वाले परिवार नहीं हों।

- 7.2 ऐसी तैयार सूची में चरवाहा, बढई, लोहार, मोची, नाई, धाबी, पुरोहित जैसे-पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय समय पर ऐसे परिवारों को जोड़ा जाएगा जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करते हों, उन्हें भी जोड़ा जाएगा।
- 7.3 ऐसी अंतिम सत्यापित सूची योजना अंतर्गत जिला स्तर पर तैयार करने की जिम्मेदारी कलेक्टर या उनके द्वारा इस बाबत नामित अधिकारी की होगी।
- 7.4 अंतिम सत्यापित सूची में किसी प्रकार का परिवर्धन / संशोधन / निरसन जिला अनुश्रवण समिति की अनुशंसा पर ही किया जा सकेगा।

8. अनुदान सहायता राशि :-

- 8.1 योजनांतर्गत प्रतिवर्ष राशि रूपये 7000/- पात्र चिन्हित हितग्राही परिवार के मुखिया को किशतों में अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- 8.2 अनुदान सहायता राशि चिन्हित सूचीबद्ध परिवार के मुखिया को सीधे बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारा की जाएगी।
- 8.3 छूटे हुए पात्र हितग्राही परिवार के मुखिया को जिला अनुश्रवण समिति की अनुशंसा पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि दी जा सकेगी। अनुश्रवण समिति की अनुशंसा पर असत्य जानकारी के आधार पर आर्थिक अनुदान प्राप्त करने वाले हितग्राही परिवार के मुखिया के विरुद्ध विधिक कार्यवाही तथा दी गई अनुदान सहायता राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

9. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति:-

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी तथा अंतर्विभागीय समन्वय हेतु मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा :-

1. मुख्य सचिव, छ.ग. शासन	—	अध्यक्ष
2. भारसाधक सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	—	सदस्य
3. भारसाधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	—	सदस्य
4. भारसाधक सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	—	सदस्य
5. भारसाधक सचिव, कृषि विभाग	—	सदस्य
6. भारसाधक सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य
7. भारसाधक सचिव, श्रम विभाग	—	सदस्य
8. आयुक्त, मनरेगा	—	सदस्य
9. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी.	—	सदस्य
10. संचालक, भू-अभिलेख	—	सदस्य सचिव

अनुश्रवण समिति के दायित्व:-

1. कार्ययोजना तैयार कर समय-समय पर निर्देश प्रसारित करना।
2. योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, अंतर्विभागीय समन्वय एवं निगरानी करना।
3. हितग्राही परिवारों के त्रुटिरहित पंजीयन कार्य एवं सत्यापन कार्य की समीक्षा करना।
4. योजना क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना।
5. इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर त्रुटियों का परिमार्जन करना।

10. जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति:-

जिला स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन एवं निगरानी तथा शिकायतों के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा :-

1. जिला कलेक्टर	—	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	—	सदस्य सचिव
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत	—	सदस्य
4. प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख	—	सदस्य
5. उप संचालक, कृषि	—	सदस्य
6. जिला श्रम अधिकारी	—	सदस्य
7. लीड बैंक अधिकारी	—	सदस्य
8. जिला सूचना अधिकारी (NIC)	—	सदस्य

समिति के कार्य :-

1. योजना के दिशा-निर्देश अनुसार पात्र परिवारों का पंजीयन एवं चिन्हांकन, ग्राम पंचायत-ग्राम सभा एवं नगर पंचायत-सामान्य सभा से सत्यापन एवं विभिन्न गतिविधियों को समय-सीमा में संपादित करना।
2. योजना क्रियान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी करना।
3. योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना एवं ग्राम सभा/सामान्य सभा का आयोजन कराना।
4. कृषि भूमिहीन मजदूर परिवार के मुखिया को अनुदान सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित कराना।
5. क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना तथा कृषि भूमिहीन मजदूरों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण करना।

11. प्रशासनिक व्यय:-

योजना से संबंधित पोर्टल के विकास, भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों का चिन्हांकन, डाटा एंट्री, प्रपत्रों की छपाई, प्रचार-प्रसार, बैंक कमीशन, आदि कार्यों हेतु कुल बजट का 0.50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक मद हेतु प्रावधानित किया जाएगा।

12. वित्तीय व्यवस्था एवं लेखा शीर्ष:-

योजनांतर्गत विभाग द्वारा संचालक, भू-अभिलेख को राशि आबंटित की जाएगी। सत्यापन पश्चात् चिन्हांकित भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को नोडल बैंक के सहयोग से सीधे उनके खाते में अनुदान सहायता राशि वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। योजनांतर्गत होने वाला व्यय निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा-

मांग संख्या	—	08
मुख्य शीर्ष	—	2029
अन्य व्यय	—	800
राज्य आयोजना (सामान्य)	—	0101
भूमिहीन कृषक न्याय योजना	—	6495
सहायक अनुदान	—	#14
अन्य अनुदान	—	012

जिला स्तर पर समय-सीमा में योजना के क्रियान्वयन का दायित्व कलेक्टर का है। अतएव जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कर योजना का क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र का नमूना प्रपत्र-1,2

(हिना अनिमेष नेताम)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


पृ.क एफ 3-6/2021/सात-3

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13 MAR 2023

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. विशेष कर्तव्य अधिकारी, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
 7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
 8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
 9. आयुक्त, मनरेगा, विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, नया रायपुर अटल नगर।
 10. राज्य सूचना अधिकारी एन.आई.सी. मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
 11. संचालक, भू-अभिलेख, आयुक्त कार्यालय भू-अभिलेख, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
 12. सर्व संभागायुक्त, संभाग-रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


परिशेष - सत्रह


परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1794) की जानकारी

प्रपत्र

पेण्ड्रा बाईपास सड़क निर्माण की लागत एवं अवधि की जानकारी

क्र.	मार्ग निर्माण मद का नाम	सड़क का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	निर्माण की निर्धारित समयवधि	वर्तमान में सड़क निर्माण की स्थिति	सड़क निर्माण लंबित है तो कारणों का विवरण	निर्माण कार्य का प्रारंभ तथा पूर्णता तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	42/5054(03) - (337) (0102)-3710 राज्यों के राजमार्गों का निर्माण	जिला-बिलासपुर के पेण्ड्रा बायपास मार्ग लंबाई 12.50 कि.मी. का निर्माण। (कार्य वर्ष 2015-16)	5425.53 दिनांक 30.03.2016	---	अप्रारंभ	पेण्ड्रा बाईपास मार्ग में भू-अर्जन की लागत राशि बढ़ने के कारण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना होगा। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	वर्तमान में निर्माण कार्य की प्रारंभ एवं पूर्णता तिथि बताना संभव नहीं है।


अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)


मुख्य अभियंता
कार्या. प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग,
नवा रायपुर, (छ.ग.)

परिशेष - अट्टारह
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1863) की जानकारी

" पुपत्र "

उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद में वनभैसों के संरक्षण अंतर्गत मदवार आबंटन एवं व्यय राशि की जानकारी

(राशि रूपये में)

क्रं.	मद का नाम	आबंटित राशि	जनवरी 2021 तक व्यय राशि
1	2	3	4
1	(3943) वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	1475000	515813
2	(7459) वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतवास का समन्वित विकास	221250	103250
योग - राज्य योजना		1696250	619063
3	(3730) प्रोजेक्ट टायगर	284320	284320
योग - केन्द्र योजना		284320	284320
कुलयोग		1980570	903383


अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर अटल नगर, छ0ग0

पारोशिष्ट - उन्नोस
पारोवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1957) को जानकारी
"प्रपत्र"

क्र.	वित्तीय वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	आयोजन का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)	व्यय राशि (रूपये में)	रिमारक
1	2022-23	बागबाहरा	1079-ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर	खेल प्रतियोगिता 2022	25000	0	-
2		बागबाहरा	6408-राजीव युवा मितान क्लब	खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं अन्य गतिविधियां	0	2900000	विधान सभा क्षेत्र के 157 राजीव युवा मितान क्लबों के प्रथम किशत के लिए राशि रूपये 39,25,000 वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत किया गया।
3		पिथौरा		खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं अन्य गतिविधियां	0	950000	
4		महासमुंद		खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं अन्य गतिविधियां	0	75000	
5		बागबाहरा		6646-छत्तीसगढ़िया ओलंपिक	छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पुरस्कार वितरण	783000	
6		बागबाहरा	5429-युवा कल्याण गतिविधियाँ	विकासखण्ड स्तरीय युवा महोत्सव	35000	35000	-
7		बागबाहरा	3459-महिला खेलकूद	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	25000	0	-
8		बागबाहरा	3706-खेल संघ एवं संस्थाओं को अनुदान	अखिल भारतीय म./पु. कबड्डी प्रतियोगिता	1000000	1000000	-
1	2023-24 (दिसम्बर 2023 तक)	बागबाहरा	1079-ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर	ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर	20000	20000	-
2		बागबाहरा	6408-राजीव युवा मितान क्लब	खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं अन्य गतिविधियां	8700000	2900000	-
3		पिथौरा		खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं अन्य गतिविधियां	2850000	950000	-
4		महासमुंद		खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं अन्य गतिविधियां	225000	75000	-
5		बागबाहरा		6646-छत्तीसगढ़िया ओलंपिक	छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पुरस्कार वितरण	864000	497250
6		बागबाहरा	1190-ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना	खिलाडियों को प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री प्रदाय	180000	0	-
7		पिथौरा		खिलाडियों को प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री प्रदाय	60000	0	-
8		बागबाहरा	3459-महिला खेलकूद	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	25000	0	-
9		बागबाहरा	5223-खिलाडियों को प्रोत्साहन	खिलाडियों को खेल वृत्ति प्रदाय	24000	24000	-
10		बागबाहरा	5429-युवा कल्याण गतिविधियाँ	विकासखण्ड स्तरीय युवा महोत्सव	35000	0	-
योग					14851000	9826000	

अनुभाज अधिकारी
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
संभ्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर. (छ.ग.)

पॉरीशेष्ट - बीस
पॉरीवॉतत अतारॉकेत प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1958) कौ जानकारौ

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2020-21 (01 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक)

(राशि रू. लाख में)

क.	निकाय का नाम	विकासखण्ड का नाम	गौरवपथ निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति			
					पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	न.पा.महासमुन्द	महासमुन्द	निरंक	0.00	0.00	0	0	0
2	न.पा.बागबाहरा	बागबाहरा						
3	न.पा.सरायपाली	सरायपाली						
4	न.पं.पिथौरा	पिथौरा						
5	न.पं.बसना	बसना						
6	न.पं.तुमगांव	महासमुन्द						
योग			0.00	0.00	0	0	0	

वित्तीय वर्ष 2021-22

(राशि रू. लाख में)

क.	निकाय का नाम	विकासखण्ड का नाम	गौरवपथ निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति			
					पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	न.पा.महासमुन्द	महासमुन्द	निरंक	0.00	0.00	0	0	0
2	न.पा.बागबाहरा	बागबाहरा						
3	न.पा.सरायपाली	सरायपाली						
4	न.पं.पिथौरा	पिथौरा						
5	न.पं.बसना	बसना						
6	न.पं.तुमगांव	महासमुन्द						
योग			0.00	0.00	0	0	0	

वित्तीय वर्ष 2022-23

(राशि रू. लाख में)


क.	निकाय का नाम	विकासखण्ड का नाम	गौरवपथ निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति			
					पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	न.पा.महासमुन्द	महासमुन्द	निरंक	0.00	0.00	0	0	0
2	न.पा.बागबाहरा	बागबाहरा						
3	न.पा.सरायपाली	सरायपाली						
4	न.पं.पिथौरा	पिथौरा						
5	न.पं.बसना	बसना						
6	न.पं.तुमगांव	महासमुन्द						
योग			0.00	0.00	0	0	0	

अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

वित्तीय वर्ष 2023-24 (31 जनवरी 2024 तक)

(राशि रू. लाख में)

क.	निकाय का नाम	विकासखण्ड का नाम	गौरवपथ निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति		
					पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	न.पा.महासमुन्द	महासमुन्द			निरंक		
2	न.पा.बागबाहरा	बागबाहरा			निरंक		
3	न.पा.सरायपाली	सरायपाली	4029.32	316.50	—	अपूर्ण	—
4	न.पं.पिथौरा	पिथौरा	2469.06	19.71	—	अपूर्ण	—
5	न.पं.बसना	बसना	2871.59	33.77	—	अपूर्ण	—
6	न.पं.तुमगांव	महासमुन्द			निरंक		
योग			9369.97	369.98			


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मन्नालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष - इक्कीस

प्रपत्र

पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1962) की जानकारी

श्रीमती दिव्या नितेश मिश्रा उपाध्यक्ष जनपद पंचायत तखतपुर जिला बिलासपुर के द्वारा कानन पेण्डारी जूलाजिकल गार्डन से लगे शासकीय भूमि पर श्री एस. आर. साहू गीताजली कन्स्ट्रक्शन (वर्तमान में मेसर्स पाल्म ग्रीन इन्फ्रा बिल्ड) द्वारा अतिक्रमण कर शासकीय धरसा को कब्जा कर कात्तनी बनाये जाने एवं शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन करने के संबंध में अतिरिक्त तहसीलदार सकरी के सम्मक्ष दिनांक 09.05.2023 एवं कलेक्टर जनदर्शन में दिनांक 16.05.2023 को विधिवत जांच कराकर कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायत की गई है। उक्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार सकरी जिला बिलासपुर के द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारियों का दल गठित कर जांच कराया गया जिसके बिन्दु निम्नानुसार है :-

- नायब तहसीलदार सकरी द्वारा दिनांक 17.05.2023 को गठित राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों दल ने अपने प्रतिवेदन में ग्राम पेण्डारी तहसील सकरी स्थित भूमि खसरा नंबर 1215 रकबा 24.405 हे. भूमि कानन पेण्डारी जूलाजिकल गार्डन के अंदर स्थित पाया गया जिसमें अनावेदक श्री एस. आर. साहू पिता श्री एम. आर. साहू मेसर्स पाल्म ग्रीन इन्फ्रा द्वारा जे.सी.बी. एवं दो ट्रेक्टर लगाकर सड़क नहीं बनाया जाना प्रतिवेदित किया है।
- अनावेदक श्री एस. आर. साहू पिता श्री एम. आर. साहू मेसर्स पाल्म ग्रीन इन्फ्रा द्वारा शासकीय जमीन खसरा नंबर 1221 रकबा 6.661 हे. (रिलवे लाईन) की भूमि के अंश भाग पर मिट्टी डालकर एवं शासकीय खसरा नंबर 723 के संपूर्ण भाग पर मिट्टी डालकर मौके पर गेट एवं गार्डन बनाने की कार्यवाही की गई है।

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार सकरी के द्वारा अनावेदक श्री एस. आर. साहू पिता श्री एम. आर. साहू मेसर्स पाल्म ग्रीन इन्फ्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जवाब समाधानकारक नहीं होने पर अवैध अतिक्रमण हटाया जाकर संबंधित के खिलाफ विधि अनुरूप कार्यवाही किया जावेगा।


अनुभाग अधिकारी


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, बिलासपुर (छ.ग.)


संयुक्त कलेक्टर
हनु-कलेक्टर बिलासपुर

पारोशिए - बाइस
पारेवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 27 (क्र. 2306) की जानकारी


” प्रपत्र-अ ”

विदोहन वर्ष	परिक्षेत्र	कूप का नाम	कूप विदोहन कार्य	
			प्रारंभ तिथि	पूर्ण तिथि
1	2	3	4	5
2021-22	अंतागढ़	SCI/I कलेपरस PF/957	20/12/2021	28/05/2022
		SCI/I गरदा PF/973	20/12/2021	30/04/2022
		SCI/II कलेपरस PF/957	10/02/2022	24/05/2022
		SCI/II ताड़ोकी RF/685	01/12/2021	30/05/2022
2022-23	अंतागढ़	SCI/III कलेपरस PF/958	20/12/2022	15/05/2023
		SCI/III सुरेली RF/729	06/02/2023	30/05/2023
2023-24 (दिनांक 12/02/2024 तक की स्थिति में)	अंतागढ़	SCI/IV कलेपरस PF/958 (P) PF/959	04/12/2023	प्रगतितरत
		SCI/IV सुरेली RF/728	अप्रारंभ	-


अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलदायु परियोजना विकास
संभालक, नया रायपुर, अदला नगर


“प्रपत्र-ब”

विदोहन वर्ष	परिक्षेत्र	कूप का नाम	डेब मार्किंग कार्य			
			प्रारंभ तिथि	पूर्ण तिथि	वृक्षों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7
2021-22	अंतागढ़	SCI/I कलेपरस PF/957	16/12/2020	22/12/2020	1670	117.418
		SCI/I गरदा PF/973	08/01/2021	13/01/2021	663	50.000
		SCI/II ताड़ोकी RF/685	16/06/2021	18/06/2021	2234	124.646
		SCI/II कलेपरस PF/957	10/09/2021	15/09/2021	1110	117.000
योग:-			-	-	5677	409.064
2022-23	अंतागढ़	SCI/III कलेपरस PF/958	23/11/2022	27/11/2022	1129	132.062
		SCI/III सुरेली RF/729	23/11/2022	27/11/2022	1544	100.673
योग:-			-	-	2673	232.735
2023-24 (दिनांक 12/02/2024 तक की स्थिति में)	अंतागढ़	SCI/IV कलेपरस PF/958 (P) PF/959	08/04/2023	14/04/2023	1064	232.860
		SCI/IV सुरेली RF/728	07/05/2023	12/05/2023	712	161.924
योग:-			-	-	1776	394.784
महायोग:-			-	-	10126	1036.583


 अनुभाषा प्रमुख
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, नया दिल्ली, भारत

“प्रपत्र-स”

विदोहन वर्ष	परिक्षेत्र	कूप का नाम	हैमर से मार्किंग कार्य		
			हैमर मांग करने की तिथि	हैमर प्राप्ति की तिथि	मार्किंग हैमर लगाये गये वृक्षों की संख्या
1		2	3	4	5
2021-22	अंतागढ़	SCI/I कलेपरस PF/957	20/09/2021	15/12/2021	506
		SCI/I गरदा PF/973	20/09/2021	15/12/2021	201
		SCI/II ताड़ोकी RF/685	20/09/2021	07/10/2021	677
		SCI/II कलेपरस PF/957	20/09/2021	15/12/2021	336
योग:-			-	-	1720
2022-23	अंतागढ़	SCI/III कलेपरस PF/958	13/10/2022	15/10/2022	342
		SCI/III सुरेली RF/729	13/10/2022	15/10/2022	468
योग:-			-	-	810
2023-24 (दिनांक 12/02/2024 तक की स्थिति में)	अंतागढ़	SCI/IV कलेपरस PF/958 (P), PF/959	13/11/2023	16/11/2023	330
		SCI/IV सुरेली RF/728	13/11/2023	16/11/2023	216
योग:-			-	-	546
महायोग:-			-	-	3076


 अनुभाग अधिकारी
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, नया दिल्ली, भारत

“प्रपत्र-द”

विदोहन वर्ष	परिक्षेत्र	कूप का नाम	हैमर से मार्किंग वृक्षों की कटाई		
			हैमर मार्कशुदा में से विदोहित वृक्षों की संख्या	बिना हैमर लगे विदोहित वृक्षों की संख्या	कुल विदोहित वृक्षों की संख्या
1	2	3	4	5	6
2021-22	अंतागढ़	SCI/I कलेपरस PF/957	506	0	506
		SCI/I गरदा PF/973	201	0	201
		SCI/II कलेपरस PF/957	336	0	336
		SCI/II ताड़ोकी RF/685	677	0	677
योग:-			1720	0	1720
2022-23	अंतागढ़	SCI/III कलेपरस PF/958	342	0	342
		SCI/III सुरेली RF/729	468	0	468
योग:-			810	0	810
2023-24 (दिनांक 12/02/2024 तक की स्थिति में)	अंतागढ़	SCI/IV कलेपरस PF/958 (P) PF/959	71	0	71
		SCI/IV सुरेली RF/728	0	0	0
योग:-			71	0	71
महायोग			2601	0	2601

वर्ष 2023-24 में कूप SCI/IV कलेपरस PF/958 में 56 वृक्षों की अवैध कटाई का प्रकरण प्रकाश में आया है। जिसके विरुद्ध 10 वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है एवं उक्त अवैध कटाई के प्रकरणों से प्राप्त वनोपज काष्ठ 124.479 घ.मी. एवं जलाऊ 07 चट्टा को जप्ती कर काष्ठागार में परिवहन कराया जा चुका है तथा विधिवत् प्रकरणों की जांच की जा रही है। उक्त कूप में अवैध कटाई होने के कारण वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर के पत्र क्रमांक/राजस्व/483 दिनांक 19.01.2024 द्वारा कूप कटाई स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।


 अनुभाष अधिकारी
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

पारोशिए - तेईस
पारोवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 28 (क्र. 2342) की जानकारी

प्रपत्र

विषय - विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत स्वीकृत कार्य

क्र	वर्ष	स्थान का नाम	स्वीकृत सड़क का नाम	स्वीकृत कार्य की लागत (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/ शेष	कार्य शेष है तो कारण सहित प्रगति का विवरण	गुणवत्ताविहीन कार्य कराए जाने (मिट्टी, मरुम की मात्रा कम करते हुए अधिक बतकर आर्थिक अनियमितता की प्राप्त शिकायत का विवरण	आर्थिक अनियमितता की शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण	स्वीकृत कार्यों की शेष राशि को शासन द्वारा प्रदाय की जाने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01.01.2021 से 31.12.2021	बड़े मुड़पार	हायर सेकण्डरी स्कूल बड़े मुड़पार, नहर पार में सी.सी. रोड पहुंच मार्ग निर्माण लं.- 0.25 कि.मी.	19.96	पूर्ण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	01.01.2021 से 31.12.2021	चरौदा	हाई स्कूल भवन चरौदा में सी.सी. पहुंच मार्ग निर्माण लं.- 0.25 कि.मी.	19.96	पूर्ण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	01.01.2021 से 31.12.2021	अड़भार	अड़भार मेन रोड से मुक्तिधाम की ओर सी.सी. पहुंच मार्ग लं.- 0.25 कि.मी.	19.96	पूर्ण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	01.01.2021 से 31.12.2021	सिंघीतराई	हाई स्कूल भवन सिंघीतराई में सी.सी. रोड पहुंच मार्ग निर्माण लं.- 0.25 कि.मी.	19.96	पूर्ण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	01.01.2021 से 31.12.2021	गिरगिरा	हाई स्कूल भवन गिरगिरा में सी.सी. रोड पहुंच मार्ग निर्माण लं.- 0.25 कि.मी.	19.96	पूर्ण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6	01.01.2021 से 31.12.2021	नवागांव	नवागांव से मुक्तिधाम सी.सी. रोड पहुंच मार्ग लं.- 0.25 कि.मी.	19.96	पूर्ण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

क्र	वर्ष	स्थान का नाम	स्वीकृत सड़क का नाम	स्वीकृत कार्य की लागत (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण / शेष	कार्य शेष है तो कारण सहित प्रगति का विवरण	गुणवत्ताविहीन कार्य कराए जाने (मिट्टी, मरुम की मात्रा कम करते हुए अधिक बताकर आर्थिक अनियमितता की प्राप्त शिकायत का विवरण	आर्थिक अनियमितता की शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण	स्वीकृत कार्यों की शेष राशि को शासन द्वारा प्रदाय की जाने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01.01.2021 से 31.12.2021	रामभांठा	रामभांठा में मुक्तिधाम की ओर सी.सी. रोड पहुंच मार्ग लं.- 0.20 कि.मी.	16.00	पूर्ण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8	01.01.2021 से 31.12.2021	डभरा	हाई स्कूल आवास प्लॉट डभरा में सी.सी. रोड पहुंच मार्ग का निर्माण लं.- 0.20 कि. मी.	16.79	पूर्ण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			योग :- 08 कार्य	152.55	8	-	-	-	-
	01.01.2022 से 31.12.2022				निरंक				
	01.01.2023 से 31.12.2023				निरंक				
	01.01.2024 से अभी तक				निरंक				

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

8000
मुख्य अभियंता
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि. नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
16.2.24

परिशेष - चौबीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 2521) की जानकारी

प्रश्न

जल जीवन मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक केन्द्रों व राज्यों में प्राप्त, व्यय एवं शेष राशि तथा प्रगति के प्रतिशत की वर्षवार जानकारी

क्र.	वर्ष	विलासपुर					मुंगेली					शोग					राशि खर्च नहीं होने का कारण (राशि रु. लाख में)					
		प्राप्त बजट आबंटन/ आहरण सीमा के अंतर्गत केन्द्रों राशि	कुल व्यय राशि	कुल शेष राशि	कार्य की प्रगति का प्रतिशत	प्राप्त बजट आबंटन/ आहरण सीमा के अंतर्गत राज्यों राशि	कुल व्यय राशि	कुल शेष राशि	कार्य की प्रगति का प्रतिशत	प्राप्त बजट आबंटन/ आहरण सीमा के अंतर्गत राज्यों राशि	कुल व्यय राशि	कुल शेष राशि	कार्य की प्रगति का प्रतिशत	प्राप्त बजट आबंटन/ आहरण सीमा के अंतर्गत राज्यों राशि	कुल व्यय राशि	कुल शेष राशि		कार्य की प्रगति का प्रतिशत				
1	2018-19	222.68	410.52	633.20	375.19	258.01	0	145	201	346	346	0	0	368	611	979	721	258	0	-		
2	2019-20	13.00	224.74	237.74	52.94	184.80	2.39	318.33	518.48	836.81	507.64	329.17	4.42	331.33	743.22	1074.55	560.58	513.97	3.41			
3	2020-21	1595.99	1746.06	3341.45	2830.89	510.56	4.51	1206.94	1336.52	2543.46	1921.81	621.65	1.20	2802.33	3082.58	5884.91	4752.70	1132.21	2.86			
4	2021-22	1488.00	1639.36	3127.36	2521.62	605.74	17.81	1715.88	1717.88	3433.76	2986.18	447.58	22.56	3203.88	3357.24	6561.12	5507.80	1053.32	20.18			
5	2022-23	6993.96	7116.34	14110.30	13884.16	226.14	36.14	7140.08	7127.70	14267.78	14089.33	178.45	65.00	14134.04	14244.04	28378.08	27973.49	404.59	50.57			
6	2023-24	7540.78	7595.76	15136.54	12557.19	2579.35	51.91	6526.10	6367.75	12893.85	12664.50	229.35	76.36	14066.88	13963.51	28030.39	25221.69	2808.70	64.13			
	योग -	17853.81	18732.78	36586.59	32221.99	4364.60	-	17052.23	17269.02	34321.25	32515.02	1806.20	-	34906.04	36001.80	70907.84	64737.01	6170.80	-			

Mud
अनुभाग अधिकारी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - पच्चीस
पारिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 2532) की जानकारी


प्रपत्र

- (1) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में संवर्ग अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों की जानकारी :-

क्र.	बैंक का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
2	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर	5	1	4
3	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग	5	1	4
4	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव	4	1	3
5	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर	4	1	3
6	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अंबिकापुर	4	2	2
7	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर	4	1	3
योग		26	7	19

- (2) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के कार्यक्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख्र सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग) के स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों की जानकारी :-

क्र.	बैंक का नाम	समितियों की संख्या	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	छ.ग.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर	134	67	0	67
2	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर	550	550	46	504
3	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग	311	311	59	252
4	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव	222	222	1	221
5	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर	430	430	30	400
6	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अंबिकापुर	153	153	7	146
7	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर	258	258	17	241
योग		2058	1991	160	1831


उप सांचव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - छब्वीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2536) की जानकारी

प्रपत्र

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को आबंटित एवं व्यय राशि ।।

जांजगीर-चांपा वनमंडल

वर्ष 2020-21

(राशि लाख में)

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र अंतर्गत परिवृत्त	वन प्रबंधन समिति का नाम	01.04.2020 की स्थिति में शेष राशि	वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय की गई धनराशि	व्यय की गई राशि	31 मार्च 2021 की स्थिति में शेष धनराशि	समिति के गठन का उद्देश्य	रिमांक
1	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	कटरा	8.39	3.45	6.27	9	10	11
1	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	बिराहनी	0.00	0.00	0.00	0.00	वन प्रबंधन समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य वन विभाग एवं ग्रामीणों के बीच सामंजस्य स्थापित कर वनों एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा करना है।	-
2	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	पनोरापारा	1.66	0.05	0.00	0.00		-
3	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	जूनडीह	0.68	1.74	2.38	0.04		-
4	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	भिलाई	0.54	0.00	0.00	0.54		-
5	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	सरइताल	0.55	0.02	0.00	0.57		-
6	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	पंतोरा	1.63	0.00	0.02	1.61		-
7	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	अमलीमांठा	8.65	0.96	7.50	2.11		-
8	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	करमा	0.71	0.00	0.02	0.69		-
9	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	बुढना	1.40	3.02	2.02	2.40		-
10	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	अगारखार	2.02	2.28	1.48	2.82		-
11	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	डोंगीपेण्डी	1.60	1.38	0.63	2.35		-
12	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	खिसौरा	1.52	4.02	3.07	2.47		-
13	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	खमदेई	0.50	0.00	0.00	0.50		-
14	जांज.चांपा	बलौदा	जांजगीर	पहरिया	9.99	2.81	10.99	1.81		-
15	जांज.चांपा	बलौदा	जांजगीर	गतवा	5.30	1.68	1.40	5.58		-
16	जांज.चांपा	बलौदा	जांजगीर	देवरी	0.57	0.00	0.00	0.57		-
17	जांज.चांपा	बलौदा	जांजगीर	बेलदूकरी	3.42	4.45	0.70	7.17		-
18	जांज.चांपा	बलौदा	जांजगीर	बहेरापाली	0.19	0.01	0.00	0.20		-
19	जांज.चांपा	बलौदा	जांजगीर	दहकोनी	1.68	6.31	7.21	0.78		-
20	जांज.चांपा	बलौदा	जांजगीर	खोहा	0.01	0.00	0.00	0.01		-
21	जांज.चांपा	बलौदा	जांजगीर	अमलीपाली	3.49	0.69	0.75	3.43		-
22	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा							

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र अंतर्गत परिवृत्त	वन प्रबंधन समिति का नाम	01.04.2020 की स्थिति में शेष राशि	वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय की गई धनराशि	व्यय की गई राशि	31 मार्च 2021 की स्थिति में शेष धनराशि	समिति के गठन का उद्देश्य	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	सोनडीह	0.22	0.22	0.44	0.00		-
24	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	चंगोरी	0.37	0.39	0.38	0.38		-
25	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	पिपरदा	0.98	0.63	0.63	0.98		-
26	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	दल्हापोड़ी	0.00	0.00	0.00	0.00		-
27	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	कटघरी	11.69	3.21	12.26	2.64		-
28	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	पड़रिया	0.01	0.00	0.00	0.01		-
29	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	झोरला	0.02	0.48	0.42	0.08		-
30	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	बरबसपुर	0.00	0.00	0.00	0.00		-
31	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	तरौद	0.62	1.25	1.38	0.49		-
32	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	पकरिया	4.01	2.55	5.71	0.85		-
33	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	भिलौनी	0.32	0.00	0.00	0.32		-
34	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	हरदी	0.00	0.00	0.00	0.00		-
35	जांज.चांपा	चांपा	चांपा	तलवा	1.81	0.67	0.72	1.76		-
36	जांज.चांपा	चांपा	चांपा	छीतापड़रिया	3.71	1.14	4.20	0.65		-
37	जांज.चांपा	चांपा	चांपा	लोहराकोट	0.08	0.00	0.00	0.08		-
38	जांज.चांपा	चांपा	चांपा	भदरीपाली	2.69	0.00	0.42	2.27		-
39	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	मसनिया	0.04	0.29	0.00	0.33		-
40	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	जौंगरा	0.00	0.00	0.00	0.00		-
41	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	जोबा	0.74	1.69	0.78	1.65		-
42	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	उपकाचुवा	0.36	0.65	0.00	1.01		-
43	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	देवरीपाली	1.47	0.00	0.78	0.69		-
44	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	पनारी	0.83	0.73	0.36	1.20		-
45	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	घमरवाह	0.30	1.79	1.26	0.83		-
46	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	जुङगा	0.00	0.00	0.00	0.00		-
47	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	अमलीपाली	0.75	1.30	0.78	1.27		-
48	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	गोविन्दपुर	0.00	0.00	0.00	0.00		-
49	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	जगदल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00		-
50	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	जुनवानी	0.00	0.00	0.00	0.00		-
51	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	मोहागांव	0.02	0.00	0.00	0.02		-

क्र.	वनामडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र अंतर्गत परिवृत्त	वन प्रबंधन समिति का नाम	01.04.2020 की स्थिति में शेष राशि	वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय की गई धनराशि	व्यय की गई राशि	31 मार्च 2021 की स्थिति में शेष धनराशि	समिति के गठन का उद्देश्य	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	कुरुदा	0.42	0.50	0.66	0.26		-
53	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	मानिकपुर	0.01	0.00	0.00	0.01		-
54	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	नवागांव	0.11	1.51	0.12	1.50		-
55	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	सलिहामाठा	1.15	0.00	0.72	0.43		-
56	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	रैनखोल	0.35	1.20	0.24	1.31		-
57	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	घुईघुंवा	0.00	0.36	0.30	0.06		-
58	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	गुडवा	0.00	0.00	0.00	0.00		-
59	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	धनपुर	0.00	0.00	0.00	0.00		-
60	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	सोनगुडा	0.38	1.26	0.36	1.28		-
61	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	बहेरा	1.00	0.00	0.18	0.82		-
62	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	सुन्दरेली	0.67	0.00	0.00	0.67		-
63	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	नगरवा	0.00	0.00	0.00	0.00		-
64	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	डूमरपारा	0.30	0.36	0.66	0.00		-
65	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	ऋषभतीर्थ	0.16	1.64	0.12	1.68		-
जांज.चांपा योग :-					90.09	56.69	78.32	68.46		-

वर्ष 2021-22

1	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	कटरा	5.57	13.75	14.19	5.13		-
2	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	बिरगहनी	0.00	0.00	0.00	0.00		-
3	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	पनोरापारा	1.71	0.05	0.00	1.76		-
4	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	जूनाडीह	0.04	0.96	0.90	0.10		-
5	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	भिलाई	0.54	0.36	0.00	0.90		-
6	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	सरईताल	0.57	0.02	0.00	0.59		-
7	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	पंतोरा	1.61	0.00	0.27	1.34		-
8	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	अमलीमाठा	2.11	2.45	3.03	1.53		-
9	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	करमा	0.69	0.42	1.06	0.05		-
10	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	बुढना	2.40	0.72	1.76	1.36		-
11	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	अंगारखार	2.82	0.00	0.97	1.85		-
12	जांज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	डोंगीपण्डी	2.35	0.62	2.55	0.42		-

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र अंतर्गत परिवृत्त	वन प्रबंधन समिति का नाम	01.04.2020 की स्थिति में शेष राशि	वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय की गई धनराशि	व्यय की गई राशि	31 मार्च 2021 की स्थिति में शेष धनराशि	समिति के गठन का उद्देश्य	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	जाज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	खिसोरा	2.47	0.00	2.12	0.35		-
14	जाज.चांपा	बलौदा	पंतोरा	खमदेई	0.50	0.00	0.00	0.50		-
15	जाज.चांपा	बलौदा	जाजगीर	पहरिया	1.81	1.46	2.66	0.61		-
16	जाज.चांपा	बलौदा	जाजगीर	गतवा	5.58	1.26	3.71	3.13		-
17	जाज.चांपा	बलौदा	जाजगीर	देवरी	0.57	0.00	0.00	0.57		-
18	जाज.चांपा	बलौदा	जाजगीर	बेलदूकरी	7.17	3.48	8.13	2.52		-
19	जाज.चांपा	बलौदा	जाजगीर	बहेरापाली	0.20	0.01	0.00	0.21		-
20	जाज.चांपा	बलौदा	जाजगीर	दहकोनी	0.78	9.79	10.19	0.38		-
21	जाज.चांपा	बलौदा	जाजगीर	खोहा	0.01	0.00	0.00	0.01		-
22	जाज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	अमलीपाली	3.43	0.70	1.30	2.83		-
23	जाज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	सोनडीह	0.00	0.00	0.00	0.00		-
24	जाज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	चंगोरी	0.38	0.01	0.00	0.39		-
25	जाज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	पिपरदा	0.98	0.02	0.60	0.40		-
26	जाज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	दल्हापोडी	0.00	0.00	0.00	0.00		-
27	जाज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	कटघरी	2.64	1.30	3.53	0.41		-
28	जाज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	पड़रिया	0.01	0.00	0.00	0.01		-
29	जाज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	ढोरला	0.08	1.51	1.17	0.42		-
30	जाज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	बरबसपुर	0.00	0.00	0.00	0.00		-
31	जाज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	तरौद	0.49	0.89	1.08	0.30		-
32	जाज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	पकरिया	0.85	0.01	0.54	0.32		-
33	जाज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	भिलौनी	0.32	0.00	0.00	0.32		-
34	जाज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	हरदी	0.00	0.00	0.00	0.00		-
35	जाज.चांपा	चांपा	चांपा	तलवा	1.76	1.97	0.00	3.73		-
36	जाज.चांपा	चांपा	चांपा	छीतापंडरिया	0.65	0.00	0.00	0.65		-
37	जाज.चांपा	चांपा	चांपा	लोहराकोट	0.08	0.00	0.00	0.08		-
38	जाज.चांपा	चांपा	चांपा	भदरीपाली	2.27	0.64	1.02	1.89		-
39	जाज.चांपा	सक्ती	सक्ती	मसनिया	0.33	0.00	0.00	0.33		-
40	जाज.चांपा	सक्ती	सक्ती	जोंगरा	0.00	0.00	0.00	0.00		-
41	जाज.चांपा	सक्ती	सक्ती	जोबा	1.65	0.00	0.72	0.93		-

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र अंतर्गत परिवृत्त	वन प्रबंधन समिति का नाम	01.04.2020 की स्थिति में शेष राशि	वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय की गई धनराशि	व्यय की गई राशि	31 मार्च 2021 की स्थिति में शेष धनराशि	समिति के गठन का उद्देश्य	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	उपकाचुवा	1.01	0.00	0.36	0.65		
43	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	देवरीपाली	0.69	0.00	0.18	0.51		
44	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	पनारी	1.20	0.00	0.18	1.02		
45	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	चमरवाह	0.83	0.00	0.36	0.47		
46	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	जुङगा	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	अमलीपाली	1.27	0.00	1.02	0.25		
48	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	गोविन्दपुर	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	जगदल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	जुनवानी	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	मोहगाव	0.02	0.00	0.00	0.02		
52	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	कुरदा	0.26	0.00	0.24	0.02		
53	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	मानिकपुर	0.01	0.00	0.00	0.01		
54	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	नवागांव	1.50	0.00	0.48	1.02		
55	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	सलिहाभाटा	0.43	0.00	0.06	0.37		
56	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	रैनखोल	1.31	0.00	1.21	0.10		
57	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	घुईचुवा	0.06	0.00	0.00	0.06		
58	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	गुडवा	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	धनपुर	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	सोनगुडा	1.28	0.00	0.00	1.28		
61	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	बहेरा	0.82	0.00	0.18	0.64		
62	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	सुन्दरेली	0.67	0.00	0.00	0.67		
63	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	नगरदा	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	डूमरपारा	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	ऋषमतीर्थ	1.68	0.00	1.56	0.12		
जांजगीर-चांपा वनमण्डल योग -					68.46	42.40	67.33	43.53		

वर्ष 2022-23

1	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	कटरा	5.13	0.14	0.00	5.27		
2	जांज.चांपा	बलौदा	कटरा	बिरगहनी	0.00	0.00	0.00	0.00		

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र अंतर्गत परिवृत्त	वन प्रबंधन समिति का नाम	01.04.2020 की स्थिति में शेष राशि	वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय की गई धनराशि	व्यय की गई राशि	31 मार्च 2021 की स्थिति में शेष धनराशि	समिति के गठन का उद्देश्य	सिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	जां.चांपा	बलौदा	कटरा	पनोरापारा	1.76	4.48	4.44	1.80		-
4	जां.चांपा	बलौदा	कटरा	जूनाडीह	0.10	5.94	1.68	4.36		-
5	जां.चांपा	बलौदा	कटरा	भिलाई	0.90	0.98	0.00	1.88		-
6	जां.चांपा	बलौदा	कटरा	सरईताल	0.59	0.01	0.00	0.60		-
7	जां.चांपा	बलौदा	पंतोरा	पंतोरा	1.34	5.54	3.23	3.65		-
8	जां.चांपा	बलौदा	पंतोरा	अमलीमाठा	1.53	1.81	1.64	1.70		-
9	जां.चांपा	बलौदा	पंतोरा	करमा	0.05	2.66	2.09	0.62		-
10	जां.चांपा	बलौदा	पंतोरा	बुढना	1.36	1.14	1.34	1.16		-
11	जां.चांपा	बलौदा	पंतोरा	अंगारखार	1.85	0.00	0.14	1.71		-
12	जां.चांपा	बलौदा	पंतोरा	डोंगीपण्डी	0.42	1.27	1.22	0.47		-
13	जां.चांपा	बलौदा	पंतोरा	खिसोरा	0.35	2.37	1.34	1.38		-
14	जां.चांपा	बलौदा	पंतोरा	खमदेई	0.50	0.00	0.00	0.50		-
15	जां.चांपा	बलौदा	जांजगीर	पहरिया	0.61	2.52	2.27	0.86		-
16	जां.चांपा	बलौदा	जांजगीर	गतवा	3.13	2.79	1.82	4.10		-
17	जां.चांपा	बलौदा	जांजगीर	देवरी	0.57	0.00	0.00	0.57		-
18	जां.चांपा	बलौदा	जांजगीर	बेलटूकरी	2.52	9.03	5.70	5.85		-
19	जां.चांपा	बलौदा	जांजगीर	बहेरापाली	0.21	0.01	0.00	0.22		-
20	जां.चांपा	बलौदा	जांजगीर	दहकोनी	0.38	5.80	5.94	0.24		-
21	जां.चांपा	बलौदा	जांजगीर	खोहा	0.01	0.00	0.00	0.01		-
22	जां.चांपा	बलौदा	अकलतरा	अमलीपाली	2.83	0.69	0.72	2.80		-
23	जां.चांपा	बलौदा	अकलतरा	सोनडीह	0.00	0.00	0.00	0.00		-
24	जां.चांपा	बलौदा	अकलतरा	चंगोरी	0.39	0.00	0.00	0.39		-
25	जां.चांपा	बलौदा	अकलतरा	पिपरदा	0.40	0.01	0.18	0.23		-
26	जां.चांपा	बलौदा	अकलतरा	दल्हापोड़ी	0.00	0.00	0.00	0.00		-
27	जां.चांपा	बलौदा	अकलतरा	कटघरी	0.41	5.06	2.40	3.07		-
28	जां.चांपा	बलौदा	अकलतरा	पड़रिया	0.01	1.10	0.18	0.93		-

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र अंतर्गत परिचय	वन प्रबंधन समिति का नाम	01.04.2020 की स्थिति में शेष राशि	वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय की गई धनराशि	व्यय की गई राशि	31 मार्च 2021 की स्थिति में शेष धनराशि	समिति के गठन का उद्देश्य	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	दोरला	0.42	1.99	1.20	1.21		-
30	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	बरबसपुर	0.00	0.00	0.00	0.00		-
31	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	तरौद	0.30	2.35	1.08	1.57		-
32	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	पकरिया	0.32	14.65	8.76	6.21		-
33	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	भिलौनी	0.32	0.00	0.00	0.32		-
34	जांज.चांपा	बलौदा	अकलतरा	हरदी	0.00	0.00	0.00	0.00		-
35	जांज.चांपा	चांपा	चांपा	तलवा	3.73	1.23	0.29	4.67		-
36	जांज.चांपा	चांपा	चांपा	छीतापंडरिया	0.65	0.00	0.00	0.65		-
37	जांज.चांपा	चांपा	चांपा	लोहराकोट	0.08	0.00	0.00	0.08		-
38	जांज.चांपा	चांपा	चांपा	भदरीपाली	1.89	1.75	0.60	3.04		-
39	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	मसनिया	0.33	0.00	0.00	0.33		-
40	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	जोगरा	0.00	0.00	0.00	0.00		-
41	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	जोबा	0.93	0.60	0.54	0.99		-
42	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	उपकाचुंवा	0.65	1.86	0.54	1.97		-
43	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	देवरीपाली	0.51	0.00	0.00	0.51		-
44	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	पनारी	1.02	0.00	0.30	0.72		-
45	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	चमरवाह	0.47	1.26	0.54	1.19		-
46	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	जुङगा	0.00	0.00	0.00	0.00		-
47	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	अमलीपाली	0.25	1.12	0.54	0.83		-
48	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	गोविन्दपुर	0.00	0.00	0.00	0.00		-
49	जांज.चांपा	सक्ती	सक्ती	जगदल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00		-
50	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	जुनवानी	0.00	0.00	0.00	0.00		-
51	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	मोहागाव	0.02	0.00	0.00	0.02		-
52	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	कुरदा	0.02	0.00	0.00	0.02		-
53	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	मानिकपुर	0.01	0.00	0.00	0.01		-
54	जांज.चांपा	सक्ती	बाराद्वार	नवागाव	1.02	0.60	0.84	0.78		-

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र अंतर्गत परिवृत्त	वन प्रबंधन समिति का नाम	01.04.2020 की स्थिति में शोष राशि	वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय की गई धनराशि	व्यय की गई राशि	31 मार्च 2021 की स्थिति में शोष धनराशि	समिति के गठन का उद्देश्य	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	जां.चांपा	सक्ती	बाराहार	सलिहामाठा	0.37	0.00	0.00	0.37		
56	जां.चांपा	सक्ती	बाराहार	रैनखोल	0.10	2.64	0.96	1.78		
57	जां.चांपा	सक्ती	बाराहार	धुईचुवा	0.06	3.78	2.16	1.68		
58	जां.चांपा	सक्ती	बाराहार	गुडवा	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	जां.चांपा	सक्ती	बाराहार	धनपुर	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	जां.चांपा	सक्ती	बाराहार	सोनगुडा	1.28	0.00	0.00	1.28		
61	जां.चांपा	सक्ती	बाराहार	बहेरा	0.64	0.72	0.96	0.40		
62	जां.चांपा	सक्ती	बाराहार	सुन्दरेली	0.67	0.00	0.00	0.67		
63	जां.चांपा	सक्ती	बाराहार	नगरदा	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	जां.चांपा	सक्ती	बाराहार	डूमरपारा	0.00	0.19	0.00	0.19		
65	जां.चांपा	सक्ती	बाराहार	ऋषमतीर्थ	0.12	1.32	0.66	0.78		
जांजगीर-चांपा वनमण्डल योग :-					43.53	89.41	56.30	76.64		
महायोग :-					202.08	188.50	201.95	188.63		

अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
भनालय, नवा रायपुर, अटल नगर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
संयुक्त वन प्रबंधन/नीति विश्लेषण
र.दि.नं.३००

पारिशेष - सत्ताईस

पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 2550) की जानकारी

प्रपत्र-31

राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी 2024 तक किए गए रोपण का मदवार, स्थलवार, स्थलवार, व्यय राशि तथा 31 जनवरी 2024 तक जीवित पौधे तथा उनकी देखभाल पर किए गए व्यय का वर्षवार, विकासखण्डवार विवरण

वर्ष	विकासखण्ड का नाम	मद का नाम	स्थल का नाम	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	व्यय राशि (लाख रु. में)	देखभाल पर किया गया व्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
2021-22	राजनांदगांव	मनरेगा (ब्लॉक प्लांटेशन)	कक्ष क्र.548, 549 सिवित वृक्षारोपण	1000	700	1.400	0.306
2021-22	राजनांदगांव	मनरेगा (ब्लॉक प्लांटेशन)	ग्राम पारीखुर्द शमशानघाट	300	155	1.120	0.405
2021-22	राजनांदगांव	मनरेगा (ब्लॉक प्लांटेशन)	ग्राम कुसभी मार्ग	200	110	1.121	0.104
2021-22	राजनांदगांव	मनरेगा (ब्लॉक प्लांटेशन)	ग्राम पारीखुर्द प्रवेश द्वार	400	206	1.901	0.144
2021-22	राजनांदगांव	मनरेगा (ब्लॉक प्लांटेशन)	ग्राम देवादा स्कुल के पिछे	660	100	2.310	0.302
			योग -	2560	1271	7.852	1.261
2021-22	मानपुर	मनरेगा (आवर्ती चराई)	आवर्ती चराई कक्ष क्रमांक 952 बरेली	200	175	1.028	0.122
2021-22	मानपुर	मनरेगा (आवर्ती चराई)	आवर्ती चराई नारंगी दक्षिण सिवनी	200	160	0.958	0.089
2021-22	मानपुर	मनरेगा (आवर्ती चराई)	आवर्ती चराई कक्ष क्रमांक 951 खैरकट्टा	200	170	0.867	0.088
2021-22	मानपुर	मनरेगा (आवर्ती चराई)	आवर्ती चराई कक्ष क्र.1008 पिट्टेमेटा	200	162	0.756	0.108
2021-22	मानपुर	मनरेगा (आवर्ती चराई)	आवर्ती चराई कक्ष क्रमांक 1036 सरखेड़ा	200	158	0.748	0.089
2021-22	मानपुर	मनरेगा (आवर्ती चराई)	आवर्ती चराई कक्ष क्र.1071 हालेपायली	200	168	0.819	0.085
2021-22	मानपुर	मनरेगा (आवर्ती चराई)	आवर्ती चराई कक्ष क्र. 1073 हालेपायली	200	156	0.797	0.099
			योग -	1400	1149	5.973	0.680
2021-22	डोंगरगढ़	कैम्पा योजना अंतर्गत असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण कार्य	मडियान वन कक्ष क्र. 453	16500	15207	11.400	6.800
2021-22	डोंगरगढ़	मनरेगा (आवर्ती चराई)	बागदरी पी/594	200	144	8.079	0.000
2021-22	डोंगरगढ़	मनरेगा (आवर्ती चराई)	नवाटोला पी/593	200	157	10.750	0.000

वर्ष	विकासखण्ड का नाम	मद का नाम	स्थल का नाम	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	व्यय राशि (लाख रु. में)	देखभाल पर किया गया व्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
2021-22	जोगरगढ़	मनरेगा (आवर्ती चराई)	बागरेकसा (गौटियाटोला) पी/553	200	165	7.310	0.000
			योग -	17100	15673	37.539	6.800
2021-22	छुईखदान	विभागीय योजना (7563) अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण कार्य	जामगांव कक्ष क्र. पी/29 बी	33000	30360	16.310	19.380
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (आवर्ती चराई)	पैलीभेटा पी/15	200	155	6.530	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (आवर्ती चराई)	मानपुर पहाड़ी पी/93	200	166	8.450	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (आवर्ती चराई)	सेतवा पी/91	200	175	9.640	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (आवर्ती चराई)	मानपुर पी/03	200	172	8.050	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (आवर्ती चराई)	ठाकुरटोला पूर्व पी/107	200	167	9.310	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (आवर्ती चराई)	रेंगाखार पी/118	200	143	6.090	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (आवर्ती चराई)	सरईपतेरा पी/44	200	152	9.980	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (आवर्ती चराई)	कनसिनघा पी/138	200	163	0.760	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (आवर्ती चराई)	झिलमिली पी/176	200	174	10.740	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	नवागाँव - 165	200	164	0.990	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	काशीबहरा - 190	200	169	1.030	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	जुरलाखार, कौहाबहरा - 247	200	171	0.990	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	गावे - 251	200	166	1.040	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	बेगरी - 13	100	72	0.420	0.000

वर्ष	विकासखण्ड का नाम	मद का नाम	स्थल का नाम	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	व्यय राशि (लाख रु. में)	देखभाल पर किया गया व्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	बेगरी - 15	100	69	0.260	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	गोलारडीह - 35	100	77	1.150	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	मोहगोंव दरबानटोला पहाड़ी मानपुर - 93	100	67	1.220	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	चोगर - 136	200	167	2.390	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	समुंदपानी - 160	100	73	0.000	0.000
2021-22	छुईखदान	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	बकरकट्टा	100	68	0.000	0.000
			योग -	36400	33090	95.350	19.380
2021-22	खैरागढ़	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	घाघरा -273	100	75	0.115	0.000
2021-22	खैरागढ़	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	मलौदा - 252	200	172	0.360	0.000
2021-22	खैरागढ़	मनरेगा योजना (एफ.आर.ए)	कटेमा - 291	100	76	0.234	0.000
			योग -	400	323	0.709	0.000
स.ग. राज्य वन विकास निगम							
			521	37500	30858	1.610	8.644
			PF/778 X	50000	40333	2.146	11.526
			PF/782 X	27500	22072	1.181	6.339
			PF/774	40000	32069	1.717	9.221
			477	75000	62090	3.220	17.289
			484	40000	32042	1.717	9.221
			482	57500	46634	2.468	13.255
			558	87500	70380	3.756	20.170
			519	50000	40777	2.146	11.526
			PF/762	100000	81591	4.293	23.052
			496	55000	44535	2.361	12.679
			493	62500	50291	2.683	14.407
			455	62500	50536	2.683	14.407
			472	40000	32201	1.717	9.221
2021	मोहला	निगम मद					

वर्ष	विकासखण्ड का नाम	मद का नाम	स्थल का नाम	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	व्यय राशि (लाख रु. में)	देखभाल पर किया गया व्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
		योग -		785000	636409	33.699	180.957
2021	मानपुर	निगम मद	540	62500	50655	2.683	14.407
			557-I	75000	60138	3.220	17.289
			557-II	45000	36056	1.932	10.373
			575	60000	48266	2.576	13.831
			545	45000	36117	1.932	10.373
		योग -		287500	231232	12.342	66.274
2021	अम्बागढ़ चौकी	निगम मद	437	62500	50426	2.683	14.407
			430	75000	60359	3.220	17.289
		योग -		137500	110785	5.903	31.696
		योग वन विकास निगम (2021) -		1210000	978426	51.944	278.927
			कुलयोग - 2021-22	1267860	1029932	199.367	307.048
2022-23	राजनांदागांव	कृष्ण कुंज वृक्षारोपण	कौरिनभावा ख.नं.171	500	430	20.335	5.000
2022-23	राजनांदागांव	ए.डी.बी. प्रोजेक्ट	प्रेस क्लब पनेका रोड	200	170	1.666	1.253
		योग -		700	600	22.001	6.253
2022-23	डोंगरगांव	कृष्ण कुंज वृक्षारोपण	डोंगरगांव ख.नं. 7/1, 7/3	250	250	13.446	4.682
		योग -		250	250	13.446	4.682
2022-23	छुरिया	बिगड़े वनों का सुधार	चाबुकनाला 595	17468	17200	18.478	1.777
2022-23	छुरिया	बिगड़े वनों का सुधार	भरीटोला 509	22000	19800	23.638	3.313
2022-23	छुरिया	बिगड़े वनों का सुधार	घोघरे पी 653	7500	6675	11.133	1.599
2022-23	छुरिया	बिगड़े वनों का सुधार	गेरुघाट आरेज 1103	3894	3850	4.074	0.586
2022-23	छुरिया	बिगड़े वनों का सुधार	गेरुघाट आरेज 1109	14883	13990	15.753	2.241
2022-23	छुरिया	बिगड़े वनों का सुधार	गेरुघाट पी 633	72000	68400	83.036	11.554
2022-23	छुरिया	कृष्ण कुंज वृक्षारोपण	चंदेनीडीह ख.नं. 44	250	245	10.072	1.900

वर्ष	विकासखण्ड का नाम	मद का नाम	स्थल का नाम	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	व्यय राशि (लाख रु. में)	देखभाल पर किया गया व्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
2022-23	छुरिया	कैम्पा क्षतिपूर्ति वृक्षा.	ख.नं. 2,3,4	10170	10120	23.025	3.807
2022-23	छुरिया	बिगड़े वनों का सुधार	I चारभाटा 528	33000	32340	42.310	2.522
2022-23	छुरिया	कैम्पा सिंचित वृक्षारोपण	कक्ष क्र. 532	16500	16500	21.249	2.674
			योग -	197665	189120	252.768	31.973
2022-23	अं.चौकी	बिगड़े वनों का सुधार	I बिटेझर ओ.ए.1132	11000	10120	11.878	1.342
2022-23	अं.चौकी	बिगड़े वनों का सुधार	I बिटेझर ओ.ए.1135	11000	10450	11.830	1.343
2022-23	अं.चौकी	कृष्ण कुंज वृक्षारोपण	अं.चौकी ख.नं. 489	250	250	10.838	1.364
			योग -	22250	20820	34.546	4.049
2022-23	छुईखदान	कैम्पा योजना अंतर्गत सिंचित वृक्षारोपण कार्य	कक्ष क्रमांक पी/94	33000	33000	48.450	4.950
			योग -	33000	33000	48.450	4.950
छ.ग. राज्य वन विकास निगम							
			PF475	40000	34713	1.835	5.305
			514	45000	39044	2.064	5.969
2022	मोहला	निगम मद	PF498	60000	50480	2.752	7.958
			461	40000	34444	1.835	5.305
			PF510	50000	43354	2.293	6.632
			योग -	235000	202035	10.778	31.169
2022	मानपुर	निगम मद	PF 540	22500	19183	1.032	2.984
			योग -	22500	19183	1.032	2.984
2022	अम्बागढ़ चौकी	निगम मद	PF 386	45000	38571	2.064	5.969
			योग -	45000	38571	2.064	5.969
2022	मोहला	हरियर छ.ग. योजना	पण्डरवानी	15400	14228	15.879	12.566
			वन विकास निगम योग वर्ष 2022-23	317900	274017	29.753	52.688
			योग - 2022-23	571765	517807	400.964	104.595

वर्ष	विकासखण्ड का नाम	मद का नाम	स्थल का नाम	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	व्यय राशि (लाख रु. में)	देखभाल पर किया गया व्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-24 (31 जनवरी 2024 तक)	अं चौकी	विभागीय बांस रोपण	कक्षा क्रमांक 1143 C/III बिटेडर	4000	3569	4.673	0.723
			योग --	4000	3569	4.673	0.723
			कुल योग -- 2023-24	167760	165049	130.264	9.005
			सहायोग --	2007385	1712788	730.595	420.648


अ.प्र.मु.व.सं. (विकास) योजना
छत्तीसगढ़, अटल नगर
भारत


अ.प्र.मु.व.सं. (विकास) योजना
छत्तीसगढ़, अटल नगर
भारत

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परीशेष - अट्टाईस

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 434) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

वित्तीय वर्ष	खेल सामग्री हेतु राशि का आवंटन (रूपये में)	खेल का नाम	सामग्री का नाम	प्रदाय की गई राशि (रूपये में)
2021-22	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2022-23	401500	कबड्डी	कबड्डी शूज़, कबड्डी किट, स्लैक्स, कैप सपोर्टर, नीकेप, एकलेट	179820
		एथलेटिक्स	हर्डल्स, मेजरिंग टेप, स्टापवॉच, शॉटपुट, डिस्कस, जेवलिन, एथलेटिक शू, ड्रेस बालक/बालिका हेतु, स्टार्टिंग ब्लॉक, रिले बॉटम	136980
		हॉलीबॉल	हॉलीबॉल निव्या प्रैक्टिस, हॉलीबॉल निव्या जी 20-20 मैच, हॉलीबॉल पोल, शू, टी-शर्ट, निक्कर बालिका, हॉलीबॉल नेट हैवी क्वालिटी, हॉलीबॉल नेट प्रैक्टिस क्वालिटी	68880
		फुटबॉल	फुटबॉल बॉल	15600

अनुमोदित अधिकारी
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर. (छ.ग.)

प्रपत्र - "ब"

वित्तीय वर्ष	विकासखण्ड का नाम	खेल प्रतियोगिता का नाम	खेल प्रतियोगिता के लिए आवंटित राशि (रूपये में)	व्यय राशि (रूपये में)	स्वीकृत/ अनुशंसाकर्ता अधिकारी का नाम
2021-22	मोहला	विकासखण्ड स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता	50000	25000	सहायक संचालक राजनांदगांव
	मानपुर			25000	सहायक संचालक राजनांदगांव
2022-23	मोहला	महिला दिवस के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिता	10000	5000	सहायक संचालक राजनांदगांव
	मानपुर			5000	सहायक संचालक राजनांदगांव
	मोहला	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	50000	0	-
	मानपुर			0	-
	मोहला	खेल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन	50000	0	-
	मानपुर			0	-
	मोहला	महिला खेल प्रतियोगिता	300000	0	-
	मानपुर			0	-
	अबागढ़ चौकी			0	-
	मोहला	विकासखण्ड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पारितोषिक	783000	783000	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहला
	मानपुर			783000	
	मोहला	जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पारितोषिक	1566000	1566000	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहला
	मोहला	सभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पारितोषिक	28000	28000	सहायक संचालक राजनांदगांव
	मानपुर				
मोहला	राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पारितोषिक	10000	10000	सहायक संचालक राजनांदगांव	
मानपुर					
योग			3630000	3230000	

अनुभाग अधिकारी
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
अंचालय, महाजदी भवन
मानपुर (ख.प्र.)

पारिशेष्ट - उन्तीस

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 4 (क्र. 589) की जानकारी

प्रपत्र

नगर पालिका कांकेर

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	क्र.	कार्यों का विवरण	किस एजेंसी द्वारा कार्य कराया गया नाम	वर्तमान में कार्य की प्रगति	ठेकेदार को कितना भुगतान कराया गया	कार्यों में क्या गुणवत्ता की जांच कराई गई है ? यदि नहीं तो क्यों	क्या इन कार्यों में सफ्ताई का परीक्षण किया गया है ? अगर नहीं तो किस आधार पर भुगतान कराया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2022-23	अधोसंरचना मद	1	कांकेर शहर में जल आवर्धन योजना अंतर्गत छुटे हुए वार्डों में पाईप-लाईन विस्तार 01 कार्य	किरण कंस्ट्रक्शन कंपनी भिलाई	वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।	59,35,385.00 (अक्षरी - उन्ताठ लाख पैंतिस हजार तीन सौ पचयासी रू. मात्र)	जी हॉ, पाईप की गुणवत्ता की जांच कराई गयी है।	जी, हॉ इन कार्यों में सफ्ताई का परीक्षण किया गया है।
	योग								
2	2023-24 (31 दिसंबर 2024 तक)								
	योग						5935385.00		

निरंक

अनुमोदित अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया भवालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष्ट - तीस


अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1113) की जानकारी


प्रपत्र

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

(राशि रु. लाख में)


स. क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	राशि	निविदा प्राप्त ठेकेदार/एजेंसी/ फर्म का नाम	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	बिलासपुर जिले के खारग जलाशय के कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्य (PMKSY) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।	2021-22	3297.35	एम.बी. कन्स्ट्रक्शन	727.63	कार्य प्रगति पर
				आर.पी.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	242.69	कार्य प्रगति पर
2	बिलासपुर जिले के विकासखण्ड मस्तूरी अतर्गत मौंगरा जलाशय उन्नयन कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	2021-22	122.55	एस. के. मिनेरल्स	134.78	कार्य पूर्ण
3	बिलासपुर जिले के अतर्गत बोहारडीह स्टापडेम निर्माण कार्य	2021-22	201.85	श्री अच्छेलाल अग्रवाल	169.00	कार्य प्रगति पर
4	शिवनाथ नदी पर ग्रामकुकुर्दी के पास डाइक निर्माण कार्य	2021-22	170.38	मेसर्स विनीत सिंह कन्स्ट्रक्शन	137.47	कार्य पूर्ण
5	शिवनाथ नदी पर ग्राममनुआ के पास डाइक निर्माण कार्य	2021-22	160.49	मेसर्स विनीत सिंह कन्स्ट्रक्शन	129.16	कार्य पूर्ण
	योग :-		3952.62		1540.73	
1	बिलासपुर जिले के खारग जलाशय अतर्गत मानिकचौरी वितरक नहर का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति	2022-23	297.97	श्री महेश प्रसाद अग्रवाल	183.14	कार्य प्रगति पर
2	बिलासपुर जिले के विकासखण्ड मस्तूरी के अंतर्गत खारग जलाशय योजना के पौड़ी शाखा नहर के आर.डी. 5700 मी पर स्थित क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट का पुर्ननिर्माण कार्य	2022-23	217.75		-	निविदा प्रक्रियाधीन
3	बिलासपुर जिले के चिल्हाटी स्टापडेम निर्माण कार्य	2022-23	230.04		-	निविदा प्रक्रियाधीन
	योग :-		745.76		183.14	
1	बिलासपुर जिले के ग्राम.डांडकी में बधवा जलाशय का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य	2023-24	200.44		-	निविदा प्रक्रियाधीन
2	बिलासपुर जिले के खारग जलाशय अतर्गत नरगोडा शाखा नहर पौड़ी शाखा एवं कौड़िया शाखा नहर एवं पक्के कार्य का सुदृढ़ीकरण कार्य	2023-24	296.25		-	तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन
3	बिलासपुर जिले के विकासखण्ड मस्तूरी अतर्गत शिवनार्थ नदी पर कुकुर्दी, अमलडीहा एनीकट का निर्माण कार्य	2023-24	4361.67		-	निविदा प्रक्रियाधीन
	योग :-		4858.36		-	


अनुभव सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)


प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर

ऑनलाईन नामांतरण के प्राप्त प्रकरण, ऑनलाईन नामांतरण किये गये
प्रकरण एवं खारिज प्रकरणों की जानकारी

क.	वर्ष	ऑनलाईन नामांतरण के प्राप्त कुल प्रकरण	ऑनलाईन नामांतरण किये गये कुल प्रकरण	ऑनलाईन नामांतरण के कुल खारिज प्रकरण
1	3	4	5	6
1	वर्ष 2021-22	391551	362533	26880
2	वर्ष 2022-23	467583	418985	46291
3	वर्ष 2023-24	135567	105549	12251
महायोग		994701	887067	85422


अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आयदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)

परिशेष - बत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1293) की जानकारी


प्रपत्र

जिला बिलासपुर के बजट में सम्मिलित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति।


क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की स्थिति		जिन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, उसका कारण	प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी की जावेगी
		हों	नहीं		
1	2	3	4	5	
वित्तीय वर्ष 2023-24					
1	जिला बिलासपुर के शनिचरी स्पटा से साईस कालेज मार्ग ओ. डी.आर.-17 लं. 1.70 किमी	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
2	जिला बिलासपुर के मल्हार से चिल्हाटी मार्ग (व्हाया ओखर, गिधपुरी, बहतारा, भटचौरा, (चिल्हाटी) लं. 14.20 किमी एम.डी. आर.-354	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
3	जिला बिलासपुर के बिलासपुर पासीद मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य लं. 30.00 किमी	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
4	जिला बिलासपुर पेण्डीडीह बायपास चौक से ग्राम रहंगी पहुंच मार्ग लं. 3.00 किमी	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
5	जिला बिलासपुर के बिलासपुर रतनपुर मुख्य मार्ग में स्थित खंडोबा मंदिर रतनपुर से रानीगांव तक पहुंच मार्ग का निर्माण लं. 2.00 किमी	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर


क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की स्थिति		जिन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, उसका कारण	प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी
		हाँ	नहीं		
1	2	3	4	5	
6	जिला बिलासपुर के सेंदरी कोनी बायपास मुख्य मार्ग के ग्राम रमतला से भदौरियाखार बरपाली होते हुए गतौरी तक मार्ग निर्माण लं. 2.20 किमी	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
7	जिला बिलासपुर के कडरी सलखा मार्ग का निर्माण लं. 1.00 किमी	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
8	जिला बिलासपुर के पत्रकार कालोनी पहुँच मार्ग का निर्माण लं. 2.72 किमी	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
9	जिला बिलासपुर के सिंघरी लखराम मार्ग का मजबूतीकरण कार्य लं. 8.90 किमी	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
10	जिला बिलासपुर के पचपेड़ी से चिल्हाटी मार्ग (ख्वाया भरारी, बोहारडीह, लोहर्सी, चिल्हाटी) लं. 14.00 किमी	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
11	जिला बिलासपुर के सीपत नवाडीह चौक से मोहरा झलमला मार्ग लं. 6.60 किमी	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
12	जिला बिलासपुर के बोहारडीह से कैवटाडीह भूतहा मार्ग लंबाई 3.00 किमी	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
13	जिला बिलासपुर के बिरगहनी से बासांझाल सड़क पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य लं. 3.00 किमी	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।


अनुभाग अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर


क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की स्थिति		जिन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, उसका कारण	प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी की जावेगी
		हों	नहीं		
1	2	3	4	5	
14	जिला बिलासपुर के लोहर्सी से सोनसरी केनाल मार्ग लं. 3.00 किमी का निर्माण कार्य	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
15	जिला बिलासपुर के बिटकुला निरतू मार्ग लं. 4.00 किमी का निर्माण कार्य	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
16	जिला बिलासपुर के सीपत के नवाडीह चौक से पुराना दर्राभाठा रोड का डामरीकरण लं. 4.00 किमी (7 मीटर चौड़ाई में) निर्माण कार्य	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
17	जिला बिलासपुर के सीपत में समताभाठा से देवरहा मंदिर तक लं. 2.00 किमी (5.50 मीटर चौड़ाई में) निर्माण कार्य	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
18	जिला बिलासपुर के ग्राम पंचायत पेण्डी से खोरसी पहुंच मार्ग में पुल निर्माण सहित डामरीकरण कार्य लं. 3.50 किमी निर्माण कार्य	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
19	जिला बिलासपुर के अंतर्गत रतनपुर कोटा लोरसी मार्ग के किमी 6/8 में स्थित चांपी नाला पर सेतु निर्माण कार्य	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
20	जिला बिलासपुर के डुटेना धौराभाठा मुख्य जिला मार्ग क्र. 18 के लं. 4.40 कि.मी. का उन्नयन, मजबूतीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
21	जिला बिलासपुर के खटोला से सकेरी पहुंच मार्ग का उन्नयन, मजबूतीकरण एवं डामरीकरण कार्य। लं. 2.00 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।


अनुभाग अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर


क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की स्थिति		जिन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, उसका कारण	प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी की जावेगी
		हों	नहीं		
1	2	3		4	5
22	जिला बिलासपुर के नवापारा से कपसिया खुर्द मार्ग का निर्माण कार्य। लंबाई - 1.50 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
23	जिला बिलासपुर के मोढे से जरेली मार्ग का निर्माण कार्य। लंबाई - 2.50 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
24	जिला बिलासपुर के बिनौरी से विध्यासर मार्ग का निर्माण कार्य। लंबाई - 3.00 कि.मी. वालं.- 3.20 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
25	जिला बिलासपुर के घानापार से पंडरीपार मार्ग का निर्माण कार्य। लंबाई - 4.00 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
26	जिला बिलासपुर के पोडी से चकराकुड मार्ग का निर्माण कार्य। लंबाई - 2.50 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
27	जिला बिलासपुर के सकरर से टाडबाधा मार्ग का निर्माण कार्य। लंबाई - 2.50 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
28	जिला बिलासपुर के खरकेना से छोटा मेडपार मार्ग का निर्माण कार्य। लंबाई - 5.00 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
29	जिला बिलासपुर के लिम्ही से पोडी मार्ग का निर्माण कार्य। लंबाई - 3.00 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।


अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की स्थिति		जिन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, उसका कारण	प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी की जावेगी
		हों	नहीं		
1	2	3	4	5	
30	जिला बिलासपुर के वैकल्पिक प्रवेश मार्ग तिफरा स्थित यदुनदन नगर सब्जी बाजार से प्रारंभ, अमरी रेलवे क्रासिंग मार्ग से गौरवपथ तक का डामरीकरण, मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य। लं. 3.50 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
31	जिला बिलासपुर के छतौना से हिरी माइंस मार्ग का उन्नयन एवं डामरीकरण कार्य। लं.- 2.00 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
32	जिला बिलासपुर के मोहनभाठा से खरगहना मार्ग का मजबूतीकरण, उन्नयन एवं डामरीकरण कार्य। लं. 5.60 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
33	जिला बिलासपुर के सावाडबरा से सिलतरा मार्ग का मजबूतीकरण, उन्नयन एवं डामरीकरण कार्य। लं. 2.40 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
34	जिला बिलासपुर के कोटा लोरमी पंडरिया (राज्य मार्ग क्र. 10) के ए.डी.बी. द्वारा छोड़े गये भाग कि.मी. 1 अछूरे कार्य का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं डामरीकरण कार्य। लं. 1.00 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
35	जिला बिलासपुर के ग्राम पंचायत कौंचरा से ग्राम सुखेना होते हुए ग्राम पहंदा तक मार्ग लं. 4.00 कि.मी. का निर्माण।	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
36	जिला बिलासपुर के बेलगहना लूफा मार्ग का मजबूतीकरण एवं डामरीकरण कार्य। लं. 4.50 कि.मी.	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।


अनुभाग अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की स्थिति		जिन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, उसका कारण	प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी की जावेगी
		हों	नहीं		
1	2	3	4	5	
37	जिला बिलासपुर के बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग के कि.मी. 726/1-2 पर रेलवे क्रॉसिंग उसलापुर के पास नवीन रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
38	बिलासपुर कटनी रेल मार्ग के कि.मी. 724/8-10 पर अमेरी के पास रेलवे अप्डर ब्रिज का निर्माण।	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
39	जिला बिलासपुर के मैसबोड़ गेट कि.मी. 736/3-5, लेवल क्रॉसिंग क्र. 374 पर रेलवे अप्डरब्रिज का निर्माण में भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य।	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
40	जिला बिलासपुर के मदकूदीप-ताला (पुरातात्विक गांव) मार्ग में शिवनाथ नदी में उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण।	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
41	जिला बिलासपुर के मोहदी-लुकउकापा से मोहदा मार्ग पर मनियारी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
42	जिला बिलासपुर के बिलासपुर शहर के सिंग रोड पर अग्रसेन चौक पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कार्य (पलाई ओवर)	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
43	जिला बिलासपुर के मंगला से लोधीपारा (सरकंडा) कोनी मार्ग के अरपा नदी पर पुल का निर्माण।	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
44	जिला बिलासपुर के अमराईपारा- सरवन देवरी मार्ग में खारुन नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	-	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।



अनुभाग अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, गयामर

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की स्थिति		जिन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, उसका कारण	प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी
		हों	नहीं		
1	2	3	4	5	
45	जिला बिलासपुर के बिल्लीबंद-कुंआजति मार्ग में अरपा नदी पर पुल निर्माण।	—	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
46	जिला बिलासपुर के बेलगहना-कोचरा-खोगसरा मार्ग के कि.मी. 1/6 पर डोंगा नाला पर पुल निर्माण।	—	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
47	जिला-बिलासपुर के जुनवानी-कटहा-सेमरिया मार्ग में सेमरिया घाट के पास लीलागर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	—	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
48	जिला-बिलासपुर के ग्राम कुकदा से उड़ंगी- महिमाट-बसहा पहुँच मार्ग में पुलिया निर्माण।	—	नहीं	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
योग :- 48 कार्य		—	48 अप्राप्त		



मुख्य अभियंता (योजना)

कार्यालय प्रमुख अभियंता

ए.सी.नि.वि., नवा रायपुर, अलट नगर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अलट नगर, रायपुर

परिशेष - तैतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1345) की जानकारी

प्रपत्र

विषय : भैरवबाबा मंदिर से रतनपुर नगर के अंदर निर्माणाधीन पक्की सड़क निर्माण।

क्र.	मद का नाम	सड़क का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि		सड़क निर्माण हेतु कार्य एजेंसी / ठेकेदार का नाम	अनुबंधानुसार पूर्णता की निर्धारित अवधि में पूर्ण / प्रगति	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि
				कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार पूर्णता दिनांक			
1	24-5054 (4336) राज्यों में सड़कों का निर्माण	3 जिला बिलासपुर के खण्डोबा मंदिर से महामाया चौक, रतनपुर खूंटाघाट तक फोरलेन मार्ग का निर्माण लंबाई 10.00 किमी (वास्तविक लंबाई 9.70 किमी)	4 रु 2208.87 लाख दिनांक 28.01.2022	5 23.12.2022	6 22.03.2024	7 मेसर्स अनिल बिल्डकॉन	8 पूर्णता की निर्धारित अवधि शेष है तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।	9 15.04.2024
		योग-1 कार्य	2208.87			-	-	-

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

स्म
मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि., नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)


परिशेष - चौतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1557) की जानकारी

क्र.	वर्ष	शिकायत/जानकारी प्राप्त होने का दिनांक	शिकायत/जानकारी प्राप्त होने का दिनांक	शिकायत/जानकारी कहीं से प्राप्त हुई	कृत कार्यवाही का विवरण	दोषी पाये गये व्यक्ति विवरण		रिपोर्ट
						निरंक	निरंक	
1	2021-22							
2	2022-23							
3	2023-24 (जनवरी 2024 की स्थिति में)	06.04.2023	नवभारत में प्रकाशित खबर दिनांक 12 अक्टूबर 2019 एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर दिनांक 06.04.2023	इदागांव परिक्षेत्र के अंतर्गत अवैध नामक बस्ती सोरनामाल अतिक्रमित क्षेत्रफल 188.780 हेक्टेयर में 69 अतिक्रमणकारियों द्वारा लगभग 10-12 वर्षों पूर्व ही अवैध कटाई कर अतिक्रमण किया गया था जिसके विरुद्ध 12 पी.ओ.आर. दिनांक 28.04.2020, 20.04.2020, 03.05.2020 को जारी कर नियमानुसार कार्यवाही में लिया गया है। उक्त कब्जाधारियों के पास वर्ष 2005 के पूर्व काबिज होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के पश्चात् बेदखली आदेश क. 63 दिनांक 03.04.2023 को जारी कर बेदखली कार्यवाही की गई है। (सुलभ संदर्भ हेतु जारी बेदखली आदेश की प्रति संलग्न है जिसमें क्रमशः अतिक्रमणकारियों को जारी पी.ओ.आर./दिनांक उल्लेखित है)	श्री सोनाधार व. युक्तचंद, एवं अन्य 68 अतिक्रमणकारी			
4		06.04.2023	दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर दिनांक 06.04.2023	इदागांव परिक्षेत्र के अंतर्गत अवैध नामक बस्ती गोहरामाल अतिक्रमित क्षेत्रफल 151.198 हेक्टेयर में 70 अतिक्रमणकारियों द्वारा लगभग 10-12 वर्षों पूर्व ही अवैध कटाई कर अतिक्रमण किया गया था जिसके विरुद्ध 08 पी.ओ.आर. दिनांक 11.04.2023 को जारी कर नियमानुसार कार्यवाही में लिया गया है। उक्त कब्जाधारियों के पास वर्ष 2005 के पूर्व काबिज होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के पश्चात् बेदखली आदेश क. 88 दिनांक 12.05.2023 को जारी कर दिनांक 19.05.2023 को बेदखली कार्यवाही कर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। (सुलभ संदर्भ हेतु जारी बेदखली आदेश की प्रति संलग्न है जिसमें क्रमशः अतिक्रमणकारियों को जारी पी.ओ.आर./दिनांक उल्लेखित है)	श्री जलोराव व. हरिसिंह एवं अन्य 69 अतिक्रमणकारी			
5		06.04.2023	दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर दिनांक 06.04.2023 एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर 09.06.2023	तोरैगा परिक्षेत्र के अंतर्गत अवैध नामक बस्ती ईचरादी अतिक्रमित क्षेत्रफल 158.724 हेक्टेयर में 65 अतिक्रमणकारियों द्वारा लगभग 10-12 वर्षों पूर्व ही अवैध कटाई कर अतिक्रमण किया गया था जिसके विरुद्ध पी.ओ.आर. क. 159/18 से 159/24 तक कुल 07 दिनांक 13.04.2023 को जारी कर नियमानुसार कार्यवाही में लिया गया है। उक्त कब्जाधारियों के पास वर्ष 2005 के पूर्व काबिज होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के पश्चात् बेदखली आदेश क. /90 दिनांक 16.05.2023 को जारी कर दिनांक 26.05.2023 को बेदखली कार्यवाही कर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। (सुलभ संदर्भ हेतु जारी बेदखली आदेश की प्रति संलग्न है जिसमें क्रमशः अतिक्रमणकारियों को जारी पी.ओ.आर./दिनांक उल्लेखित है)	श्री आसमन व. वारिया गोड 64 अतिक्रमणकारी			

क्र.	वर्ष	शिकायत/जानकारी प्राप्त होने का दिनांक	शिकायत/जानकारी कहीं से प्राप्त हुई	कृत कार्यवाही का विवरण	दोषी पाये गये व्यक्ति विवरण	रिमांक
6	2023-24 (जनवरी 2024 की स्थिति में)	06.04.2023	शिकायत/जानकारी कहीं से प्राप्त हुई	<p>तौरगा परिक्षेत्र के अंतर्गत अवैध नामक वस्ती टागरान अतिक्रमिता क्षेत्रफल 69.574 हेक्टेयर में 30 अतिक्रमणकारियों द्वारा लगभग 10-12 वर्षों पूर्व ही अवैध कटाई कर अतिक्रमण किया गया था जिसके विरुद्ध पी.ओ.आर. क्र. 170/03 से 170/06 तक कुल 04 दिनांक 30.05.2023 को जारी कर नियमानुसार कार्यवाही में लिया गया है। उक्त कब्जाधारियों के पास वर्ष 2005 के पूर्व का बिजुल होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके पश्चात अतिक्रमणकारियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के याचिका को रद्द करते हुए टिप्पणी की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अतिक्रमणकारियों के याचिका को रद्द करते हुए टिप्पणी की है कि वन विभाग नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सक्षम है बशर्त अतिक्रमणकारियों के पक्ष को सुना जाए एवं दिनांक 22.08.2023 के अंतर्गत अपील प्रकरण में उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परितर्कित विभाग नवा रायपुर, अटल नगर के समक्ष अपील की गई थी जिसे उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परितर्कित विभाग नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक/5037/185/2023/10-02, दिनांक 13.12.2023 के द्वारा खारिज किया गया है (आदेश की छायाप्रति संलग्न) जिसके पश्चात वेदखली आदेश क्र./02 दिनांक 02.01.2024 को जारी कर दिनांक 10.01.2024 को वेदखली कार्यवाही कर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। (सुलभ संदर्भ हेतु जारी वेदखली आदेश की प्रति संलग्न है जिसमें क्रमशः अतिक्रमणकारियों को जारी पी.ओ.आर./दिनांक उल्लेखित है)</p>	श्री उपेन्द्र व. केशनाथ गौड़ एव 29 अतिक्रमणकारियों	--
7		19.10.2023	गोपनीय सूचना के आधार पर	दिनांक 19.10.2023 को गोपनीय सूचना के माध्यम से शिकायत मिलने पर उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व के वन अमले द्वारा 03 नग ईमारती लकड़ी कटाई करते हुए आरोपी श्री गयाराम व सहदेव जाति-गौड़ ग्राम-फलसापारा तह. अमलीपदर के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक48/03 दिनांक 19.10.2023 जारी कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया है।	श्री गयाराम व. सहदेव जाति-गौड़ ग्राम-फलसापारा तह. अमलीपदर	--
8		20.10.2023	गोपनीय सूचना के आधार पर	दिनांक 20.10.2023 को गोपनीय सूचना के माध्यम से शिकायत मिलने पर उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व के वन अमले द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई करते हुए 08 आरोपियों को पकड़ कर पी.ओ.आर. क्रमांक 8434/18 दिनांक 20.10.2023 जारी कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया है।	श्री रघुनाथ पिता वैसाखु एवं 07 आरोपी	--
9		20.10.2023	गोपनीय सूचना के आधार पर	दिनांक 20.10.2023 को गोपनीय सूचना मिलने पर उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व के वन अमले द्वारा 01 नग साल वृक्ष की कटाई करते हुए आरोपी टेकधर व लखीधर जाति-गौड़ ग्राम-डुमाघाट तहसील अमलीपदर के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक 43/11 दिनांक 20.10.2023 जारी कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया है।	टेकधर व लखीधर जाति-गौड़ ग्राम-डुमाघाट तहसील अमलीपदर	--

क्र.	वर्ष	शिकायत/जानकारी प्राप्त होने का दिनांक	शिकायत/जानकारी कहां से प्राप्त हुई	कृत कार्यवाही का विवरण	दोषी पाये गये व्यक्ति विवरण	सिमांक
10	2023-24 (जनवरी 2024 की स्थिति में)	25.12.2023	वन चौकीदार द्वारा गश्ती के दौरान	दिनांक 25.12.2023 को दक्षिण साल्हेमाट बीट (परिक्षेत्र रिसगांव कोर) में गश्ती के दौरान वन अमले को ओडिशा राज्य के 15 तरकरों के टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सागोन प्लाट में घुसने की सूचना मिली जिसमें से 1 तरकर को उसी दिवस 15 साइकिल और सागोन लहो के साथ हिरासत में लिया गया अगले दिन इस तरकर की निशानदेही पर एन्टी पोचिंग टीम द्वारा 2 अन्य आरोपियों को राजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया एवं सागोन चिरान जल कर छत्तीसगढ़ लाया गया। दिनांक 27.12.2023 को धमतरी पुलिस के साइबर सेल की मदद से एन्टी पोचिंग टीम द्वारा 4 अन्य आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार किया। दिनांक 22.01.2024 को 2 अन्य आरोपियों को ओडिशा से पकड़कर हिरासत में लिया गया। इन्हीं आरोपियों की निशानदेही पर दिनांक 28.12.2023 को ओडिशा के सांगपुर से 03 आरोपियों के घर से अर्धच चिरान ओडिशा एवं उदती सीतानदी टांगयर की टीम द्वारा जलत किया गया।	आरोपी बरनू एवं 06 अन्य गिरफ्तार हुए हैं।	2 तरकर विभागीय अभिरक्षा से फरार हो गये। अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है एवं सद्विघ्न विभागीय स्टाफ की भी भूमिका की भी जांच चल रही है।
11		28.01.2024	गश्त (पेट्रोलिंग) के दौरान	28 जनवरी, 2024 को समाचार पत्र में 02 नग सागोन वृक्ष कटाई की प्रकाशन हुआ था, जबकि 25 जनवरी, 2024 को संबंधित वनरक्षक द्वारा गश्त (पेट्रोलिंग) के दौरान वन अपराध क्रमांक 79/18 दिनांक 25.01.2024 पंजीबद्ध कर प्राप्त वनोपज को अपने सुपुर्द में लिया गया है। आरोपी का पतासाजी की जा रही है।	आरोपी अज्ञात है	--
12		05.01.2024	नई दुनिया में प्रकाशित समाचार	सहायक सचालक सीतानदी एवं परिक्षेत्र अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार प्रकाशित खबर सत्य नहीं है और ग्रामीणों द्वारा उक्त अनावश्यक खबर का खडन किया गया है और किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं करना बताया गया। तत्संबंध में ग्रामीणों का पचनामा भी लिया गया है। जिसके तारतम्य में कार्यालयीन पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर (छ.ग.) को नस्तीबद्ध हेतु अनुशंसा कर भेजी जा चुकी है।	आरोपी अज्ञात है	--


 वन एवं जलसंधि विभाग
 धमतरी, नवा रायपुर, अटल नगर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
 छ.ग., अटल नगर, नवा रायपुर

प्रपत्र-ब

प्रश्नांश 'ख' की जानकारी


क्र.	वर्ष	काटे गये वृक्षों की संख्या	कहाँ कटाई हुई	अवैध कटाई से प्रभावित रकबा	अभियुक्तों का विवरण	प्रभावित व-वजलीव की संख्या	अवैध कटाई के दुष्प्रभाव की मरगाई हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही/ कार्य योजना	रिमांक
1	2021-22	निरक	निरक	निरक	निरक	निरक	कोई सिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	
2	2022-23	निरक	निरक	निरक	निरक	निरक	कोई सिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	
3	2023-24 (जनवरी 2024 की स्थिति में)	अज्ञात	इदागांव बीट के आरक्षित कक्षा क्रमांक 1218, 1217 एवं 1219 तथा फरसरा के आरक्षित कक्षा क्रमांक 1216 तथा काण्डुसर बीट के आरक्षित कक्षा क्रमांक 1222 (सौरनामाल अवैध बरती)	188.780 हेक्टेयर	श्री सोमनाथार व सुकचंद, एवं अन्य 68 अतिक्रमणकारी	संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती परन्तु उदती सीतानदी टायगर रिजर्व अलग विवरण करने वाले हल्दी, तेन्दुआ, गाल, हिरण, नीलगाय, खरगोश, गौर, सांबर, उडन गिलहरी, बड़ी गिलहरी, कोटरी, लकड़कथा, आदि प्रभावित होते हैं।	उत्क अतिक्रमित वन क्षेत्र अतिसंवेदनशील क्षेत्र होने तथा उत्क क्षेत्र में पेड़ों की कटाई कर पूरी तरह से पेड़ों को नष्ट कर दिये जाने के कारण अतिक्रमित वन क्षेत्र सौरनामाल में बड़े पैमाने में हुई कटाई का गणना कर पाना समझ नहीं होने एवं पी ओ आर (वर्ष 2020) एवं तपचीनाम में कोई भी वृक्ष/काष्ठ का उल्लेख नहीं होने कारण वृक्षों के दूढ़ की संख्या ज्ञात नहीं हो पाई है। भारतीय अतिरिक्त अनुसंधान केंद्र (राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र) से प्राप्त LISS IV सैटेलाइट वर्ष 2012 के मानचित्र एवं गुगल अर्थ पर उपलब्ध वर्ष 2014-2020 के मानचित्र एवं दिसम्बर 2022 में किये गये ड्रोन सर्वे से यह स्पष्ट है कि अतिक्रमित वन भूमि पर वृहद पेड़ों की कटाई वर्ष 2011-12 के पर्याप्त की गई थी। उत्क अतिक्रमित वन क्षेत्र अधिकांश पेड़ों को कटाई कर जला दिया जाता है, बचे हुए पेड़ों को दूढ़ संख्या 2060 नम की गणना के पर्याप्त पाया गया है।	
4		2060 नम	बनवापरा बीट के आरक्षित कक्षा क्रमांक 1239, 1243 एवं 1244 (गोहरामाल अवैध बरती)	151.198 हेक्टेयर	श्री जलोसाम व हरिसिंह एवं अन्य 69 अतिक्रमणकारी	संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती परन्तु उदती सीतानदी टायगर रिजर्व अलग विवरण करने वाले हल्दी, तेन्दुआ, गाल, हिरण, नीलगाय, खरगोश, गौर, सांबर, उडन गिलहरी, बड़ी गिलहरी, कोटरी, लकड़कथा, आदि प्रभावित होते हैं।	उत्क कार्यवाही करने के पूर्व अतिक्रमित एरिया का जीपीएस सर्वे तथा ड्रोन सर्वे अप्रैल 2023 में किया गया। तत्पश्चात भारतीय अतिरिक्त अनुसंधान केंद्र (राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र) से प्राप्त LISS IV सैटेलाइट वर्ष 2012 के मानचित्र एवं गुगल अर्थ पर उपलब्ध वर्ष 2011-2012 के मानचित्र एवं अप्रैल 2023 में किये गये ड्रोन सर्वे से यह स्पष्ट है कि अतिक्रमित वन भूमि पर वृहद पेड़ों की कटाई वर्ष 2011-12 के पर्याप्त की गई है, जिससे स्पष्ट है कि अतिक्रमित वन क्षेत्र अधिकांश पेड़ों को कटाई कर जला दिया जाता है, बचे हुए पेड़ों को दूढ़ संख्या 2060 नम की गणना के पर्याप्त पाया गया है।	


क्र.	वर्ष	काटे गये वृक्षों की संख्या	कहाँ कटाई हुई	अवैध कटाई से प्रभावित रकबा	अभियुक्तों का विवरण	प्रभावित वन्यजीव की संख्या	अवैध कटाई के दुष्प्रभाव की मरपाई हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही/ कार्य योजना	रिपोर्ट
5	2023-24 (जनवरी 2024 की रिपोर्ट में)	2519 नग	गरीबा बोट के आरक्षित वृक्ष क्रमांक 1201, एच 1202 (ईशरादी अवैध बरती)	156 724 हेक्टेयर	श्री आसमान व बारिया गौड 64 अतिक्रमणकारी	संख्या जात नहीं की जा सकती परन्तु उदती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत विवरण करने वाले हाथी, तेंदुआ, मालू, हिरण, नीलगाय, खरगोश, गौर, सांबर, उडन मिलहरी, बड़ी मिलहरी, कोल्हरी, लकड़बग्घा, आदि प्रभावित होते हैं।	वेदखली की कार्यवाही की गई।	उक्त अतिक्रमित वन क्षेत्र अधिकांश पेड़ों को कटाई कर जला दिया जाता है बचे हुए कटे हुए पेड़ों की दूढ़ एवं गड्डलिंग संख्या 2519 नग की गणना के पश्चात् पाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (राष्ट्रीय सुदूर सर्वेदन केन्द्र) से प्राप्त LISS IV सैटेलाइट वर्ष 2008 एवं 2012 के मानचित्र एवं गुगल अर्थ पर उपलब्ध वर्ष 2011-2012 के मानचित्र एवं अप्रैल 2023 में किये गये ड्रोन सर्वे से यह स्पष्ट है कि अतिक्रमित वन भूमि पर वृहद पैमाने पर वृक्षों को अवैध कटाई की गई है। जिससे स्पष्ट है कि वृक्षों की कटाई वर्ष 2008-2012 के पश्चात् की गई थी। उक्त अतिक्रमित वन क्षेत्र अधिकांश पेड़ों को कटाई कर जला दिया जाता है बचे हुए कटे हुए पेड़ों की दूढ़ एवं गड्डलिंग संख्या 2519 नग की गणना के पश्चात् पाया गया है।
6		370 नग	परिसर कोकडी कक्ष क्रमांक 1172	69 574 हेक्टेयर	श्री उपेन्द्र व केशनाथ गौड एच 29 अतिक्रमणकारियों	संख्या जात नहीं की जा सकती परन्तु उदती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत विवरण करने वाले हाथी, तेंदुआ, मालू, हिरण, नीलगाय, खरगोश, गौर, सांबर, उडन मिलहरी, बड़ी मिलहरी, कोल्हरी, लकड़बग्घा, आदि प्रभावित होते हैं।	वेदखली की कार्यवाही की गई।	उक्त अतिक्रमित वन क्षेत्र अधिकांश पेड़ों को कटाई कर जला दिया जाता है बचे हुए कटे हुए पेड़ों की दूढ़ एवं गड्डलिंग संख्या 370 नग की गणना के पश्चात् पाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (राष्ट्रीय सुदूर सर्वेदन केन्द्र) से प्राप्त LISS IV सैटेलाइट वर्ष 2012 के मानचित्र एवं गुगल अर्थ पर उपलब्ध वर्ष 2011-2012 के मानचित्र एवं जून 2023 में किये गये ड्रोन सर्वे से यह स्पष्ट है कि अतिक्रमित वन भूमि पर वृहद पैमाने पर वृक्षों की अवैध कटाई की गई है, जिससे स्पष्ट है कि वृक्षों की कटाई वर्ष 2011-12 के पश्चात् की गई थी। उक्त अतिक्रमित वन क्षेत्र अधिकांश पेड़ों को कटाई कर जला दिया जाता है बचे हुए कटे हुए पेड़ों की दूढ़ एवं गड्डलिंग संख्या 370 नग की गणना के पश्चात् पाया गया है।
7		03 नग	ग्राम-फलसापारा	---	श्री गयाराम व सहदेव जाति-गौड ग्राम-फलसापारा तह अमलीपदर	संख्या जात नहीं की जा सकती परन्तु उदती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत विवरण करने वाले हाथी, तेंदुआ, मालू, हिरण, नीलगाय, खरगोश, गौर, सांबर, उडन मिलहरी, बड़ी मिलहरी, कोल्हरी, लकड़बग्घा, आदि प्रभावित होते हैं।	पी.ओ.आर. कर नियमानुसार कार्यवाही की गई।	दिनांक 19.10.2023 को गोपनीय सूचना के माध्यम से शिकायत मिलने पर उदती सीतानदी टायगर रिजर्व के वन अमले द्वारा 03 नग ईमारती लकड़ी कटाई करते हुए आरोपी श्री गयाराम व सहदेव जाति-गौड ग्राम-फलसापारा तह अमलीपदर के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक 48 / 03 दिनांक 19.10.2023 जारी कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया है।

क्र.	वर्ष	काटे गये वृक्षों की संख्या	कहाँ कटाई हुई	अवैध कटाई से प्रभावित रकबा	अभियुक्तों का विवरण	प्रभावित वयजीव की संख्या	अवैध कटाई के दुष्प्रभाव की भरपाई हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही/कार्य योजना	रिमाक
8	2023-24 (जनवरी 2024 की स्थिति में)	01 नग	परिसर चौकसील कक्ष कमांक 40	--	श्री रघुनाथ पिता बैराख एवं अन्य 07 आरोपी	संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती परन्तु उदती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत विवरण करने वाले हब्बी, तेन्दुआ, भादू, हिरण, नीलगाय, खरगोश, गौर, सांबर, उडन मिलहरी, बड़ी मिलहरी, कोटरी, लकडबग्घा, आदि प्रभावित होते हैं।	पी.ओ.आर. जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की गई।	दिनांक 20.10.2023 को गोपनीय सूचना के माध्यम से शिकायत मिलने पर उदती सीतानदी टायगर रिजर्व के वन अमले द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई करते हुए 08 आरोपियों को पकड़ कर पी.ओ.आर. कमांक 8434/18 दिनांक 20.10.2023 जारी कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया है।
9		01 नग	परिसर गोडेना कक्ष कमांक 48	--	टेकडार व लखीधर जाति-गोड ग्राम-डुमाघाट तहसील अमलीपट्टर	संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती परन्तु उदती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत विवरण करने वाले हब्बी, तेन्दुआ, भादू, हिरण, नीलगाय, खरगोश, गौर, सांबर, उडन मिलहरी, बड़ी मिलहरी, कोटरी, लकडबग्घा, आदि प्रभावित होते हैं।	पी.ओ.आर. जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की गई।	दिनांक 20.10.2023 को गोपनीय सूचना मिलने पर उदती सीतानदी टायगर रिजर्व के वन अमले द्वारा 01 नग साल वृक्ष की कटाई करते हुए आरोपी टेकडार व लखीधर जाति-गोड ग्राम-डुमाघाट तहसील अमलीपट्टर के विरुद्ध पी.ओ.आर. कमांक 43/11 दिनांक 20.10.2023 जारी कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया है।
10		352 नग सागौन एवं मिश्रित प्रजाति	दक्षिण साल्लेभाट बीट (परिक्षेत्र रिसमाव कोर) कक्ष कमांक 252, 243 एवं 246	--	श्री रंजीत पिता रतिराम जाति गोड एवं अन्य 25 आरोपी	संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती परन्तु उदती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत विवरण करने वाले हब्बी, तेन्दुआ, भादू, हिरण, नीलगाय, खरगोश, गौर, सांबर, उडन मिलहरी, बड़ी मिलहरी, कोटरी, लकडबग्घा, आदि प्रभावित होते हैं।	काष्ठ की जप्टी उड़ीसा से की गई	25.12.2023 को अवैध कटाई के आरोपी को हिरासत में लेने उपरांत POR क्रमांक 02/31 दर्ज किया गया। अवैध कटाई क्षेत्र (बीट दक्षिण साल्लेभाट) में दिनांक 16-17 जनवरी, 2024 एवं 10-11 फरवरी, 2024 एवं 15 फरवरी, 2024 को बीट जांच में unrecorded वृक्षों की गणना की गयी। कुल संख्या 352 नग में से कुछ वृक्ष की विगत 1-5 वर्ष पूर्व भी पाये गये हैं। इसी प्रकरण के तार दिनांक 26.09.2023 को ओडिसा के सोनपुर में अवैध सागौन निरान करने वाले आरोपियों पर ओडिसा के वन अमले के साथ मिलकर एन्डी प्रीमिग टीम द्वारा की गयी संयुक्त कार्यवाही से जुड़े पाये गये हैं जिससे तत्करी को सुनिश्चित दम से किया जाना प्रकट हो आया है। इस प्रकरण में हुई हानि की गणना मौके पर पढ़े क्लोपज की लॉगिंग एवं डिगो में परिवहन उपरांत विचारित की जावेगी। विभागीय स्टाफ की मिलीभगत एवं तापसवाही की जांच प्रक्रियाधीन है। (मुख्यबिरी तंत्र को और गजबूत करने हेतु विभिन्न परिक्षेत्रों में बरवाहा समलेन का आयोजन किया जा रहा है)

क्र.	वर्ष	काटे गये वृक्षों की संख्या	कहाँ कटाई हुई	अवैध कटाई से प्रभावित रकबा	अभियुक्तों का विवरण	प्रभावित वन्यजीव की संख्या	अवैध कटाई के दुष्प्रभाव की भरपाई हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही/ कार्य योजना	टिप्पणियाँ
11	2023-24 (जनवरी 2024 की स्थिति में)	02 नग	परिसर सातलौर कक्षा क्रमांक 301	-	अज्ञात	संख्या ज्ञात नहीं की जा सकी परन्तु उभरी सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत विघ्न करने वाले हाथी, चेंदुआ मान्ग, हिरण, नीलगाय, खन्गोरा गौर, सांबर, उडन गिलहरी, बड़ी गिलहरी, कोरसे, लक-अग्रवा आदि प्रभावित होते हैं।	पी.ओ.आर. जारी कर काष्ठ की जाचरी की गई। नियमानुसार पी.ओ.आर. क्रमांक 79/18 दिनांक 25.01.2024 पंजीयक कर प्राप्त वनोपज को संबंधित वनरक्षक के सुपुर्द में लिया गया है। आरोपी की पतासाली किया जा रहा है।	
12		निरक	स.प.अ. अरसीकन्हार कक्षा क्रमांक 193	निरक	निरक	निरक		सहायक सचालक सीतानदी एवं परिक्षेत्र अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार प्रकाशित खबर सत्य नहीं है और ग्रामीणों द्वारा उक्त अनावश्यक खबर का खंडन किया गया है और किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं करना बताया गया। तत्संबंध में ग्रामीणों की पटनना भी लिया गया है। अतः सहायक सचालक सीतानदी के प्रतिवेदन से सहमत होकर एवं उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर उक्त प्रकरण को नस्तीयक करने की अनुशंसा सहित इस कार्यालय से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर को पत्र भेजा जा चुका है। (पत्र संलग्न है)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
छ.ग., अटल नगर, नवा रायपुर


अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बंगलौर, नया रायपुर, अटल नगर



परिशेष - पैंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1676) की जानकारी

प्रपत्र

विषय:- जैजपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क मरम्मत कार्य में व्यय राशि

क्रं.	वर्ष	मरम्मत कराये गये सड़क का नाम	व्यय राशि (लाख में)	गुणवत्ताविहीन कार्यों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत कि विरुद्ध कार्यवाही विवरण
1	2	3	4	5	6
1	2021-22	जैजपुर हसौद मार्ग में डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेच मरम्मत कार्य।	42.28	जी नहीं	निरंक
2	2021-22	भोथिया मलनी मार्ग में डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेच कार्य	2.73	जी नहीं	निरंक
3	2021-22	भोथिया से भोथीडीह मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के कि.मी. 1/2 से 4/10 = 4.00 कि.मी. में डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	55.07	जी नहीं	निरंक
4	2021-22	दतौद से लखाली मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के कि.मी. 1/2 से 4/10 = 4.00 कि.मी. में डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	56.06	जी नहीं	निरंक
		योग :- 04 कार्य	156.14		
1	2022-23	बाराद्वार जैजपुर हसौद मार्ग के कि.मी. 4/2 से 7/2 = 3.20 कि.मी. डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. मार्ग	18.93	जी नहीं	निरंक
2	2022-23	घोघरी से परसदा मार्ग के कि.मी. 23/2 से 23/10, 26, 27, 29 = 4.00 कि.मी.	7.31	जी नहीं	निरंक
3	2022-23	बसंतपुर परसदा घोघरी मार्ग के कि.मी. 1/2 से 7/2, 7/8 से 8/2, 9/2 से 13/8, 15/8 से 16/6, 17/2 से 19/2, 19/4 से 19/8 एवं 20/2 से 20/10 = 16.40 कि.मी.	22.46	जी नहीं	निरंक

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

क्र.	वर्ष	मरम्मत कराये गये सड़क का नाम	व्यय राशि (लाख में)	गुणवत्ताविहीन कार्यों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत कि विरुद्ध कार्यवाही विवरण
1	2	3.	4	5	6
4	2022-23	भोथिया भोथीडीह मार्ग कि.मी. 5/2 से 6/2 = 1.20 कि.मी.	1.69	जी नहीं	निरंक
5	2022-23	दरभंगा भोथिया सलनी मुरलीडीह कचंदा रोड के कि.मी. 1/2 से 5/10 एवं 8/2 से 20/10 में डब्ल्यू.एम.एम. पेच रिपेयर का कार्य।	7.08	जी नहीं	निरंक
6	2022-23	बसंतपुर परसदा घोघरी मार्ग कि.मी. 19, 20 = 2.00 कि.मी. में डामरीकृत नवीनीकरण कार्य	51.79	जी नहीं	निरंक
		योग :- 06 कार्य	109.26		



मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता

लो.नि.वि., नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)


पारोशेष्ट - छत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2047) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अन्तर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्य, स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति, खर्च की गई राशि की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृत कार्य की संख्या	कार्य की अद्यतन स्थिति		खर्च की गई राशि (रु. लाख में)
			पूर्ण	अपूर्ण	
1	अम्बिकापुर	71	3	68	1158.94
2	बतौली	265	45	220	3587.92
3	मैनपाट	328	44	284	4612.32
4	सीतापुर	316	58	258	3667.11
योग -		980	150	830	13026.29


 अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - सैंतीस

” प्रपत्र-अ ”

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 2095) की जानकारी

जिला	विकासखण्ड	हितग्राहियों की संख्या	शिक्षण संस्थान की संख्या	गैर शासकीय संस्था की संख्या
राजनांदगांव	राजनांदगांव	16	0	0
	डोंगरगांव	14	01	01
	छुरिया	144	0	01
	डोंगरगढ़	64	0	0
	योग :-	238	01	02
मोहला-मानपुर -अं.चौकी	अं.चौकी	72	0	0
	मानपुर	101	0	0
	योग :-	173	0	0
खैरागढ़- गण्डई- छुईखदान	खैरागढ़	21	0	0
	छुईखदान	115	0	0
	योग :-	136	0	0
	कुल योग-	547	01	02


 अनुभाग अधिकारी
 वन एवं जैववैविध्य परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

” प्रपत्र-ब ”

जिला का नाम	हितग्राहियों की संख्या	अनुदान राशि (रूपयें में)
राजनांदगांव	241 (हितग्राही+शिक्षण संस्था+ गैर शास.संस्था)	2134830.00
मोहला-मानपुर -अं.चौकी	173	2220840.00
खैरागढ़-गण्डई- छुईखदान	136	2080590.00
योग:-	550	6436260.00


 अनुभाग अधिकारी
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

" प्रपत्र-स "

जिला का नाम	रोपण कार्य पूर्ण किये हितग्राहियों की संख्या	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों का प्रतिशत अनुपात
राजनांदगांव	241	213483	70.48
मोहला-मानपुर -अं.चौकी	173	222084	71.20
खैरागढ़-गण्डई-छुईखदान	136	208059	88.00
योग:-	550	643626	


अनुभाग अधिकारी
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परोशेष्ट - अड़तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 2096) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

विषय :- वन मंडलों में प्रतीकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण मद से कराए गए कार्य।
लैंटाना उन्मूलन कार्यों की जानकारी

वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	स्वीकृति (आवंटन) दिनांक	भौतिक लक्ष्य (हे.मै)	कार्य अवधि	कार्य की लागत (व्यय) राशि लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	खुज्जी	11.08.2021	969.000	01.09.2021 से 28.10.2021	72.937
2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	खुज्जी	27.09.2021	230.000	05.10.2021 से 01.11.2021	17.677
2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बाघनदी	29.07.2021	1928.000	01.08.2021 से 09.11.2021	17.557
2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	चौकी	29.07.2021	600.000	17.08.2021 से 30.10.2021	11.645
2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	खुज्जी	29.07.2021	1745.000	12.08.2021 से 25.08.2021	21.427
2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बाघनदी	13.07.2021	120.000	01.08.2021 से 10.09.2021	0.737
2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	खुज्जी	13.07.2021	345.000	01.08.2021 से 12.09.2021	2.117
योग राजनांदगांव वनमंडल							
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	साल्हेवारा	25.08.2021	660.000	27.08.2021 से 24.09.2021	45.857
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	साल्हेवारा	21.09.2021	180.000	24.09.2021 से 11.10.2021	12.917
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	गंडई	12.08.2021	2140.000	13.08.2021 से 24.12.2021	133.003
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	डोंगरगढ़	28.07.2021	120.000	01.08.2021 से 18.10.2021	11.480
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	डोंगरगढ़	28.07.2021	300.00	01.08.2021 से 30.09.2021	14.95
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	डोंगरगढ़	12.08.2021	800.00	14.08.2021 से 18.10.2021	33.49
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	11.08.2021	2940.000	16.08.2021 से 30.10.21	280.603

वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	स्वीकृति (आबंटन) दिनांक	भौतिक लक्ष्य (हे.मै)	कार्य अवधि	कार्य की लागत (व्यय) राशि लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	11.08.2021	1700.000	16.08.2021 से 30.09.21	105.427
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	21.09.2021	100.000	01.10.2021 से 16.10.2021	9.568
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	27.09.2021	50.000	29.09.2021 से 15.10.2021	2.093
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	दक्षिण बोरतलाव	28.07.2021	275.000	29.07.2021 से 29.09.2021	23.302
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	उत्तर बोरतलाव	28.07.2021	295.000	01.08.2021 से 12.09.2021	19.360
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	उत्तर बोरतलाव	28.07.2021	755.000	01.08.2021 से 18.09.2021	31.597
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	दक्षिण बोरतलाव	29.07.2021	550.000	01.08.2021 से 13.10.2021	3.365
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	उत्तर बोरतलाव	29.07.2021	350.000	01.08.2021 से 12.08.2021	2.319
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	29.07.2021	2738.633	01.08.2021 से 31.08.2021	34.011
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	डोंगरगढ़	29.07.2021	600.000	06.08.2021 से 17.08.2021	4.642
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	गंडई	29.07.2021	450.000	26.08.2021 से 15.09.2021	5.645
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	छुईखदान	29.07.2021	600.000	10.08.2021 से 15.09.2021	5.286
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	साह्वेवारा	29.07.2021	1386.993	01.09.2021 से 14.09.2021	18.656
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	डोंगरगढ़	13.07.2021	1910.000	01.08.2021 से 10.09.2021	13.210
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	साह्वेवारा	13.07.2021	400.000	20.10.2021 से 24.11.2021	2.720
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	छुईखदान	13.07.2021	90.000	16.08.2021 से 05.09.2021	0.590

वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	वनगडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	स्वीकृति (आबंटन) दिनांक	भौतिक लक्ष्य (हे.मै)	कार्य अवधि	कार्य की लागत (व्यय) लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	13.07.2021	2323.849	01.08.2021 से 02.09.2021	16.020
2021-22	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	द0बोरतलाव	13.07.2021	450.000	01.09.2021 से 29.09.2021	3.070
	योग खैरागढ़ वनमण्डल				22164.475		833.176
	योग 2021-22				28101.475		977.272
2022-23	राजनांदगांव	राजनांदगांव	खुज्जी	08.08.2022	1207.000	01.09.2022 से 29.10.2022	21.910
2022-23	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव	08.08.2022	446.000	10.08.2022 से 25.09.2022	12.039
2022-23	राजनांदगांव	राजनांदगांव	खुज्जी	08.08.2022	1508.000	09.10.2022 से 20.10.2022	9.592
2022-23	राजनांदगांव	राजनांदगांव	चौकी	08.08.2022	468.000	10.08.2022 से 30.09.2022	3.978
	योग राजनांदगांव वनमण्डल				3629.000		47.519
2022-23	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	साहदेवारा	08.08.2022	840.000	04.09.2022 से 17.09.2022	16.535
2022-23	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	गंडई	08.08.2022	2140.000	04.09.2022 से 25.09.2022	27.910
2022-23	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	होगरगढ़	08.08.2022	1220.00	01.09.2022 से 20.09.2022	11.45
2022-23	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	उत्तर बोरतलाव	08.08.2022	1050.000	03.09.2022 से 14.09.2022	8.555
2022-23	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	दक्षिण बोरतलाव	08.08.2022	275.000	03.09.2022 से 18.09.2022	6.837
2022-23	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	08.08.2022	4790.000	03.09.2022 से 23.09.2022	116.865

वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	स्वीकृति (आबंटन) दिनांक	भौतिक लक्ष्य (हे.में)	कार्य अवधि	कार्य की लागत (व्यय) लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
2022-23	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	दक्षिण बोरतलाव	08.08.2022	550.000	-	0.000
2022-23	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	उत्तर बोरतलाव	08.08.2022	350.000	09.09.2022 से 10.09.2022	0.111
2022-23	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	08.08.2022	2738.633	03.09.2022 से 21.09.2022	15.144
2022-23	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	गंडई	08.08.2022	450.000	25.08.2022 से 17.09.2022	2.081
2022-23	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	छुईखदान	08.08.2022	600.000	03.09.2022 से 07.09.2022	1.121
2022-23	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	डोंगरगढ़	08.08.2022	600.000	01.09.2022 से 15.09.2022	0.833
2022-23	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	साह्वेवारा	08.08.2022	1386.993	04.09.2022 से 18.09.2022	8.377
		योग खैरागढ़ वनमण्डल			16990.626		215.817
		योग 2022-23			20619.626		263.336
2023-24	राजनांदगांव	राजनांदगांव	खुज्जी	11.05.2023	1199.000	16.07.2023 से 30.08.2023	4.926
2023-24	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव	11.05.2023	412.000	01.07.2023 से 25.07.2023	3.776
2023-24	राजनांदगांव	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	11.05.2023	220.000	02.08.2023 से 27.08.2023	1.809
2023-24	राजनांदगांव	राजनांदगांव	दक्षिण बोरतलाव	11.05.2023	275.000	12.09.2023 से 18.09.2023	2.342
2023-24	राजनांदगांव	राजनांदगांव	उत्तर बोरतलाव	11.05.2023	295.000	08.09.2023 जव 20.09.2023	1.909
		योग राजनांदगांव वनमण्डल			2401.000		14.762

वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	स्वीकृति (आवंटन) दिनांक	भौतिक लक्ष्य (हे.मै)	कार्य अवधि	कार्य की लागत (व्यय) राशि लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-24	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	साहेवारा	11.05.2023	440.000	06.10.2023 से 18.10.2023	4.147
2023-24	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	गंडई	11.05.2023	1480.000	01.10.2023 से 14.10.2023	10.433
2023-24	खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	11.05.2023	4590.000	01.08.2023 से 17.09.2023	39.365
	योग खैरागढ़ वनमण्डल				6510.000		53.945
2023-24	मोहला-मानुपर- चौकी	मोहला-मानुपर					
	योग मोहला-मानुपर वनमण्डल				0.000		0.000
	योग 2023-24 (31 दिसम्बर 2023 तक)				8911.000		68.707
	महायोग				57632.101		1309.315

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
भद्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - "ब"

विषय :-वन मंडलों में प्रतीकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण मद से कराए गए कार्य।
लैंडाना उन्मूलन कार्यों में अनियमितता एवं महालेखाकार द्वारा कराये गये अंकेक्षण में दर्ज आपत्ति की जानकारी

वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	वनमंडल का नाम	लैंडाना उन्मूलन कार्यों में पाई गई अनियमितता का विवरण	महालेखाकार से कराये गए अंकेक्षण में दर्ज आपत्ति का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	निरंक	महालेखाकार निरीक्षण अवधि 09/2020 से आक्षेप का समाधानकारक उत्तर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त 11/2021 की कंडिका क्रमांक 03 एवं कार्यालय के पत्र क्र. / 8413, दिनांक 08.12.2023 एवं 8451, निरीक्षण अवधि 12/2021 से 11/2022 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की कंडिका क्रमांक 3 में खुज्जी परिक्षेत्र (वित्त/बजट) छ.ग. तथा निरीक्षण अवधि 09/2020 से अंतर्गत कक्ष क्र 518 रकबा 141.410 हे. में 11/2021 की कंडिका क्र. 03 का प्रतिउत्तर पत्र क्र. 1086 तीव्र ढलान क्षेत्र में लैंडाना उन्मूलन का दिनांक 15.02.2024 द्वारा महालेखाकार छ.ग. रायपुर को प्रेषित कार्य किये जाने के संबंध में आपत्ति की किया गया है। गई थी।	
2022-23	खैरागढ़-गण्डई-छुईखदान	खैरागढ़	निरंक	निरंक	
	राजनांदगांव	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	
2023-24	खैरागढ़-गण्डई-छुईखदान	खैरागढ़	निरंक	निरंक	
(31 दिसम्बर 2023 तक)	खैरागढ़-गण्डई-छुईखदान	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	
	मोहला-मानपुर-चौकी	खैरागढ़	निरंक	निरंक	
		मोहला-मानपुर	निरंक	निरंक	

H
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर


अनुराग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंडलाय, नवा रायपुर, अटल नगर

परोशेष्ट - उनतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 2098) की जानकारी

लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रपत्र

क्रमांक	अनुभाग का नाम	तहसील का नाम	नामांतरण	डायवर्सन	सीमांकन	बटाकन	फौत	नवीन किसान पुरिताका निर्माण	खाता बटवारा
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1172	10	128	27	26	0	68
2		धूमका	151	0	51	9	9	11	52
	योग :-		1323	10	179	36	35	11	120
3		छुरिया	33	11	85	1	6	8	10
4	डोंगरगांव	कुमरदा	12	0	30	0	9	1	5
5		डोंगरगांव	51	10	80	2	32	1	28
	योग :-		96	21	195	3	47	10	43
6		डोंगरगढ	14	13	102	1	10	13	32
7	डोंगरगढ	लालवहादुर नगर	189	8	60	0	10	9	72
	योग :-		203	21	162	1	20	22	104
योग:-	3	7	1622	52	536	40	102	43	267
	नजूल	राजनांदगांव	151		3		9		
		डोंगरगढ	41		1		9		
	योग :-		192	0	4	0	9	0	0
	जिला का महायोग :-		1814	52	540	40	111	43	267

(Signature)

अपर कलेक्टर
जिला-राजनांदगांव

राजनांदगांव जिला
भारत

10/2/2024

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई अन्तर्गत लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी
(दिनांक अप्रैल 2022 से आज दिनांक तक)

क्र०	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	नांगतरण	सीमांकन	डायवर्सन	बटाकन	फौत	नवीन किसान पुस्तिका निर्माण	खाता बटवारा	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	खैरागढ़	खैरागढ़	109	43	6	5	0	101	67	331
2	गण्डई-छुईखदान	छुईखदान	40	25	19	0	0	0	35	119
3		गण्डई	10	6	0	4	6	4	11	41
4		साहेबारा	3	16	0	0	0	0	9	28
योग :-			162	90	25	9	6	105	122	519

Handwritten signature

अपर कलेक्टर

जिला अधिकारी
राजस्व (ख) विभाग, नया रायपुर इलाहाबाद
मंत्रालय, नया रायपुर इलाहाबाद

प्रपत्र

अप्रैल 2022 से आज दिनांक तक की स्थिति में लंबित प्रकरण की जानकारी

क्रमांक	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	नामांतरण	डायवर्सन	सीमांकन	बढांकन	फैला	नवीन किसान पुस्तिका निर्माण	खाता बढवारा
	मोहला	मोहला	88	7	48	0	11	7	10
		चौकी	220		72	0	141	12	53
	योग		308	7	120	0	152	19	63
	मानपुर	मानपुर	5	1	33	0	16	0	11
		औधी	2		3	0	1	0	0
		खडगाव	1		16	0	10	0	4
	योग		8	1	52	0	27	0	15
	महायोग		316	8	172	0	179	19	78

Answer

अनुभाग अधिकारी
रोजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़

[Signature]
कलेक्टर

A-जिला मोहला मानपुर अं.चौकी

परिशेष - चालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 2110) की जानकारी

प्रारूप- अ

वर्षवार कुल भूमि जिसमें कृषि कार्य हुआ और सिंचित एवं असिंचित रकबा की जानकारी

क	जिला	वर्ष	कुल भूमि जिसमें कृषि कार्य हुआ एकड़ में	सिंचित भूमि का रकबा एकड़ में	असिंचित भूमि का रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	2021-22	405702	333282	72420
		2022-23	406311	330127	76184
2	बलौदाबाजार	2021-22	491408	276486	214922
		2022-23	517409	246139	271270
3	गरियाबंद	2021-22	323728	113489	210239
		2022-23	324526	108169	216357
4	महासमुद	2021-22	761002	321775	439227
		2022-23	770405	311325	459080
5	धमतरी	2021-22	353743	258018	95725
		2022-23	353630	257940	95690
6	दुर्ग	2021-22	369256	273678	95578
		2022-23	369778	261778	108000
7	बालोद	2021-22	449913	243293	206620
		2022-23	450413	240618	209795
8	बेमेतरा	2021-22	554194	258453	295741
		2022-23	550928	259876	291052
9	राजनांदगांव	2021-22	443370	130204	313166
		2022-23	445778	136275	309503
10	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	2021-22	267007	103530	163477
		2022-23	266896	82372	184524
11	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	2021-22	218912	25030	193882
		2022-23	221996	23363	198633
12	कवर्धा	2021-22	455949	236285	219664
		2022-23	458760	222011	236749
13	बस्तर	2021-22	433047	21666	411381
		2022-23	448986	23700	425286
14	कोण्डागांव	2021-22	369927	23932	345994
		2022-23	374135	24785	349350
15	नारायणपुर	2021-22	62061	447	61613
		2022-23	64947	704	64242
16	कांकेर	2021-22	458150	58885	399266
		2022-23	469873	48750	421123
17	दंतेवाडा	2021-22	218249	15	218234
		2022-23	218249	15	218234

क्र	जिला	वर्ष	कुल भूमि जिरागे कृषि कार्य हुआ एकड़ में	सिंचित भूमि का रकबा एकड़ में	असिंचित भूमि का रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6
18	बीजापुर	2021-22	198054	8773	189281
		2022-23	208493	7025	201468
19	सुकगा	2021-22	237799	1502	236297
		2022-23	224325	442	223883
20	बिलासपुर	2021-22	433047	223835	209212
		2022-23	443870	201410	242460
21	गौ.पे.मरवाही	2021-22	156499	12557	143942
		2022-23	154508	9927	144581
22	मुगौली	2021-22	317901	197323	120578
		2022-23	320245	183113	137132
23	कोरबा	2021-22	299729	14241	285488
		2022-23	301305	11555	289751
24	जांजगीर	2021-22	355855	314819	41036
		2022-23	364273	322365	41908
25	सक्ती	2021-22	282008	207646	74362
		2022-23	280337	200613	79724
26	रायगढ़	2021-22	453622	37326	416296
		2022-23	444436	36758	407678
27	सारंगढ़-बिलाईगढ़	2021-22	151482	39433	112049
		2022-23	151804	32821	118983
28	सरगुजा	2021-22	389858	40328	349530
		2022-23	391199	38646	352553
29	सूरजपुर	2021-22	375961	37628	338333
		2022-23	367136	39614	327522
30	बलरामपुर	2021-22	438941	34657	404284
		2022-23	371918	16956	354962
31	जशपुर	2021-22	661375	29545	631830
		2022-23	670930	29519	641411
32	कोरिया	2021-22	118562	4999	113563
		2022-23	121003	5036	115967
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर	2021-22	118386	9975	108411
		2022-23	117897	9903	107994
	कुल	2021-22	11624696	3893054	7731642
		2022-23	11646699	3723650	7923049

टीप:- उपरोक्त आंकड़े जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़

प्रारूप- ब
धान का उत्पादन (मी.टन में)

क्र.	जिला	2021-22	2022-23
1	2	3	4
1	रायपुर	689535	740759
2	बलौदाबाजार	792747	775744
3	गरिमाबंद	341446	405118
4	महारासमुन्द	460731	812000
5	धमतरी	482492	553756
6	दुर्ग	441542	570950
7	बालोद	514612	703930
8	बेमेतरा	708405	842700
9	राजनांदगांव	707592	572840
10	कबीरधाम	593288	572321
11	बस्तर	303816	393365
12	कोंडागांव	264495	355553
13	नारायणपुर	32359	52416
14	कांकेर	356193	527363
15	दन्तेवाड़ा	66825	116429
16	सुकमा	97362	142070
17	बीजापुर	162400	193004
18	बिलासपुर	648832	715562
19	गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	139062	155532
20	मुंगेली	512611	512119
21	जाजगीर	1277821	775955
22	कोरबा	335414	336844
23	रायगढ़	780109	643706
24	सरगुजा	415845	406724
25	बलरामपुर	346158	311641
26	सूरजपुर	426985	406849
27	कोरिया	222526	123721
28	जशपुर	475851	490370
29	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	-	298948
30	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	-	248746
31	सक्ती	-	555748
32	सारंगढ़.-बिलाईगढ़	-	441065
33	मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी- भरतपुर	-	102017
योग राज्य		12597055	14855865

टीप:- उपरोक्त जनकपुरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत प्राप्त उत्पादन

अनुभाग अधिकारी पर है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग है।
भारत, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

परीशेष्ट - इकतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 2174) की जानकारी

प्रपत्र

विषय - राज्य कैम्पा मद से संचालित नरवा परियोजना के तहत निर्माण कार्य
कसडोल विधान सभा (वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 25.01.2024 तक)

वनमण्डल का नाम	नाला का नाम	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	स्थानीय निवासियों की संख्या, जिन्हें रोजगार प्राप्त हुआ	कार्यों की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा
					पूर्ण (संख्या)	अपूर्ण (संख्या)	
1	2	3	4	6	7	8	9
बलौदा बाजार	छुईहा नाला क्लस्टर -1	लूज बोल्डर चेकडेम	16.054	45	286	214	मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।
		गेबियन	23.535	40	10	8	
		परकोलेशन टैंक	91.661	65	8	0	
		स्टोन बंड	67.133	135	5	63	
		स्टापडेम	19.030	30	0	1	
		योग	217.413	315	309	286	
बलौदा बाजार	खरखरा नाला पुटपुरा	लूज बोल्डर चेकडेम	4.533	25	150	0	मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।
		गेबियन	9.245	60	4	2	
		परकोलेशन टैंक	22.792	250	5	0	
		30-40 माडल	2.832	0	0	9	
		एस सी टी (15 हे.)	6.466	0	0	15	
		स्टोन बंड	19.745	270	4	16	
		चेकडेम	14.122	180	1	0	
		योग	79.735	785	164	42	

वनमण्डल का नाम	नाला का नाम	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	स्थानीय निवासियों की संख्या, जिन्हें रोजगार प्राप्त हुआ	कार्यों की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा
					पूर्ण (संख्या)	अपूर्ण (संख्या)	
1	2	3	4	6	7	8	9
बलौदा बाजार	छुईहा नाला बलस्टर-2	लूज बोल्टर चेकडेम	6.894	95	330	0	मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।
		गेबियन	3.573	16	3	0	
		परकोलेशन टैंक	69.096	105	3	0	
		स्टोन बंड	19.745	120	5	15	
		योग	99.307	336	341	15	
बलौदा बाजार	घोडाधारा नाला	लूज बोल्टर चेकडेम	6.658	0	0	220	मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।
		परकोलेशन टैंक	31.711	0	0	8	
		गेबियन	6.479	0	0	5	
		एस सी टी (15 हे.)	6.466	0	0	15	
		योग	106.600	135	3	301	
बलौदा बाजार	घोघरा नाला	लूज बोल्टर चेकडेम	34.696	506	927	0	मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।
		परकोलेशन टैंक	14.525	128	3	0	
		योग	49.221	634	930	0	

वनमण्डल का नाम	नाला का नाम	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	स्थानीय निवासियों की संख्या, जिन्हें रोजगार प्राप्त हुआ	कार्यों की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा	
					पूर्ण (संख्या)	अपूर्ण (संख्या)		
1	2	3	4	6	7	8	9	
बलौदा बाजार	जामखुटा नाला	लूज बोल्डर चेक डैम	27.557	0	0	0	909	जुलाई 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।
		स्ट्रैगर्ड कंटूर ट्रेंच (12 हे.)	5.606	0	0	0	12	
		कंटूर स्टोन बंड	1.025	0	0	0	2	
		वाटर एक्सार्बेशन ट्रेंच (16.47 हे.)	6.861	0	0	0	16	
		30-40 मॉडल (5.30 हे.)	10.289	0	0	0	5	
		ब्रशवुड चेकडेम निर्माण	1.713	0	0	0	230	
		कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच (5 हे.)	0.694	0	0	0	5	
		मिनी परकोलेशन टैंक निर्माण	2.376	0	0	0	1	
		योग	56.122	0	0	1180		
महायोग कसडोल विधान सभा (वर्ष 2021-22 से 2023-24 (25.01.2024 तक))			608.399	2205	1747	1824		

Handwritten signature
अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पारोशेष्ट - बयालीस


अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 2175) की जानकारी

प्रपत्र

(राशि रु. लाख में.)

वर्ष	आबंटित राशि	फंडिंग एजेंसी	निर्माण एजेंसी	परियोजना की अवधि	किये गये कार्यों का विवरण	भुगतान राशि	
1	2	3	4	5	6	7	
2021-22	निरंक						
2022-23	716.87	केन्द्र एवं राज्य (केन्द्र 60 प्रतिशत-राज्य 40 प्रतिशत)	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	05 वर्ष	सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन (एएनआर) कार्य, मिश्रित वृक्षारोपण कार्य (प्रथम वर्ष), सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य, चारागाह विकास कार्य, Livelihood Activity अंतर्गत आस्थामूलक का कार्य कराया गया है जिसमे मुरभीकरण सी.सी.रोड बाउन्ड्रीवाल एवं देवालय निर्माण इत्यादि कार्य कराये गये है।	541.85	
2023-24 (दिसम्बर, 2023 तक)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह दिसम्बर, 2023 तक कोई राशि का आबंटन नहीं किया गया है						


वन विभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
प्रशासन, नवा रायपुर, अटल नगर


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(संयुक्त वन प्रबंधन)
नवा रायपुर अटल नगर

पारोशेष्ट - तिरालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 2259) की जानकारी

प्रपत्र

नगर पंचायत घरघोडा
राज्य प्रवर्तित योजना

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	स.क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि	प्राप्त राशि से कराये गये कार्य का नाम	क्या कराये गये कार्यो का भुगतान शेष है(हो/ नहीं)	यदि हों तो भुगतान की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2021-22	-	निरंक					
2	योग	-	-	-	-	-	-	-
3	2022-23	1	वार्ड क्र.10 छोटे मुडा तालाब का गहरीकरण, सौंदर्यीकरण कार्य	94.441	13.281	प्राप्त राशि से प्रथम चरण में समतलीकरण कार्य पानी निकासी एवं जलकुम्भी निकालने का कार्य किया गया, परन्तु बरसात हो जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया	हो (कार्य प्रगतिरत है)	वर्तमान में जल भराव होने के कारण कार्य रुका हुआ है, ग्रीष्म ऋतु में पानी सुखने के उपरांत कार्य किया जाना प्रस्तावित है कार्य पूर्ण होने के उपरांत किए गए कार्य का भुगतान किया जावेगा।
4	योग			94.441	13.281	-	-	-
5	2023-24(जनवरी 2024 तक)	-	निरंक					
	योग	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग			94.441	13.281			

अनुभाग अधिकारी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नया गजालय, महानदी भवन

शयपुर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - चवालीस


अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 2330) की जानकारी

प्रपत्र

विकासखण्ड सारंगढ़ के अंतर्गत धान उपार्जन वर्ष 2022-23 के उपरांत
कमीशन राशि एवं धान उपार्जन आय एवं व्यय की समितिवार जानकारी

(राशि करोड़ में)

क्र.	विकासखंड का नाम	समिति का नाम	विपणन संघ से समिति को प्राप्त नेट कमीशन राशि	धान उपार्जन का आय	धान उपार्जन का व्यय
1	2	3	4	5	6
1	सारंगढ़	सहसपुर	0.1688	0.250	0.121
2		कोतरी	0.1005	0.149	0.076
3		भेडवन	0.1205	0.188	0.152
4		गुडेली	0.1528	0.229	0.111
5		कनकबीरा	0.1948	0.293	0.152
6		अमझर	0.1386	0.208	0.091
7		नवरंगपुर	0.1562	0.231	0.099
8		केडार	0.1692	0.254	0.115
9		गाताडीह	0.0234	0.120	0.097
10		छिंद	0.1241	0.192	0.071
11		दानसरा	0.1235	0.188	0.120
12		उलखर	0.0135	0.083	0.078
13		हरदी	0.1223	0.182	0.060
14		कपरतुंगा	0.1604	0.240	0.135
15		मल्दा ब	0.0938	0.143	0.082
16		कोसीर छोटे	0.1102	0.168	0.074
17		खैरा बडे	0.0883	0.134	0.102
18		परसदा बेडे	0.1241	0.185	0.083
19		कटेली	0.1469	0.221	0.096
20		बरदुला	0.0711	0.136	0.074
21		कोसीर	0.1482	0.274	0.265
22		जशपुर	0.1845	0.272	0.076
23		सालर	0.1186	0.175	0.110
योग			2.854	4.516	2.441


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - पेंतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2367) की जानकारी

“प्रपत्र”

क्र.	वित्तीय वर्ष	आवंटन दिनांक	आवंटित राशि (रूपये में)	मद का नाम	कार्य का नाम जिसमें आवंटित राशि का उपयोग/व्यय किया गया	व्यय राशि (रूपये में)
1	2021-22	01.02.2022	200000	1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	जिम सामग्री व्यायाम शाला के लिये व्यय	196462
2		01.02.2022	350000	1190-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	-	0
3		19.07.2021	225000	3459-महिला खेलकूद प्रतियोगिता	-	0
4		09.04.2021	709000	2323-निर्देशन एवं प्रशासन	वेतन एवं भत्ते	555234
5		05.10.2021	395000	5429-युवा कल्याण गतिविधियां	विकासखण्ड/जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन	350000
6		23.08.2021	25000	5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	-	0
7		04.10.2021	14000	7296-खेल अकादमी	खेल अकादमी हेतु चयन ट्रायल	14000
8		17.09.2021	8125000	6408-राज्य युवा मितान क्लब	राजीव युवा मितान क्लबों को राशि का भुगतान	8125000
9		23.03.2022	3450000	6408-राज्य युवा मितान क्लब	राजीव युवा मितान क्लबों को राशि का भुगतान	3450000
योग			13493000	-	-	12690696
1	2022-23	29.07.2022 20.04.2022	246500	1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	-	0
2		03.02.2023	900000	1190-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास योजना अंतर्गत खेल सामग्री वितरण	900000
3		20.04.2022 24.02.2023	240000	3459-महिला खेलकूद प्रतियोगिता	महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला खेल का आयोजन	15180
4		18.04.2022	446000	2323-निर्देशन एवं प्रशासन	वेतन एवं भत्ते	693122
5		29.07.2022 09.11.2022	385000	5429-युवा कल्याण गतिविधियां	विकासखण्ड/जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन	384300
6		24.01.2023	67500	6407-राज्य युवा महोत्सव	राज्य युवा महोत्सव संबंधी व्यय	67500
7		26.07.2022	25000	5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	25000
8		07.06.2022	37600	7296-खेल अकादमी	-	0
9		15.03.2023	6706000	6646-छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक	छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार	3727500
10		11.01.2023	11525000	6408-राज्य युवा मितान क्लब	राजीव युवा मितान क्लबों को राशि का भुगतान	11525000
11		13.06.2023	665500	6646-छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक	छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक संभाग स्तर	665500
योग			21244100	-	-	18003102

सहायक अधिकारी
जल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर. (छ.ग.)

क्र.	वित्तीय वर्ष	आवंटन दिनांक	आवंटित राशि (रूपये में)	मद का नाम	कार्य का नाम जिसमें आवंटित राशि का उपयोग/व्यय किया गया	व्यय राशि (रूपये में)
1	2023-24 (04 फरवरी 2024 तक)	19.05.2023	380000	1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन	53050
2		21.04.2023	900000	1190-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	-	0
3		28.04.2023	225000	3459-महिला खेलकूद प्रतियोगिता	-	0
4		13.04.2023	529880	2323-निर्देशन एवं प्रशासन	वेतन एवं भत्ते	1126514
5		13.04.2023 20.04.2023	385000	5429-युवा कल्याण गतिविधियां	14 अगस्त स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन	35000
6		27.04.2023	25000	5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	-	0
7		08.08.2023	23200000	6408-राज्य युवा मितान क्लब	राजीव युवा मितान क्लबों को राशि का भुगतान	23150000
8		22.08.2023	30000	7296-खेल अकादमी	-	0
9		04.09.2023	53804	केन्द्रीय योजना	-	0
10		16.07.2023	700000	खेलो इंडिया लघु केन्द्र	-	0
11		12.07.2023	6912000	6646-छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक	छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार	4552000
योग			33340684	-	-	28916564

अनुभाषि अधिकारी
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
संभलसय, महाजदी भवन
नरस रायपुर. (छ.ग.)

पारोशेष्ट - छियालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 2381) की जानकारी

प्रपत्र -

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामग्री क्रय हेतु निविदा का विवरण

निविदा दिनांक	क्र.	सामग्री का नाम	प्राप्त न्यूनतम दर	फर्म का नाम
1	2	3	4	5
निर्माण सामग्री का न्यूनतम दर विवरण:-				
06.07.2022	1	गिट्टी 20 एम.एम.	450.00/-प्रति घ.मी.	मेसर्स बालाजी एसोसिएट रायपुर
06.07.2022	2	गिट्टी 40 एम.एम.	540.00/-प्रति घ.मी.	मेसर्स बालाजी एसोसिएट रायपुर
06.07.2022	3	गिट्टी 45/63 एम.एम.	630.00/-प्रति घ.मी.	मेसर्स बालाजी एसोसिएट रायपुर
06.07.2022	4	मुरुम (दानेदार, लाल एवं स्वच्छ)	172.80/-प्रति घ.मी.	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	5	रेत (मोटा)	360.00/-प्रति घ.मी.	मेसर्स बालाजी एसोसिएट रायपुर
06.07.2022	6	रेत (बारीक)	360.00/-प्रति घ.मी.	मेसर्स बालाजी एसोसिएट रायपुर
06.07.2022	7	साईज बोल्टर (साईज 12"X6"X6")	15.75/-प्रति नग	मेसर्स रोशन कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा बालोद
जे.सी.बी. मशीन द्वारा खुदाई कार्य प्रति घ.मी. (1.5 मी. गहरी एवं 50 मी दूरी तक फेकने का कार्य सहित)				
06.07.2022	8	कड़ी मिट्टी	45.00/-प्रति घ.मी.	मेसर्स दीपेश इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
06.07.2022	9	नरम मिट्टी	45.00/-प्रति घ.मी.	मेसर्स दीपेश इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
06.07.2022	10	नरम मिट्टी	45.00/-प्रति घ.मी.	मेसर्स बालाजी एसोसिएट रायपुर
ट्रेक्टर द्वारा जुताई कार्य (प्रति हे.) (6" इंच गहराई 2 बार, एक बार आड़ा एवं दूसरी बार खड़ा)				
06.07.2022	11	कड़ी मिट्टी	4.00/-प्रति घ.मी.	मेसर्स गर्व कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा बालोद
06.07.2022	12	नरम मिट्टी	3.50/-प्रति घ.मी.	मेसर्स गर्व कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा बालोद
खोदी गई मिट्टी का अतिरिक्त परिवहन (ट्रेक्टर/ट्रक द्वारा)				
06.07.2022	13	500 मी.	31.33/-प्रति घ.मी.	मेसर्स गर्व कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा बालोद
06.07.2022	14	1 कि.मी.	30.30/-प्रति घ.मी.	मेसर्स गर्व कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा बालोद
06.07.2022	15	1.5 कि.मी.	46.26/-प्रति घ.मी.	मेसर्स गर्व कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा बालोद
06.07.2022	16	2 कि.मी.	45.10/-प्रति घ.मी.	मेसर्स गर्व कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा बालोद
06.07.2022	17	2.5 कि.मी.	61.19/-प्रति घ.मी.	मेसर्स गर्व कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा बालोद
06.07.2022	18	3 कि.मी.	60.10/-प्रति घ.मी.	मेसर्स गर्व कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा बालोद
06.07.2022	19	5 कि.मी.	70.35/-प्रति घ.मी.	दीपाली इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
06.07.2022	20	रोड रोलर (08 से 12 टन क्षमता का)	720.00/-प्रति घंटा	मेसर्स बालाजी एसोसिएट रायपुर
06.07.2022	21	पानी टैंकर (क्षमता 6000 लीटर) पानी सहित मौके पर पहुंचाकर	740.00/-प्रति टैंकर	मेसर्स गर्व कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा बालोद
नाशवान सामग्री का न्यूनतम दर विवरण				
06.07.2022	22	मेजरींग टेप मेटेलिक -2 मी. आई.एस. आई. मार्क	30.90/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	23	मेजरींग टेप मेटेलिक -5 मी आई.एस. आई. मार्क	84.42/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	24	मेजरींग टेप मेटेलिक -10 मी आई.एस. आई. मार्क	140.60/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	25	मेजरींग टेप मेटेलिक -15 मी आई. एस.आई. मार्क	150.40/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	26	मेजरींग टेप मेटेलिक -20 मी आई. एस.आई. मार्क	205.80/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	27	मेजरींग टेप मेटेलिक -30 मी आई. एस.आई. मार्क	219.60/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़

विनिर्देश दिनांक	क्र.	सामग्री का नाम	प्राप्त न्यूनतम दर	फर्म का नाम
1	2	3	4	5
06.07.2022	28	नायलोन रस्सा 16 एम.एम. (ट्रक हेतु)आई.एस.आई. मार्क	246.40/-प्रति क्विंटल	सतगुरु इंटरप्राइजेस डोंगरगढ़
06.07.2022	29	वेतररस्सा 16 एम.एम. (ट्रक हेतु)आई.एस.आई. मार्क	201.60/-प्रति क्विंटल	सतगुरु इंटरप्राइजेस डोंगरगढ़
06.07.2022	30	चूना ब्रशा 6"	40.80/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	31	यू-खीला 2.5 एम.एम.	75.60/-प्रति किलो	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	32	कटनी चूना (डल्ला) 20 कि.ग्रा. नं.-1	10.50/-प्रति बोरी	श्री हरजिन्दर सिंह भाटिया डोंगरगढ़
06.07.2022	33	कटनी चूना (डल्ला) 20 कि.ग्रा. नं.-2	9.45/-प्रति बोरी	श्री हरजिन्दर सिंह भाटिया डोंगरगढ़
06.07.2022	34	गेरू 25 कि.ग्रा. पैक जैतवारा (1 नंबर)	230.60/-प्रति बोरी	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	35	गेरू 25 कि.ग्रा. पैक जैतवारा (2 नंबर)	235.80/-प्रति बोरी	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	36	पीला मिट्टी 20 कि.ग्रा.(नं.-1)	18.00/-प्रति किलो	मीरा सेल्स दुर्ग
06.07.2022	37	बाल्टी जी.आई. शीट 14" आई.एस.आई. मार्क(टाटा)	195.80/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	38	बाल्टी जी.आई.शीट 10" आई.एस.आई. मार्क(टाटा)	170.00/-प्रति नग	मीरा सेल्स दुर्ग
06.07.2022	39	प्लास्टिक धमेल 16"	79.80/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	40	धमेल जी.आई.16" (टाटा)	93.80/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	41	हजारा प्लास्टिक 10 लीटर	251.00/-प्रति नग	मीरा सेल्स दुर्ग
06.07.2022	42	धुम्मस 5 कि.ग्रा. आई.एस.आई. मार्क	442.50/-प्रति नग	मॉ अम्बे दुर्गा एजेन्सी टिकरापारा रायपुर
06.07.2022	43	सब्ल (6 फीट) 22 एम.एम. (टाटा)	590.80/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	44	सब्ल (6 फीट) 25 एम.एम. (टाटा)	460.80/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	45	सब्ल (6 फीट) 29 एम.एम. (टाटा)	460.80/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	46	गैंती 2.5 एम.एम. (टाटा)	225.00/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	47	गैंती 2.8 एम.एम. (टाटा)	228.00/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	48	गैंती 3.0 एम.एम. (टाटा)	240.00/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	49	फावड़ा 1.2 एम.एम. (टाटा)	145.00/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	50	फावड़ा 1.4 एम.एम. (टाटा)	155.00/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	51	प्राथमिक उपचार पेटी दवाईयों का विवरण जो पेटी में होनी चाहिए :- आयोडिन टिनेचर 1 नग, कॉटन 25 ग्राम . 2 नग, बैण्डेज 2 सेमी 1 नग, बैण्डेज 3 सेमी. 1 नग, बैण्डेज स्कवैर. 5 नग, बैण्डेडराऊण्ड. 5 नग, डेटोल 60 एम.एल. 1 नग, वेटाडीन 1 नग, एच202. 1 नग, अधेसिव टेप छोटा. 1 नग, मूव स्प्रे. 1 नग, ओ.आर.एस. 2 नग, ग्लूकॉन डी. 1 नग, पैरासीटामॉल. 1 पत्ता	399.00/-प्रति पेटी	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़

विदा दिनांक	क्र.	सामग्री का नाम	प्राप्त न्यूनतम दर	फर्म का नाम
1	2	3	4	5
		ब्रुफेन 200 एम.जी. 1 पत्ता, ब्रुफेन 400 एम.जी. 1पत्ता,		
06.07.2022	52	कैनवास बैग उच्च गुणवत्ता वाली साईज 18"x15"x6" डबल चेन	280.00/-प्रति नग	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	53	ऑयल चाक साधारण	6.00/-प्रति दर्जन	मीरा सेल्स दुर्गा
06.07.2022	54	ऑयल चाक प्रीमियर	6.00/-प्रति पैकेट (10 नग)	मीरा सेल्स दुर्गा
06.07.2022	55	डामर टीन 15 ली.पैक (पारल्यूब ब्रांड) आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट विथ लैब रिपोर्ट	560.00/-प्रति टीन	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	56	रेडियम से श्लोगन लिखा हुआ लोहे का प्लेट (हरा पेंट पोताई सहित) साईज 12"x10"(19गेज)	105.02/-प्रति नग	सतगुरु इंटरप्राइजेस डोंगरगढ़
06.07.2022	57	रेडियम से कक्ष क्र. लिखा हुआ लोहे का प्लेट (हरा पेंट पोताई सहित) साईज 8"x6"(18गेज)	68.44/-प्रति नग	सतगुरु इंटरप्राइजेस डोंगरगढ़
06.07.2022	58	रेडियम से लॉट क्र.लिखा हुआ लोहे का प्लेट (हरा पेंट पोताई सहित) साईज 8"x6"(18गेज)	68.44/-प्रति नग	सतगुरु इंटरप्राइजेस डोंगरगढ़
06.07.2022	59	रेडियम से लॉट क्र. लिखा हुआ लोहे का प्लेट (हरा पेंट पोताई सहित) साईज 12"x6"(18गेज) डिपो प्लेट	150.00/-प्रति नग	दीपाली इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
06.07.2022	60	एगल आयरन साईन बोर्ड साईज 4"x3"x8"	1711.00/-प्रति नग	मॉ अम्बे दुर्गा एजेन्सी टिकरापारा रायपुर
सिंचाई सामग्री का न्यूनतम दर विवरण				
06.07.2022	61	सप्लाई ऑफ पीवीसी पाईप क्लास मिडियम फॉर सक्शन एण्ड इंटरकनेक्शन (आईएसआई मार्क) 15 एमएम प्रति मीटर	40.00/-रु. प्रति मीटर	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	62	सप्लाई ऑफ पीवीसी पाईप क्लास मिडियम फॉर सक्शन एण्ड इंटरकनेक्शन (आईएसआई मार्क) 20 एमएम प्रति मीटर	40.00/-रु. प्रति मीटर	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	63	सप्लाई ऑफ पीवीसी पाईप क्लास मिडियम फॉर सक्शन एण्ड इंटरकनेक्शन (आईएसआई मार्क) 25 एमएम प्रति मीटर	57.00/-रु. प्रति मीटर	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	64	सप्लाई ऑफ पीवीसी पाईप क्लास मिडियम फॉर सक्शन एण्ड इंटरकनेक्शन (आईएसआई मार्क) 40 एमएम प्रति मीटर	90.00/-रु. प्रति मीटर	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़
06.07.2022	65	सप्लाई ऑफ पीवीसी पाईप क्लास मिडियम फॉर सक्शन एण्ड	140.00/-रु. प्रति मीटर	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ़

विनिर्देश दिनांक	क्र.	सामग्री का नाम	प्राप्त न्यूनतम दर	फर्म का नाम
1	2	3	4	5
		इंटरकनेक्शन (आईएसआई मार्क) 50 एमएम प्रति मीटर		
06.07.2022	66	सप्लाइ ऑफ पीवीसी पाईप क्लास मिडियम फॉर सक्शन एण्ड इंटरकनेक्शन (आईएसआई मार्क) 65 एमएम प्रति मीटर	162.00/-रु. प्रति मीटर	मेसर्स गर्व कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा
06.07.2022	67	सप्लाइ ऑफ पीवीसी पाईप क्लास मिडियम फॉर सक्शन एण्ड इंटरकनेक्शन (आईएसआई मार्क) 80 एमएम प्रति मीटर	182.00/-रु. प्रति मीटर	मेसर्स गर्व कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा
06.07.2022	68	सप्लाइ ऑफ पीवीसी पाईप क्लास मिडियम फॉर सक्शन एण्ड इंटरकनेक्शन (आईएसआई मार्क) 04 एमएम पीवीसी केंबल प्रति मीटर	99.00/-रु. प्रति मीटर	मेसर्स गर्व कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा
06.07.2022	69	सप्लाइ ऑफ पीवीसी पाईप क्लास मिडियम फॉर सक्शन एण्ड इंटरकनेक्शन (आईएसआई मार्क) 10 एमएम सर्विस वायर प्रति मीटर	25.00/-रु. प्रति मीटर	श्री नरेन्द्र सोनी सोनार पारा खैरागढ
06.07.2022	70	सप्लाइ ऑफ पीवीसी पाईप क्लास मिडियम फॉर सक्शन एण्ड इंटरकनेक्शन (आईएसआई मार्क) पैनल बोर्ड प्रति नग	1950.00/-रु. प्रति नग	मेसर्स गर्व कंस्ट्रक्शन दल्लीराजहरा
विद्योहन सामग्री का न्यूनतम दर विवरण				
06.07.2022	71	रेकर साँ टो कटर हौला बैक 02 एम.एम. थीकनेस टैपर्ड टू 1.6 एम. एम. एस पर आई.एस. 12127-1987 1.8 मीटर	1731.80/-रु. प्रति मीटर	श्री आँकार चंद डोंगर रायपुर
06.07.2022	72	पेग टूथ साँ हौला बैक 02 एम.एम. थीकनेस टैपर्ड टू 1.6 एम. एम. एस पर आई.एस. 12127-1987 1.8 मीटर	1346.86/-रु. प्रति मीटर	ओकासु इंजीनियर्स कार्पोरेशन रायपुर
06.07.2022	73	डिजिट सेट 0 टू 9 (6 एण्ड 9 कॉमन) टेमपर्ड एण्ड एनिलर्ड एस पर आईएस 12698 1989 19 एम.एम.	4685.00/-रु. प्रति सेट	ओकासु इंजीनियर्स कार्पोरेशन रायपुर
06.07.2022	74	सेटिंग आयरन फार पेग टूथ साँ एण्ड रेकर टूथ साँ एस पर आईएसआई 12412:1988 (रिफेन्ड 1994)	239.10/-रु. प्रति नग	ओकासु इंजीनियर्स कार्पोरेशन रायपुर
06.07.2022	75	प्लेट फाईल सिंगल कट टू राऊण्ड एज हेवी ड्यूटी स्मूथ एस पर आईएस 1931 (पार्ट 02) 1985 200 एम.एम.	282.02/-रु. प्रति नग	ओकासु इंजीनियर्स कार्पोरेशन रायपुर

निविदा दिनांक	क्र.	सामग्री का नाम	प्राप्त न्यूनतम दर	फर्म का नाम
1	2	3	4	5
		के परिवहन और फिक्सिंग के लिए श्रम शुल्क शामिल हैं। 1. सभी प्रकार के बंधने योग्य स्तरों में		श्री दीपेश इंटरप्राइजेस स्टेशन पारा राजनांदगांव
		2. सभी प्रकार के चट्टानों में	1044.30/-प्रति मीटर	
06.07.2022	87	150 मिमी के पूर्ण ऊर्ध्वाधर बोर छेद के ड्रिलिंग सभी कार्यों सहित सभी प्रकार की चट्टानों में ग्राऊण्ड लेवल से नीचे वांछित गहराई तक	967.60/-प्रति मीटर	
06.07.2022	88	04 से 07 मीटर में आईएसआई चिह्नित जी.आई. केसिंग पाईप (सादा) मध्यम श्रेणी की आपूर्ति। आईएस 1239 (भाग-01 एवं भाग-02) 1992 (अद्यतित) के अनुसार सॉकेट से सुसज्जित एक छोर की लम्बाई 150 मिमी	2218.40/-प्रति मीटर	
निर्माण सामग्री का न्यूनतम दर विवरण:-				
13.07.2022	89	सीमेंट 53 ग्रेड (प्रति बोरी 50कि.ग्रा. पैक)	293.12/-प्रति बोरी 50कि.ग्रा.पैक	सतगुरु इंटरप्राइजेस डोंगरगढ़
13.07.2022	90	लोहा छड़ 06 एम.एम	74.93/-प्रति कि.ग्रा.	दीपाली इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
13.07.2022	91	लोहा छड़ 08 एम.एम	74.93/-प्रति कि.ग्रा.	दीपाली इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
13.07.2022	92	लोहा छड़ 10 एम.एम	74.93/-प्रति कि.ग्रा.	दीपाली इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
13.07.2022	93	लोहा छड़ 12 एम.एम	74.93/-प्रति कि.ग्रा.	दीपाली इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
13.07.2022	94	लोहा छड़ 16 एम.एम	74.93/-प्रति कि.ग्रा.	दीपाली इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
13.07.2022	95	चेकर टाईल्स (साईज 1x1 फीट) 36 वर्ग मी0	88.50/-प्रति वर्ग फीट	सतगुरु इंटरप्राइजेस डोंगरगढ़
13.07.2022	96	वाल टाईल्स (साईज 1x1 फीट) 95 वर्ग मी0	64.90/-प्रति वर्ग फीट	सुखमन ट्रेडलिक जनरल सप्लायर डोंगरगढ़
13.07.2022	97	फ्लोर टाईल्स (साईज 1x1 फीट) 39 वर्ग मी0	88.50/-प्रति वर्ग फीट	सतगुरु इंटरप्राइजेस डोंगरगढ़
13.07.2022	98	वेटरीफाइड टाईल्स (साईज 1x1 फीट) 42 वर्ग मी0	88.50/-प्रति वर्ग फीट	दीपाली इंटरप्राइजेस राजनांदगांव

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सामग्री क्रय हेतु निविदा का विवरण

निविदा दिनांक	क्र.	सामग्री का नाम	प्राप्त न्यूनतम दर	फर्म का नाम
1	2	3	4	5
नाशवान सामग्री का न्यूनतम दर विवरण				
05.09.2023	1	सबई रस्सी	4,900.00/-प्रति क्विंटल	एस.के. इंटरप्राइजेस, तकिया पारा, दुर्ग, छ.ग.
बोर खनन कार्य का न्यूनतम दर विवरण				
05.09.2023	2	फोटागॉफी, प्रतिरोधता डेटा एवं प्रतिरोधता ग्राफ्स, फोटागाफ्स आर रिडिंग के साथ वांछित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने सहित ट्यूबवेल की ड्रिलिंग के लिए उचित स्थान का पता लगाने के लिए श्वलंबरगर कॉन्फिगेशन का उपयोग करके वीडिएस विधि द्वारा प्रतिरोधता सर्वेक्षण करना	12,000.00/-प्रति सर्वे	
05.09.2023	3	एक व्यास के पूर्ण ऊर्ध्वाधर बोर छेद के ड्रिलिंग 150 मिमी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नाम मात्र व्यास ग्राऊण्ड लेबल के नीचे वांछित गहराई तक केंसिंग पाईप जिसमें 150 मि. मी. तक के परिवहन और फिक्सिंग के लिए श्रम शुल्क शामिल हैं।	1,044.00/-प्रति मीटर	श्री दीपेश इंटरप्राइजेस स्टेशन पारा राजनांदगांव, छ.ग.
		1. सभी प्रकार के बंधने योग्य स्तरों में	2,053.00/-प्रति मीटर	
05.09.2023	4	150 मिमी के पूर्ण ऊर्ध्वाधर बोर छेद के ड्रिलिंग सभी कार्यो सहित सभी प्रकार की चट्टानों में ग्राऊण्ड लेबल से नीचे वांछित गहराई तक	2,053.00/-प्रति मीटर	
05.09.2023	5	04 से 07 मीटर में आईएसआई चिन्हित जी.आई. केंसिंग पाईप (सादा) मध्यम श्रेणी की आपूर्ति। आईएस 1239 (भाग-01 एवं भाग-02) 1992 (अद्यतित) के अनुसार सॉकेट से सुसज्जित एक छोर की लम्बाई 150 मिमी	2,950.00/-प्रति मीटर	
विदोहन सामग्री का न्यूनतम दर विवरण				
26.09.2023	6	पेग टूथ सॉ हौलो बैंक 02 एम.एम. थीकनेस टैपर्ड टू 1.6 एम.एम. एस पर आई.एस. 12127-1987 1.8 मीटर	1346.84/-रु. प्रति मीटर	मेसर्स ओकासु इंजीनियर्स कार्पोरेशन, रायपुर, छ.ग.
26.09.2023	7	पॉवर चैन सॉ पेट्रोल संचालित 16" (3000 आरपीएम से अधिक नहीं, पावर आउट पुट -1.7 एचपी विस्थापन-28 से	25725.00/-रु. प्रति नग	मेसर्स एस.एस.एग्रो इंटरप्राइजेस, डी.डी.

		35 के बीच, सूखा वजन-4.5 किलोग्राम से अधिक नहीं, ईंधन टैंक की क्षमता 0.35 लीटर से अधिक नहीं। गाइड बार और चेन -केवल एक ही निर्माता होना चाहिए।		नगर, रायपुर, छ.ग.
26.09.2023	8	पॉवर चेन सॉ पेट्रोल संचालित 20" (3000 आरपीएम से अधिक नहीं, पावर आउट पुट -4.5 एचपी विस्थापन -55 से 60 के बीच, सूखा वजन-6 किलोग्राम से अधिक नहीं, ईंधन टैंक की क्षमता 0.70 लीटर से अधिक नहीं। गाइड बार और चेन -केवल एक ही निर्माता होना चाहिए।	65600.00/-रु. प्रति नग	मेसर्स एस.एस.एग्रो इंटरप्राइजेस, डी.डी. नगर, रायपुर, छ.ग.
26.09.2023	9	सॉ चैन 16"	1370.00/-रु. प्रति नग	मेसर्स एस.एस.एग्रो इंटरप्राइजेस, डी.डी. नगर, रायपुर, छ.ग.
26.09.2023	10	सॉ चैन 20"	1590.00/-रु. प्रति नग	मेसर्स एस.एस.एग्रो इंटरप्राइजेस, डी.डी. नगर, रायपुर, छ.ग.
26.09.2023	11	शॉपनिंग किट (पॉवर चेन सॉ)	1880.00/-रु. प्रति नग	मेसर्स एस.एस.एग्रो इंटरप्राइजेस, डी.डी. नगर, रायपुर, छ.ग.

संचालक (बजट) 16/02/24
कार्या. प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़ रायपुर

अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
भवन, नवा रायपुर, अटल नगर


पारोशेष्ट - सैतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 2385) की जानकारी

प्रपत्र

(राशि लाख में)

क.	वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	फारेस्ट रोड का स्थल विवरण	फारेस्ट रोड की कुल लंबाई (कि.मी.)	मरम्मत पर किया गया व्यय
1	2021-22	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	डोंगीपेण्ड्री से कटरा	6.50	0.32
2	2021-22	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	छाताचौराहा से डोंगीपेण्ड्री	3.00	0.32
3	2021-22	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	छाताचौराहा -अंगारखार से गतवा	9.00	1.07
4	2021-22	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	कटरा से निरतू	10.00	0.70
5	2021-22	सक्ती	सक्ती	ऋषभतीर्थ से रैनखोल	4.00	0
योग 2021-22					32.50	2.41
1	2022-23	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	डोंगीपेण्ड्री से कटरा	6.50	1.55
2	2022-23	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	छाताचौराहा से डोंगीपेण्ड्री	3.00	1.49
3	2022-23	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	छाताचौराहा -अंगारखार से गतवा	9.00	1.56
4	2022-23	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	कटरा से निरतू	10.00	1.40
5	2022-23	सक्ती	सक्ती	ऋषभतीर्थ से रैनखोल	4.00	0
योग 2022-23					32.50	6.00
1	2023-24	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	डोंगीपेण्ड्री से कटरा	6.50	0
2	2023-24	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	छाताचौराहा से डोंगीपेण्ड्री	3.00	0
3	2023-24	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	छाताचौराहा -अंगारखार से गतवा	9.00	3.99
4	2023-24	जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	कटरा से निरतू	10.00	0
5	2023-24	सक्ती	सक्ती	ऋषभतीर्थ से रैनखोल	4.00	1.00
योग 2023-24					32.50	4.99
कुलयोग					13.40	


अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलसंधु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


संचालक (बजट) 15/02/24
कार्या. प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़ रायपुर

परोशेष्ट - अड़तालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 2464) की जानकारी

ii =

जिला महासमुंद अंतर्गत वर्ष 2023- 24 में मंडारण /सुरक्षा मद में प्राप्त एवं व्यय राशि की विकासखण्डवार जानकारी

क्र०	विकासखण्ड का नाम	सामोते का नाम	उपाजन केंद्र का नाम	विपणन संघ से प्राप्त राशि (लाख में)	किये गये व्यय की मदवार जानकारी 31 जनवरी 2024 की स्थिति में											
					इन्नेज		त्रिपाल		पालिथिन		चौकीदार		तारघरा राशि (लाख में)	कीटनाशक दवाई राशि (लाख में)	अन्य व्यय राशि (लाख में)	कुल योग राशि (लाख में)
					मात्रा (टन में)	राशि (लाख में)	मात्रा (नग में)	राशि (लाख में)	मात्रा (क्विं में)	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)				
1	महासमुंद	झालखम्हरिया	झालखम्हरिया		15	0.73	5	0.53	0	0	4	0.84	0.35	0.10	0.29	2.84
2	महासमुंद	झालखम्हरिया	कोसरगी	2.43	8	0.39	1	0.11	0	0	4	0.84	0.32	0.07	0.25	1.98
3	महासमुंद	नायकबाधा	सिधी	0.70	5	0.24	1	0.11	0	0	3	0.63	0.15	0.07	0.12	1.32
4	महासमुंद	खट्टी	खट्टी		11	0.54	10	1.05	0	0	4	0.84	0.15	0.04	0.09	2.71
5	महासमुंद	खट्टी	परसदा (ख)	1.80	9	0.44	3	0.32	0	0	3	0.63	0.12	0.05	0.09	1.65
6	महासमुंद	बेलसोण्डा	बेलसोण्डा	2.39	35	1.71	17	1.79	0	0	5	1.05	0.25	0.25	0.16	5.21
7	महासमुंद	बरोडाबाजार	बरोडाबाजार	2.05	12	0.59	16	1.68	0	0	5	1.05	0.20	0.10	0.35	3.97
8	महासमुंद	बम्हनी	बम्हनी	0.97	6	0.29	7	0.74	0	0	3	0.63	0.15	0.06	0.18	2.05
9	महासमुंद	कनेकेरा	शेर	2.08	8	0.39	9	0.95	0	0	9	1.89	0.45	0.18	0.35	4.21
10	महासमुंद	पिटियाझर	पिटियाझर	1.84	10	0.49	6	0.63	0	0	5	1.05	0.52	0.10	0.58	3.37
11	महासमुंद	बेमचा	बेमचा	2.19	29	1.42	12	1.26	0	0	6	1.26	0.25	0.10	0.15	4.44
12	महासमुंद	तुमगाव	तुमगाव		5	0.24	6	0.65	0	0	3	0.63	0.00	0.02	0.00	1.54
13	महासमुंद	तुमगाव	भोरिंग		4	0.19	8	0.88	0	0	6	1.26	0.00	0.02	0.00	2.35
14	महासमुंद	तुमगाव	मालीडीह	3.91	2	0.09	5	0.55	0	0	4	0.84	0.00	0.02	0.00	1.50
15	महासमुंद	तुमगाव	बेलदूकरी		11	0.52	6	0.66	0	0	4	0.84	0.00	0.02	0.00	2.04
16	महासमुंद	अछोला	अछोला		2	0.09	6	0.66	0	0	3	0.63	0.00	0.03	0.00	1.41
17	महासमुंद	अछोला	जोबा	2.43	21	1.01	6	0.66	0	0	6	1.26	0.00	0.03	0.00	2.96
18	महासमुंद	बिरकोनी	बिरकोनी		24	1.11	4	0.44	1	0.31	5	1.05	0.00	0.02	0.25	3.18
19	महासमुंद	बिरकोनी	कापा	3.37	9	0.44	3	0.33	1	0.4	4	0.84	0.00	0.02	0.00	2.03
20	महासमुंद	बिरकोनी	बडगाव		0	0.00	3	0.33	1	0.22	4	0.84	0.63	0.02	0.00	2.04
21	महासमुंद	जलकी	जलकी		14	0.66	3	0.33	0	0	3	0.63	0.00	0.03	0.00	1.65
22	महासमुंद	जलकी	अचानकपुर	1.81	9	0.44	4	0.44	0	0	3	0.63	0.00	0.02	0.00	1.53
23	महासमुंद	लहगर	लहगर	1.54	17	0.78	6	0.66	1	0.35	3	0.63	1.08	0.04	0.00	3.54
24	महासमुंद	सिरपुर	सिरपुर	1.70	14	0.66	10	1.10	0	0.00	3	0.63	0.00	0.04	0.82	3.25
25	महासमुंद	बावनकेरा	बावनकेरा	3.05	9	0.45	15	1.47	0	0.00	7	1.47	0.00	0.00	0.00	3.39
26	महासमुंद	बावनकेरा	चौकबेडा		10	0.49	0	0.00	0	0.00	3	0.63	0.00	0.00	0.00	1.12
27	महासमुंद	पटेवा	पटेवा		6	0.22	4	0.40	0	0.00	2	0.36	0.00	0.00	0.00	0.98
28	महासमुंद	पटेवा	नवागाव	3.34	2	0.11	3	0.30	0	0.00	2	0.36	0.00	0.00	0.00	0.77
29	महासमुंद	पटेवा	साविहाभाठा		2	0.11	2	0.20	0	0.00	2	0.36	0.00	0.00	0.00	0.67

क्र०	विकासखण्ड का नाम	समिति का नाम	उपाजन केंद्र का नाम	विपणन संघ से प्राप्त राशि (लाख में)	किये गये व्यय की मदवार जानकारी 31 जनवरी 2024 की स्थिति में										कुल योग राशि (लाख में)	
					इनेज		त्रिपाल		पालिथिन		चौकीदार		तारघरा राशि (लाख में)	कीटनाशक दवाई राशि (लाख में)		अन्य व्यय राशि (लाख में)
					मात्रा (टन में)	राशि (लाख में)	मात्रा (नग में)	राशि (लाख में)	मात्रा (क्विं में)	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)				
30	महासमुन्द	नरतौरा	नरतौरा	1.99	37	1.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.17	1.99
31	महासमुन्द	सराईपाली	सराईपाली	1.25	0	0.00	6	0.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0.07	0.43	1.10
32	महासमुन्द	पचरी	पचरी	1.56	12	0.52	2	0.20	0	0.00	0	0.00	0.18	0.13	0.55	1.58
33	महासमुन्द	रायतूम	रायतूम	1.54	15	0.69	0	0.00	0	0.00	8	1.68	0.00	0.00	0.54	2.91
34	महासमुन्द	झलप	झलप	2.41	6	0.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1.20	1.50
35	महासमुन्द	झलप	झमरपाली ढांक		4	0.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.69	0.91
36	महासमुन्द	सरेकेल	सरेकेल	2.09	20	1.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.26	0.00	1.72	3.08
37	महासमुन्द	झारा	झारा	1.30	12	0.53	8	0.73	2	0.66	3	0.54	0.00	0.17	0.00	2.63
		योग		49.74	415	20.02	197	20.76	6	1.94	129	26.82	5.06	1.82	8.98	85.40
38	बागबाहरा	खम्हरिया	आमाकोनी	2.82	15	0.74	6	0.63	2	0.20	4	0.84	0.28	0.04	0.00	2.73
39	बागबाहरा	खम्हरिया	बोडराबाधा		6	0.29	5	0.53	1	0.13	4	0.84	0.27	0.05	0.00	2.11
40	बागबाहरा	तुसदा	तुसदा	1.32	5	0.25	1	0.11	0	0.00	3	0.63	0.28	0.23	0.12	1.62
41	बागबाहरा	खल्लारी	खल्लारी	2.64	10	0.44	6	0.54	3	0.98	4	0.72	0.40	0.10	0.00	3.18
42	बागबाहरा	खल्लारी	बी के बाहरा		8	0.35	8	0.72	1	0.38	3	0.54	0.35	0.10	0.00	2.44
43	बागबाहरा	सिरीपठारीमुडा	सिरीपठारीमुडा	2.92	31	1.36	10	0.90	0	0.00	7	1.47	0.00	0.00	0.25	3.98
44	बागबाहरा	सिरीपठारीमुडा	आमगांव		15	0.66	10	0.90	0	0.00	4	0.72	0.00	0.00	0.00	2.28
45	बागबाहरा	सुखरीडवरी	सुखरीडवरी	1.59	15	0.66	10	0.90	2	0.75	5	0.90	0.00	0.20	0.00	3.41
46	बागबाहरा	गबौद	गबौद	1.48	14	0.62	7	0.63	2	0.65	6	1.08	0.00	0.12	0.00	3.10
47	बागबाहरा	चरौदा	चरौदा	2.31	10	0.44	6	0.54	3	0.98	4	0.72	0.00	0.00	0.00	2.68
48	बागबाहरा	चरौदा	ओकारबंद		6	0.26	4	0.36	3	0.98	4	0.72	0.00	0.00	0.00	2.32
49	बागबाहरा	मामाभाचा	मामाभाचा	1.51	14	0.62	15	1.35	2	0.67	4	0.72	0.00	0.00	0.00	3.36
50	बागबाहरा	खोपली	खोपली	2.23	17	0.76	10	0.90	0	0.00	4	0.84	0.24	0.05	0.00	2.79
51	बागबाहरा	खोपली	घोचापाली		16	0.70	11	0.99	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	2.23
52	बागबाहरा	नरी	नरी	2.08	15	0.72	11	1.05	3	1.00	7	1.47	0.00	0.03	0.00	4.27
53	बागबाहरा	परसली	परसली	1.67	5	0.24	13	1.24	1	0.43	6	1.26	0.00	0.00	0.00	3.17
54	बागबाहरा	बाघामुडा	बाघामुडा	1.71	8	0.38	11	1.05	6	1.87	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
55	बागबाहरा	देवरी	देवरी	2.14	6	0.29	11	1.04	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.09	1.42
56	बागबाहरा	देवरी	साहदेआठा		7	0.34	10	0.94	0	0.00	0	0.00	0.00	0.05	0.00	1.33
57	बागबाहरा	कसेकेरा	कसेकेरा	2.38	16	0.77	21	2.00	3	0.77	4	0.84	0.15	0.07	0.00	4.60
58	बागबाहरा	कछरडीह	कछरडीह	1.93	13	0.62	16	1.52	2	0.45	4	0.84	0.00	0.07	0.00	3.50
59	बागबाहरा	बसलाडवरी	बसलाडवरी	1.94	6	0.29	11	1.04	3	0.77	4	0.84	0.00	0.04	0.00	2.98
60	बागबाहरा	मनगासेर	मनगासेर	2.15	9	0.43	13	1.24	2	0.43	8	1.68	0.35	0.10	0.07	4.30
61	बागबाहरा	खेमडा	खेमडा	1.54	4	0.19	11	1.05	2	0.46	7	1.47	0.00	0.00	0.04	3.21
62	बागबाहरा	मोगरापाली	मोगरापाली	1.81	8	0.38	13	1.23	1	0.37	4	0.84	0.15	0.07	0.00	3.04

क्र०	विकासखण्ड का नाम	सोमोते का नाम	उपाजेन केन्द्र का नाम	विपणन संघ से प्राप्त राशि (लाख में)	किये गये व्यय की मदवार जानकारी 31 जनवरी 2024 की स्थिति में											
					डनेज		त्रिपाल		पालिथिन		चौकीदार		तारघरा राशि (लाख में)	कीटनाशक दवाई राशि (लाख में)	अन्य व्यय राशि (लाख में)	कुल योग राशि (लाख में)
					मात्रा (टन में)	राशि (लाख में)	मात्रा (नग में)	राशि (लाख में)	मात्रा (मिच में)	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)				
63	बागबाहरा	गाजर	गाजर	1.56	5	0.24	6	0.57	3	0.78	4	0.84	0.00	0.04	0.00	2.47
64	बागबाहरा	कोमाखान	कोमाखान	1.57	8	0.38	10	0.95	0	0.00	4	0.84	0.00	0.06	0.09	2.32
65	बागबाहरा	पटपरपाली	पटपरपाली	1.45	7	0.34	11	1.05	1	0.41	8	1.68	0.00	0.00	0.00	3.48
66	बागबाहरा	बकमा	बकमा	2.92	6	0.30	13	1.22	0	0.00	6	1.26	0.00	0.07	0.00	2.85
67	बागबाहरा	बकमा	घोटियापानी		14	0.67	10	0.95	2	0.76	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
68	बागबाहरा	तेदकोना	तेदकोना	2.39	37	1.81	12	1.14	0	0.00	4	0.84	0.00	0.10	0.41	4.30
69	बागबाहरा	सम्हर	सम्हर	2.38	47	2.30	13	1.24	0	0.00	4	0.84	0.00	0.11	0.40	4.89
योग				50.46	403	18.84	325	30.52	48	14.22	133	26.82	2.47	1.70	1.47	96.04
70	पिथौरा	बदईपाली	बदईपाली	2.03	19	0.93	12	1.14	2	0.58	4	0.84	0.45	0.20	0.35	4.49
71	पिथौरा	बन्देली	बन्देली	1.46	12	0.59	12	1.14	0	0.00	4	0.84	0.00	0.07	0.16	2.80
72	पिथौरा	बेल्डीह	बेल्डीह	2.87	26	1.26	4	0.38	0	0.00	4	0.84	0.00	0.15	0.30	2.93
73	पिथौरा	बेल्डीह	कोल्दा		30	1.45	4	0.38	0	0.00	4	0.84	0.00	0.00	0.00	2.67
74	पिथौरा	भुरकोनी	भुरकोनी	1.98	36	1.75	5	0.47	0	0.00	4	0.84	0.00	0.20	0.29	3.55
75	पिथौरा	घोच	घोच	1.89	12	0.61	0	0.00	0	0.00	6	1.26	0.00	0.06	1.17	3.10
76	पिथौरा	सोनासिल्ली	सोनासिल्ली	2.55	35	1.72	0	0.00	0	0.00	4	0.84	0.00	0.00	0.00	2.56
77	पिथौरा	सोनासिल्ली	धनौरा		10	0.49	5	0.53	0	0.00	4	0.84	0.31	0.00	0.00	2.17
78	पिथौरा	बरेकेल	बरेकेल	1.72	25	1.20	11	1.16	0	0.00	7	1.47	0.00	0.00	0.00	3.83
79	पिथौरा	टेका	टेका	1.08	15	0.72	4	0.42	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.16	1.30
80	पिथौरा	सरकडा (पिथौरा)	सरकडा	0.92	2	0.11	5	0.52	0	0.00	0	0.00	0.20	0.00	0.24	1.07
81	पिथौरा	राजाडेरा (राजाडीह)	राजाडेरा (राजाडीह)	1.73	25	1.20	8	0.84	0	0.00	6	1.26	0.00	0.00	0.17	3.47
82	पिथौरा	पिथौरा	पिथौरा	2.97	31	1.50	0	0.00	0	0.00	8	1.68	0.00	0.00	0.31	3.49
83	पिथौरा	पिथौरा	किशनपुर		15	0.72	0	0.00	0	0.00	6	1.26	0.05	0.06	0.00	2.09
84	पिथौरा	मडीपार	मडीपार	1.25	3	0.13	0	0.00	0	0.00	6	1.26	0.30	0.00	0.48	2.17
85	पिथौरा	कौहाकड़ा	कौहाकड़ा	1.75	15	0.72	4	0.42	0	0.00	8	1.68	0.00	0.00	0.13	2.95
86	पिथौरा	सपोस	बेल्डीह	2.90	12	0.56	5	0.53	0	0.00	6	1.26	0.25	0.16	0.47	3.23
87	पिथौरा	सपोस	लोहराकोट		7	0.34	5	0.53	0	0.00	4	0.84	0.18	0.04	0.20	2.13
88	पिथौरा	सल्डीह	सल्डीह	3.28	11	0.53	5	0.52	0	0.00	4	0.84	0.00	0.00	0.00	1.89
89	पिथौरा	सल्डीह	दोडरकसा		11	0.53	4	0.42	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	1.49
90	पिथौरा	सल्डीह	सिरको		34	1.63	6	0.63	0	0.00	4	0.84	0.04	0.02	0.20	3.36
91	पिथौरा	जेराभरन	जेराभरन	1.77	3	0.14	5	0.53	0	0.00	5	1.05	0.00	0.00	0.00	1.72
92	पिथौरा	जेराभरन	डोंगरीपाली छ		10	0.48	4	0.42	0	0.00	4	0.72	0.00	0.00	0.00	1.62
93	पिथौरा	सागनदाप	सागनदाप	1.87	29	1.39	7	0.74	0	0.00	8	1.68	0.00	0.00	0.00	3.81

क्र०	विकासखण्ड का नाम	समिति का नाम	उपाजन केन्द्र का नाम	विपणन संघ से प्राप्त राशि (लाख में)	किये गये व्यय की मदवार जानकारी 31 जनवरी 2024 की स्थिति में											
					डनेज		त्रिपाल		पालिथिन		चौकीदार		तारघरा राशि (लाख में)	कीटनाशक दवाई राशि (लाख में)	अन्य व्यय राशि (लाख में)	कुल योग राशि (लाख में)
					मात्रा (टन में)	राशि (लाख में)	मात्रा (नग में)	राशि (लाख में)	मात्रा (किंव में)	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)				
94	पिथौरा	परसवानी	परसवानी	2.09	45	2.16	5	0.53	0	0.00	4	0.84	0.00	0.07	0.25	3.85
95	पिथौरा	पेड़ावन	पेड़ावन	2.01	9	0.43	7	0.74	0	0.00	6	1.08	0.00	0.00	0.00	2.25
96	पिथौरा	पेड़ावन	मोहगाव		16	0.77	6	0.63	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	1.94
97	पिथौरा	भगतदेवरी	भगतदेवरी	2.89	24	1.15	13	1.37	0	0.00	4	0.72	0.00	0.00	0.00	3.24
98	पिथौरा	भगतदेवरी	सवित्रीपुर		11	0.53	4	0.42	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	1.49
99	पिथौरा	भगतदेवरी	बिजेमाल		8	0.38	3	0.32	0	0.00	4	0.72	0.00	0.00	0.00	1.42
100	पिथौरा	सांकरा	सांकरा	3.54	12	0.58	8	0.81	3	0.94	7	1.26	0.00	0.00	0.00	3.59
101	पिथौरा	सखीपाली	सखीपाली	1.58	22	1.06	9	0.94	0	0.00	5	1.05	0.00	0.00	0.00	3.05
102	पिथौरा	पथरला	पथरला	2.32	12	0.59	10	1.02	0	0.00	6	1.26	0.15	0.01	0.20	3.23
103	पिथौरा	पथरला	बरनाईदादर		13	0.64	7	0.71	0	0.00	4	0.84	0.00	0.00	0.00	2.19
104	पिथौरा	भस्करापाली	भस्करापाली	2.67	28	1.37	12	1.22	0	0.00	8	1.44	0.00	0.00	0.00	4.03
105	पिथौरा	भस्करापाली	तरेकेला		12	0.59	6	0.61	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	1.74
106	पिथौरा	जाडामुडा	जाडामुडा	1.65	11	0.54	7	0.71	0	0.00	4	0.72	0.00	0.00	0.00	1.97
107	पिथौरा	जाडामुडा	झारमुडा		6	0.29	3	0.31	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	1.14
108	पिथौरा	आरगी	नरसैयापल्लम	1.91	15	0.74	0	0.00	0	0.00	5	0.90	0.00	0.00	0.00	1.64
109	पिथौरा	आरगी	बम्हनी		21	1.03	0	0.00	0	0.00	5	0.90	0.00	0.00	0.00	1.93
110	पिथौरा	पिरदा	पिरदा	1.84	21	1.03	9	0.92	0	0.00	4	0.72	0.00	0.00	0.00	2.67
111	पिथौरा	जगदीशपुर	जगदीशपुर	1.79	16	0.77	13	1.33	0	0.00	6	1.26	0.15	0.05	0.05	3.61
योग				58.31	730	35.35	237	24.31	5	1.52	197	39.39	2.08	1.09	5.13	108.87
112	बसना	सरकंडा	टांगापासा	1.57	19	0.94	7	0.71	0	0.00	4	0.72	0.00	0.00	0.00	2.37
113	बसना	चनाट	चनाट	1.85	11	0.54	5	0.51	0	0.00	4	0.72	0.00	0.00	0.00	1.77
114	बसना	चनाट	तिलाईदादर		29	1.42	6	0.61	1	0.34	6	1.08	0.00	0.00	0.00	3.45
115	बसना	रसोडा	रसोडा	1.10	9	0.42	4	0.39	0	0.00	5	1.05	0.05	0.02	0.11	2.04
116	बसना	धमाभाठा	धमाभाठा	1.16	10	0.48	4	0.39	0	0.00	4	0.84	0.07	0.04	0.14	1.96
117	बसना	खरोरा	खरोरा	1.27	10	0.51	4	0.39	0	0.00	8	1.68	0.07	0.03	0.00	2.68
118	बसना	सिधनपुर	सिधनपुर	1.73	25	1.23	5	0.49	0	0.00	5	1.05	0.11	0.05	0.05	2.98
119	बसना	गौरटेक	गौरटेक	1.83	8	0.42	3	0.29	0	0.00	8	1.68	0.09	0.02	0.01	2.51
120	बसना	गौरटेक	संकरी		5	0.25	0	0.00	0	0.00	4	0.84	0.00	0.00	0.00	1.09
121	बसना	बिछिया (बसना)	बिछिया	1.44	10	0.47	5	0.49	0	0.00	9	1.89	0.08	0.02	0.07	3.02
122	बसना	बसना	बसना	2.5	8	0.41	2	0.20	0	0.00	4	0.84	0.00	0.00	0.03	1.48
123	बसना	बसना	गढ़पटनी		4	0.21	2	0.20	0	0.00	4	0.84	0.06	0.02	0.03	1.36
124	बसना	बसना	छादनपुर		8	0.36	2	0.20	0	0.00	7	1.47	0.03	0.01	0.02	2.09
125	बसना	बडेतेमरी	बडेतेमरी	1.08	10	0.47	2	0.20	0	0.00	7	1.47	0.09	0.03	0.06	2.32

क्र०	विकासखण्ड का नाम	समीति का नाम	उपाजन केंद्र का नाम	विपणन संघ से प्राप्त राशि (लाख में)	किये गये व्यय की मदवार जानकारी 31 जनवरी 2024 की स्थिति में											
					डनेज		त्रिपाल		पालिथिन		चौकीदार		तारघेरा राशि (लाख में)	कीटनाशक दवाई राशि (लाख में)	अन्य व्यय राशि (लाख में)	कुल योग राशि (लाख में)
					मात्रा (टन में)	राशि (लाख में)	मात्रा (नग में)	राशि (लाख में)	मात्रा (किंव में)	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)				
126	बसना	भुकेल	भुकेल	1.18	13	0.61	4	0.39	0	0.00	7	1.47	0.04	0.02	0.03	2.56
127	बसना	पौसरा	पौसरा	1.52	7	0.36	3	0.29	0	0.00	6	1.26	0.04	0.02	0.03	2.00
128	बसना	पौसरा	पठियापाली	1.19	5	0.24	2	0.20	0	0.00	3	0.63	0.05	0.01	0.02	1.15
129	बसना	बडेडाभा	बडेडाभा	1.19	7	0.33	6	0.59	0	0.00	6	1.26	0.04	0.02	0.04	2.28
130	बसना	गढफलझर	गढफलझर	1.90	8	0.38	10	0.98	0	0.00	4	0.84	0.07	0.03	0.06	2.36
131	बसना	गढफलझर	हाडापथरा	1.84	4	0.19	2	0.20	0	0.00	2	0.42	0.00	0.00	0.00	0.81
132	बसना	करचण्डी	करचण्डी	1.62	15	0.72	2	0.20	0	0.00	7	1.47	0.05	0.03	0.09	2.56
133	बसना	करचण्डी	इन्दरपुर	1.15	4	0.21	2	0.20	0	0.00	4	0.84	0.03	0.01	0.03	1.32
134	बसना	अकोरी	अकोरी	1.62	19	0.92	5	0.49	0	0.00	8	1.68	0.04	0.02	0.05	3.20
135	बसना	चिमरकेल	चिमरकेल	1.15	13	0.65	3	0.29	0	0.00	5	1.05	0.08	0.03	0.07	2.17
136	बसना	उडेला	उडेला	2.46	9	0.41	7	0.69	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	1.64
137	बसना	उडेला	पुरुषोत्तमपुर	1.26	11	0.51	8	0.78	0	0.00	4	0.72	0.00	0.00	0.00	2.01
138	बसना	उडेला	खोकसा	1.48	4	0.18	5	0.49	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	1.21
139	बसना	धामनघटकरी	धामनघटकरी	1.26	23	1.06	0	0.00	0	0.00	4	0.84	0.21	0.02	0.56	2.69
140	बसना	बाराडोली	बाराडोली	1.48	4	0.17	15	1.47	0	0.00	7	1.47	0.00	0.00	0.00	3.11
141	बसना	भंवरपुर	भंवरपुर	1.95	16	0.74	10	0.98	0	0.00	3	0.63	0.00	0.00	0.00	2.35
142	बसना	भंवरपुर	रूपापाली	1.62	10	0.46	5	0.49	0	0.00	3	0.63	0.00	0.00	0.00	1.58
143	बसना	ठुठापाली	ठुठापाली	1.62	13	0.58	9	0.88	0	0.00	5	1.05	0.35	0.04	0.51	3.41
144	बसना	बिछिया	बिछिया	2.28	19	0.88	8	0.78	0	0.00	6	1.08	0.16	0.03	0.15	3.08
145	बसना	(भंवरपुर)	दुलारपाली	1.94	11	0.50	6	0.59	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	1.63
146	बसना	लम्बर	लम्बर	1.78	26	1.20	15	1.47	0	0.00	4	0.84	0.20	0.05	0.20	3.96
147	बसना	रोहिना	रोहिना	1.40	30	1.48	8	0.78	0	0.00	5	1.05	0.16	0.04	0.47	3.98
148	बसना	बडेसाजापाली	बडेसाजापाली	1.69	18	0.82	0	0.00	0	0.00	5	1.05	0.15	0.02	0.42	2.46
149	बसना	सलखण्ड	सलखण्ड	43.79	30	1.38	4	0.43	0	0.00	4	0.84	0.15	0.06	0.18	3.04
		योग		43.79	485	23.11	190	18.73	1	0.34	190	38.91	2.47	0.69	3.43	87.68
150	सरायपाली	नूनपानी	अमरकोट	2.27	13	0.66	7	0.76	2	0.61	6	1.08	0.00	0.00	0.00	3.11
151	सरायपाली	जम्हारी	जम्हारी	2.17	21	1.07	6	0.65	0	0.00	4	0.72	0.02	0.00	0.00	2.46
152	सरायपाली	जम्हारी	आंवलाचक्का	2.17	6	0.31	4	0.43	0	0.00	3	0.63	0.00	0.00	0.00	1.37
153	सरायपाली	जम्हारी	बहेरापाली	2.17	3	0.15	2	0.22	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	0.91
154	सरायपाली	नवरंगपुर	नवरंगपुर	1.77	16	0.82	9	0.97	0	0.00	4	0.84	0.00	0.00	0.00	2.63
155	सरायपाली	नवरंगपुर	बाराडोली	1.99	11	0.56	4	0.43	0	0.00	4	0.72	0.00	0.00	0.00	1.71
156	सरायपाली	बोन्दानवापाली	बोदा	1.77	15	0.76	6	0.65	0	0.00	10	1.80	0.37	0.00	0.16	3.74
157	सरायपाली	रिसिकेला	केटवा	2.00	17	0.87	9	0.97	0	0.00	11	1.98	0.36	0.02	0.71	4.91
158	सरायपाली	नवागढ	नवागढ	2.00	24	1.22	2	0.22	0	0.00	6	1.26	0.30	0.02	0.26	3.28

क्र०	विकासखण्ड का नाम	समिति का नाम	उपाजेन केन्द्र का नाम	विपणन संघ से प्राप्त राशि (लाख में)	किये गये व्यय की मदवार जानकारी 31 जनवरी 2024 की स्थिति में											
					इनेज		त्रिपाल		पालिथिन		चौकीदार		तारघेरा राशि (लाख में)	कीटनाशक दवाई राशि (लाख में)	अन्य व्यय राशि (लाख में)	कुल योग राशि (लाख में)
					मात्रा (टन में)	राशि (लाख में)	मात्रा (नग में)	राशि (लाख में)	मात्रा (चिंचं में)	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)				
159	सरायपाली	सरायपाली	सरायपाली	2.27	15	0.77	10	1.08	0	0.00	9	1.89	0.00	0.00	0.84	4.58
160	सरायपाली	कनकेवा	कनकेवा	2.12	15	0.77	9	0.97	0	0.00	4	0.84	0.15	0.05	0.75	3.53
161	सरायपाली	कनकेवा	केन्दुदार	2.12	4	0.20	2	0.22	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	0.96
162	सरायपाली	भोथलडीह	भोथलडीह	2.30	11	0.56	9	0.97	0	0.00	9	1.62	0.00	0.00	0.00	3.15
163	सरायपाली	भोथलडीह	लिमगाव	2.30	4	0.21	3	0.32	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	1.07
164	सरायपाली	पूटका	पूटका	1.87	18	0.89	5	0.54	0	0.00	8	1.68	0.00	0.00	0.00	3.11
165	सरायपाली	पूटका	लांती	1.87	4	0.21	3	0.32	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	1.07
166	सरायपाली	चिवराकटा	चिवराकटा	1.40	8	0.42	6	0.65	0	0.00	6	1.26	0.25	0.00	0.25	2.83
167	सरायपाली	सिंगबहाल	सिंगबहाल	1.49	13	0.64	11	1.19	0	0.00	6	1.08	0.00	0.00	0.31	3.22
168	सरायपाली	रूढा	सागरपाली	2.05	33	1.67	5	0.54	0	0.00	4	0.84	0.00	0.00	0.00	3.05
169	सरायपाली	रूढा	रूढा	2.05	13	0.66	7	0.76	0	0.00	4	0.72	0.00	0.00	0.00	2.14
170	सरायपाली	तिहारीपाली	तिहारीपाली	1.15	33	1.68	16	1.73	0	0.00	3	0.63	0.04	0.00	0.00	4.08
171	सरायपाली	मल्दामाल	मल्दामाल	1.66	24	1.23	4	0.43	2	0.61	4	0.84	0.00	0.05	0.40	3.56
172	सरायपाली	केना	केना	1.12	11	0.57	8	0.86	0	0.00	4	0.84	0.00	0.00	0.00	2.27
173	सरायपाली	बेलमण्डी	बेलमण्डी	1.41	23	1.18	3	0.32	0	0.00	4	0.84	0.00	0.03	0.25	2.62
174	सरायपाली	कोटदवारी	बलौदा	1.62	24	1.22	15	1.62	0	0.00	5	1.05	0.00	0.05	0.21	4.15
175	सरायपाली	गेरा	टेमरी	1.61	25	1.43	15	1.62	0	0.00	4	0.84	0.00	0.00	0.00	3.89
176	सरायपाली	तोषगाव	तोषगाव	1.70	16	0.82	18	1.94	0	0.00	5	1.05	0.00	0.00	0.00	3.81
177	सरायपाली	केजवा	केजवा	1.55	25	1.26	12	1.30	0	0.00	4	0.84	0.00	0.00	0.00	3.40
178	सरायपाली	जोगनीपाली	जोगनीपाली	2.26	21	1.07	20	2.16	0	0.00	6	1.26	0.31	0.07	0.22	5.09
179	सरायपाली	तोरेसिहा	तोरेसिहा	1.71	13	0.66	15	1.62	0	0.00	5	0.90	0.35	0.07	0.31	3.91
180	सरायपाली	जंगलबेडा	जंगलबेडा	1.35	14	0.71	15	1.62	0	0.00	3	0.54	0.00	0.00	0.00	2.87
181	सरायपाली	कसमीसरार	सेमलिया	1.67	25	1.27	10	1.08	0	0.00	5	1.05	0.22	0.05	0.18	3.85
182	सरायपाली	सिरबोड़ा	सिरबोड़ा	0.96	13	0.66	10	1.08	0	0.00	4	0.84	0.09	0.02	0.23	2.92
योग				44.91	531	27.18	280	30.24	4	1.22	166	32.64	2.46	0.43	5.08	99.25
कुल योग				247.21	2564.00	124.50	1229	124.56	64	19.24	815.00	164.58	14.54	5.73	24.09	477.24



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग


नंरालय, नवा रायपुर, अक्स नगर

परिशेष - उन्नास
अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 2502) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद संख्या	रिक्त पद संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	वनक्षेत्रपाल	1	1	0	-
2	उप वनक्षेत्रपाल	2	3	-	1 अतिरिक्त
3	वनपाल	2	4	-	2 अतिरिक्त
4	वनरक्षक	4	4	0	
5	पशुचिकित्सक (संविदा)	2	1	1	
	योग :-	11	13	1	3


अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


उप वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

प्रपत्र-ब

वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्नांकित दिनांक तक कानन पेण्डारी जू हेतु शासन द्वारा एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय-व्यय की वर्षवार, मदवार जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	आय	व्यय
1	2020-21	निरंक	निरंक	निरंक
		10-2406-6885 प्रधान मु.व.सं. (व.प्रा.) कार्यालय की स्थापना 04 कार्यालय व्यय 009 सूचना प्रौद्योगिकी	100000	99034
		10-2406-8912 वन्यप्राणी बचाव पुनर्वास एवं हेल्थकेयर प्रबंधन 02 मजदूरी 004	120000	116081
		10-2406-8912 वन्यप्राणी बचाव पुनर्वास एवं हेल्थकेयर प्रबंधन 25 सामग्री एवं पूर्तियां 006	1175000	1171994
		10-2406-3943 वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास 02 मजदूरी 004	300000	299978
		10-2406-3943 वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास 25 सामग्री एवं पूर्तियां 006	1400000	1396004
2	2021-22	10-2406-6540 चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन 02 मजदूरी 004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	9695520	9694609
		10-2406-6540 चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन 25 सामग्री एवं पूर्तियां 006 अन्य व्यय	20505257	20504383
		10-2406-6540 चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन 27 लघु निर्माण कार्य 006 अन्य लघु निर्माण कार्य	8085000	8084334
		41-2406-6991 हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास 24 अनुरक्षण कार्य 012 अन्य अनुरक्षण कार्य	113476	113476
		गेटमनी (गेट टिकट, सायकल स्टेण्ड, मछलीघर एवं सफारी कार इत्यादि)	13720000	11865593
		योग :-	55,214,253	53,345,486

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	आय	व्यय
3	2022-23	10-2406-8912 वन्यप्राणी बचाव पुनर्वास एवं हेल्थकेयर प्रबंधन 02 मजदूरी 004	700000	686710
		10-2406-8912 वन्यप्राणी बचाव पुनर्वास एवं हेल्थकेयर प्रबंधन 25 सामग्री एवं पूर्तियां 006	1475000	1420451
		10-2406-6540 चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन 02 मजदूरी 004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	15038433	15036265
		10-2406-6540 चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन 24 अनुरक्षण कार्य	150000	149825
		10-2406-6540 चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन 25 सामग्री एवं पूर्तियां 006 अन्य व्यय	38000000	37999384
		10-2406-6540 चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन 27 लघु निर्माण कार्य 006 अन्य लघु निर्माण कार्य	15250000	15202688
		41-4406-4342 सड़के तथा मकान निर्माण 97-001	400000	399873
		10-2406-6218 भवनों की मरम्मत 24 अनुरक्षण कार्य 003 कार्यालयीन भवन	450000	449998
		गोटमनी (गेट टिकट, सायकल स्टेण्ड, मछलीघर एवं सफारी कार इत्यादि)	700000	5189735
		योग :-		
4	2023-24	10-2406-8912 वन्यप्राणी बचाव पुनर्वास एवं हेल्थकेयर प्रबंधन 02 मजदूरी 004	50000	0
		10-2406-8912 वन्यप्राणी बचाव पुनर्वास एवं हेल्थकेयर प्रबंधन 25 सामग्री एवं पूर्तियां 006	145000	0
		10-2406-6540 चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन 02 मजदूरी 004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	14800000	13266905
		10-2406-6540 चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन 24 अनुरक्षण कार्य	80000	78544
		10-2406-6540 चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन 25 सामग्री एवं पूर्तियां 006 अन्य व्यय	27619000	27616786

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद् का नाम	आय	व्यय
4	2023-24 (माह-12 फरवरी 2024 की स्थिति में)	10-2406-6540 बिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन 27 लघु निर्माण कार्य 006 अन्य लघु निर्माण कार्य	8984000	4752364
		10-2406-6218 भवनों की मरम्मत 24 अनुरक्षण कार्य 003 कार्यालयीन भवन	50000	0
		10-2406-6218 भवनों की मरम्मत 24 अनुरक्षण कार्य 004 आवासीय भवन	100000	0
		10-2406-6218 भवनों की मरम्मत 24 अनुरक्षण कार्य 009 अन्य भवन	30000	29990
		गेटमनी (गेट टिकट,सायकल स्टेण्ड, मछलीघर एवं सफारी कार इत्यादि)	8300000	3048274
		जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.)	4770500	1994666
योग :-			64,928,500	50,787,529
कुल योग :-			198,606,186	180,667,944


 अनुभाग अधिकारी
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 पंचसल, नवा रायपुर, अटल नगर

उप वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
 छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पारिशेष - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 2534) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की जिलेवार संख्या

क्र.	जिला का नाम	समितियों की संख्या
1	रायपुर	126
2	गरियाबंद	67
3	बलौदाबाजार-भाटापारा	129
4	महासमुंद	130
5	धमतरी	74
6	सारंगढ़-बिलाईगढ़	24
7	दुर्ग	87
8	बालोद	122
9	बेमेतरा	102
10	राजनांदगांव	74
11	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	19
12	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	39
13	कबीरधाम	90
14	बस्तर	52
15	कोंडागांव	47
16	कांकेर	70
17	नारायणपुर	9
18	दंतेवाड़ा	21
19	बीजापुर	32
20	सुकमा	27
21	बिलासपुर	114
22	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	13
23	जांजगीर	101
24	सक्ती	95
25	कोरबा	41
26	मुंगेली	66
27	सरगुजा	39
28	सूरजपुर	47
29	बलरामपुर	37
30	कोरिया	16
31	मनेन्द्रगढ़	14
32	रायगढ़	69
33	सारंगढ़-बरमकेला	41
34	जशपुर	24
योग		2058



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


सहकारिता विभाग

मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के कार्यक्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग) के स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	बैंक का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	छ.ग.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर	67	0	67
2	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर	550	46	504
3	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग	311	59	252
4	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव	222	1	221
5	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर	430	30	400
6	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अंबिकापुर	153	7	146
7	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर	258	17	241
योग		1991	160	1831



सुप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 सहकारिता विभाग
 प्रधानलय, नवा रायपुर, अटल न

विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ में वर्ष 2021 से दिसम्बर 2023 तक निर्मित पानी टंकी की क्षमता, लागत, चालू/बंद एवं लाभान्वित हितग्राही की ग्रामवार जानकारी

क्रं.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	निर्मित टंकी की क्षमता (कि.ली.) / ऊंचाई (मीटर) में	निर्मित टंकी की लागत (रू. लाख में)	टंकी से जल प्रदाय		टंकी से लाभान्वित हितग्राही (परिवार) की संख्या	
					चालू	बंद	प्रस्तावित हितग्राही (परिवार)	वर्तमान में लाभान्वित हितग्राही (परिवार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पामगढ़	चोरभडी	70/12	16.63	-	1	393	0
2	पामगढ़	भवतरा	40/12	12.49	1	-	314	250
3	पामगढ़	कोसला	70/12	16.62	1	-	429	350
4	पामगढ़	बुंदेला	140/12	25.02	-	1	343	0
5	पामगढ़	कोहका	70/12	16.63	1	-	215	210
6	पामगढ़	कोनारगढ़	150/12	25.99	-	1	730	0
7	पामगढ़	मुडपार-च	80/12	18.03	1	-	191	150
8	पामगढ़	सिंघलदीप	40/12	9.64	-	1	116	0
9	पामगढ़	कोसा	40/12	12.49	-	1	1029	0
			70/12	16.63	-	1		
10	पामगढ़	मुडपार-ब	70/12	16.63	1	-	291	200
11	पामगढ़	हिरी	80/12	18.03	-	1	260	0
12	पामगढ़	लोहसी	70/12	16.62	-	1	1013	0
13	पामगढ़	मेहंटी	160/15	26.81	-	1	497	0
14	पामगढ़	ससहा	80/12	18.03	-	1	593	0
15	पामगढ़	रोझनडीह	50/12	14.15	-	1	139	0
16	पामगढ़	केसला	40/12	12.49	-	1	423	0
17	पामगढ़	चेऊडीह	60/12	15.39	1	-	198	190
18	पामगढ़	डोंगाकहरौद	170/12	29.12	-	1	1061	0
19	पामगढ़	कोसीर	40/12	12.49	-	1	302	0
20	पामगढ़	पामगढ़	80/12	18.03	-	1	1120	0
21	पामगढ़	भुईगांव	40/12	9.64	-	1	625	0
22	पामगढ़	पचरी	40/12	9.64	1	-	129	120
23	पामगढ़	महका	60/12	12.35	1	-	193	100
24	पामगढ़	डूङगा	70/12	13.52	-	1	233	0
25	पामगढ़	भैसों	110/12	22.12	-	1	1027	0


Handwritten signature

क्रं.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	निर्मित टंकी की क्षमता (कि.ली.) / ऊंचाई (मीटर) में	निर्मित टंकी की लागत (रु. लाख में)	टंकी से जल प्रदाय		टंकी से लाभान्वित हितग्राही (परिवार) की संख्या	
					चालू	बंद	प्रस्तावित हितग्राही (परिवार)	वर्तमान में लाभान्वित हितग्राही (परिवार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	पामगढ़	पेंड्री	90/12	19.60	-	1	362	0
27	पामगढ़	मुलमुला	130/12	24.06	-	1	761	0
28	पामगढ़	पडरिया	50/12	11.19	1	-	242	200
29	पामगढ़	कमरीद	90/10	19.60	1	-	375	300
30	पामगढ़	चुरतेला	110/12	22.13	-	1	475	0
31	पामगढ़	पकरिया	90/12	19.60	1	-	345	175
32	पामगढ़	खरगहनी	60/12	15.39	-	1	217	0
33	पामगढ़	देवरी	70/12	16.62	-	1	231	0
34	पामगढ़	खपरी	120/15	24.48	-	1	406	0
35	पामगढ़	खोखरी	110/15	23.46	-	1	413	0
36	पामगढ़	जोगीडीपा	80/12	18.03	1	-	302	200
37	पामगढ़	सेमरिया- भैसों	120/15	24.48	1	-	435	350
38	पामगढ़	देवरघटा	40/12	12.49	-	1	170	0
39	पामगढ़	सेमरिया- बोहारडीह	40/12	12.49	1	-	89	80
40	पामगढ़	तनौद	215/15	27.60	1	-	853	610
41	पामगढ़	भिलौनी	90/12	15.65	1	-	630	500
42	पामगढ़	भदरा	40/12	9.64	1	-	421	220
43	पामगढ़	झिलमिली	70/12	13.52	-	1	160	0
44	पामगढ़	लगरा	110/12	26.28	1	-	680	215
45	नवागढ़	गोधना	65/12	16.01	1	-	742	605
46	नवागढ़	उदयभांठा	70/12	17.1	1	-	305	280
47	नवागढ़	भठली	110/12	23.32	-	1	432	0
48	नवागढ़	तुलसी	105/12	17.12	1	-	436	376
49	नवागढ़	कनस्टा	90/12	20.65	-	1	378	0
50	नवागढ़	मोहतरा	50/12	14.15	1	-	188	150
			योग :-	899.89	22	29	21912	5831


अनुभाग अधिकारी
 जल स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 भंडारा, मदावदी भवन,
 नया रायपुर, भंडारा जिला

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पानी टंकी निर्माण में गुणवत्ताविहीन सामाग्री के उपयोग अथवा अनियमितता के संबंध में शिकायत एवं की गई कार्यवाही

क्र.	वर्ष	विकास खण्ड	शिकायतकर्ता का नाम एवं पता	प्राप्त पत्र का संदर्भ	प्राप्त शिकायत का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1	2022-23	नवागढ़	माननीय पूर्व विधायक जी श्रीमती इन्दू बजारें विधानसभा क्षेत्र पामगढ़	02229/2022 दिनांक 08 दिसंबर 2022	जल जीवन मिशन योजनांतर्गत पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम मिस्टा, कटौद एवं दुरपा में पानी टंकी का निर्माण एवं पाईप लाईन का विस्तार कार्य में लापरवाही पूर्वक गुणवत्ता विहीन कार्य किये जाने की शिकायत	जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्राम मिस्टा, कटौद एवं दुरपा विकासखण्ड नवागढ़ में पानी टंकी निर्माण तथा पाईप लाईन विस्तार कार्य में अनियमितता की शिकायत के परिप्रेक्ष्य में कार्य स्थल पर जाकर विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच किया गया। जांच में इन ग्रामों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। अतः प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।


अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्ट - बावन

प्रपत्र

अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 2545) की जानकारी

नगर पालिका परिषद पंडरिया

(राशि रू. लाख में)

क्र.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृति राशि
1	केन्द्र प्रवर्तित योजना (14वां वित्त आयोग)	2021-22	52.16
		2022-23	103.29
	योग :-		155.45
2	केन्द्र प्रवर्तित योजना (15वां वित्त आयोग)	2021-22	24.73
		2022-23	109.84
	योग :-		134.57
3	राज्य प्रवर्तित योजना	2021-22	-
		2022-23	5.00
	योग :-		5.00
4	अधोसंरचना मद	2021-22	50.00
		2022-23	330.00
	योग :-		380.00
	महायोग :-		675.02

नगर पंचायत पाण्डातराई

(राशि रू. लाख में)

क्र.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृति राशि
1	केन्द्र प्रवर्तित योजना (14वां वित्त आयोग)	2021-22	-
		2022-23	-
	योग :-		0.00
2	केन्द्र प्रवर्तित योजना (15वां वित्त आयोग)	2021-22	34.47
		2022-23	2.50
	योग :-		36.97
3	राज्य प्रवर्तित योजना	2021-22	-
		2022-23	-
	योग :-		0.00
4	अधोसंरचना मद	2021-22	94.34
		2022-23	329.98
	योग :-		424.32
	महायोग :-		461.29

अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया भवन, महानदी भवन
राजपुर (ज. म.)

परिशेष - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 2549) की जानकारी

प्रपत्र -

खुज्जी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वन समिति में निर्माण कार्य।

क्र.	खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वनसुरक्षा समिति का नाम	विकासखण्ड	वन सुरक्षा समिति में किये गए निर्माण कार्य का नाम	स्थल/ग्राम का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय की राशि	अनुशंसा करने वाले का नाम		रिमार्क
							ग्राम पंचायत	क्षेत्रीय प्रतिनिधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

वर्ष 2023-24

निरक

वर्ष 2022-23

1	वन प्रबंधन समिति पंडरापानी	छुरिया	देव स्थल शीतला मंदिर में बाऊडीवाल निर्माण	पंडरापानी	250000	117800	-	-	कार्य दिनांक 31 जनवरी 2024 की स्थिति में प्रगति पर है
2	वन प्रबंधन समिति पंडरापानी	छुरिया	सी.सी. रोड निर्माण भाग 01	पंडरापानी	500000	499315	-	-	कार्य पूर्ण है
3	वन प्रबंधन समिति झाडीखेरी	छुरिया	देव स्थल शीतला मंदिर में बाऊडीवाल निर्माण	झाडीखेरी	250000	117800	-	-	कार्य दिनांक 31 जनवरी 2024 की स्थिति में प्रगति पर है
4	वन प्रबंधन समिति बैदाडी	छुरिया	शीतला मंदिर निर्माण	बैदाडी	500000	255562	-	-	कार्य दिनांक 31 जनवरी 2024 की स्थिति में प्रगति पर है
5	वन प्रबंधन समिति जोब	छुरिया	गढमाता मंदिर में सी.डी. एवं चबुतरा निर्माण	कक्ष क्र. 606 आर. एफ.	400000	257831	-	-	कार्य दिनांक 31 जनवरी 2024 की स्थिति में प्रगति पर है
6	वन प्रबंधन समिति जोब	छुरिया	कला मंच में ढलाई कार्य	जोब	250000	145417	-	-	कार्य दिनांक 31 जनवरी 2024 की स्थिति में प्रगति पर है
7	वन प्रबंधन समिति जोब	छुरिया	ठाकुरदेव मंदिर में बाऊडीवाल निर्माण	कक्ष क्र. 625 आर. एफ.	300000	133551	-	-	कार्य दिनांक 31 जनवरी 2024 की स्थिति में प्रगति पर है
					2450000	1527276			

वर्ष 2021-22

निरक

योग:-

2450000

1416765

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
संयुक्त वन प्रबंधन/नीति विश्लेषण

28/02/24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
संयुक्त वन प्रबंधन/नीति विश्लेषण


पारिशेष्ट - चोवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 2552) की जानकारी

प्रथम

" ए0डी0बी परियोजना धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुननिर्माण कार्य "

क्र0	रा0प्र0 क्र0	ग्राम का नाम	किसानों की संख्या	अधिग्रहित रकबा	मुआवजा राशि प्रदाय की गई किसानों की संख्या
1	03/अ-82/2021-22	गवरघुटरी	8	0.306	4
2	04/अ-82/2021-22	खम्हार	14	0.485	11
3	05/अ-82/2021-22	सोनपुर	40	1.182	0
4	06/अ-82/2021-22	सरिया	13	0.598	0
5	13/अ-82/2021-22	नकना	37	0.822	19
6	08/अ-82/2021-22	भोजपुर	30	0.162	0
7	09/अ-82/2021-22	टोनाहीनारा	10	0.784	10
8	10/अ-82/2021-22	कापू	54	2.718	49
9	11/अ-82/2021-22	मिरीगुड़ा	57	1.473	41
10	15/अ-82/2021-22	बाकारूमा	06	0.070	5
	योग:-	10	269	8.600	135



अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, रायपुर

" राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130 ए (उरगा से पत्थलगांव सेक्शन) भारतमाला परियोजना "

क्र.	रा0प्र0क0	ग्राम का नाम	कुल किसानों की संख्या	कुल अधिग्रहित रकबा	मुआवजा राशि प्रदाय की गई किसानों की संख्या
01	26/अ-82/2021-22	बाकारूमा	37	5.049	19
02	21/अ-82/2021-22	सिसरिगा	101	12.833	93
03	17/अ-82/2021-22	खड़गांव	25	3.600	14
04	18/अ-82/2021-22	कोईलार	29	2.930	16
05	19/अ-82/2021-22	बायसी	75	10.358	75
06	20/अ-82/2021-22	धरमजयगढ़	4	0.229	0
07	23/अ-82/2021-22	रैरूमाखुर्द	56	8.520	40
08	22/अ-82/2021-22	तेजपुर	19	5.218	17
09	25/अ-82/2021-22	बगुडेगा	47	9.134	0
10	24/अ-82/2021-22	बाकारूमा	51	5.049	41
11	27/अ-82/2021-22	खड़गांव	4	0.243	4
12	32/अ-82/2021-22	कोईलार	13	1.138	1
13	29/अ-82/2021-22	सिसरिगा	22	1.584	11
14	33/अ-82/2021-22	बायसी	22	1.962	0
15	31/अ-82/2021-22	धरमजयगढ़	29	6.723	15
16	30/अ-82/2021-22	बायसी कालोनी	45	22.532	45
17	18/अ-82/2021-22	बगुडेगा	9	0.103	18
18	28/अ-82/2021-22	धरमजयगढ़ कालोनी	13	3.933	13
		योग	601	101.138	422


 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


पारिशेष - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 2560) की जानकारी

प्रपत्र

नगर पंचायत घरघोड़ा, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

क्र.	वर्ष	मद का नाम	कार्य जिसमें स्वीकृत राशि व्यय की गई है।
1	2	3	4
1	2021-22	मरम्मत संधारण निधि	पेयजल वाहनी मरम्मत कार्य
2			कार्यालय के समाने मुरुम बिछवाने का कार्य
3			कालेज के पास डम्प कचरे को जेसीपी. द्वारा सिप्ट करने का कार्य
4			वाहन मरम्मत कार्य
5			नाली मरम्मत कार्य
6			वार्ड 09 सार्वजनिक शौचालय मरम्मत कार्य
7			वार्ड 13 सार्वजनिक शौचालय मरम्मत कार्य
8			एफ.एस.टी.पी. मरम्मत कार्य
9			प्रकाश व्यवस्था संधारण कार्य
10			सड़क मरम्मत कार्य
11			वार्ड क्र. 02 से 15 में जेसीपी द्वारा झाड़ी सफाई कार्य
12			प्रकाश व्यवस्था संधारण
13			सड़क मरम्मत कार्य
14			पोताई कार्य
15			वार्ड 10 में जेसीपी से साफ-सफाई का कार्य
16			प्रकाश व्यवस्था संधारण
17			वाहन मरम्मत कार्य
18			पेयजल वाहनी मरम्मत कार्य
19			प्रकाश व्यवस्था संधारण कार्य
20			वार्ड क्र. 13 में मलवा सफाई का कार्य
21			बस स्टैण्ड के पास मलवा सफाई का कार्य
22			विभिन्न वार्डों में जेसीपी से साफ-सफाई का कार्य
23			पोताई कार्य
24			वाहन मरम्मत कार्य
25			सार्वजनिक शौचालय मरम्मत कार्य
26			नाली मरम्मत कार्य
27	2022-23		पेयजल वाहनी मरम्मत कार्य
28			वार्ड क्र. 06 एस.एल.आर.एम. सेंटर में कम्पोस्टिंग मरम्मत कार्य
29			वार्ड क्र. 06 एस.एल.आर.एम. सेंटर के समाने फिलिंग कार्य
30			वार्ड 09 सार्वजनिक शौचालय मरम्मत कार्य
31			वार्ड क्र. 13 सामुदायिक शौचालय मरम्मत कार्य
32			वार्ड 09 सार्वजनिक शौचालय के समाने पाथवे निर्माण कार्य
33			वार्ड क्र. 06 एस.एल.आर.एम. सेंटर में क्राफ्टीकरण कार्य
34			पछरी मरम्मत कार्य
35			वार्ड क्र. 06 में एस.एल.आर.एम. सेंटर के पास रोड निर्माण कार्य
36			2023-24 (प्रश्नावधि तक)
37	वाहन मरम्मत कार्य		
38	प्रकाश व्यवस्था संधारण कार्य		
39	पेयजल वाहनी मरम्मत कार्य		
40	सुलभ शौचालय का मरम्मत कार्य		
41	ग्रीननेट जुर्माना बोर्ड कय		
42	भवन पोताई कार्य		
43	वाहन मरम्मत कार्य		
44	सुलभ शौचालय का मरम्मत कार्य		
45	भवन मरम्मत कार्य		
1	2022-23	राज्य प्रवर्तित योजना	वार्ड क्र. 10 छोटे मुड़ा तालाब का गहरीकरण सौंदर्यीकरण कार्य


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया भवन, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

परीक्षा - छप्पन


अतारांकित प्रश्न संख्या 65 (क. 2572) की जानकारी

प्रश्न

क्र.	वर्ष 2019		वर्ष 2020		वर्ष 2021		वर्ष 2022		वर्ष 2023		कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्लेसमेंट एजेंसी/ठेकेदारों द्वारा भ्रम विनाग से लागू होने वाली सेवाएँ हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा यदि हाँ	
	प्लेसमेंट एजेंसी/ठेकेदारों का नाम	वर्षवार प्लेसमेंट कर्मचारियों की संख्या	प्लेसमेंट एजेंसी/ठेकेदारों का नाम	वर्षवार प्लेसमेंट कर्मचारियों की संख्या	प्लेसमेंट एजेंसी/ठेकेदारों का नाम	वर्षवार प्लेसमेंट कर्मचारियों की संख्या	प्लेसमेंट एजेंसी/ठेकेदारों का नाम	वर्षवार प्लेसमेंट कर्मचारियों की संख्या	प्लेसमेंट एजेंसी/ठेकेदारों का नाम	वर्षवार प्लेसमेंट कर्मचारियों की संख्या		
1	शांति ट्रेडर्स,	3	शांति ट्रेडर्स,	5	मे. सगाई केयर कंस्ट्रक्शन/राजू, कश्यप	7	शांति ट्रेडर्स	8	एस.एस.इन्फ्रस्ट्रक्चर सॉल्यूशंस	10	11	12
1	यूनियर्सल आटो एवं मोटर सिपोरिंग वर्क्स	98	ए.एस.बिल्लर्स	98	ए.एस.इन्फ्रस्ट्रक्चर	35	ए.एस.इन्फ्रस्ट्रक्चर सॉल्यूशंस	48	धनराज बिल्लकोर्न	एस.एस.इन्फ्रस्ट्रक्चर सॉल्यूशंस	105	हां
2	इश्वर जोगी	17	ए.एस.के.सोनी	8	ए.एस.इन्फ्रस्ट्रक्चर	50	यूनियर्सल आटो एवं मोटर सिपोरिंग वर्क्स	23	श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन	महेश सोनी	112	हां
3	बेट्टेड सिक्वैरीटी सर्विसेस	10	इश्वर जोगी	6	यूनियर्सल आटो एवं मोटर सिपोरिंग वर्क्स	107	इश्वर जोगी	142	महेश सोनी	महेश सोनी	40	हां
4	बलराज सोनी	92	इश्वर जोगी	72	कुरुगा इंटरप्राइजेस	61	कुरुगा इंटरप्राइजेस	70	महेश सोनी	महेश सोनी	65	हां
5	कलीन टेक	3	इश्वर जोगी	35	कुरुगा इंटरप्राइजेस	49	कुरुगा इंटरप्राइजेस	10	महेश सोनी	महेश सोनी	10	हां
6	मधुसुदन राव	153	बलराज सोनी	4	मधुसुदन राव	50	महेश सोनी	50	महेश सोनी	महेश सोनी	17	हां
7	माया ट्रेडर्स	27	मधुसुदन राव	153	महेश सोनी	105	महेश सोनी	75	महेश सोनी	महेश सोनी	35	हां
8	महेश सोनी	17	महेश सोनी	51	महेश सोनी	51	महेश सोनी	18	महेश सोनी	महेश सोनी	12	हां
9	महेश सोनी	3	महेश सोनी	55	महेश सोनी	22	महेश सोनी	14	महेश सोनी	महेश सोनी	13	हां
10	महेश सोनी	16	महेश सोनी	14	महेश सोनी	15	महेश सोनी	43	महेश सोनी	महेश सोनी	41	हां
11	महेश सोनी	15	महेश सोनी	70	महेश सोनी	18	महेश सोनी	14	महेश सोनी	महेश सोनी	2	हां
12	महेश सोनी	82	महेश सोनी	14	महेश सोनी	35	महेश सोनी	50	महेश सोनी	महेश सोनी	43	हां
13	महेश सोनी	30	महेश सोनी	3	महेश सोनी	41	महेश सोनी	54	महेश सोनी	महेश सोनी	87	हां
14	महेश सोनी	30	महेश सोनी	62	महेश सोनी	10	महेश सोनी	46	महेश सोनी	महेश सोनी	41	हां
15	महेश सोनी	110	महेश सोनी	5	महेश सोनी	14	महेश सोनी	41	महेश सोनी	महेश सोनी	50	हां
16	महेश सोनी	80	महेश सोनी	135	महेश सोनी	51	महेश सोनी	14	महेश सोनी	महेश सोनी	21	हां
17	महेश सोनी	81	महेश सोनी	38	महेश सोनी	47	महेश सोनी	87	महेश सोनी	महेश सोनी	135	हां
18	महेश सोनी	30	महेश सोनी	45	महेश सोनी	41	महेश सोनी	41	महेश सोनी	महेश सोनी	35	हां
19	महेश सोनी	50	महेश सोनी	30	महेश सोनी	58	महेश सोनी	50	महेश सोनी	महेश सोनी	76	हां
20	महेश सोनी	13	महेश सोनी	130	महेश सोनी	35	महेश सोनी	77	महेश सोनी	महेश सोनी	77	हां
21	महेश सोनी	22	महेश सोनी	28	महेश सोनी	50	महेश सोनी	39	महेश सोनी	महेश सोनी	10	हां
22	महेश सोनी	6	महेश सोनी	4	महेश सोनी	151	महेश सोनी	24	महेश सोनी	महेश सोनी	10	हां
23	महेश सोनी	40	महेश सोनी	30	महेश सोनी	19	महेश सोनी	89	महेश सोनी	महेश सोनी	62	हां

25	सिटी क्वीन सर्विसेस	मेसर्स सुकिया सर्विसेस	50	मेसर्स शाईनराज इंटरप्राइजेस प्रा. लिमिटेड	4	मेसर्स शाईनराज इंटरप्राइजेस प्रा. लिमिटेड	4	मेसर्स डीजीसील टेक्नोलॉजी	84	हां
26	विशाल कोट्टीवाल	मेसर्स डीजीसील टेक्नोलॉजी	78	मेसर्स साईना सिक्विरिटी एंड प्लेसेमेंट सर्विसेस (श्री अनिल कुमार पटेल)	62	मेसर्स सबल जन कल्याण सर्विसेस	70	मेसर्स Milestone Soft सर्विसेस रायपुर	54	हां
27	होमलाल डहरिया	मेसर्स आरएसपी सर्विसेस	2	मेसर्स सुकिया सर्विसेस	18	मेसर्स सी.जी. सिक्विरिटी सर्विसेस न्यू चंगोरामाटा, रायपुर	26	मेसर्स अक्ष एसोसिएट्स	40	हां
28	भारत युटिलिटी	मेसर्स ओम एयर कुलर एंड अलमाशी	6	मेसर्स डीजीसील टेक्नोलॉजी	92	मेसर्स साईना सिक्विरिटी एंड प्लेसेमेंट सर्विसेस (श्री अनिल कुमार पटेल)	62	मेसर्स आरएसपी सर्विसेस	7	हां
29	पैरनाउपट इटोलीजेंस सिक्विरिटी सर्विसेस	मेसर्स टंगो सिक्विरिटी सर्विसेस, रायपुर	36	मेसर्स ओम एयर कुलर एंड अलमाशी	36	मेसर्स डीजीसील टेक्नोलॉजी	94	मेसर्स टंगू सिक्विरिटी सर्विसेस	6	हां
30	पैरनाउपट इटोलीजेंस सिक्विरिटी सर्विसेस	रिशेरा सिंह ठाकुर	20	मेसर्स टंगो सिक्विरिटी सर्विसेस, रायपुर	25	मेसर्स अक्ष एसोसिएट्स	40	मेसर्स ललित इंटरप्राइजेस, प्र	38	हां
31	रविचंद्र कुमार बागडे	रिशेरा रकसेल	25	मनोज बंजारे	100	मेसर्स अक्ष एसोसिएट्स	30	मनोज बंजारे	155	हां
32	श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन	सिक्विरिटी फॉर यु	5	रियल वैल्यू इन्फोटेक	30	मेसर्स आरएसपी सर्विसेस, प्रो. मो. इय्या	27	रिशेरा सिंह ठाकुर	24	हां
33	श्री बलराज सोनी	सिक्विरिटी कंस्ट्रक्शन	10	रिशेरा सिंह ठाकुर	75	मेसर्स आदर्श महिला स्व. सहा. समूह प्रो.	48	रिशेरा रकसेल	5	हां
34	श्री कार्तिकेश्वर साहू	सिटी क्वीन सर्विसेस	40	रिशेरा रकसेल	5	मेसर्स टंगो सिक्विरिटी सर्विसेस, रायपुर	17	शिवानी सिक्विरिटी सर्विसेस	3	हां
35	श्री कार्तिकेश्वर साहू	विशाल कोट्टीवाल	15	शिवानी सिक्विरिटी सर्विसेस	15	मेसर्स ललित इंटरप्राइजेस, प्रो. ललित छ	38	सिक्विरिटी फोर यू	25	हां
36	श्री महावीर बेरा	होमलाल डहरिया	12	सिक्विरिटी फोर यु	10	मनोज बंजारे	180	रिगा रोन्डे	12	हां
37	श्री विनित कुमार दास	भारत युटिलिटी	150	सिक्विरिटी कंस्ट्रक्शन	3	रिशेरा सिंह ठाकुर	17	विशाल कोट्टीवाल	80	हां
38	श्री हर्षवर्धन मिश्रा	पैरनाउपट इटोलीजेंस सिक्विरिटी सर्विसेस	10	विशाल कोट्टीवाल	80	रिशेरा रकसेल	5	चिन्हारी कंस्ट्रक्शन	10	हां
39	श्री रविचंद्र बागडे	प्रक्रिति इंटरप्राइजेस	33	होमलाल डहरिया	85	शिवानी सिक्विरिटी सर्विसेस	3	होमलाल डहरिया	131	हां
40	श्री राकेश शर्मा	रमेश शुकला	14	रमेश शुकला	90	विशाल कोट्टीवाल	80	पैशन सर्विसेस	36	हां
41	श्री राम कुमार नायक, बुनामट्टी	श्री बलराज सोनी	50	श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन	59	चिन्हारी कंस्ट्रक्शन	18	रंघा शुकला	86	हां
42	श्री राजेन्द्र यादव	श्री कार्तिकेश्वर साहू	123	श्री कार्तिकेश्वर साहू	128	होमलाल डहरिया	202	रविचंद्र कुमार बागडे	63	हां
43	श्री राजू कश्यप	श्री मधुसूदन राव	55	श्री केशव प्रसाद पाण्डेय तेरीबाधा रायपुर	22	भारत युटिलिटी	35	श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन	55	हां
44	श्री शाशक मिश्रा	श्री महावीर बेरा	11	श्री महेश कुमार सोनकर	60	प्राथीक इंटरप्राइजेस	12	श्री कार्तिकेश्वर साहू	238	हां
45	श्री उदय तिवारी	श्री विनित कुमार दास	25	श्री विनित कुमार दास	40	रंघा शुकला	90	श्री महेश कुमार सोनकर	60	हां
46	श्री उदय तिवारी	श्री हर्षवर्धन मिश्रा	45	श्री राजेन्द्र यादव	71	श्री कार्तिकेश्वर साहू	165	श्री विनित कुमार दास	55	हां
47	श्री दीपक प्रधान	श्री रविचंद्र बागडे	86	श्री राजू कश्यप	199	श्री मंगलचंद्र दीप	36	श्री हाकिम पिथालिया	36	हां
48	श्री चन्द्रशेखर साहू	श्री राम कुमार नायक, बुनामट्टी	160	श्री शाशक मिश्रा	61	श्री महेश कुमार सोनकर	60	श्री राकेश साखी	50	हां
49	श्री नंदगोपाल वर्मा	श्री राजेन्द्र यादव	52	श्री उदय तिवारी	90	श्री विनित कुमार दास	55	श्री राजू कश्यप	266	हां
50	श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर	श्री राजू कश्यप	291	श्री दीपक राव मोहिते	45	श्री राजेन्द्र यादव	15	श्री शशांक मिश्रा	246	हां
51	श्री नारायण बछेरा	श्री उदय तिवारी	35	श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर	44	श्री राजू कश्यप	196	श्री दीपक राव मोहिते	34	हां
52	श्री अमर कुमार झा	श्री दीपक प्रधान	34	श्री अमर कुमार झा	204	श्री शाशक मिश्रा	141	श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर	65	हां
53	श्री अमित पाटकर	श्री चन्द्रशेखर साहू	37	श्री अनिल गेलेरा	18	श्री दीपक राव मोहिते	82	श्री अमर कुमार झा	80	हां
54	श्री आतिश भारती	श्री नंदगोपाल वर्मा	30	श्री आतिश भारती	38	श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर	34	श्री आतिश भारती	51	हां
55	श्रीमती राधा ठाकुर	श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर	99	श्री ओम प्रकाश धनगर	70	श्री अमर कुमार झा	120	श्री ओम प्रकाश धनगर	70	हां
56	श्रीमती रेखा देवान	श्री अमर कुमार झा	8	श्री अनिल गेलेरा	115	श्री अनिल गेलेरा	40	श्रीमती रेखा देवान	45	हां
57	राजकुमार यादव	श्री आतिश भारती	164	रामकुमार नायक	49	श्री आतिश भारती	51	श्रीमती रेखा देवान	205	हां
58	राजेन्द्र यादव	श्रीमती राधा ठाकुर	38	राममोदी जागडे	55	श्री ओम प्रकाश धनगर	70	राजकुमार यादव	11	हां
59	रतनलाल यादव	श्रीमती रेखा देवान	60	राजकुमार यादव	7	श्रीमती रेखा देवान	185	राजेन्द्र यादव	16	हां
60	रेखा देवान	राकेश साखी	15	राजेन्द्र यादव	102	राकेश साखी	35	रजत इंटरप्राइजेस	107	हां
61	सबल जन कल्याण	राजकुमार यादव	2	रतनलाल यादव	14	राजकुमार यादव	4	शांति ट्रेडर्स,	160	हां
62	साई राम इंटरप्राइजेस	राजेन्द्र यादव	92	रजत इंटरप्राइजेस	35	राजेन्द्र यादव	16	सबल जन कल्याण	55	हां
63	सोनी सिक्विरिटी सर्विसेस	रेखा देवान	81	सबल जन कल्याण	98	रजत इंटरप्राइजेस	79	साईराम इंटरप्राइजेस	102	हां
64	सुकिया सर्विसेस प्रो. यशपाल सिंग	सबल जन कल्याण	100	साई राम इंटरप्राइजेस	30	साई राम इंटरप्राइजेस	66	सुजीत सिंह	45	हां
65	सुनिल गुप्ता	सर्विसेस फोर्स	55	सोनी सिक्विरिटी सर्विसेस	36	सुकिया सर्विसेस प्रो. यशपाल सिंग	50	दीपक प्रधान	107	हां

66	सुजीत सिंह	27	साई राम इंटरप्राइजेस	3	सुजीत सिंह	80	सुजीत सिंह	80	वाय.ए.एम. इंटरप्राइजेस	65	हां
67	दीपक जोशी	53	सोनी सिक्कुरिटी सर्विस	88	दीपक प्रधान	36	दीपक प्रधान	36	R K Tack Clean Services	8	हां
68	ज्योति ट्रेडर्स	28	सुखिषा सर्विस (श्यामाल सिंग)	23	दीपक जोशी	71	दीपक जोशी	71	जय सिंगाराम इंटरप्राइजेस	43	हां
69	नवीन भारती	27	सुजीत सिंह	10	वाय.ए.एम. इंटरप्राइजेस	15	वाय.ए.एम. इंटरप्राइजेस	55	जय अम्मा जी	35	हां
70	अब्दुल रहीम	96	दीपक प्रधान	35	जय सिंगाराम इंटरप्राइजेस	117	जय सिंगाराम इंटरप्राइजेस	102	ज्योति ट्रेडर्स	33	हां
71	श्री अमर कुमार झा	8	दीपक जोशी	36	ज्योति ट्रेडर्स	28	जय अम्मा जी	35	जे.बी. इंटरप्राइजेस	20	हां
72	अदित्य इंटरप्राइजेस	140	वाय.ए.एम. इंटरप्राइजेस	64	जी.आर.इंटरप्राइजेस	37	ज्योति ट्रेडर्स	30	नरेश सिंह ठाकुर	23	हां
73	अनिल कुमार गिलारे	25	ज्योति ट्रेडर्स	9	नारायण बंधे	32	जे.बी. इंटरप्राइजेस	20	नवाज इंटरप्राइजेस	25	हां
74	आदित्य बिल्डकोन	30	न्यू भार सिक्कुरिटी सर्विस	28	नवाज इंटरप्राइजेस	100	नवाज इंटरप्राइजेस	100	नन्दगोपाल वर्मा	36	हां
75	आदर्श महिला स्व. सहायता समूह	24	नवीन भारती	20	अब्दुल रहीम	95	नन्दगोपाल वर्मा	72	अब्दुल रहीम	105	हां
76	ओमप्रकाश झा	25	नवाज इंटरप्राइजेस	35	अमित कुमार पाटकर	77	अब्दुल रहीम	95	अमित कुमार पाटकर	77	हां
77	गो क्लीन सर्विस	45	अब्दुल रहीम	60	अदित्य इंटरप्राइजेस	155	अमित कुमार पाटकर	77	अमित दुबे	40	हां
78	कुल 77	3607	अनिल कुमार गिलारे	75	अनिल कुमार गिलारे	80	अदित्य इंटरप्राइजेस	111	अदित्य इंटरप्राइजेस	75	हां
79			आदित्य इंटर प्राइजेस	40	आईडल इजीनियरिंग	30	अनिल कुमार गिलारे	40	अनिल कुमार गिलारे	73	हां
80			आदित्य बिल्डकोन	110	आर.बी. कंस्ट्रक्शन	20	आईडल इजीनियरिंग	30	आईडल इजीनियरिंग	30	हां
81			आदर्श महिला स्व. सहायता समूह	54	आदर्श महिला स्व. सहायता समूह. गुडियारी.	46	आर.के.एस. कंस्ट्रक्शन	37	आदित्य बिल्डकोन	18	हां
82			ओम प्रकाश झा	70	ओम प्रकाश झा	81	ओम प्रकाश झा	104	आर.के.एस. कंस्ट्रक्शन	37	हां
83			टीप ग्रेड सिक्कुरिटी सर्विस	55	टीप ग्रेड सिक्कुरिटी सर्विस	46	टीपो सिक्कुरिटी सर्विस	11	ओम प्रकाश झा	90	हां
84			टीपो सिक्कुरिटी सर्विस	40	टीपो सिक्कुरिटी सर्विस	11	अजीत सेनापति	6	टीपो सिक्कुरिटी सर्विस	35	हां
85			गो क्लीन सर्विस	11	अनुपम चंदाकर	5	अनुपम चंदाकर	9	अजीत सेनापति	6	हां
86			85	4159	गो क्लीन सर्विस	129	गो क्लीन सर्विस	81	अनुपम चंदाकर	9	हां
87					86	4875	86	5034	गो क्लीन	173	हां
88									गीरव इंटरप्राइजेस	45	हां
89									ललित इंटरप्राइजेस	35	हां
90									89	5265	




अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन
राधापुर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - सनतावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्र. 2574) की जानकारी

प्रपत्र

क्रमांक	तहसील का नाम	पटवारी हल्का नंबर	लंबित फौती नामांतरण दिसम्बर 2023 की स्थिति में	कैफियत
1	2	3	4	5
1	जांजगीर	1	—	
2		2	—	
3		3	—	
4		4	—	
5		5	—	
6		6	—	
7		7	—	
8		8	—	
10		9	—	
11		10	04	
12		11	—	
13		12	—	
14		13	02	
15		14	—	
16		15	—	
17		16	02	
18		17	—	
18		18	—	
19		19	—	
20		20	—	
21		21	01	
22		22	04	
23		23	—	
24		24	—	
25		योग	13	
26	चांपा	1	—	
27		2	—	
28		3	—	
29		4	—	
30		5	—	
31		6	05	
32		7	—	
33		8	05	
34		योग 8	—	
35	नवागढ	1	—	
36		2	—	
37		3	—	
38		4	—	
39		5	—	
40		6	—	
41		7	—	



अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मुख्यालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़

42		8	—	
43		9	—	
44		10	—	
45		11	—	
46		12	—	
47		13	—	
48		14	—	
59		15	—	
50		16	—	
51		17	—	

Sikal,
अनुभाग अधिकारी
सखरव एवं आपदा प्रबंधन विभाग
नया रायपुर कृत्तीसगाह


जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत उद्योगों की जलकर की बकाया राशि

राशि रु. लाख में

स.क्र.	उद्योग का नाम	दिनांक 31.01.2024 की स्थिति में शेष राशि (रु. लाख में)
1	2	3
1	प्रकाश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, चांपा	514.168
2	मध्यभारत पेपर्स लिमिटेड, चांपा	1460.285
3	नूवोको विस्तार कार्पोरेशन लि. गोपाल नगर जांजगीर-चाम्पा	4.905
4	साई लीलागर पावर कं. लि. आरसमेटा	596.916
5	लहरी पावर प्लांट (महेन्द्रा पावर मड़वा)	3.722
6	छ.ग. स्टील एवं पावर (अमझर)	65.142
7	के.एस.के. महानदी पा.कं.लि. नरियरा	69857.486
8	छ.ग. राज्य पावर जनरेशन कम्पनी लिमि. मड़वा	846.875
9	शांति जी.डी. पावर लिमि.	9.513
10	नूवोको विस्तार कार्पोरेशन लि. गोपाल नगर	6.047
11	मेसर्स क्लीन कोल इन्टरप्राइसेस लिमि. बलौदा	1.539
12	मेसर्स महावीर कोलवासरी प्रा.लि. बलौदा	33.011
13	मेसर्स हिन्द एनर्जी एवं कोल बेनिफिकेशन बिरगहनी	2.713
14	मेसर्स श्याम वेयर हाउसिंग एवं पावर लिमिटेड ग्राम बनारी पोस्ट नैला जिला जांजगीर चाम्पा	1175.797
15	के.एस.के. महानदी पा.कं.लि. नरियरा	19.076
16	मेसर्स हिन्द एनर्जी एवं कोल बेनिफिकेशन बलौदा	2.180
17	एम.व्ही.के. इण्डस्ट्रीज, प्राइवेट लिमिटेड, अमरताल	3.024
	योग	74602.399



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)



प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
रायपुर, अटल नगर